ISSN 0976-0830

Mānaviki

A PEER REVIEWED INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES

Volume 16 • Number 2 • 'Vijayadashmi', October 2025

विशेषांक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020



Editors

Pradeep Kumar Rao
Om Jee Upadhyay
Subodh Kumar Mishra

The Journal of Maharana Pratap Mahavidyalaya, Jungle Dhusan, Gorakhpur (U.P.)

Mānaviki

A PEER REVIEWED INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES

Editorial Advisory Board

U.P. Singh, Ex Vice Chancellor, V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur

Surendra Dubey, Ex Vice Chancellor, Siddhartha University, Kapilvastu, Siddharthanagar

V.K. Singh, Ex Vice Chancellor, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

Shri Prakash Mani Tripathi, Ex Vice Chancellor, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak (M.P.)

Chandrashekhar, Ex Vice Chancellor, Raja Mahendra Pratap Singh Vishwavidyalaya, Aligarh

Murli Manohar Pathak, Vice Chancellor, Sri Lal Bahadur Shastri Central Sanskrit University, New Delhi

A.K. Singh, Ex Vice Chancellor, Mahayogi Guru Gorakhnath Ayush Vishwavidyalaya, Gorakhpur

K. Ramchandra Reddy, Vice Chancellor, Mahayogi Guru Gorakhnath Ayush Vishwavidyalaya, Gorakhpur

Surinder Singh, Vice Chancellor, Mahayogi Gorakhnath University, Gorakhpur

Sadanand Prasad Gupta, Ex Executive Chairman, U.P. Hindi Sansthan, Lucknow

V.K. Srivastava, Professor, Geography. D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

Pratibha Khanna, Professor, Education. D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

S.S. Das, Professor, Chemistry, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

D.K. Singh, Professor, Zoology, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

Rajawant Rao, Professor, Ancient History, Archaeology and Culture. D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

Himanshu Chaturvedi, Professor, History, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

Harsh Sinha, Professor, Defence and Strategic Studies, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

Shikha Singh, Professor, English, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

Divya Rani Singh, Professor, Home Science, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

Shailja Singh, Professor, Education, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

Raj Sharan Shahi, Professor, Education, Bhimrao Ambedkar Central University, Lucknow

Vivek Nigam, Professor, Economics, Ewing Christian College, Prayagraj

Pragya Mishra, Professor, Ancient History, Ram Manohar Lohia Awadh University, Faizabad

Rajesh Singh, Professor, Political Science, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

Vinod Kumar Singh, Professor, Defence & Strategic Studies, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

Mrityunjay Kumar, Renowned Journalist

ISSN 0976-0830

Mānaviki

A PEER REVIEWED INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
Volume 16 • Number 2 • 'Vijayadashmi', October 2025

विशेषांक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२०

Editors
Pradeep Kumar Rao
Om Jee Upadhyay
Subodh Kumar Mishra

Co-editor
Vivek Kumar Vishwakarma

The Journal of
Maharana Pratap Mahavidyalaya
Jungle Dhusan, Gorakhpur (U.P.)

This Journal is a Peer Reviewed & *Referral* Volume.

ISSN-0976-0830

Volume 16 ● Number 2 ● Vijayadahmi, October 2025

Manaviki, an interdisciplinary *referred & peer reviewed* journal of Humanities and Social Sciences is a biannual (Varsh Pratipada and Vijaya Dashami, i.e. April and October months of a year) and bilingual journal of Maharana Pratap Mahavidyalaya, Jungle Dhusan, Gorakhpur (UP).

Copyright of the published articles, including abstracts, vests in the Editors. The objective is to ensure full Copyright protection and to disseminate the articles, and the journal, to the widest possible readership. Authors may use the article elsewhere after obtaining prior permission from the editors.

Research Papers related to Humanities and Social Sciences are invited for publication in the journal. Research papers, book reviews, Subscription and other enquiries should be sent to - Subodh Kumar Mishra, Maharana Pratap Mahavidyalaya, Jungle Dhusan, Gorakhpur - 273014 (U.P.), Mob.: 9452971570, 7376584058. You may also e-mail your contributions and correspondence at *manavikijournals@gmail.com* or *mpmpg5@gmail.com*

Guidelines for Contributors given on the inner side of the back cover.

The Editors and the Publisher cannot be held responsible for errors and any consequences arising from the use of information contained in this journal. The views and opinions expressed do not necessarily reflect those of the editors and the publisher.

Designed & Printed at : R-Tech Offset Printers, Delhi

Subscription Rates

	Individual		Institutional	
Annual	Rs. 300	US $ 30	Rs. 500	US $ 50
Five Years	Rs. 1250	US $ 80	Rs. 2000	US $ 125
Life (15 Years)	Rs. 2500	US $ 150	Rs. 4000	US $ 200

Mānaviki

A Peer Reviewed Interdisciplinary Journal of Humanities & Social Sciences

Volume 16 Number 2 Vijayadahmi, October 2025

CONTENTS

Articles **Pages**

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की जागरूकता : एक अध्ययन
   सुश्री मीनाक्षी पांडेय एवं प्रो. राजशरण शाही.....5
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में उच्च शिक्षा की दिशा
   विभा सिंह, प्रो. हेमेन्द्र कुमार सिंह.....36
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : अवसर और चुनौतियाँ
   डॉ. रश्मि चतुर्वेदी.....45
4. Transforming Teacher Education under NEP 2020: Bridging Traditional Wisdom with Modern Reforms
   Dr. Gyanendra Nath Tiwari.....52
5. समतामूलक समावेशी शिक्षा के लक्ष्य और चुनौतियाँ:
   डॉ. मीतू सिंह.....58
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 का कार्यान्वयन
   डॉ. सिद्धार्थ शुक्ल.....73
7. AI-Powered Education : NEP 2020 Strengthening Indian Multidisciplinary Education Initiatives
   Dr. Aparna Mishra, Dr. Pavitra Bajpai 79
8. A Study of Examination Reforms in NEP 2020 and Assessment in India
   Shipra Singh.....88
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति : भाषा और कला की अभिव्यक्ति के संकल्प से सिद्धि
   डॉ. संदीप कुमार श्रीवास्तव.....95
10. माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन
    डॉ. मुकेश कुमार सिंह.....103
11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास की पुनर्कल्पना
    डॉ. अमर नाथ तिवारी.....114

12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति : भाषाई संदर्भ
डॉ. आरती सिंह.....125
13. The Role of Mathematics in National Education Policy 2020
Pappu Kumar Gupta.....131
14. गोरखपुर की शिक्षा में सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं का योगदान
हर्षिता सिंह एवं डॉ. सन्तोष कुमार सिंह.....148
15. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल आधारित शिक्षा : छात्रों के रोजगार के अवसरों पर प्रभाव
श्रीमती दिव्या दूबे.....155
16. Role of NEP-2020 in Community Development
Ramakant Dubey, **Vivekkumar Vishwakarma**.....159
17. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षक सशक्तिकरण के विशेष सन्दर्भ में
डॉ. सुबोध कुमार मिश्र, डॉ. इक्ष्वाकु प्रताप सिंह.....167
18. Effect of Child Abuse and its impact on Intellectual development among Adolescents : A Psychological Study
Dr. Venkat Raman.....174
19. Yogi's UP: From BIMARU to Trillion-Dollar Beast
Nitin Pandey.....186
20. Analysis of the Effectiveness of Regulatory Simplification under the Startup India Initiative
Ms. Rani Dwivedi, Dr. Niraj Kumar Singh.....191
21. Generative Artificial Intelligence and Copyright Law: The Indian Perspective
Prof. (Dr.) Sudhir Kumar, **Neelank Rao**.....207
22. श्रीरामजन्म-भूमि पर मन्दिर निर्माण और श्रीगोरखनाथ मन्दिर
डॉ. पद्मजा सिंह.....223
23. Historical Cultural Traditions Of Purvanchal
Prof. Rajawant Rao.....249

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्त:अनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के प्रति उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की जागरूकता : एक अध्ययन

मीनाक्षी पाण्डेय* प्रो. राजशरण शाही**

सारांश:

नई शिक्षा नीति-2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना है। शिक्षकों की जागरूकता के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम जागरूकता स्केल का निर्माण शोधकर्ता द्वारा किया गया। तत्पश्चात् स्केल को गूगल फॉर्म में रूपांतरित कर शिक्षकों के व्हाट्सएप्प पर साझा किया गया। प्रदत्त के विश्लेषण के लिए प्रतिशत विश्लेषण का उपयोग किया गया। अध्ययन में यह पाया गया कि शिक्षकों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कुछ क्षेत्रों में जागरूकता का स्तर उच्च था लेकिन कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अत्यंत निम्न स्तर की जागरूकता प्रदर्शित की। अत: इससे स्पष्ट है कि शिक्षकों को इस नीति के विषय में ज्ञान तो है किन्तु कुछ क्षेत्रों में उनका ज्ञान अत्यंत सीमित है। विश्लेषण से यह भी पता चला कि जागरूकता पर लिंग का प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति शिक्षकों की जागरूकता में सुधार करने के प्रयास किए जाने चाहिए, खासकर उन शिक्षकों के लिए जो कम जानकारी रखते हैं। इस अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग नीति निर्माताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रभावी ढंग से लागू कर भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

मुख्य शब्दावली: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, जागरूकता, उच्च शिक्षण संस्थान, शिक्षक, शिक्षा प्रणाली।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा

*शोधार्थी, शिक्षा विभाग, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, ई-मेल : meenakshi5pandey@gmail.com, मो.नं. 9650966157; **संकायाध्यक्ष व विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, ई-मेल : rajsharanshahi@gmail.com, मो.नं. 9918702196

प्रणाली में बदलाव लाना है। यह एक व्यापक नीति है जो प्रारंभिक बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालती है और ऐसी शिक्षा पर जोर देती है जो समावेशी तथा उच्च गुणवत्ता वाली हो। यह शिक्षा के माध्यम से भारतीय ज्ञान-परम्परा के संरक्षण तथा संवर्धन की बात करती है। भारतीय ज्ञान-परम्परा के संरक्षण के साथ-साथ यह शिक्षा के सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन की भी अपेक्षा रखती है। अत: यह कहा जा सकता है कि यह नीति शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली को लागू करना चाहती है जो छात्रों को 21वीं शताब्दी की चुनौतियों को पूरा करने और देश के विकास में योगदान करने के लिए तैयार करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का सफल कार्यान्वयन हितधारकों, विशेष रूप से शिक्षकों की जागरूकता और समझ पर निर्भर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 व्यापक शैक्षिक सुधारों की रूपरेखा को तैयार करती है, जिसमें पाठ्यक्रम परिवर्तन, शैक्षणिक बदलाव, प्रौद्योगिकी का एकीकरण, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, व्यावसायिक प्रशिक्षण और समग्र विकास सहित भारतीय ज्ञान-परंपरा को एकीकृत कर शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाना है। शिक्षा में ये सुधार तभी हो सकते हैं जब शिक्षक पर्याप्त रूप से इस नीति के सुझावों के प्रति जागरूक हों। शिक्षकों का इस नीति के प्रति जागरूक होना शैक्षिक बदलाव की दिशा में पहला कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों और कार्यप्रणालियों की गहरी समझ के बिना, शिक्षकों को अपनी पाठ्यचर्या में प्रस्तावित शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए, यह जरूरी है कि इस नीति के प्रति उनकी जागरूकता का अध्ययन किया जाए। राष्ट्रीय परिदृश्य में लगभग 34 वर्षों के बाद भारतीय मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन किया गया जिसका सफल क्रियान्वयन उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों की जागरूकता और उनकी शिक्षा नीति के प्रति समझ पर निर्भर करेगा। ऐसे परिदृश्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति उच्चशिक्षा स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की समझ क्या है? शिक्षकों की विभिन्न शैक्षिक स्तरों के लिए सुझाए गए बदलावों के प्रति जागरूकता का स्तर क्या है? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए यह शोधकार्य उचित प्रतीत होता है। प्रस्तावित शोध अध्ययन की बुनियादी आवश्यकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति शिक्षकों की जागरूकता को समझना है क्योंकि शिक्षक ही एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक ही बच्चों के बीच रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं तथा उनकी चुनौतियों के बारे में बेहतर जानते हैं, इसलिए शिक्षकों की इस नीति के प्रति जागरूकता का अध्ययन आवश्यक है। विभिन्न पूर्व में किए गए शोध अध्ययनों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति उच्च शैक्षिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की जागरूकता पर अभी कोई विशेष शोध कार्य नहीं हुआ है। उच्चशिक्षा स्तर से संबंधित अध्ययनों का अभाव है। कुछ अध्ययन जो प्राप्त हुए हैं

वे निम्न हैं- महेंद्रप्रभु और मकिया (2021) ने अपने शोध 'अ स्टडी ऑन द अवेयरनेस ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी-2020 अमंग द प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट' में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। परिणाम में यह पाया गया कि नई शिक्षा नीति (2020) के प्रति प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता में लिंग तथा प्रबंधन के प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरोड़ा (2023) ने अपने शोध पत्र 'स्टडी ऑफ टीचर्स अवेयरनेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलेटेड टू द डेमोग्राफिक फैक्टर' में जोधपुर के स्कूल के शिक्षकों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति जागरूकता तथा यह उनके जनसांख्यिकीय कारकों से कैसे संबंधित है, का अध्ययन किया। विश्लेषण से यह पता चला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का स्तर औसत है किंतु कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बारे में सीमित ज्ञान है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पुरुष शिक्षकों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति जागरूकता महिला शिक्षकों से ज्यादा है तथा सरकारी शिक्षकों की जागरूकता निजी विद्यालय के शिक्षकों से ज्यादा है।

समस्या कथनः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की जागरूकता : एक अध्ययन

आवश्यकताः

राष्ट्रीय परिदृश्य में लगभग 34 वर्षों के बाद भारतीय मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन को तथा युगानुकूल विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यह शिक्षा नीति आई है। यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस नीति का सफल क्रियान्वयन उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों की जागरूकता और उनकी शिक्षा नीति के प्रति समझ पर निर्भर करेगा। ऐसे परिदृश्य में इस शिक्षा नीति के प्रति विश्वविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का स्तर क्या है? शिक्षा नीति के प्रति उनकी समझ क्या है? अनुदानित तथा गैर अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षा नीति के प्रति जागरूकता का स्तर क्या है? आदि विषय पर शोध कार्य करना आवश्यक प्रतीत होता है। यह समझने की आवश्यकता है कि शिक्षक नई नीति, उसके प्रावधानों और उनके शिक्षण अभ्यास के निहितार्थों के बारे में किस हद तक जागरूक हैं। संबंधित साहित्य की समीक्षा करने पर उच्च शिक्षा स्तर पर विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन का अभाव मिला अतः इस विषय का चयन शोधकर्ता द्वारा शोध हेतु किया

गया है।

शोध उद्देश्य:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति महाविद्यालयस्तर पर कार्यरत शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।
3. विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यरत महिला एवं पुरुष शिक्षकों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. महाविद्यालय स्तर पर कार्यरत महिला एवं पुरुष शिक्षकों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध विधि:

प्रस्तुत शोध एक मात्रात्मक शोध है। शोधकर्ता द्वारा लखनऊ महानगर के उच्च शिक्षा संस्थान में कार्यरत शिक्षकों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया। प्रदत्तों के संकलन के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया तथा प्रदत्त विश्लेषण के लिए प्रतिशत विश्लेषण का उपयोग किया गया।

जनसंख्या एवं प्रतिदर्श:

प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रूप में लखनऊ महानगर के विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर के महिला एवं पुरुष शिक्षकों को जनसंख्या के रूप में लिया गया।

उपकरण:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति जागरूकता के मापन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जागरूकता स्केल का निर्माण शोधकर्ता द्वारा किया गया। स्केल में कुल 30 कथन थे। स्केल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति जागरूकता को मापने हेतु इसके सामान्य सूचना, विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित कथनों को रखा गया। स्केल में सामान्य सूचना से सम्बन्धित 11 कथन, विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित 9 कथन तथा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित 10 कथन थे। प्रश्नावली में विकल्प के रूप में 'हाँ', 'नहीं' तथा 'पता नहीं' तीन विकल्प रखे गए। धनात्मक कथनों के लिए 'हाँ' के लिए 1 अंक एवं 'नहीं' तथा 'पता नहीं' के लिए 0 अंक दिए गए वहीं

नकारात्मक कथनों के लिए 'नहीं' के लिए 1 अंक एवं 'हाँ' तथा 'पता नहीं' के लिए 0 अंक दिए गए।

प्रदत्त विश्लेषण:

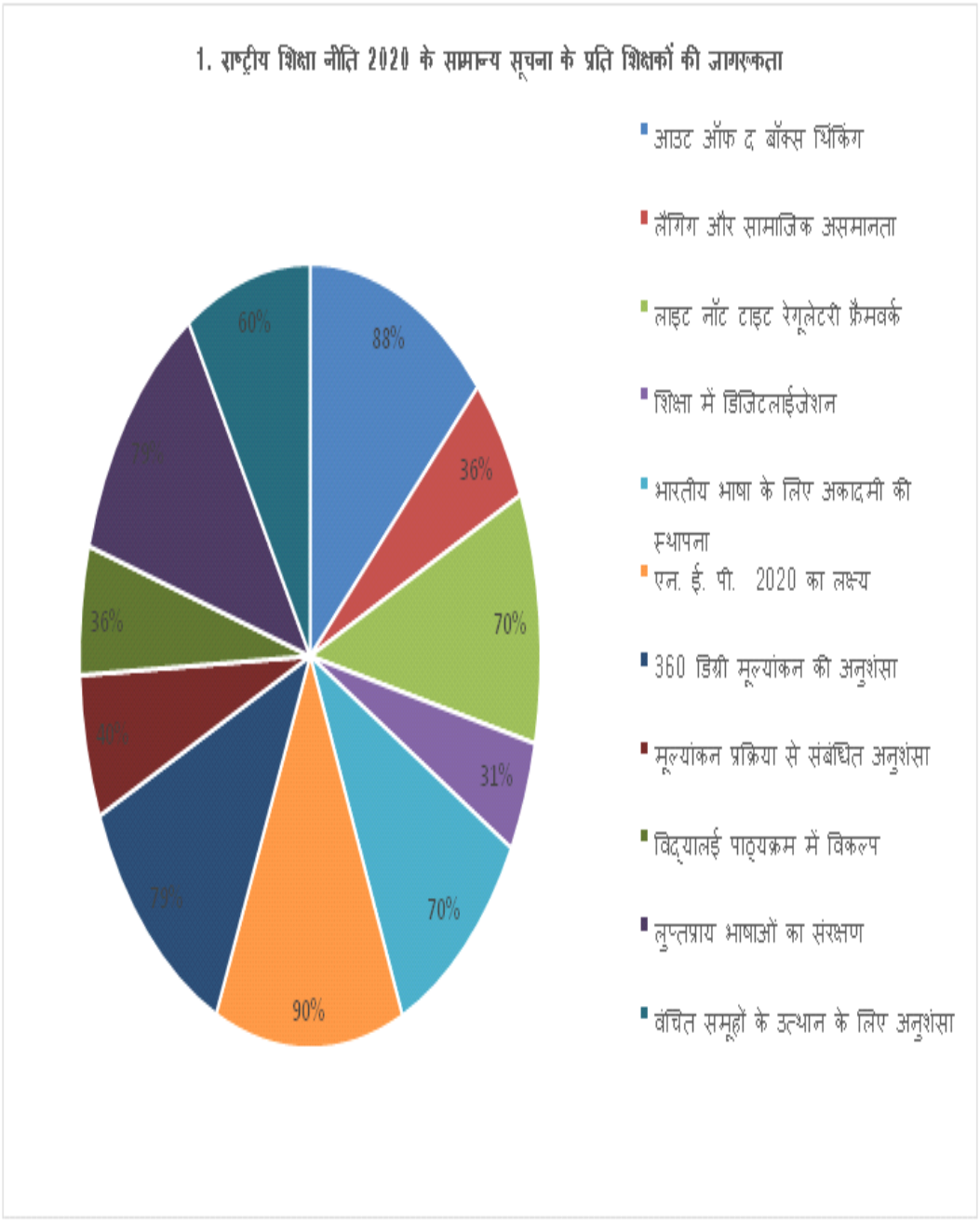
उद्देश्य 1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति विश्वविद्यालय शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

तालिका(i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सामान्य सूचना के प्रति शिक्षकों की जागरूकता

क्रम सं.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सामान्य सूचना से संबंधित कथन	विश्वविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता
4	नवाचार तथा मुक्त चिंतन (आउट ऑफ द बुक्स थिंकिंग)को प्रोत्साहित करनां.	88%
8	लैंगिग और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को संबोधित न कर केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन पर ध्यान केंन्द्रित करने की बात करना	36%
11	हल्का नहीं प्रभावी (लाइट नॉट टाइट)नियामक ढांचे की अनुशंसा करना	70%
13	शिक्षा प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों के एकीकरण को हतोत्साहित करने पर जोर देना	31%
17	भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित करने की सिफारिश करना	70%
19	पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही प्रदान करके भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने की बात करना	90%
21	मूल्यांकन को बहुआयामी बनाने के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन की अनुशंसा करना	79%
23	मूल्यांकन प्रक्रिया में रटने और याद रखने को प्रोत्साहित करना	40%
25	कठोर और समान पाठ्यक्रम को प्रस्तावित कर, विषयों और पाठ्यक्रमों में विकल्पों को समाप्त करने पर जोर देना	36%
26	लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और बढ़ावा देने की अनुशंसा करना	79%
27	वंचित समूहों के लाभ के लिए, विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की बात करना	60%

व्याख्या:

विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षकों की सामान्य सूचना के प्रति जागरूकता का स्तर देखने पर पता चलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लगभग सभी क्षेत्रों में शिक्षकों की जागरूकता 50% से अधिक थी। केवल लैंगिग व सामाजिक असमानता में 36%, शिक्षा में डिजिटलाईजेशन में 31%, मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित अनुशंसा में 40% तथा विद्यालयी पाठ्यक्रम में विकल्प से संबंधित प्रश्न में शिक्षकों ने 36% जागरूकता को प्रदर्शित किया।



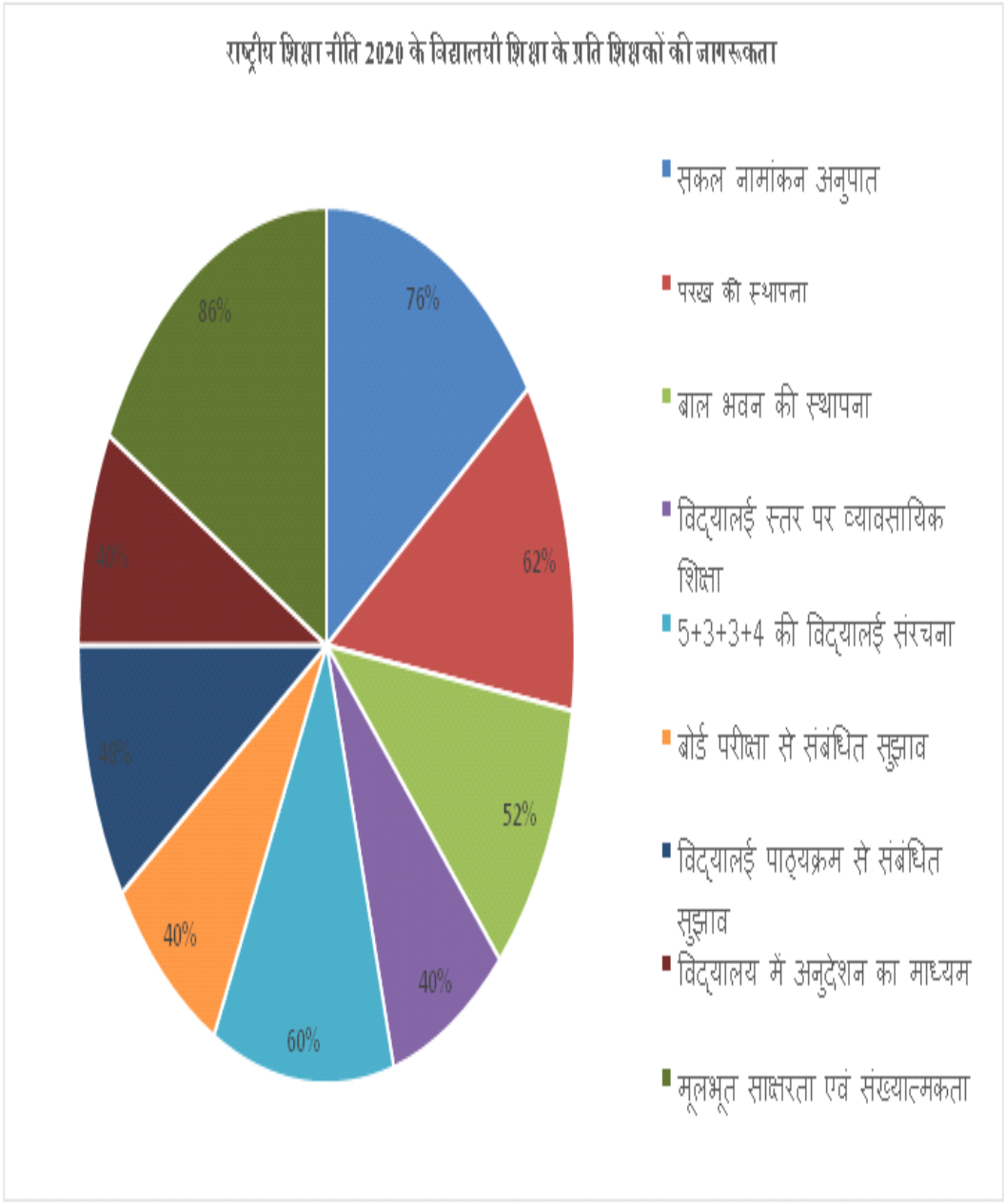
चित्र (i): राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सामान्य सूचना के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का आयत चित्र

तालिका (ii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विद्यालयी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता

तालिका(ii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विद्यालयी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता

क्रम सं.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विद्यालयी शिक्षा से संबंधित कथन	विश्वविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता
2	वर्ष 2030 तक पूर्व-विद्यालय (Pre-School) से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखना	80%
3	मूल्यांकन के मानक-निर्धारण निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) के स्थापना की अनुशंसा करना	80%
5	राज्य/जिले में खेल और कैरियर संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 'बाल भवन' स्थापित करने की बात करना	80%
14	विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा कर कॉलेज स्तर के पाठ्यक्रम में समाहित करने पर जोर देना	40%
16	5+3+3+4 की विद्यालयी संरचना की बात करना	60%
18	विद्यालय स्तर पर बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त करने की अनुशंसा करना	40%
24	स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का बोझ कम कर अनिवार्य विषयों में ज्ञान के अंतर को पैदा करने की बात करना	48%
28	वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भारत के सभी स्कूलों को अँग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की बात करना	40%
30	प्राथमिक स्तर पर मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता को प्राथमिकता देने की बात करना	86%
26	लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और बढ़ावा देने की अनुशंसा करना	79%
27	वंचित समूहों के लाभ के लिए, विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की बात करना	60%

व्याख्या: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विद्यालई स्तर से संबंधित क्षेत्रें में जब जागरूकता को देखा गया तो अधिकांश क्षेत्र में शिक्षकों की जागरूकता 50: से अधिक थी।मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता से संबंधित प्रश्न में शिक्षकों ने सबसे ज्यादा जागरूकता (86:) को प्रदर्शित किया। इसके अतिरिद्र विद्यालई स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा, बोर्ड परीक्षा से संबंधित सुझाव में, विद्यालय में अनुदेशन का माध्यम से संबंधित प्रश्न में जागरूकता का स्तर 40: पाया गया।



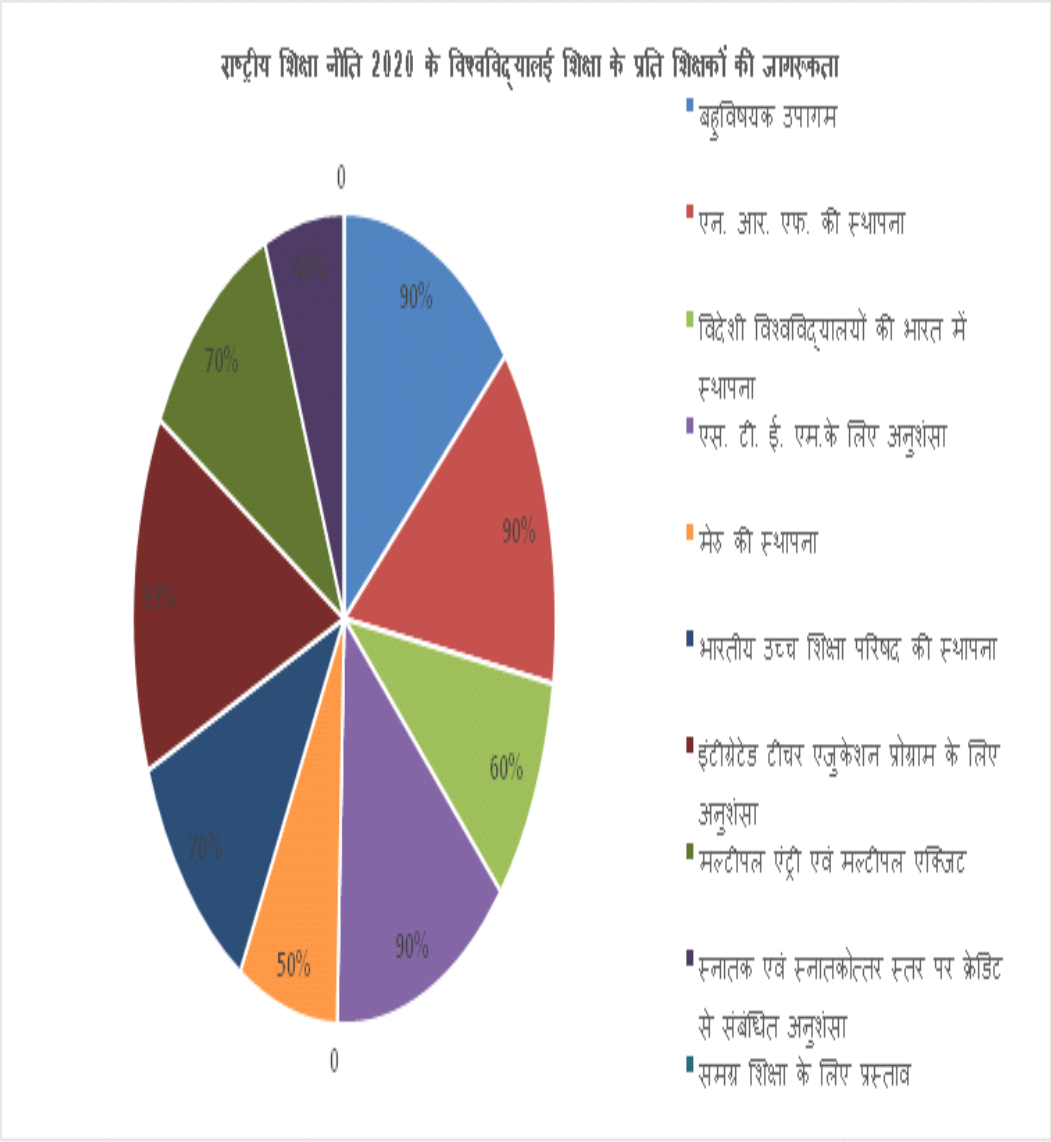
चित्र (ii): राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विद्यालयी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का आयत चित्र

तालिका (iii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० के विश्वविद्यालयीय शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता

तालिका(iii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विश्वविद्यालयीय शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता

क्रम सं.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विश्वविद्यालयीय शिक्षासे संबंधित कथन	विश्वविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता
1	ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बहु-विषयक उपागम पर जोर देना	90%
6	विभिन्न क्षेत्रें में अनुसंधान के लिए वित्त और उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिएनेशनल रिसर्च ाउंडेशन (एन. आर. एफ.) के स्थापना की बात करना	90%
7	बिना किसी नियामक ढांचे के विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना	60%
9	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एस.टी.ई.एम.) के साथ मानविकी और कला शिक्षा को एकीख्रत करके रचनात्मकता को बढ़ावा देने की बात करना	90%
10	शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु) के स्थापना की अनुशंसा करना	90%
12	चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को भारतीय उच्च शिक्षा परिषद में सम्मिलित न् करने की बात करना	50%
15	आई.आई.टी. और आई.आई.एम. जैसे संस्थानों द्वाराइंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आई.टी.ई.पी.) चलाने की अनुशंसा करना	70%
20	शिक्षा को अधिक छात्र-केंद्रित बनाने के लिए 'मल्टीपल एंट्री एवं मल्टीपल एक्जिट' की बात करना	93%
22	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कुल क्रेडिट का कम से कम 5: देशज ज्ञान प्रणाली से संबंधित होने की बात करना	70%
29	केवल उच्च शिक्षा स्तर पर समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देना	40%

व्याख्या: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों में शिक्षकों ने उच्च स्तर की जागरूकता को दर्शाया। केवल समग्र शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में शिक्षकों ने 50 प्रतिशत से कम (अर्थात 40 प्रतिशत) जागरूकता को प्रदर्शित किया।



चित्र (iii): राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का आयत चित्र।

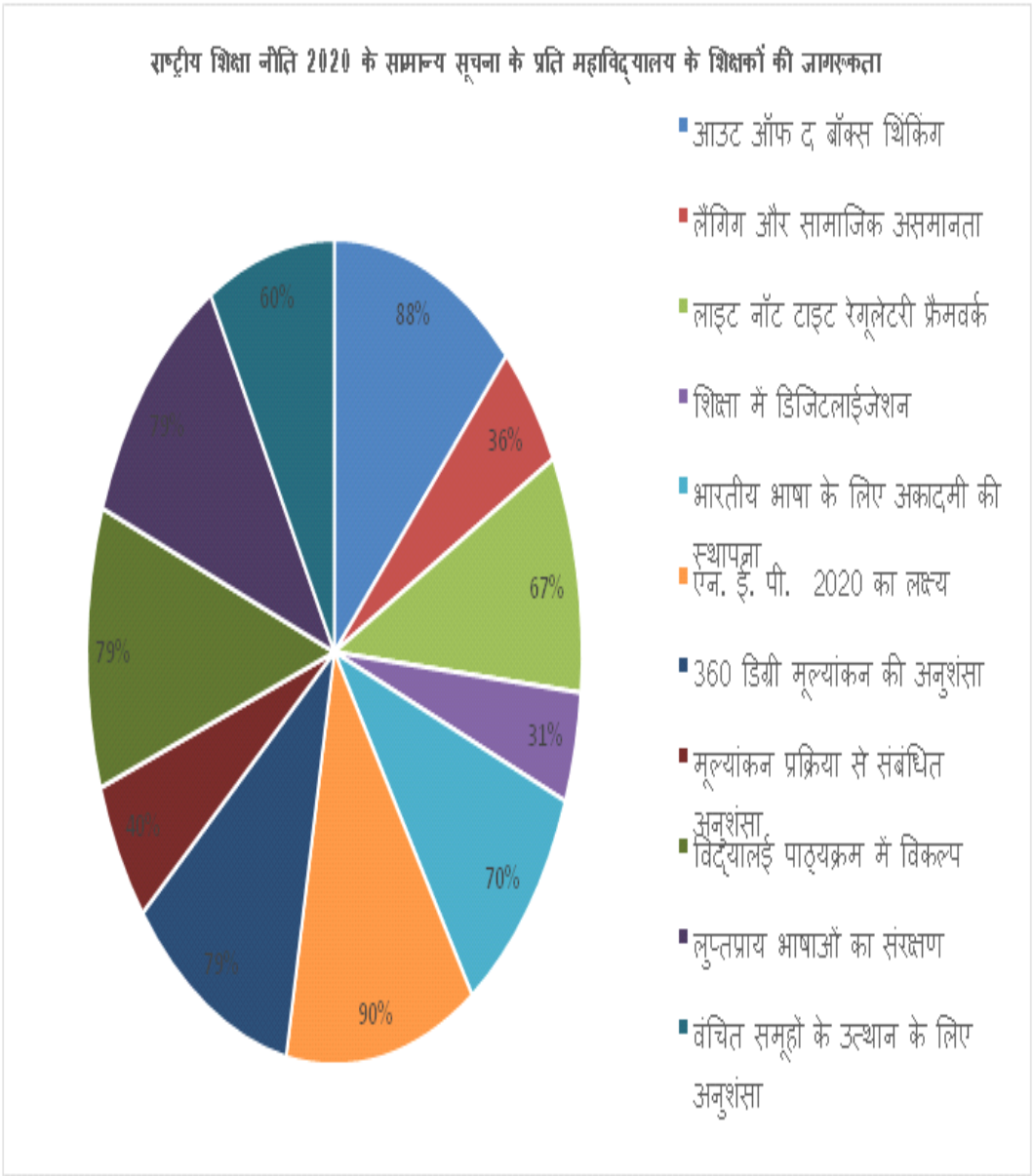
उद्देश्य 2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

तालिका (पअ)रू राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सामान्य सूचना के प्रति महाविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता

क्रम सं.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सामान्य सूचना से संबंधित कथन	महाविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता
4	नवाचार तथा मुक्त चिंतन (आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग)को प्रोत्साहित करना	88%
8	लैंगिग और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को संबोधित न कर केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने की बात करना	36%
11	हल्का नहीं प्रभावी (लाइट नॉट टाइट) नियामक ढांचे की अनुशंसा करना	67%
13	शिक्षा प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों के एकीकरण को हतोत्साहित करने पर जोर देना	31%
17	भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित करने की सिफारिश करना	70%
19	पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही प्रदान करके भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने की बात करना	90%
21	मूल्यांकन को बहुआयामी बनाने के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन की अनुशंसा करना	79%
23	मूल्यांकन प्रक्रिया में रटने और याद रखने को प्रोत्साहित करना	40%
25	कठोर और समान पाठ्यक्रम को प्रस्तावित कर, विषयों और पाठ्यक्रमों में विकल्पों को समाप्त करने पर जोर देना	79%
26	लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और बढ़ावा देने की अनुशंसा करना	79%
27	वंचित समूहों के लाभ के लिए, विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की बात करना	60%

व्याख्याः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सामान्य सूचना के प्रति महाविद्यालय स्तर के शिक्षकों की जागरूकता लगभग सभी क्षेत्रें में 50% से अधिक थी। केवल लैंगिग व सामाजिक असमानता, शिक्षा में डिजिटलाइजेशन, मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित अनुशंसा तथा विद्यालई पाठ्यक्रम में विकल्पों के चुनाव से संबंधित क्षेत्र में शिक्षकों ने क्रमशः 36%, 31%, 40% तथा

36% की जागरूकता अर्थात निम्न स्तर की जागरूकता को प्रदर्शित किया।

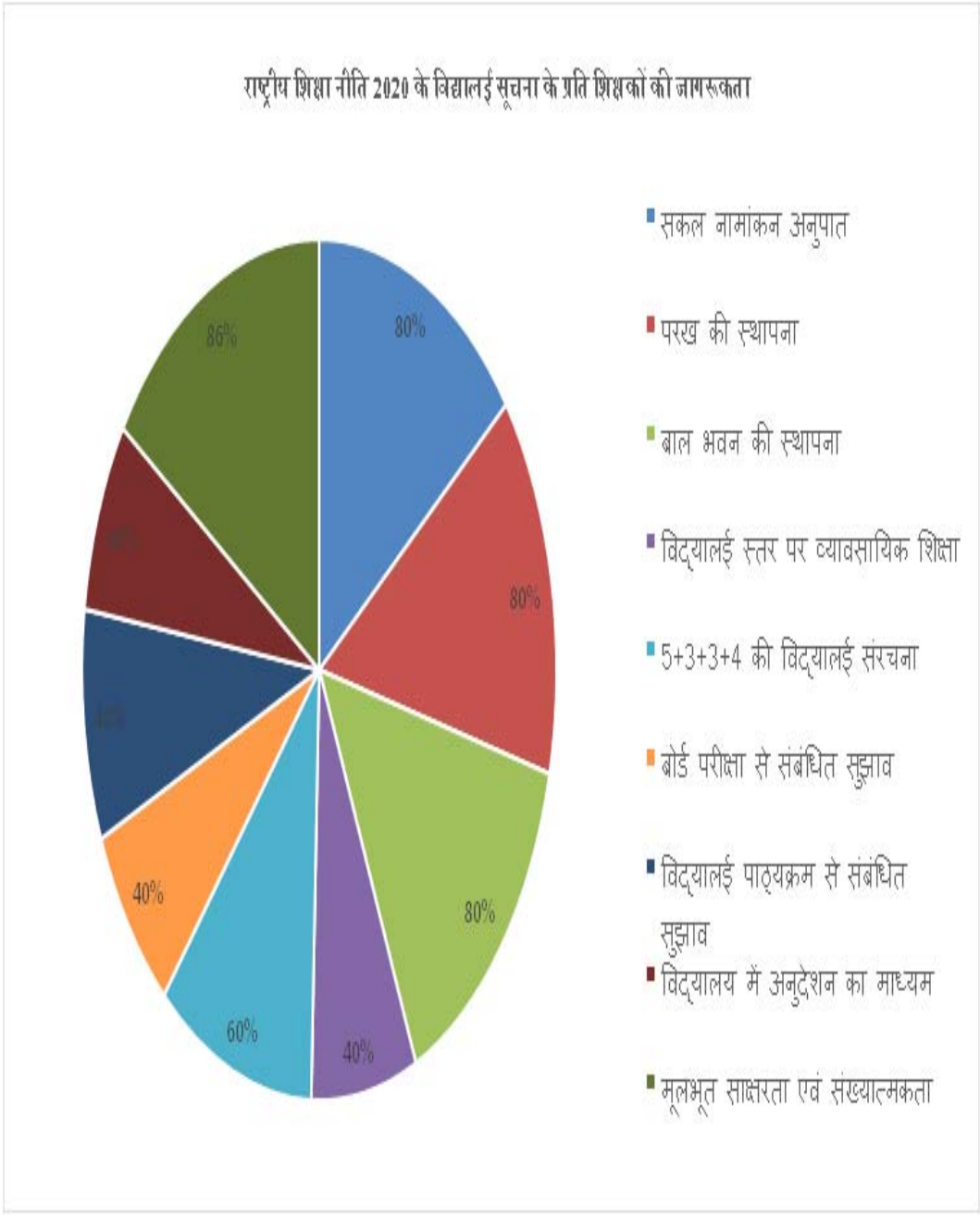


चित्र (iv): राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सामान्य सूचना के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का आयत चित्र

तालिका (अ). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विद्यालई शिक्षाके प्रति महाविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता

क्रम सं.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विद्यालई शिक्षासे संबंधित कथन	महाविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता
2	वर्ष 2030 तक पूर्व-विद्यालय (Pre-School) से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखना	76%
3	मूल्यांकन के मानक-निर्धारण निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) के स्थापना की अनुशंसा करना	62%
5	राज्य/जिले में खेल और कैरियर संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 'बाल भवन' स्थापित करने की बात करना	52%
14	विद्यालई स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा कर कॉलेज स्तर के पाठ्यक्रम में समाहित करने पर जोर देना	40%
16	5+3+3+4 की विद्यालई संरचना की बात करना	60%
18	विद्यालय स्तर पर बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त करने की अनुशंसा करना	40%
24	स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का बोझ कम कर अनिवार्य विषयों में ज्ञान के अंतर को पैदा करने की बात करना	48%
28	वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भारत के सभी स्कूलों को अँग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की बात करना	24%
30	प्राथमिक स्तर पर मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता को प्राथमिकता देने की बात करना	86%

व्याख्याः राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विद्यालयी सूचना से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में जब महाविद्यालय स्तर के शिक्षकों की जागरूकता को देखा गया तो सभी क्षेत्रों में शिक्षकों की जागरूकता 50% से अधिक देखी गई। मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता से संबंधित प्रश्न में शिक्षकों ने अत्यंत अधिक (86%) जागरूकता को दर्शाया।

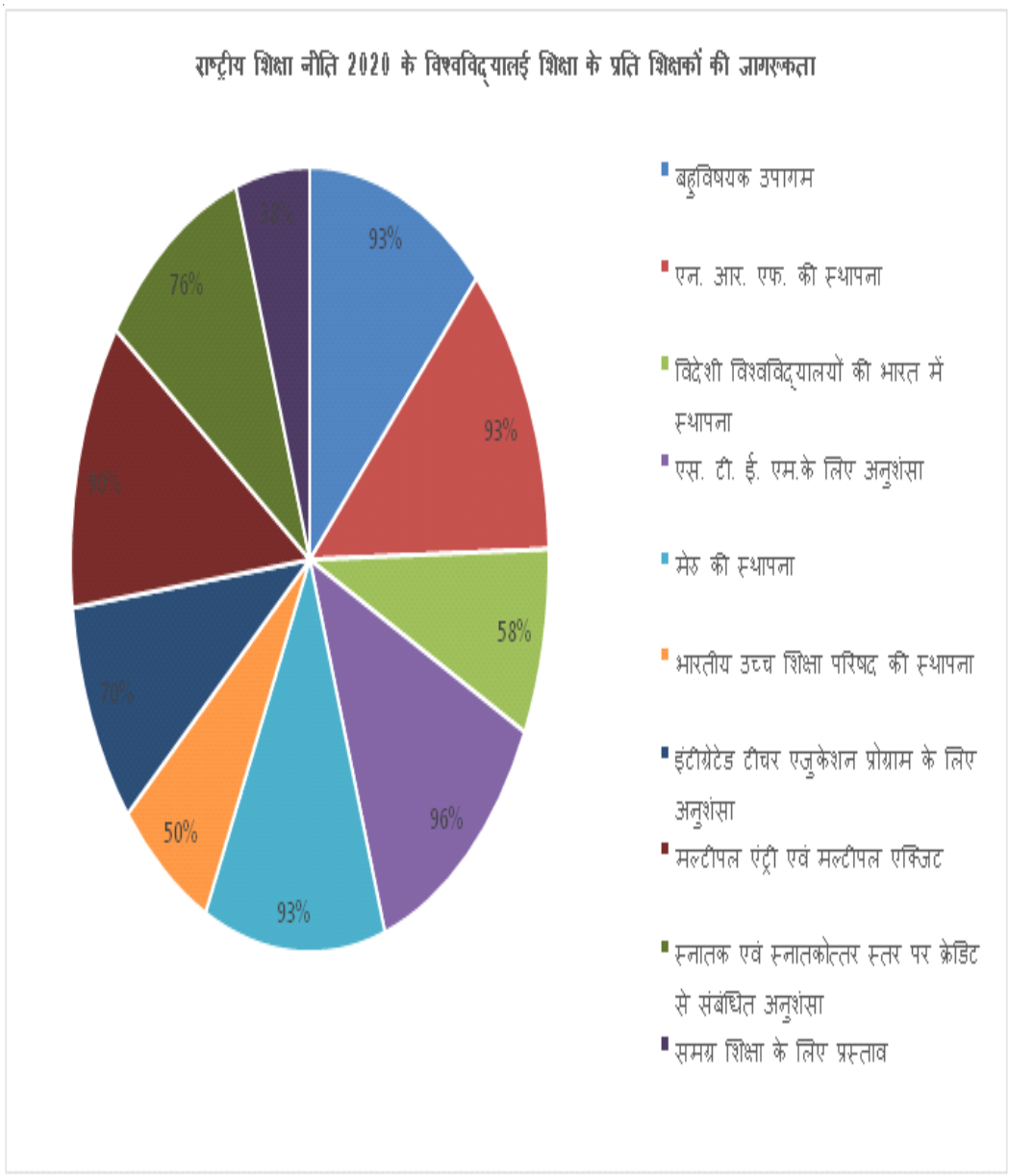


चित्र(v):राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विद्यालयी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का आयत चित्र

तालिका (vi). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता

क्रम सं.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित कथन	महाविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता
1	ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बहु-विषयक उपागम पर जोर देना	93%
6	विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए वित्त और उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एन. आर. एफ.) के स्थापना की बात करना	93%
7	बिना किसी नियामक ढांचे के विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना	58%
9	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एस.टी.ई.एम.) के साथ मानविकी और कला शिक्षा को एकीकृत करके रचनात्मकता को बढ़ावा देने की बात करना	96%
10	शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु) के स्थापना की अनुशंसा करना	93%
12	चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को भारतीय उच्च शिक्षा परिषद में सम्मिलित न करने की बात करना	50%
15	आई.आई.टी. और आई.आई.एम. जैसे संस्थानों द्वारा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आई.टी.ई.पी.) चलाने की अनुशंसा करना	70%
20	शिक्षा को अधिक छात्र-केंद्रित बनाने के लिए 'मल्टीपल एंट्री एवं मल्टीपल एक्जिट' की बात करना	90%
22	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कुल क्रेडिट का कम से कम 5: देशज ज्ञान प्रणाली से संबंधित होने की बात करना	76%
29	केवल उच्च शिक्षा स्तर पर समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देना	38%

व्याख्या: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विश्वविद्यालई सूचना से संबंधित सभी क्षेत्रों में शिक्षकों ने उच्च स्तर की जागरूकता को प्रदर्शित किया। केवल समग्र शिक्षा से संबंधित प्रश्न में शिक्षकों ने अत्यन्त कम अर्थात 38 प्रतिशत जागरूकता को प्रदर्शित किया।



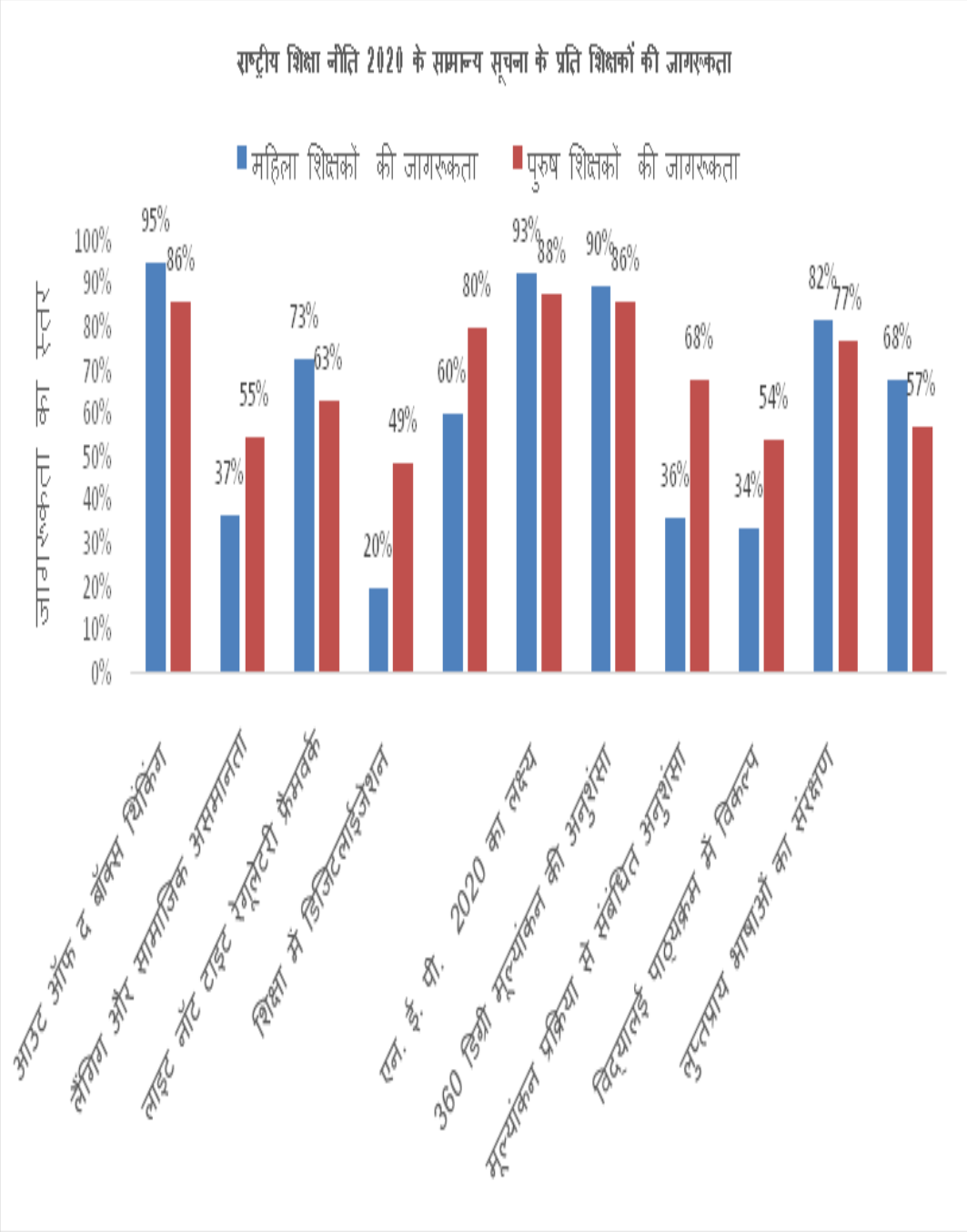
चित्र (vi): राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का आयत चित्र

उद्देश्य 3: विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यरत महिला एवं पुरुष शिक्षकों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

तालिका (vii): राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सामान्य सूचना के प्रति शिक्षकों की जागरूकता

क्रम सं.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सामान्य सूचना से संबंधित कथन	विश्वविद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता	
		महिला शिक्षकों की जागरूकता	पुरुष शिक्षकों की जागरूकता
4.	नवाचार तथा मुद्र चिंतन (आउट ऑफ द बक्स थिंकिंग) को प्रोत्साहित करना	95%	86%
8.	लैंगिग और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को संबोधित न कर केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने की बात करना	37%	55%
11.	हल्का नहीं प्रभावी (लाइट नक्ट टाइट) नियामक ढांचे की अनुशंसा करना	73%	63%
13.	शिक्षा प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों के एकीकरण को हतोत्साहित करने पर जोर देना	20%	49%
17.	भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीब) प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित करने की सिफारिश करना	60%	80%
19.	पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही प्रदान करके भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने की बात करना	93%	88%
21.	मूल्यांकन को बहुआयामी बनाने के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन की अनुशंसा करना	90%	86%
23.	मूल्यांकन प्रक्रिया में रटने और याद रखने को प्रोत्साहित करना	36%	68%
25.	कठोर और समान पाठ्यक्रम को प्रस्तावित कर, विषयों और पाठ्यक्रमों में विकल्पों को समाप्त करने पर जोर देना	34%	54%
26.	लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और बढ़ावा देने की अनुशंसा करना	82%	77%
27.	वंचित समूहों के लाभ के लिए, विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की बात करना	68%	57%

व्याख्या: एन.ई.पी.-2020 के सामान्य सूचना से संबंधित विभिन्न क्षेत्रें में जब विश्वविद्यालय स्तर के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता के स्तर को देखा गया तो लगभग कुछ क्षेत्रों में महिला शिक्षकों ने पुरुष शिक्षकों से ज्यादा जागरूकता को प्रदर्शित किया तथा कुछ क्षेत्रों में पुरुष शिक्षकों ने महिला शिक्षकों से ज्यादा जागरूकता को दर्शाया। शिक्षा में डिजिटलाइजेशन से संबंधित प्रश्न में महिला एवं पुरुष दोनों शिक्षकों ने 50% से कम जागरूकता को प्रदर्शित किया।

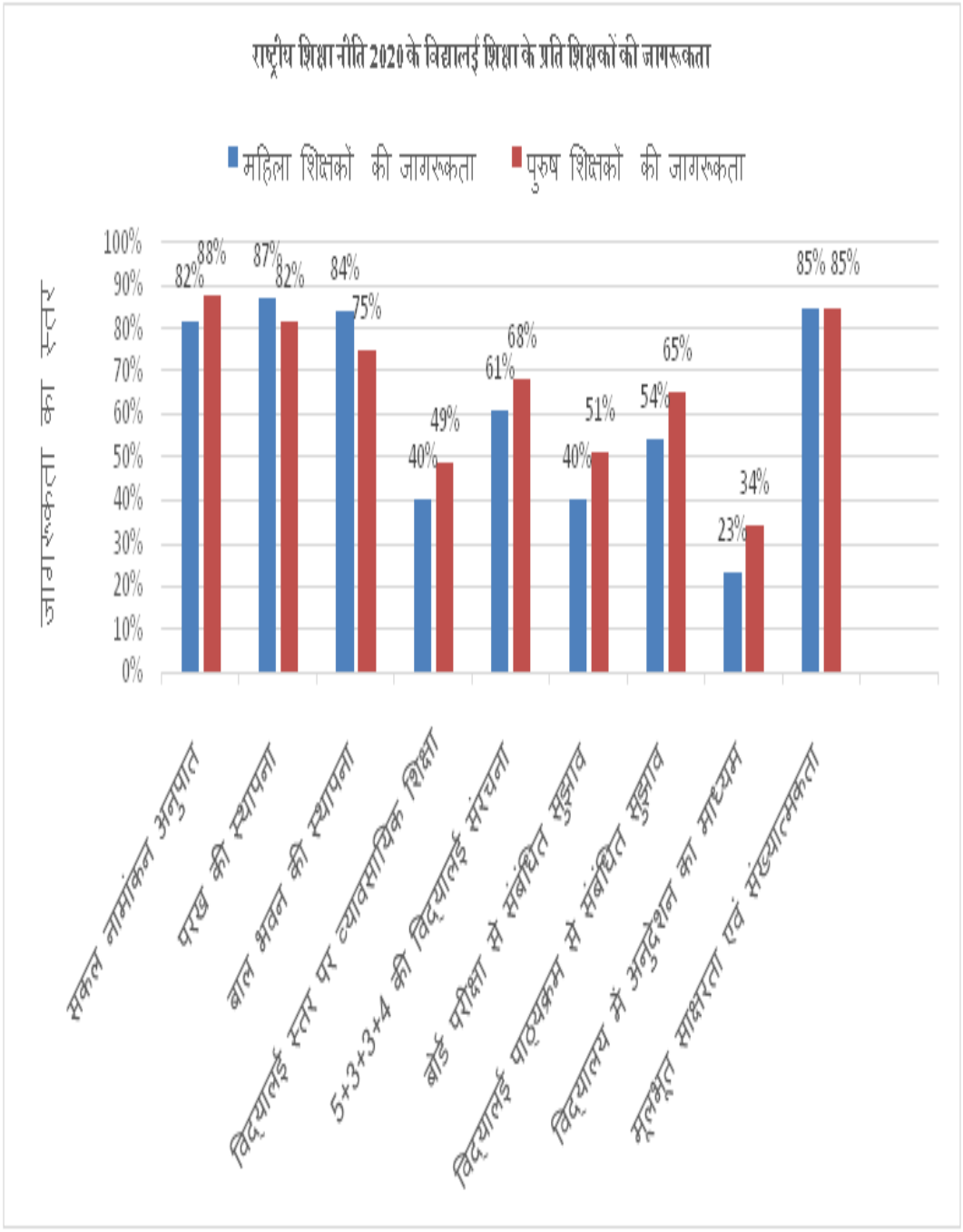


चित्र (vii): राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० के सामान्य सूचना के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का आयत चित्र

तालिका (viii). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विद्यालयी सूचना के प्रति शिक्षकों की जागरूकता

क्रम सं.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विद्यालयी सूचना से संबंधित कथन	विश्वविद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता	
		महिला शिक्षकों की जागरूकता	पुरुष शिक्षकों की जागरूकता
2.	वर्ष 2030 तक पूर्व-विद्यालय (Pre-School) से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखना	82%	88%
3.	मूल्यांकन के मानक-निर्धारण निकाय के रूप में (परख) (PARAKH) के स्थापना की अनुशंसा करना	87%	82%
5..	राज्य/जिले में खेल और कैरियर संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए (बाल भवन) स्थापित करने की बात करना	84%	75%
14.	विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा कर कॉलेज स्तर के पाठ्यक्रम में समाहित करने पर जोर देना	40%	49%
16.	5+3+3+4 की विद्यालयी संरचना की बात करना	61%	68%
18.	विद्यालय स्तर पर बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त करने की अनुशंसा करना	40%	51%
24.	स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का बोझ कम कर अनिवार्य विषयों में ज्ञान के अंतर को पैदा करने की बात करना	54%	65%
28.	वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भारत के सभी स्कूलों को अँग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की बात करना	23%	34%
30	प्राथमिक स्तर पर मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता को प्राथमिकता देने की बात करना	85%	85%

व्याख्या: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विद्यालयी सूचना से संबंधित क्षेत्र में जब विश्वविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का स्तर देखा गया तो अधिकांश क्षेत्र में पुरुष शिक्षकों ने महिला शिक्षकों से ज्यादा जागरूकता को प्रदर्शित किया। केवल परख की स्थापना तथा बाल भवन की स्थापना से संबंधित प्रश्न में महिला शिक्षकों ने पुरुष शिक्षकों से ज्यादा जागरूकता को प्रदर्शित किया। विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा तथा विद्यालय में अनुदेशन का माध्यम से संबंधित प्रश्न में महिला एवं पुरुष दोनों शिक्षकों ने 50% से कम (क्रमशः 40%, 49% तथा 23%, 34%) जागरूकता को दर्शाया।

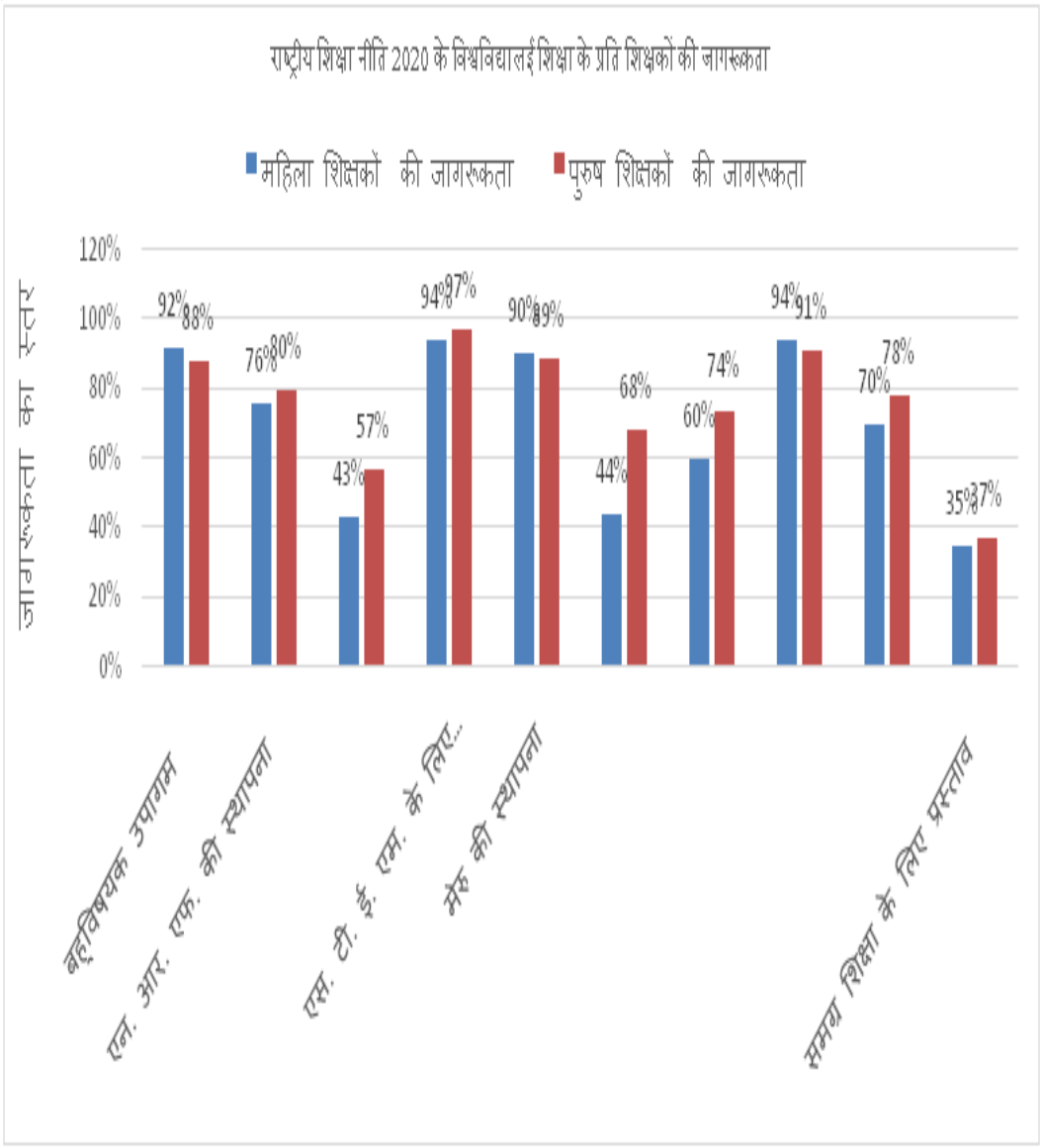


चित्र (viii). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० के विद्यालयी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का आयत चित्र

तालिका (ix). राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता

क्रम सं.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित कथन	विश्वविद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता	
		महिला शिक्षकों की जागरूकता	पुरुष शिक्षकों की जागरूकता
1.	ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बहु-विषयक उपागम पर जोर देना	92%	88%
6.	विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए वित्त और उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एन. आर. एफ.) के स्थापना की बात करना	76%	80%
7..	बिना किसी नियामक ढांचे के विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना	43%	57%
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एस.टी.ई.एम.) के साथ मानविकी और कला शिक्षा को एकीकृत करके रचनात्मकता को बढ़ावा देने की बात करना	94%	97%
10.	शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु) के स्थापना की अनुशंसा करना	90%	89%
12.	चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को भारतीय उच्च शिक्षा परिषद में सम्मिलित न् करने की बात करना	44%	68%
15.	आई.आई.टी. और आई.आई.एम. जैसे संस्थानों द्वारा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आई.टी.ई.पी.) चलाने की अनुशंसा करना	60%	74%
20.	शिक्षा को अधिक छात्र-केंद्रित बनाने के लिए 'मल्टीपल एंट्री एवं मल्टीपल एक्जिट' की बात करना	94%	91%
22.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कुल क्रेडिट का कम से कम 5% देशज ज्ञान प्रणाली से संबंधित होने की बात करना	70%	78%
29.	केवल उच्च शिक्षा स्तर पर समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देना	35%	37%

व्याख्या: राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के विश्वविद्यालयी सूचना से संबंधित क्षेत्र में जब विश्वविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का स्तर देखा गया तो अधिकांश क्षेत्र में पुरुष शिक्षकों ने महिला शिक्षकों से ज्यादा जागरूकता को प्रदर्शित किया। केवल बहुविषयक उपागम, मेरु की स्थापना तथा मल्टीपल एंट्री एवं मल्टीपल एक्जिट से संबंधित प्रश्न में महिला शिक्षकों ने पुरुष शिक्षकों से ज्यादा जागरूकता को प्रदर्शित किया। समग्र शिक्षा से संबंधित प्रश्न में महिला एवं पुरुष दोनों शिक्षकों ने 50% से कम (क्रमशः 35% तथा 37%) जागरूकता को दर्शाया।



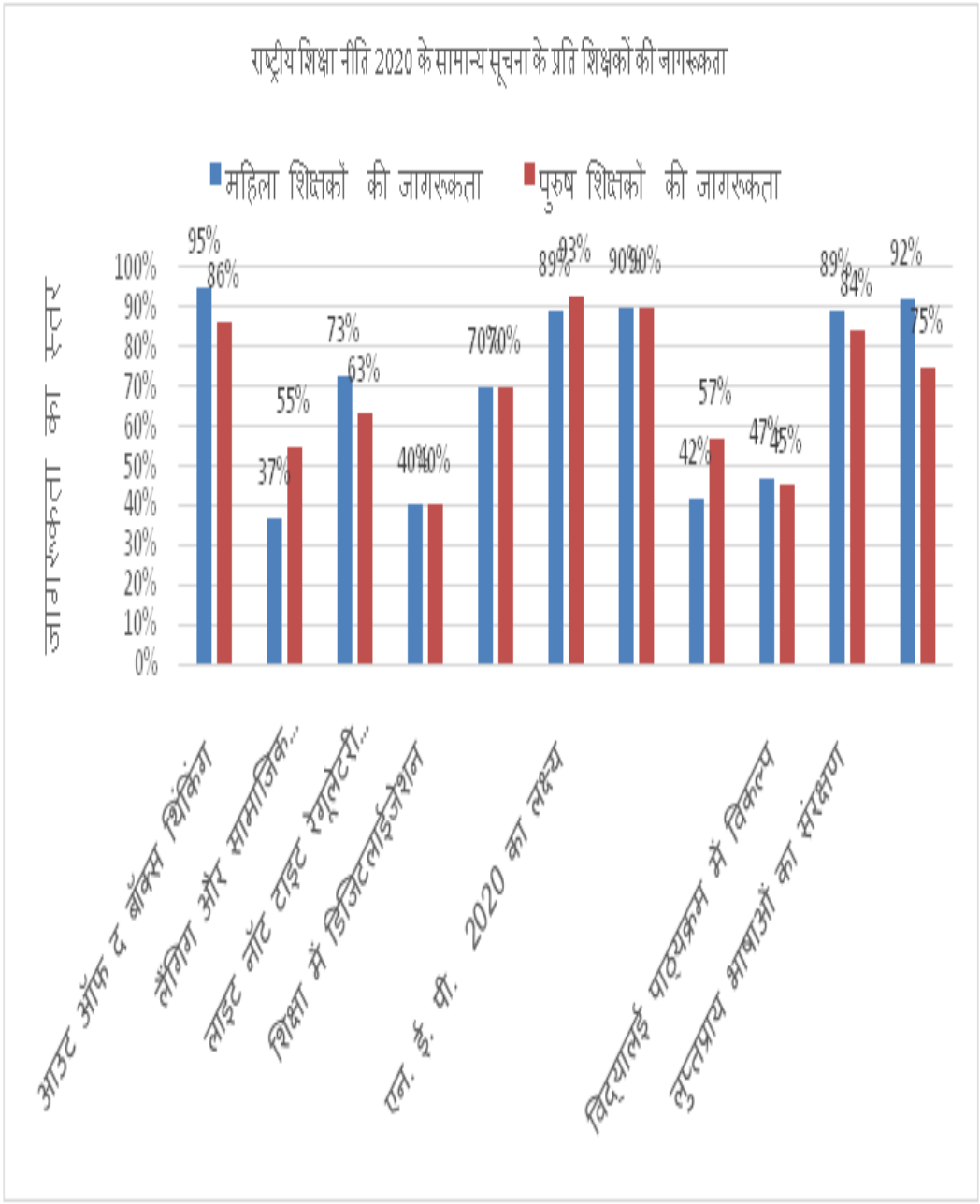
चित्र (ix). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० के विश्वविद्यालईशिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का आयत चित्र

उद्देश्य 4: महाविद्यालय स्तर पर कार्यरत महिला एवं पुरुष शिक्षकों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

तालिका (x). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सामान्य सूचना के प्रति शिक्षकों की जागरूकता

क्रम सं.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सामान्य सूचना से संबंधित कथन	महाविद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता	
		महिला शिक्षकों की जागरूकता	पुरुष शिक्षाकों की जागरूकता
4.	नवाचार तथा मुक्त चिंतन (आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग) को प्रोत्साहित करना	95%	86%
8.	लैंगिग और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को संबोधित न कर केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने की बात करना	37%	55%
11.	हल्का नहीं प्रभावी (लाइट नॉट टाइट) नियामक ढांचे की अनुशंसा करना	73%	63%
13.	शिक्षा प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों के एकीकरण को हतोत्साहित करने पर जोर देना	40%	40%
17.	भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित करने की सिफारिश करना	70%	70%
19.	पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही प्रदान करके भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने की बात करना	89%	93%
21.	मूल्यांकन को बहुआयामी बनाने के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन की अनुशंसा करना	90%	90%
23.	मूल्यांकन प्रक्रिया में रटने और याद रखाने को प्रोत्साहित करना	42%	57%
25.	कठोर और समान पाठ्यक्रम को प्रस्तावित कर, विषयों और पाठ्यक्रमों में विकल्पों को समाप्त करने पर जोर देना	47%	45%
26.	लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और बढ़ावा देने की अनुशंसा करना	89%	84%
27.	वंचित समूहों के लाभ के लिए, विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की बात करना	92%	75%

व्याख्या: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सामान्य सूचना से संबंधित क्षेत्र में जब महाविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का स्तर देखा गया तो किसी क्षेत्र में पुरुष शिक्षकों ने महिला शिक्षकों से ज्यादा जागरूकता को प्रदर्शित तथा किसी क्षेत्र में महिला शिक्षकों ने पुरुष शिक्षकों से ज्यादा जागरूकता को प्रदर्शित किया। शिक्षा में डिजिटलाइजेशन, भारतीय भाषा के लिए अकादमी की स्थापना तथा 360 डिग्री मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न में महिला तथा पुरुष शिक्षकों ने समान जागरूकता (क्रमशः 40%, 70% तथा 90%) को प्रदर्शित किया।

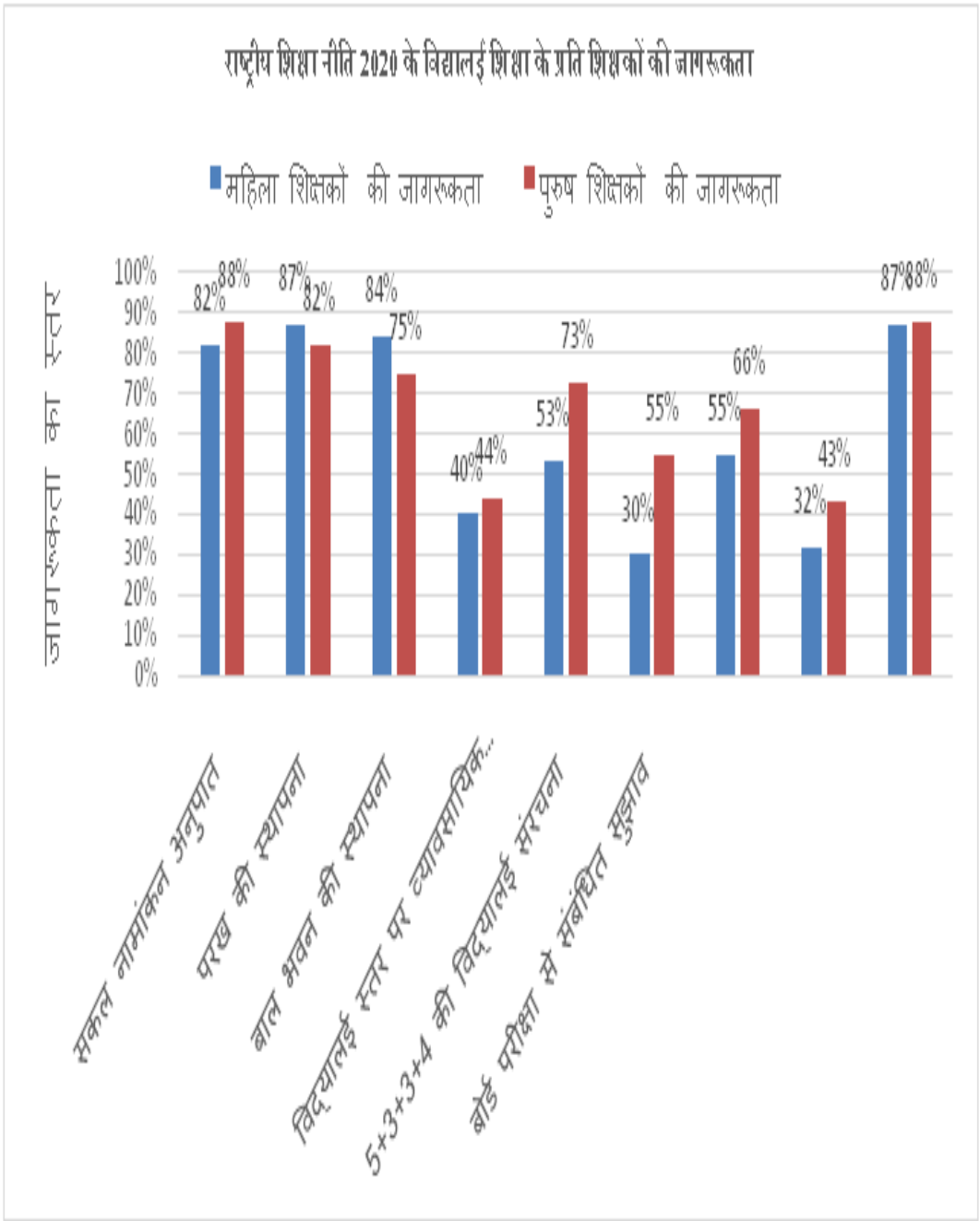


चित्र(x). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० के सामान्य सूचना के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का आयत चित्र

तालिका (xi). राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के विद्यालयी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता

क्रम सं.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के विद्यालयी शिक्षासे संबंधित कथन	महाविद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता	
		महिला शिक्षकों की जागरूकता	पुरुष शिक्षकों की जागरूकता
2.	वर्ष 2030 तक पूर्व-विद्यालय (Pre-School) से माध्यमिक स्तर तक 100:% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखना	82%	88%
3.	मूल्यांकन के मानक-निर्धारण निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) के स्थापना की अनुशंसा करना	87%	82%
5.	राज्य/जिले में खेल और कैरियर संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 'बाल भवन' स्थापित करने की बात करना	84%	75%
14.	विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा कर कॉलेज स्तर के पाठ्यक्रम में समाहित करने पर जोर देना	40%	44%
16.	5+3+3+4 की विद्यालयी संरचना की बात करना	53%	73%
18.	विद्यालय स्तर पर बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त करने की अनुशंसा करना	30%	55%
24.	स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का बोझ कम कर अनिवार्य विषयों में ज्ञान के अंतर को पैदा करने की बात करना	55%	66%
28.	वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भारत के सभी स्कूलों को अँग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की बात करना	32%	43%
30.	प्राथमिक स्तर पर मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता को प्राथमिकता देने की बात करना	87%	88%

व्याख्या: राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के विद्यालयी सूचना से संबंधित क्षेत्र में जब महाविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का स्तर देखा गया तो ज्यादातर क्षेत्र में पुरुष शिक्षकों ने महिला शिक्षकों से ज्यादा जागरूकता को प्रदर्शित किया। परख की स्थापना, बाल भवन की स्थापना से संबंधित प्रश्न में महिला शिक्षकों ने पुरुष शिक्षकों से ज्यादा जागरूकता को प्रदर्शित किया। विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा तथा विद्यालय में अनुदेशन का माध्यम से संबंधित प्रश्न में महिला एवं पुरुष दोनों शिक्षकों ने 50% से कम जागरूकता को दर्शाया।

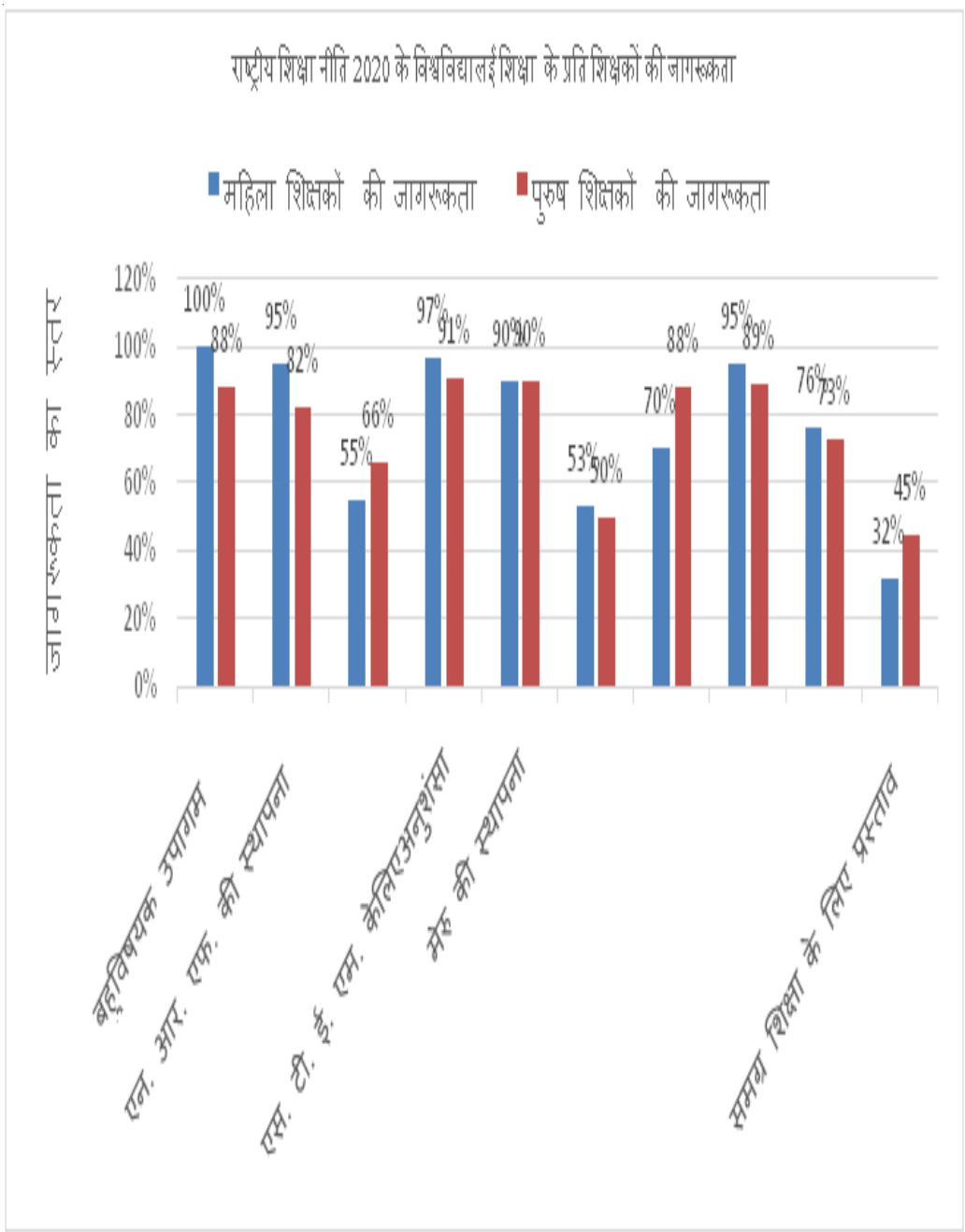


चित्र (xi) . राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० के विद्यालयी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का आयत चित्र

तालिका (xii). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता

क्रम सं.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विश्वविद्यालयी शिक्षासे संबंधित कथन	महाविद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता	
		महिला शिक्षकों की जागरूकता	पुरुष शिक्षकों की जागरूकता
1.	ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बहु-विषयक उपागम पर जोर देना	100%	88%
6.	विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए वित्त और उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एन. आर. एफ.) के स्थापना की बात करना	95%	82%
7.	बिना किसी नियामक ढांचे के विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना	55%	66%
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एस.टी.ई.एम.) के साथ मानविकी और कला शिक्षा को एकीकृत करके रचनात्मकता को बढ़ावा देने की बात करना	97%	91%
10.	शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु) के स्थापना की अनुशंसा करना	90%	90%
12.	चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को भारतीय उच्च शिक्षा परिषद में सम्मिलित न् करने की बात करना	53%	50%
15.	आई.आई.टी. और आई.आई.एम. जैसे संस्थानों द्वारा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आई.टी.ई.पी.) चलाने की अनुशंसा करना	70%	88%
20.	शिक्षा को अधिक छात्र-केंद्रित बनाने के लिए'मल्टीपल एंट्री एवं मल्टीपल एक्जिट' की बात करना	95%	89%
22.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कुल क्रेडिट का कम से कम 5: देशज ज्ञान प्रणाली से संबंधित होने की बात करना	76%	73%
29.	केवल उच्च शिक्षा स्तर पर समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देना	32%	45%

व्याख्या: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विश्वविद्यालयी सूचना से संबंधित क्षेत्र में जब महाविद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का स्तर देखा गया तो ज्यादातर क्षेत्र में महिला शिक्षकों ने पुरुष शिक्षकों से ज्यादा जागरूकता को प्रदर्शित किया। बहुविषयक उपागम से संबंधित प्रश्न में महिला शिक्षकों ने 100% जागरूकता तथा पुरुष शिक्षकों ने 88% जागरूकता को प्रदर्शित किया। समग्र शिक्षा से संबंधित प्रश्न में महिला एवं पुरुष दोनों शिक्षकों ने 50% से कम जागरूकता को दर्शाया।



चित्र (xii). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० के विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का आयत चित्र

मुख्य परिणामः

उद्देश्य १. विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से संबंधित सभी क्षेत्रों में 50% से ज्यादा जागरूकता को प्रदर्शित किया। केवल लैंगिग और सामाजिक असमानता, शिक्षा में डिजिटलाईजेशन, विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा, बोर्ड परीक्षा से संबंधित सुझाव, मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित अनुशंसा, विद्यालयी पाठ्यक्रम से संबंधित सुझाव, विद्यालयी पाठ्यक्रम में विकल्प, विद्यालय में अनुदेशन का माध्यम तथा समग्र शिक्षा के लिए प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र में 50% से कम जागरूकता देखने को मिली।

उद्देश्य २. महाविद्यालय स्तर के शिक्षकों में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से संबंधित सभी क्षेत्रों में 50% से ज्यादा जागरूकता देखने को मिली। साथ ही इन शिक्षकों में भी लैंगिग और सामाजिक असमानता, शिक्षा में डिजिटलाईजेशन, विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा, बोर्ड परीक्षा से संबंधित सुझाव, मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित अनुशंसा, विद्यालयी पाठ्यक्रम से संबंधित सुझाव, विद्यालयी पाठ्यक्रम में विकल्प, विद्यालय में अनुदेशन का माध्यम तथा समग्र शिक्षा के लिए प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र में 50% से कम जागरूकता देखने को मिली।

उद्देश्य ३. विश्वविद्यालय स्तर के पुरुष एवं महिला शिक्षकों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति जागरूकता में लगभग सभी क्षेत्रों में पुरुषों ने महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा जागरूकता को प्रदर्शित किया। लिंग और सामाजिक असमानता तथा शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधित क्षेत्र में पुरुषों ने महिलाओं से अधिक किन्तु 50% से कम जागरूकता को प्रदर्शित किया। सकल नामांकन अनुपात से संबंधित प्रश्न में महिलाओं ने अधिक तथा मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता में पुरुषों के बराबर जागरूकता को प्रदर्शित किया। बहुविषयक उपागम, मेरु की स्थापना, मल्टीपल एंट्री एवं एक्जिट इत्यादि से संबंधित क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जागरूकता अधिक देखने को मिली। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में 50% से कम तथा एस.टी.ई.एम. तथा मेरु की स्थापना से संबंधित क्षेत्र में पुरुष तथा महिलाओं की जागरूकता 90% के लगभग देखने को मिली।

उद्देश्य ४. महाविद्यालय स्तर पर महिला एवं पुरुष शिक्षकों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति जागरूकता में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग, भारतीय भाषा के लिए अकादमी तथा 360 डिग्री मूल्यांकन से संबंधित क्षेत्र में महिला एवं पुरुष की जागरूकता का प्रतिशत समान देखने को मिला। वहीं परख की स्थापना तथा बाल भवन की स्थापना से संबंधित क्षेत्र में महिलाओं की जागरूकता पुरुषों से अधिक देखने को मिली। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा तथा विद्यालय में अनुदेशन

के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में महिला एवं पुरुष दोनों शिक्षकों ने 50% से कम जागरूकता को प्रदर्शित किया। वहीं उच्च बहुविषयक उपागम से संबंधित प्रश्न में महिला शिक्षकों की जागरूकता 100% देखने को मिली तथा मेरु की स्थापना तथा मल्टीपल एंट्री तथा एक्जिट से संबंधित प्रश्न में दोनों शिक्षकों ने 90% के लगभग जागरूकता को प्रदर्शित किया।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रता के उपरांत भारत में यहाँ की पाठ्यचर्या को लेकर यह चिंता बनी रही कि यह भारतीय समाज तथा संस्कृति के अनुरूप नहीं है। अत: शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। यह नीति एक ऐसे पथप्रदर्शक के रूप में हमारे सामने है जो भारतीय शिक्षा को भारतीय मन के अनुसार बनाने का एक खाका प्रस्तुत करती है। चूंकि शिक्षक शिक्षा के एक मुख्य हितधारक के रूप में होता है अत: यह आवश्यक हो जाता है कि वह इस नीति के प्रति जागरूक हो तथा इसमें शिक्षा के लिए सुझाए गए प्रस्तावों से परिचित हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) पर किए गए इस शोध में यह पाया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थान के शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सभी क्षेत्रों में सुझाए गए प्रस्तावों के प्रति उतने जागरूक नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए खासकर विद्यालयी शिक्षा से संबंधित सुझावों के प्रति उनकी जागरूकता विश्वविद्यालयी शिक्षा को लेकर प्रस्तावित सुझाव से कम है। चूंकि विद्यालयी शिक्षा से संबंधित पाठ्यचर्या के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर कार्यरत शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जाता है। अत: शिक्षकों के लिए यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा हर स्तर पर प्रस्तावित अनुशंसा या सुझाव के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हों। प्रस्तुत शोध में यह भी पाया गया कि शिक्षा नीति पर लिंग का प्रभाव है। इस शिक्षा नीति के प्रति पुरुष अधिक जागरूक हैं। अत: इस शोध के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से संबंधित जो कार्यक्रम करवाए जाते हैं उनमें शिक्षकों की भागीदारी को सुनिश्चित की जाए। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा भी समय-समय पर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन कर भी शिक्षकों को इस नीति के प्रति जागरूक किया जाए।

संदर्भ:

- अरोरा, एस. (2023). स्टडी ऑफ टीचर्स अवेयरनेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलेटेड टू द डेमोग्राफिक फैक्टर. जर्नल ऑफ एमरजिंग टेक्नोलोजीज एंड इन्नोवेटिव रिसर्च, 10(3).
- अरोरा, पी. एवं वर्मा, ऊ. (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : रचनात्मक सुधारों की ओर. शिप्रा प्रकाशन.

- कुमार, ए. (2021). द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 : चैलेंजेज एंड ओपौर्चुनिटीज इन इंडियन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 29(3), 217-233. https://doi-org/10.1016/j-ijer.2021.03.007
- बेस्ट, जॉन डब्ल्यू. ऐण्ड कान्ह, जेम्स वी. (1993). रीसर्च इन एजुकेशन. प्रेंटिस हॉल.
- घोष, एस. सी. (2018). द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया (1757-2012) (4th एड.). ओरिएंटल ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड.
- गुप्ता, एस. पी. (2018). अनुसंधान संदर्शिका: संप्रत्यय, कार्यविधि एवं प्रविधि. शारदा पुस्तक भवन.
- तेजस्विनी, के. सी. (2022). उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का प्रभाव. सुमेधा जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, 11(2), 27-34.
- प्रभु, एम., ऐण्ड मकिया, एम. (2021). 'अ स्टडी ऑन द अवेयरनेस ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 अमंग द प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट. यूनिवर्स जर्नल ऑफ इंटरडीसीप्लिनरी रिसर्च, 1(10).
- मौर्य, ए., ऐण्ड अहमद, ए. (2021). नई शिक्षा नीति-2020: आधुनिक भारत में शिक्षा की चुनौतियों का समाधान. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च, 9(12), 31-37.
- मारूथावनन, एम. (2020). माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति जागरूकता का अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, 8(3), 67-71.
- महेंद्रप्रभु, ऐण्ड मूक्किया. (2020). डिंडीगुल जिले में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच नई शिक्षा नीति (2020) के प्रति जागरूकता का अध्ययन. यूनिवर्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, 1(10). https://doi-org/ 08.2020-25662434
- मिश्र, और सभी. (2023). भारत के लिए शिक्षा : संदर्भ और सरोकार. प्रलेक प्रकाशन.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.
- वानखाड़े, एन. आर. (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के गुण और दोष. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रीफ्लेक्टिव रिसर्च इन सोशल साइंसेज, 4(1), 21-23.
- सिंह, एम., एवं पोखरियाल, सी. (2021). भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : एक क्रांतिकारी पहल (प्रथम संस्करण). सत्यम पब्लिशिंग हाउस.
- सखारे, जे. एस. (2020). एनईपी (2020) : एनईपी की विशेषताएं और शिक्षक भूमिका. एजुकेशनल रिसर्च जर्नल, 2(3), ISSN-2581-9100.
- सोंधीया, एस. एल. (2022). अ स्टडी ऑन द अवेयरनेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी (2020). इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्नोवेटिव रिसर्च इन टेक्नोलोजी, 8(9).
- सोमानी, पी., ऐण्ड गुप्ता, ऊ. (2023). अ स्टडी ऑन अवेयरनेस एंड रेलीवेन्स टूवर्ड्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी (2020). द ऑनलाइन जर्नल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड ई-लर्निंग, 11(2).

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० के संदर्भ में उच्च शिक्षा की दिशा

विभा सिंह*, प्रो. हेमेन्द्र कुमार सिंह**

सारांश:

हमारा भारत देश लगभग पिछले 1000 वर्षो से संघर्ष के दौर से गुजरा है। भारत का 700-800 वर्षों का संघर्ष इस्लाम के साथ रहा और 200 वर्षो के आसपास का संघर्ष ब्रिटिश सरकार के साथ रहा था। उस समय एक ऐसी कोई शिक्षा नीति बना पाना संभव नहीं था। हमें ऐसी शिक्षा चाहिये जिससे हमारा प्रत्येक बालक बालिका क्षमतावान बने, वे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनें और सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत के लिए मील का पत्थर बनकर उभरते हुए सामने आएँ। इन सभी उपादानों में इस देश के युवा के बौद्धिक स्तर पर कोई दबाव न हो। हमारी शिक्षा इस तरह होनी चाहिए जिससे शिक्षा बिना किसी दबाव के आनन्दमय तरीके से ग्रहण की जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इक्कीसवीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत और कार्य करने में सक्षम हो। जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। भारतीय उच्चशिक्षा प्रणाली को अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा रूपांतरित किया जा रहा है। यह नीति अंत:विषय अध्ययन को प्रोत्साहित करने, नए विषयों की पेशकश करने और छात्रों को नए अवसरों और लचीले पाठ्यक्रम विकल्पों तक पहुँच प्रदान करने पर जोर देती है। यह उच्चशिक्षा क्षेत्र के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को बढ़ावा देने, विभिन्न प्रकार के प्रवेश और निकास बिंदुओं की पेशकश करने और छात्रों को

*शोधार्थी, शिक्षा संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
**शोध निर्देशक, एसोसिएट प्रोफेसर (शिक्षा संकाय), लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उन कक्षाओं का चयन करने की अनुमति देता है जो उनकी रुचियों और क्षमताओं के लिए सबसे उपयुक्त हैं। नीति में एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर एक राष्ट्रीय मंच और देश भर में अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना का आह्वान किया गया है। नीति का लक्ष्य एक व्यापक, अनुकूलनीय शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो 21वीं सदी की मांगों को पूरा कर सके।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक विस्तृत और सर्वव्यापी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) पेश की है। आजादी से पहले, भारत में शिक्षा पूरी तरह से 'मास्टर्स, ब्रिटिश साम्राज्य' के नियंत्रण में थी। जैसा कि स्पष्ट है, मैकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा नीतियाँ, भारतीयों को कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि 'बाबुओं' को बाहर निकालने के लिए थीं। क्लर्क और नौकरशाह, स्वामी की सेवा के लिए, शुद्ध और सरल। स्वतंत्रता के बाद, समाज में कई बदलाव हुए, नीतियाँ बनाई गईं और कुछ सुधार लाए गए, लेकिन प्रभाव अभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। 2015 में, भारत सरकार ने 'सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा' (एसडी) को अपनाया और तब से प्रोत्साहन शुरू किया गया है। एक लंबी और सर्व-समावेशी प्रक्रिया की अंतिम परिणति एनईपी-2020 है। एनईपी-2020 एक बहुत विस्तृत योजना दस्तावेज रहा है। इस लेख में मुद्दों, सिद्धांतों, उद्देश्यों, दृष्टिकोण, चुनौतियों और समाधानों की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की गई है। मुख्य फोकस उच्चशिक्षा और उसके क्रियान्वयन पर रहा है। व्यावसायिक शिक्षा, अनुसंधान और ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा जैसे कुछ अन्य मुद्दों को भी उचित महत्त्व दिया गया है। कुल मिलाकर, यह सरकार की ओर से एक सराहनीय और सकारात्मक कदमहै।

बीज शब्दः-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा मंत्रालय, आगत और निर्गत विकल्प, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद्, सामान्य शिक्षा परिषद, उत्तर शिक्षा अनुदान परिषद्, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद्, बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति-2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की जगह ले ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य

2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है और यह नीति-2020 भारत को बदलने में सीधे प्रकार से योगदान प्रदान करती है और भारतीय लोकाचार में निहित शिक्षा प्रणाली को देखती है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, ऐसे व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए जो उत्कृष्ट विचारशील और अच्छी रचनात्मक प्रवृत्ति के हों। यह एक व्यक्ति की रुचि के एक या एक से अधिक विशिष्ट जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, व्यक्तिगत, तकनीकी, व्यावसायिक विषयों सहित क्षेत्रों में गहराई से अध्ययन करने और चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवाभावना और 21वीं सदी के कौशल को आवश्यक सीमा तक विकसित करने में सक्षम बनाती है। नई शिक्षा नीति वर्तमान प्रणाली में कुछ मौलिक परिवर्तन लाती है, और इसमें मुख्य आकर्षण बहु-विषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, जिसमें प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक छात्र पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, बेहतर छात्र अनुभव के लिए मूल्यांकन और समर्थन, एक महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उत्कृष्ट सहकर्मी-समीक्षा कार्य और प्रभावी ढंग से बीज अध्ययन का समर्थन करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० में उच्च शिक्षा:

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए एनईपी-2020 की कल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करके छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इसके अलावा, देश में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जाएगी। देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक के रूप में परिकल्पित एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद् (एनएसी) की स्थापना की जाएगी। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् (एचईसीआई) में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र होंगे। सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और समान स्तर की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे।

इसके अलावा, विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, जैसे कि इंडोलॉजी, भारतीय भाषाएं, चिकित्सा की आयुष प्रणाली, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक भारत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उससे आगे के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सार्थक अवसर वैश्विक गुणवत्ता मानकों के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता

आवासीय सुविधाओं और परिसर में समर्थन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

उच्च शिक्षा के लिए एनईपी-२०२० की मुख्य विशेषताएं:

अंतर्राष्ट्रीयकरण वर्ष 2035 तक जीईआर को 50 प्रतिशत तक बढ़ाएं समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा स्वायत्तता और जवाबदेही समावेशिता और समानता अनुसंधान और नवाचार पाठ्यचर्या लचीलापन और क्रेडिट हस्तांतरण शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का डिजिटलीकरण यूजीसी और एआईसीटीई को खत्म करना, कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा छात्रों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता, भारतीय भाषाओं के प्रयोग हेतु प्रोत्साहन शिक्षा में प्रौद्योगिकी तर्कसंगत शिक्षा वास्तुकला दूरस्थ शिक्षा/मुक्त शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना ।

1. नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में देश के सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है जिसमें उच्च शिक्षा पर किये जाने वाले खर्चे भी समाहित हैं।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26: से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3-5 करोड़ नई सीटों को बढ़ाया जाएगा।
3. स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों ही स्तरों पर छात्रों के लिए संस्कृत अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्थानों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा अर्थात् विभिन्न स्तरों पर मल्टीलेवल एंट्री और एग्जिट बहुस्तरीय आगत और निर्गत विकल्प जोड़ दी जाएगी। जैसे यदि कोई विद्यार्थी 1 वर्ष के पश्चात् महाविद्यालय, स्नातक स्तर पर छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट्स 2 वर्ष के पश्चात छोड़ता है तो एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्षों के पश्चात् स्नातक की डिग्री और 4 वर्षों के पश्चात् शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी।
5. चार वर्ष के पश्चात् हासिल किए गए शोध के साथ स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों को 1 वर्ष में परास्नातक की डिग्री दी जाएगी।
6. उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापित किया जाएगा, जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्रों

के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।

7. नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है और अब छात्र परास्नातक डिग्री के पश्चात् सीधे पी-एच.डी. में शोध हेतु प्रवेश पा सकते हैं।

8. चिकित्सा और कानून शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा और उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शी पूर्ण निष्पादन के लिए चार संस्थाओं और निकायों का निर्धारण किया गया है। इस संस्था की स्थापना के पश्चात् अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समाप्त कर दिया जाएगा।

   - शिक्षा में विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियमक परिषद् की स्थापना।
   - शिक्षा में मानक निर्धारण हेतु सामान्य शिक्षा परिषद् की स्थापना।
   - शिक्षा में वित्तीय पोषण हेतु उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद् की वर्ष 2022 तक स्थापना।
   - शिक्षा में प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद् की स्थापना।
   - भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, एकल निकाय।

9. महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

10. देश में आईआईटी और भारतीय प्रबंधन संस्थान के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

11. उच्च शिक्षा में मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल पर स्वतंत्र विचार-विमर्श हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। इस संस्था के माध्यम से ही पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किया जाएगा और इसके लिए आभासी लैब (Virtual lab) विकसित की जा रही है।

12. अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डीम्ड विश्वविद्यालयों और स्टैंड अलोन संस्थाओं के लिए अलग-अलग नियम होते थे परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में सभी के लिए एक समान नियम होंगे।

13. देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा और यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा और बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा शासित होगा और इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार, नीति के कार्यान्वयन के लिए कई पहल और कार्यों की आवश्यकता होती है, जिसे कई निकायों द्वारा समकालिक और व्यवस्थित तरीके से करना होगा। इसलिए, इस नीति के कार्यान्वयन का नेतृत्व शिक्षा मंत्रालय, सीएबीई, संघ और राज्य सरकारों, शिक्षा-संबंधित मंत्रालयों, राज्य शिक्षा विभागों, बोर्डों, एनटीए, स्कूल और उच्च शिक्षा के नियामक निकायों, एनसीईआरटी, सहित विभिन्न निकायों द्वारा किया जाएगा। एससीईआरटी, स्कूल और एचईआई चूँकि शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, इसलिए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी-2020 के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने के लिए सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों को सूचित किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में कानून और चिकित्सा की शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक संस्था भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के होने से विश्वविद्यालय को संचालन में ज्यादा आजादी मिल पाएगी ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। विश्वविद्यालयों की ही तरह छात्रों को भी अपने विषय चुनने की आजादी होगी अर्थात् गणित के साथ संगीत और भौतिक के साथ फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई भी की जा सकेगी। इससे आर्थिक तंगी या दूसरी वजह से ड्रॉपआउट करने वाले छात्रों का साल बर्बाद होने से बच जाएगा क्योंकि बहु-स्तरीय दाखिला एवं निकासी यदि कारगर साबित हुआ तो वर्ष 2035 तक हर दूसरे छात्र को उच्चशिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य और सरल हो सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक ऐसा अभिलेख है जो शिक्षा में कुछ सकारात्मक बदलाव की पहल तो करता है और कुछ नई चिंताएं भी पैदा करता है। इस नीति में परंपरागत ज्ञान और 21वीं शताब्दी में आवश्यक कौशल के बीच बाजार के दबाव और शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता के अभाव के बीच शिक्षण संस्थाओं की स्वच्छंदता और केंद्रीकरण के बीच ठीक संतुलन बिठाना भी एक चुनौती है। यह नीति शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक स्तर पर बदलाव को प्रमुखता देती है लेकिन इसमें शिक्षा की आधारभूत चुनौती अर्थात् शैक्षिक गुणवत्ता के लिए ठोस आश्वासन नहीं मिलता है।

देश में निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों की संख्या में आज बहुत इजाफा हुआ और स्ववित्तपोषित कोर्स का चलन भी शुरू हो चुका है। शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है और शिक्षा की गुणवत्ता आज भी मुख्य चिंता बनी हुई है। आज देश के बहुत से राज्यों में निजी महाविद्यालय

तो चल रहे हैं, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक किन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। इस पर भी विचार करना बहुत आवश्यक है क्योंकि जो पारिश्रमिक दिल्ली विश्वविद्यालय के एक एडहॉक शिक्षक को मिलता है उतना निजी विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर को नहीं दिया जाता। क्या यह नई शिक्षा नीति ग्रामीण और कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों को आगे बढ़ाने का भरोसा देती है। क्या केंद्र या राज्य सरकार के वित्त पर निर्भर विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरने के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे या उन्हें स्वयं यह संसाधन आने वाले वर्षों में जुटाने होंगे। इस नई शिक्षा नीति में सरकारी विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों दोनों के लिए समान नियम बनाने का सुझाव है। क्या सरकार के आर्थिक सहयोग के बिना केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय दुनिया के विश्वविद्यालयों का मुकाबला कर पाएंगे। इस नई शिक्षा नीति में 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में अपने कैंपस खोलने की अनुमति देने की बात कही गई है। क्या देश के गरीब और कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी इन विश्वविद्यालयों का खर्च वहन कर सकेंगें। यह सभी प्रश्न इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक हैं।

ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत में अनकूल क्षमता है लेकिन उसकी वास्तविकता को देखने के लिए बौद्धिक संपत्ति की स्वीकार्यताएँ संरक्षण और प्रोत्साहन के साथ-साथ एकेडमिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता होगी। अभी देश में शोध पर सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत से भी कम खर्च होता है जबकि चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5 प्रतिशत खर्च करता है जबकि वर्ष 2017 में जापान ने विज्ञान और तकनीकी के शोध में अपना बजट बढ़ाकर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3.85 प्रतिशत कर दियाथा।

मनमोहन सिंह सरकार ने वर्ष 2006 में एक परिपत्र जारी करते हुए कहा था कि शिक्षा का व्यापार छात्रों के लिए लाभदायक होगा क्योंकि जो छात्र विदेश जाते हैं उनको अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत में ही मिलेगी क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस बना सकेंगे। शिक्षा को वैश्विक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा को दो भागों में बांटा है। पहला सीखने के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना जो कि कक्षा में अध्ययन और अध्यापन से मिलता है और दूसरा कौशल के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना जो विभिन्न संस्थाओं के साथ तालमेल से मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है वर्ष 2030 तक इस शिक्षा प्रणाली से वैश्विक सतत विकास के साथ-साथ मानवाधिकार, लैंगिक समानता व संस्कृति और अहिंसा के साथ-साथ वैश्विक नागरिकता की तरफ विद्यार्थी अक्सर हो पाएगा। आज नई शिक्षा नीति को यदि पूरी ईमानदारी और गंभीरता से लागू किया गया तो उसके दूरगामी नतीजे आ सकते हैं परंतु इसके लिए सरकार को अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत खर्च करना होगा। बहुत पहले 1966 के दौरान डी.

एस.कोठारी कमीशन ने भी राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी परंतु उसे पूरा नहीं किया गया था। इसी सिफारिश को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी दोहराया गया परंतु हम पाते हैं कि इसका अनुपालन उस वक्त भी नहीं किया गया। वर्ष 2009-10 से लेकर वर्ष 2015-16 तक सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 2.7 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च किया गया। इस प्रकार नीति और इसके क्रियान्वयन में भारी अंतर देखने को मिला जिसका नतीजा हुआ कि विश्वविद्यालय कुपोषित होते चले जा रहे हैं।

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात् कोई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी नहीं दिया जाता, केवल शिक्षकों के विकास के नाम पर कुछ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज द्वारा रिफ्रेशर कोर्स पहले 21 दिन का होता था और ओरियंटेशन 30 दिन का कोर्स चलाए जाते हैं। आज रिफ्रेशर कोर्स की जगह 5 दिन का एफडीपी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और 10 दिन के एफडीपी को एक रिफ्रेशर के बराबर माना जा रहा है। यहाँ पर यह कहने का बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं है कि बिल्कुल निरर्थक हैं सिर्फ यहाँ पर इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उच्च शिक्षा में योग्य उम्मीदवारों के चयन के पश्चात् कुछ गुणात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। जहाँ तक शिक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न है उसके लिए बेहतर होगा एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी को बनाया जाए जो अभ्यर्थियों की मेमोरी से अपरिचित हो और अभ्यर्थी सिलेक्शन कमिटी से यदि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना है तो उसके लिए संघ लोक सेवा आयोग या फिर किसी अन्य विश्वसनीय समर्पित निकाय के माध्यम से नियुक्तियों को जाना बेहतर होगा, जिसमें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को समाहित किया जाए और जाँच करने वालों को यह कदापि न पता चल सके कि वह किसकी कॉपी जाँच रहे हैं।

निष्कर्ष:

अंत में सम्पूर्ण प्रपत्र के अध्ययन करने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार शिक्षा रटने वाले विषयों, समय सीमा को पूरा करने और अंक प्राप्त करने से कहीं अधिक है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान, कौशल, मूल्यों को प्राप्त करना और उस क्षेत्र में निरंतर कार्य करना और प्रगति करना है, जिसमेंव्यक्ति अपनी रुचि खोज भी करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर नई शिक्षा नीति-2020 को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। हालाँकि इसके कुछ उद्देश्यों में लक्ष्यों की स्पष्टता का अभाव है, लेकिन हम वास्तव में इसका न्याय तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसकी लिखित योजनाएँ क्रिया में न आ जाएँ। हम केवल सर्वोत्तम परिणामों की आशा कर

सकते हैं. आखिरकार यह छात्रों के समग्र विकास और प्रगतिको ध्यान में रखते हुए लाई गयी है।

सन्दर्भ-सूची:

१. https://www-education-gov-in/sites/upload files/mhrd/files/NEP Final English 0-pdf.

२. https://en-wikipedia-org/wiki/National Education Policy 2020.

३. पुरी, नताशा (30 अगस्त 2019)-ए रिव्यू ऑफ दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एण्ड दी नीड फॉर डाटा एण्ड डायनामिस्म इन दी 21 सेंचुरी-एसएसआरएन.

४. वेधाथिरी, थनिकाचलम (जनवरी 2020), "क्रीटिकल असेसमेंट ऑफ ड्रॉफ्ट इण्डियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 विथ रेस्पेक्ट टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च", जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन, 33.

5- https://mgmu-ac-in/wp-content/uploads/NEP-Indias&New-Education- Policy 2020-final-pdf.

6- http://s3-ap-southeast-1-amazonaws-com/ijmer/pdf/volume10/volume10-issue2(5)/33-pdf.

7- कुमार, के (2005) क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐट दी बिगनिंग ऑफ दी 21 सेंचुरी : लेशन्स फ्रॉम इण्डिया - इण्डियन एजुकेशनल रिव्यू 2 - ड्रॉफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019.

8- https://innovate-mygov-in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov15596510111-pdf Education Policy 2020-3-National.

9- https://www-mhrd-gov-in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/ NEP_Final_English-pdf referred on 10/08/2020

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्त:अनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० : अवसर और चुनौतियाँ

डॉ. रश्मि चतुर्वेदी*

भारत के स्वतंत्र होने पर देशवासियों द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसी विचार को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता के बाद विभिन्न आयोगों का समय-समय पर गठन किया गया। सभी आयोगों ने शिक्षा के हर स्तर पर अपना सुझाव भी दिया, किंतु शिक्षक की स्थिति दयनीय ही बनी रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वस्तुत: 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित होने के लिए समान अवसर प्रदान करना है।

वर्ष 2019-20 हम सभी के जीवन काल में न भूल पाने वाला वर्ष था, कोरोना ने हम सभी को आतंक के साये में लाकर खड़ा कर दिया था, जहाँ जीवन के सब रंग ही समाप्त हुए से प्रतीत हो रहे थे। पूरे देश में या यों कहें पूरी दुनिया में मौत का तांडव चल रहा था। हर कोई भयभीत, डरा हुआ था। चारों तरफ वही खबरें दोस्तों, परिजनों का छोड़कर जाना। सड़कों पर पसरा हुआ सन्नाटा ऐसा लगता था कि इस दुखद समय का अंत कब होगा और उसी समय भारत में दो प्रमुख घटनाओं ने जैसे आशा की किरण जगा दी। दुख के क्षणों के साथ-साथ सुखद अनुभूति भी लोगों में होने लगी, इन दो घटनाओं में एक घटना थी भगवान श्रीराम के निज धाम अयोध्या में भव्य मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ होना और दूसरी घटना थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा। इन दोनों घटनाओं का पूरे विश्व में सभी क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा सामान्य जनता द्वारा स्वागत किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में बारह सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे इसरो के पूर्व चेयरमैन श्री के. कस्तूरीरंगन जी। इस

*सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

समिति ने 31 मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था तथा 29 जुलाई 2020 को यह लागू की गई। शिक्षा नीति का मूल अंग्रेजी में 66 पृष्ठों का तथा अंग्रेजी अनुवाद अर्थात् हिन्दी में 108 पृष्ठों का दस्तावेज है। भौगोलिक रूप से इस शिक्षा नीति का स्वरूप बहुत व्यापक है। लगातार 5 वर्षों तक उस पर मंथन होता रहा। अद्‌भुत लोक मंथन हुआ इसके लिए लगभग दो लाख सुझाव आए थे। सवा लाख ग्राम सभाओं में तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओ में इसकी चर्चा हुई। इससे भी बड़ी बात यह है कि डॉक्टर के. कस्तूरीरंगन और उनकी टीम ने सभी सुझावों पर चिंतन-मनन किया। ड्राफ्ट के चेयरमैन श्री के. कस्तूरीरंगन जी प्रस्तावना में कहते हैं कि "राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करना एक चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले अनेक कारण हैं जैसे-भौगोलिक परिस्थिति, लिंग, जाति, सामाजिक, आर्थिक आदि। भिन्नता के चलते बच्चे डॉपआउट भी होते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में असफल भी। वास्तव में यह राष्ट्रव्यापी नीति है। यदि आप इस 108 पृष्ठ के दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो यह दिखता है कि यह शिक्षा नीति राष्ट्र की चिति के अनुकूल है और शिक्षा के प्रचलित मानदंडों में परिवर्तन करने में सक्षम है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति की परिकल्पना है कि छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी तथा साथ ही ज्ञान कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में पढ़ाई-लिखाई पर जोर देती है, अंतर-विषयों की पढ़ाई पर, विदेशी भाषाओं को पढ़ने पर, मल्टी प्वाइंट एंट्री, एक्जिट पर तथा कौशल विकास पर जोर देती है, पर मेरा ऐसा मानना है कि अंतत: वो ऐसी अंतर्दृष्टि विकसित करती है जो भारतीय समाज को समझने की, समग्रता में मनुष्य को कैसे देखना है, राष्ट्र पर कैसे आपको अभिमान हो, अपने भारतीय होने पर गर्व हो, भारत की ज्ञान परंपरा पर हम गर्व महसूस कर सकें ऐसे अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पृष्ठ 4 पर लिखा भी है -"यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या-ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भारतीय जीवन दर्शन को पुन: स्थापित करने का कार्य करती है, एक समग्र उद्देश्य को हमारे सामने रखती है।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु कुल 4 भागों में विभाजित हैं। प्रथम भाग - स्कूल शिक्षा

जिसमें कुल 8 अध्याय हैं। दूसरा भाग- उच्चतर शिक्षा जिसमें कुल 11 अध्याय हैं। तीसरा भाग - अन्य विचारणीय मुद्दे जिसमें कुल 5 अध्याय हैं और चौथा भाग - क्रियान्वयन की रणनीति जिसमें कुल 3 अध्याय हैं। इस प्रकार कुल 27 अध्याय एवं 108 पृष्ठों का यह दस्तावेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्णरूपेण स्वयं में समेटे हुए है। स्कूली शिक्षा के आठ अध्यायों में शिक्षा नीति ने यह सुझाव दिया है कि स्कूली शिक्षा के मौजूदा ढाँचे को दोबारा बनाया जाए ताकि वो बच्चों के विकास के विभिन्न स्तरों के हिसाब से अधिक प्रासंगिक बन सके। मुख्य सुझाव निम्नानुसार हैं-

स्कूली शिक्षा के वर्तमान ढाँचे को जो (10+2) है उसे बदला जाए तथा उसको 5+3+3+4 किया जाए जिसमें:

1- पाँच साल फाउंडेशन चरण (3 से 8 वर्ष)
2- तीन साल प्रीपरेटरी चरण (8 से 11 वर्ष या कक्षा 3 से 5)
3- तीन साल मिडिल चरण (11 से 14 वर्ष या कक्षा 6-8)
4- चार साल सेकेंडरी चरण (14 से 18 या कक्षा 9 से 12) की शिक्षा हो।

3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी 'बाल वाटिका' प्री -स्कूल के माध्यम से नि:शुल्क और उच्च गुणवत्तापूर्ण (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा) (Early Childhood Care and Education (ECCE) शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हो। ECC में मुख्य रूप से लचीली, बहु आयामी, बहु स्तरीय खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है जैसे -अक्षर, भाषा, संख्या, गीत, रंग, आकार, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करना तथा सीखने में छात्र सक्षम कैसे बनें, इस विषय पर जोर दिया गया है। इस स्कूली शिक्षा के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि - जो करिकुलम है उसके विषय वस्तु में सुधार किया जाना चाहिए, बस्ते के बोझ को कम करने की आवश्यकता है, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए तथा सीखने में छात्र सक्षम कैसे बनें इस विषय पर इस विषय पर विचार-विमर्श होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा आठ और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। नीति ने त्रिभाषा फार्मूले पर बल दिया है।

(1) हिंदी भाषी राज्यों में - हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भाषा, तथा (2) गैर हिंदी भाषी राज्यों में - हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षकों के निर्माण पर बहुत अधिक जोर दिया है, इसके अनुसार शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं और हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। इसलिए शिक्षकों के गौरव और सम्मान लौटाने के लिए-

1- प्रभावी ढंग से शिक्षक नियुक्ति और पदस्थापना हो,
2- विद्यालय का वातावरण सुखद और छात्रों को सीखने के अनुकूल हो,
3- शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण पाठ्यक्रम को चयनित करने की ज्यादा स्वायत्तता दी जाये।
4- अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से सम्बंधित अद्यतन प्रगति के साथ ही साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोक - परंपराओं और जनजातीय परम्पराओं के प्रति भी जागरूक रहें।
5- शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाए तथा समय-समय पर शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा उनके ज्ञान एवं कौशल को अद्यतन किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्याय 9-19 तक कुल 11 अध्यायों में उच्च शिक्षा के बारे में सुझाव दिए गए हैं। नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात (जी. ई. आर.) को 26.3 प्रतिशत (वर्ष 2018) बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके अंतर्गत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा जैसे -1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री एवं 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे।

विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credit) दिया जाए जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कला तथा भाषा के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. अनुवाद के लिए Indian Institute of Translation & Interpretation - IITI प्रारंभ किया जाएगा।

समग्र एवं बहुआयामी शिक्षा के लिए आदर्श 'बहु विषयक शिक्षा एवं शोध'-Multi Disciplinary Education & Research University (MERU) की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय

का अर्थ होगा एक बहुविषयक संस्थान जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण अनुसंधान और सामुदायिक जुड़ाव के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान पर समान जोर देने वाले होंगे। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा-

1- अनुसंधान विश्वविद्यालय, जिनका अनुसंधान और शिक्षण पर समान रूप से ध्यान होगा।

2- शिक्षण विश्वविद्यालय जो शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

3- डिग्री देने वाले कॉलेज जिनका मुख्य ध्यान अंडर ग्रेजुएट शिक्षण पर होगा।

ऐसे सभी संस्थान धीरे-धीरे शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता की ओर बढ़ेंगे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों अंतत 3000 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले बड़े मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालयों और कॉलेज के रूप में रहेंगे। वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके निकट एक बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी बहुविषयक महाविद्यालय होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की उपयोगिता को भी स्वीकार किया है। नीति के अनुसार ODL और v,u लाइन शिक्षा गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। दूरस्थ शिक्षा को सकल नामांकन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लोक विद्या अर्थात् भारत में विकसित महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान से जुड़े विषयों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित करने की संभावना पर भी जोर देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कुछ प्रमुख ग्लोबल विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की अनुमति देने का सुझाव दिया है। विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इन विश्वविद्यालयों को देश में स्वायत्त संस्थानों के अनुरूप रेगुलेटरी और गवर्नेंस के नियमों में छूट दी जाएगी।

दस्तावेज के अन्य अध्यायों में नीति ने व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा का वित्तपोषण, शिक्षा में तकनीकी तथा डिजिटल शिक्षा के विषय में अपने सुझाव दिए हैं। वित्तपोषण पर शिक्षा नीति ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है- भारत में उत्कृष्टता के साथ शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए तथा देश एवं अर्थव्यवस्था के लिए जुड़े लाभों की बहुलता के कारण यह शिक्षा नीति केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा, शिक्षा में निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का समर्थन करती है। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए GDP के 6 प्रतिशत तक जल्द से जल्द पहुँचने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत के भावी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं तकनीकी उन्नति एवं विकास के लिए जरूरी उच्चतर गुणवत्तापूर्ण एवं समतापूर्ण सरकारी शिक्षा

व्यवस्था के लिए शिक्षा पर इतना निवेश करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। (26.2)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा पर अत्यधिक बल देती है. उसने भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन-अध्यापन पर विशेष बल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पृष्ठ 4 पर लिखा है- 'प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और बल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊँचे प्रतिमान स्थापित किए थे। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व के समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए और उसे समृद्ध किया जाना चाहिए और नए-नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए भी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ' का निर्माण किया गया है जिसका लक्ष्य स्वदेशी ज्ञान एवं विद्या परंपरा को प्रोत्साहित करना एवं आगे बढ़ाना है। वर्ष 2022-23 के बजट में भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन, संवर्द्धन एवं अन्वेषण के लिए निर्धारित राशि बढ़ाकर रु.20 करोड़ कर दी गई है। 2025 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 15 लाख अध्यापकों को भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रशिक्षण देने की योजना तथा ऑनलाइन पोर्टल -स्वयं, स्वयंप्रभा, ई-दीक्षा, ज्ञान दर्शन के माध्यम से भी कार्य किया जा रहा है।

किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। ऐसे क्रियान्वयन के लिए कई निकायों द्वारा समन्वित व्यवस्थित तरीके से पहल करनी होगी और कई कदम उठाने की जरूरत होगी। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय राज्य संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर एक दीर्घकालिक विशेषज्ञता की निरंतर उपलब्धता और संबंधित लोगों द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा में शामिल सभी निकायों में योजना को लेकर आपसी समन्वय और तालमेल के माध्यम से इसके भाव एवं प्रयोजन अनुसार सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्षत: राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 देश के लिए निश्चित ही कारगार सिद्ध होगी

क्योंकि किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए उसकी शिक्षा नीति उसके अनुकूल होना चाहिए। अपनी संस्कृति परम्पराओं एवं मूल्यों की वाहक होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने उद्देश्यों पर अवश्य ही खरी उतरेगी और यह भारतीय शिक्षा पद्धति को एक नई ऊँचाइयों की ओर ले जायेगी।

संदर्भ ग्रंथः

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. प्रज्ञावाणी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेषांक भारतीय शिक्षण मंडल, मध्य भारत का प्रांत
3. कुमार डॉ. राकेश नई शिक्षा नीति, विशेषांक
4. www-uttamhindu.com.politics.150 172. new.education.policy.foundation (नई शिक्षा नीति- नए भारत की नींव, 2 अगस्त, 2020)
5. www.drishttias.com. दृष्टि, The vision (राष्ट्रीय शिक्षा नीति रू महत्त्व व चुनौतियों, 31 July 2020)
6. www.bbc.com.hindi.india-53581084 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 July 2020)
7. दृष्टि, The vision (चर्चित मुद्दे) नई शिक्षा नीति, 2020

Transforming Teacher Education under NEP 2020: Bridging Traditional Wisdom with Modern Reforms

Professor Gyanendra Nath Tiwari*

Abstract:

The National Education Policy (NEP) 2020 marks a significant shift in India's approach to education, placing a strong emphasis on enhancing teacher training and integrating holistic pedagogical practices. This paper delves into the vision and scope of NEP 2020, explores how it bridges traditional Indian knowledge systems with modern education, and discusses key structural reforms in teacher education. It also highlights strategies for empowering educators through continuous professional development, identifies challenges in implementing NEP 2020, and evaluates outcomes through evidence-based metrics. The final section offers policy recommendations and charts a path forward to align NEP 2020's vision with sustainable educational outcomes. Case studies and data from pilot implementations across India underscore the policy's transformative potential.

Keywords: NEP-2020, Teacher Training, Indian Knowledge Systems, Professional, Development

Introduction: Vision and Scope of NEP -2020

The National Education Policy 2020, a forward-thinking initiative by the Indian government, aims to revamp the nation's educational landscape. It addresses the need for a shift from traditional rote-based learning to a more holistic, experiential, and skill-focused education system. At the heart of this policy is the vision of developing an education system that aligns with 21st-century requirements while being deeply rooted in India's rich cultural heritage. The NEP 2020 acknowledges the crucial role of teachers in achieving this vision and emphasizes comprehensive teacher training and continuous professional development.

*Head, Department of Teacher Education, Nagaland University Kohima Campus

Teacher training is considered a cornerstone for successful educational reform. NEP 2020 sets forth a roadmap for revamping teacher education to develop well-equipped, motivated, and competent educators. The policy envisions a paradigm shift where teacher education focuses on experiential learning, modern pedagogical methods, and the integration of Indian Knowledge Systems (IKS).

Bridging Traditional Wisdom and Modern Education

Integrating Indian Knowledge Systems (IKS) into Teacher Training

NEP 2020 recognizes the value of India's diverse cultural and intellectual heritage and incorporates IKS into modern education. This integration enables teachers to draw upon traditional knowledge to enrich their pedagogical practices. Teacher training programs that incorporate modules on IKS can provide educators with a comprehensive understanding of local and national cultural narratives, promoting a balanced approach between modern methodologies and ancient wisdom. This holistic training supports educators in fostering a culturally aware classroom environment, enhancing both teaching effectiveness and student engagement.

The Role of Cultural and Ethical Education in Modern Curricula

A significant aspect of NEP 2020 is embedding cultural and ethical education within the curriculum. This inclusion not only preserves the nation's cultural identity but also promotes a values-based education that prepares students to become responsible, empathetic citizens. Teachers, therefore, need training that emphasizes both the content and methods for delivering cultural and ethical lessons effectively. By integrating courses on ethics, philosophy, and cultural heritage, teacher education programs can enable educators to impart lessons that resonate with students on deeper, more meaningful levels.

Reimagining Teacher Education: Structural Reforms

Key Reforms in Teacher Education Programs as per NEP 2020

NEP 2020 mandates significant changes to the structure of teacher education. One of the central reforms is the introduction of a 4-year integrated B.Ed. program, aiming to bridge the gap between theoretical knowledge and practical application. This comprehensive program covers content knowledge, pedagogy, and practical experience, ensuring that teacher candidates are well-prepared for the classroom.

Shifts from Theoretical Learning to Experiential and Practical Training

A critical aspect of the NEP 2020 reforms is the shift from theoretical learning to experiential and practice-based training. The policy advocates for increased time spent in

classroom teaching practice, peer reviews, and collaborative projects, which strengthen the practical skills of future educators. Field experiences, teaching internships, and real-time feedback mechanisms are emphasized to ensure that theoretical knowledge is seamlessly applied in real-world teaching scenarios.

Empowering Educators through Continuous Professional Development

Strategies for Ongoing Teacher Training and Skill Enhancement

NEP 2020 underscores the importance of continuous professional development (CPD) for educators. Ongoing training programs ensure that teachers stay updated with the latest pedagogical advancements and technological tools. Effective CPD strategies include workshops, online courses, and mentorship programs that focus on critical areas such as digital literacy, differentiated instruction, and classroom management.

Building Leadership and Research Capacity among Educators

Developing leadership skills and fostering a research-oriented mindset are pivotal for teacher empowerment. NEP 2020 encourages teachers to engage in research projects, contribute to educational policy discussions, and take on leadership roles within their institutions. Such opportunities foster a culture of innovation and collaboration, allowing educators to become key drivers of change. Professional learning communities and collaborative research initiatives help teachers develop and share best practices, enhancing the overall quality of education.

Challenges in Implementing NEP 2020 in Teacher Training

Logistical and Infrastructural Challenges Faced by Educational Institutions

While NEP 2020 offers a robust vision, its implementation presents significant logistical and infrastructural challenges. Many educational institutions, particularly in rural and under-resourced areas, struggle with inadequate facilities, limited access to digital tools, and insufficient funding. The success of teacher training reforms depends heavily on addressing these gaps. For example, the digital divide poses a challenge for teacher training programs that rely on ICT tools, making it difficult for educators in remote regions to participate fully.

Policy and Funding Issues, Especially in States like Nagaland

The implementation of NEP 2020 faces additional hurdles in states like Nagaland, where policy and funding constraints limit progress. The need for greater allocation of resources to teacher training, the development of localized training modules, and support for infrastructure upgrades are critical. Addressing these challenges requires a coordinated

effort between state and central governments, with clear policy directives and adequate funding to ensure that even the most remote areas can benefit from the policy's vision.

Opportunities and Potential Solutions

Leveraging Digital Tools and ICT in Teacher Training Programs

Despite challenges, NEP 2020 presents opportunities to leverage digital tools and ICT for teacher training. Online platforms can democratize access to high-quality training programs, allowing educators from different regions to participate in workshops, webinars, and collaborative learning networks. Hybrid learning models that combine in-person and digital training can bridge the accessibility gap, providing educators with flexible learning opportunities that align with their professional needs.

Best Practices for Fostering Collaboration between Institutions and Training Centers

Collaboration between educational institutions, teacher training centers, and governmental bodies is essential for the successful implementation of NEP 2020. Best practices include partnerships that facilitate the sharing of resources, joint training initiatives, and mentorship programs involving experienced educators. Establishing centers of excellence that serve as hubs for teacher training and professional development can promote consistent quality across different regions.

Evaluating Outcomes: Metrics for Success

Defining and Measuring the Impact of NEP 2020 Reforms on Teacher Competency

Evaluating the success of NEP 2020 reforms involves clear metrics that measure improvements in teacher competency and student outcomes. Standardized competency benchmarks, classroom performance metrics, and professional development participation rates are essential indicators. The use of student feedback and peer reviews can further refine these assessments, ensuring a comprehensive understanding of teacher effectiveness.

Case Studies and Preliminary Observations from Initial Implementations

Initial pilot projects across states like Karnataka, Delhi, and Nagaland have shown promising results. For instance, Karnataka's early implementation of experiential training programs demonstrated improvements in teachers' classroom practices and student engagement. Similarly, ICT-based pilot programs in Nagaland highlighted the potential for blended learning, even in resource-constrained environments. Observations from these case studies offer valuable insights for scaling successful practices nationwide.

Recommendations for Policy Makers and Educators

Suggestions for Refining Teacher Training Policies

Policymakers should prioritize increased funding for teacher training programs and the development of localized training content. Incentivizing partnerships between public and private sectors can enhance training quality and resource availability. Additionally, policy frameworks should focus on scalable models that address the needs of both urban and rural educators.

Enhancing Teacher Motivation and Accountability

Motivating teachers through recognition programs, professional growth opportunities, and competitive salaries can improve job satisfaction and performance. Accountability can be fostered through regular evaluations, peer mentoring, and professional standards that align with NEP 2020's goals. These strategies can ensure sustained commitment to high-quality teaching practices.

Conclusion: Charting the Future Path for Holistic Education

NEP 2020 has laid the groundwork for transforming India's teacher training system into one that is dynamic, culturally rich, and aligned with modern educational needs. While significant challenges exist, opportunities for leveraging technology and fostering institutional collaborations can pave the way for success. The future path involves continued investment in professional development, targeted policy interventions, and a concerted effort to create an equitable education system. By aligning NEP 2020's vision with sustainable outcomes, India can empower educators to drive the holistic development of future generations.

References

- Chakrabarti, P., & Singh, S. (2021). *National Education Policy 2020: A critical appraisal and implications for teacher education*. Indian Journal of Educational Studies, 6(2), 45-58. https://doi.org/10.1007/ijeedu.2021.003
- Govindarajan, V., & Pani, P. (2020). *Teacher education in India: Challenges and opportunities under NEP 2020*. Journal of Teacher Education and Pedagogy, 24(1), 10-23.
- Ministry of Education, Government of India. (2020). *National Education Policy 2020: A new education system for the new India*. Ministry of Education. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- Rao, M., & Patil, R. (2020). *Integrating Indian Knowledge Systems (IKS) in education: Bridging tradition and modernity*. International Journal of Education and

Culture, 8(4), 15-28.

- Singh, A., & Bhattacharya, S. (2021). *The role of teacher professional development in implementing the National Education Policy 2020*. Journal of Educational Reform, 15(3), 122-137. https://doi.org/10.1080/1234567890
- UNESCO. (2020). *Education for sustainable development: Reimagining education in the context of NEP 2020*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://www.unesco.org/en/digital-learning-sustainable-development
- Venkatesh, K., & Kumar, R. (2020). *A systematic review of NEP 2020 and its implications for teacher education*. International Journal of Educational Research, 5(2), 88-101.
- Yadav, M. (2021). *Empowering educators: Continuous professional development and leadership in the NEP 2020 framework*. Indian Journal of Teacher Education, 32(1), 45-60.

समतामूलक समावेशी शिक्षा के लक्ष्य और चुनौतियाँ

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में)

डॉ. मीतू सिंह*

सारांश

समतामूलक और समावेशी शिक्षा का महत्त्व आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में अत्यधिक प्रासंगिक है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता विद्यमान होती है, और यदि उन्हें उपयुक्त शिक्षण वातावरण मिलता है, तब वे सभी सीख सकते हैं। यह अवधारणा समाजिक और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ी हुई है, और समतामूलक और समावेशी शिक्षा का विचार इन्हीं मूल्यों से उत्पन्न होता है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध हों चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग, धर्म, या शारीरिक क्षमता कुछ भी हो। NEP 2020 का लक्ष्य शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो समाज के वंचित वर्गों में आते हैं।

समतामूलक शिक्षा की अवधारणा में विभिन्न वर्गों- जैसे भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से वंचित समुदायों को समान अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह सुनिश्चित कराना आवश्यक है कि हर छात्र को उसके अधिकारों के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वे अपनी क्षमता को पूरी तरह से पहचान सकें और विकसित कर सकें।

मुख्य बिन्दु

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, समतामूलक शिक्षा, सामाजिक समावेशिता, शिक्षा में समानता, शैक्षिक नीति, शैक्षिक संसाधन, शिक्षा में समानता का अवसर।

*सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

प्रस्तावना

शिक्षा किसी समाज के विकास का एक अत्यंत प्रभावशाली साधन है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि सामाजिक समानता और न्याय की नींव भी रखती है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली, जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराती है और सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करती है, उसे समतामूलक और समावेशी शिक्षा के रूप में जाना जाता है।

समतामूलक शिक्षा का आधार यह है कि हर व्यक्ति को, चाहे उसकी सामाजिक, आर्थिक, या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, शिक्षा के समान अधिकार और संसाधन उपलब्ध हों। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ और न्यायसंगत हो, विशेषकर उन समूहों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा से वंचित रह गए हैं। भारत में, शिक्षा तक पहुँच सदैव समान नहीं रही है। जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, आर्थिक विषमताएँ, और भौगोलिक बाधाएँ ऐसी चुनौतियाँ हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को बढावा दिया है।

NEP 2020 का प्रमुख लक्ष्य शिक्षा में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देना है। यह नीति हर स्तर की शिक्षा – प्रारंभिक से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक – को सुलभ बनाने पर जोर देती है। इसके अन्तर्गत भौतिक अवसंरचना में सुधार के साथ-साथ उन मानसिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास भी है, जो समावेशिता में रुकावट डालती हैं। इसमें मातृभाषा में शिक्षा का महत्त्व, वंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान, और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए आवश्यक सहूलियतें शामिल हैं। इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा के प्रचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढावा देते हुए, यह नीति डिजिटल विभाजन को कम करने का प्रयास करती है।

हालांकि, समानता-आधारित और समावेशी शिक्षा के इस लक्ष्य को हासिल करने में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ, शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण, भाषाई विविधता, और डिजिटल संसाधनों की कमी कुछ महत्त्वपूर्ण बाधाएँ हैं। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि NEP 2020 के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

समावेशी शिक्षा के लक्ष्य

शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार करना नहीं है, यह समाज में समानता, समरसता और समावेशन को बढ़ावा देने का एक महत्त्वपूर्ण साधन भी है। समावेशी शिक्षा का

तात्पर्य एक ऐसे शैक्षिक ढांचे से है, जो सभी बच्चों को, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक या शारीरिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान अवसर उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समानता और समावेशन को प्रोत्साहित करना तथा समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाना है।

1. **सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना :** समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से निष्कासित न हो। इसका मिशन उन समूहों के लिए शैक्षिणक अवसरों का विस्तार करना है, जो पारंपरिक रूप से शिक्षा प्रणाली में भाग नहीं ले पाए हैं। इसमें विशेष रूप से अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछडा वर्ग, और अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता दी गई है। यह नीति इस बात को उजागर करती है कि सभी बच्चों को उचित गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें।

2. **लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना:** समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं के लिए विशेष और लक्षित प्रयास किए जा रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्तियों, साइकिल वितरण योजनाओं, और विभिन्न प्रोत्साहनों का सहारा लिया जा रहा है। ये प्रयास न केवल विद्यालय से बाहर होने की दर को घटाने में सहायक होंगे, बल्कि लैंगिक असमानता को समाप्त करने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

3. **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश:** समावेशी शिक्षा का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Needs & CWSN) को शिक्षा प्रणाली में समाहित करना है। इस प्रक्रिया में उन्हें सहायक उपकरण, विशेष शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षकों की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि इन बच्चों को विद्यालय में एक सहयोगात्मक और प्रोत्साहक वातावरण प्रदान किया जाए।

4. **डिजिटल समावेश और प्रौद्योगिकी का उपयोग:** डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य दूरस्थ इलाकों और वंचित समूहों में सीखने के अवसर प्रदान करना है। डिजिटल संसाधनों को सभी के लिए उपलब्ध कराकर, डिजिटल विभाजन को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा, ऑनलाइन मंचों को विभिन्न भाषाओं में समावेशी बनाया गया है।

5. **भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान :** समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मातृभाषा

और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का प्रावधान करना है। यह पहल बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करती है, जिससे बच्चों को अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को बनाए रखते हुए शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलता है।

6. **आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करना:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को छात्रवृत्ति, मुफ्त शिक्षा और अन्य आर्थिक सहायता प्रदान कर शिक्षा तक उनकी पहुँच सुनिश्चित की गई है। साथ ही, अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे वंचित समूहों के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान किया गया है।

7. **शिक्षकों और विद्यालयों की भूमिका सुदृढ़ करना:** शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षित करना और विद्यालयों को ऐसा माहौल प्रदान करना जहाँ हर बच्चा बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सके, यह भी इस नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है।

8. **समाज में समरसता और एकीकरण को बढ़ावा देना:** शिक्षा के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ और समरसता को बढ़ावा देना समावेशी शिक्षा का एक और महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।

समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान का वितरण करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जो समानता, न्याय और समावेशिता के सिद्धान्तों पर आधारित हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके कार्यान्वयन से भारत को एक समतावादी और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति हो रही है।

चुनौतियाँ

समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि, क्षमताओं और परिस्थितियों से परे समान अवसर प्रदान करना है। हालाँकि, इस उद्देश्य को हासिल करना विशेष रूप से भारत जैसे विविध और जटिल समाज में एक कठिन कार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP–2020) के अन्तर्गत समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन में कई बाधाएँ उपस्थित हैं। इन चुनौतियों को निम्नलिखित बिन्दुओं के रूप में समझा जा सकता है:

1. **सामाजिक और आर्थिक असमानता:** समावेशी शिक्षा की प्रमुख चुनौती सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ हैं। जातिगत भेदभाव, गरीबी और लैंगिक असमानता जैसे कारक शिक्षा के

अवसरों में विषमताएँ उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सीमित हो जाता है, जिसके कारण उन्हें अक्सर स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य होना पडता है। इसी प्रकार, ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को शिक्षा हासिल करने में कई बाधाओं का सामना करना पडता है, जैसे कि पारम्परिक सोच और सुरक्षा से जुडी चिंताएँ।

2. **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अपर्याप्त सुविधाएं:** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए समावेशी शिक्षा में एक महत्त्वपूर्ण चुनौती स्कूलों में उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। इसमें सहायक उपकरण, विशेष शिक्षण सामग्री, और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विकलांगता के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी भी इस क्षेत्र में गंभीर समस्याएँ उत्पन्न करती हैं।

3. **डिजिटल विभाजन (Digital Divide) :** आज के डिजिटल युग में, शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर स्थानांतरित हो गया है। हालाँकि, डिजिटल संसाधनों की असमान उपलब्धता के कारण बहुत से बच्चे इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी उपकरणों की कमी एक बडी बाधा बन गई है, जिसके फलस्वरूप वंचित वर्गों के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस डिजिटल विभाजन को समाप्त करना समावेशी शिक्षा के विकास में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

4. **भाषाई और सांस्कृतिक विविधता:** भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की अत्यधिक प्रचुरता से समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को समावेशी दृष्टिकोण से शामिल करना, खासकर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बन गया है। शिक्षकों का बहुभाषिकता में प्रशिक्षण न मिलने के कारण, ये प्रयास जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लगू नहीं हो पा रहे हैं।

5. **शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण:** समावेशी शिक्षा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शिक्षकों का उचित प्रशिक्षण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हालांकि, वर्तमान परिदृश्य में, एक बड़ी संख्या में शिक्षक समावेशी शिक्षण तरीकों में प्रशिक्षित नहीं हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ सिखाना आवश्यक है। यह चुनौती और भी अधिक गंभीर हो जाती है जब शिक्षकों के पास इस प्रकार के आवश्यक प्रशिक्षण की कमी होती है।

6. **स्कूल ड्रॉप आउट दर :** गरीबी, बाल श्रम और पारिवारिक दबाव के चलते बच्चों की स्कूल

छोड़ने की दर काफी अधिक है। खासकर, लड़कियाँ किशोरावस्था में शिक्षा को छोड़ देती हैं क्योंकि उनकी, घरेलू जिम्मेदारियाँ, या सामाजिक दबाव के कारण उन्हें स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। इससे समावेशी शिक्षा की उपलब्धि में बाधाएँ आती हैं।

7. **बुनियादी ढाँचे की कमी:** अपने द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में अदेशी बुनियादी ढाँचे, जैसे पर्याप्त कक्षाएं, शिक्षण सामग्री और सुविधाएं, भविष्य के लिए एक बलहीन ढंग से शिक्षा प्रदान करती हैं। उन बच्चों के लिए, जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, उपकरण प्रदान नहीं किया जाता है, जैसे रैंप, ह्वीलचेयर, या शिक्षा सामग्री जो आवश्यक है।

8. **नीति कार्यान्वयन में बाधाएँ:** इसके अतिरिक्त, एक किशोर के लिए ताकि उसे सही दिशा में मार्ग प्राप्त हो, जिसे अनुसरण करना हो, पर भविष्य के लिए मान्य रचनात्मक समर्थन प्राप्त करने के लिए विद्यालय और नेतृत्व के संगठन प्रमुख जिम्मदार नहीं हैं, तथा तब भी जब सेट या योजना सही तरीके से कार्यान्वित नहीं है।

9. **समाज में जागरूकता की कमी:** समावेशी शिक्षा को लेकर समाज में जागरूकता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। कई लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, लैंगिाक समानता और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों के लिए समान अवसरों के महत्त्व को नहीं समझते। जागरूकता अभियान और समाज में इस बारे में शिक्षा का प्रसार जरूरी है ताकि लोग समावेशी शिक्षा के महत्त्व को समझ सकें और इसे स्वीकार करें।

अंत में, यह सारी मुश्किलें होने के बाद भी, समावेशी शिक्षा एक सामाजिक सुधार या धक्कड़ नहीं होना चाहिए बल्कि इन सभी कारणों से, इसके लगभग सबसे महत्त्वपूर्ण होना चाहिए। इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए नीति, संसाधन और अध्यापक की भूमिका को और भी मजबूत बनाना चाहिए। इसके लिए हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए, जहाँ किसी की भी जरूरत से उसकी उम्र तक पूरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित अवसरों की एक बहुत बडी संख्या दी जाते है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० में समावेशी शिक्षा के लिए प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) में समावेशी शिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में अपनाया है और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह नीति हर बच्चे को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। NEP-2020 में समावेशी शिक्षा के लिए मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए समर्थन:** NEP-2020 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए समावेशी शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि ये बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनें। इसके लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, सहायक उपकरणों और तकनीकी सहायता की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, इनके लिए अनुकूल और सहयोगी वातावरण बनाने के लिए व्यापक योजनाएँ बनाई जाएंगी।

2. **लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण:** NEP-2020 में लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी गई है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्तियां, सुरक्षित स्कूल परिवेश और समावेशी पाठ्यक्रम जैसी पहलें प्रस्तावित की गई हैं। नीति यह सुनिश्चित करती है कि हर लड़की को शिक्षा का समान अधिकार और अवसर मिले।

3. **विशेष कार्यक्रम और योजनाएँ :** NEP-2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रस्ताव है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के बच्चों के लिए अलग योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि वे शिक्षा में पीछे न रहें। साथ ही, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी, जिससे हर बच्चे को समान अवसर मिल सके।

4. **डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा का समावेशन:** NEP-2020 में डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन शिक्षा के जरिए समावेशी शिक्षा को बढावा देने की बात कही गई है। दूर-दराज के क्षेत्रों के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए डिजिटल संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को डिजिटल तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और शिक्षा सामग्री विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके।

5. **मातृभाषा में शिक्षा:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी है, जो समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। इसके तहत बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है, ताकि वे बेहतर समझ सकें और आसानी से सीख सकें। नीति यह सुनिश्चित करती है कि भाषा कोई बाधा न बने और शैक्षिक अनुभव में विविधता और सम्मान बना रहे।

6. **विद्यालयों में समावेशी बुनियादी ढांचा:** समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए विद्यालयों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। NEP-2020 के अनुसार, सभी स्कूलों में विकलांगता के लिए अनुकूल सुविधाएँ जैसे रैंप, विशेष शौचालय, व्हीलचेयर, और अन्य सहायक उपकरण

उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सकें।

7. शिक्षकों का प्रशिक्षण : NEP-2020 में यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि सभी शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ और सहायक उपकरणों के उपयोग में दक्ष बनाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

8. **समाज में जागरूकता और भागीदारी :** NEP-2020 में यह भी कहा गया है कि समावेशी शिक्षा की दिशा में समाज में जागरूकता बढाई जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और स्थानीय समुदायों को इसमें सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी माता-पिता और समुदाय समावेशी शिक्षा के महत्त्व को समझें और उसे सफल बनाने में सहयोग करें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में समावेशी शिक्षा के लिए किए गए प्रावधानों का उद्देश्य सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति, शारीरिक स्थिति या भाषा कुछ भी हो। इस नीति के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को और अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इन प्रावधानों के सफल कार्यान्वयन से भारत एक समावेशी समाज की ओर बढ़ सकता है, जहाँ हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार समान अवसर मिलें।

समावेशी शिक्षा की ओर प्रयास

समावेशी शिक्षा, यानी हर बच्चे को उसकी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति से परे जाकर समान शिक्षा अवसर देना, एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की ओर कदम बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण प्रयास है। समावेशी शिक्षा की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा में समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करना है। इन प्रयासों को विभिन्न स्तरों पर और कई तरीकों से लागू किया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

1. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० का योगदान:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) ने समावेशी शिक्षा को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इस नीति में विशेष

आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, ताकि उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा में समाहित किया जा सके। विकलांगता वाले बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर और सहायक संसाधन सुनिश्चित किए गए हैं। इसके साथ ही, लैंगिक समानता, पिछड़े समुदायों और अन्य वंचित समूहों के बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया है।

2. **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूलों में सुविधाएं :** समावेशी शिक्षा के लिए स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। इसके तहत रैंप, व्हीलचेयर, विशेष शौचालय और अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि विकलांगता वाले बच्चे भी बिना किसी रुकावट के शिक्षा प्राप्त कर सकें। कई स्कूलों में विशेष कक्षाएं भी शुरू की गई हैं, जहां इन बच्चों को उनकी विशेष आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दिया जाता है।

3. **शिक्षकों का प्रशिक्षण और संवेदनशीलता:** समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके तहत कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे सभी शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिक्षक बच्चों की विविधता को समझें और प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को अनुकूलित करें।

4. **पारिवारिक और समुदाय आधारित प्रयास:** समावेशी शिक्षा के प्रयास केवल स्कूलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समुदाय और परिवार का भी इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान है। कई कार्यक्रमों के माध्यम से माता-पिता और समुदाय को शामिल किया जा रहा है, ताकि वे बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हों और समावेशी शिक्षा के महत्त्व को समझ सकें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि समावेशी शिक्षा का लाभ केवल बच्चों को नहीं, बल्कि उनके परिवारों को भी मिले।

5. **पाठ्यक्रम और सामग्री का अनुकूलन:** समावेशी शिक्षा की दिशा में पाठ्यक्रम को बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा रहा है। NEP-2020 में यह प्रावधान किया गया है कि पाठ्यक्रम को बच्चों की विविधता, उनके शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए। इसके साथ ही, पाठ्यक्र सामग्री को सरल और बच्चों की समझ के अनुसार बनाना भी एक महत्त्वपूर्ण कदम है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के

लिए अलग से शिक्षण सामग्री और सहायक उपकरणों का विकास किया जा रहा है।

6. **डिजिटल शिक्षा और तकनीकी सहयोग:** समावेशी शिक्षा की दिशा में डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी उपकरणों का उपयोग भी बढ़ाया जा रहा है। खासकर, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उन बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया जा रहा है, जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं या जिनके पास भौतिक रूप से स्कूल तक पहुंचने की सुविधा नहीं है। इसके अलावा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तकनीकी सहायता जैसे स्पीच-टू-टेक्स्ट, स्क्रीन रीडर, और अन्य सहायक तकनीक का विकास किया जा रहा है, ताकि वे भी शिक्षा का समान लाभ उठा सकें।

7. **स्कूलों में समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देना:** समावेशी शिक्षा को केवल शिक्षा नीति तक सीमित नहीं किया जा सकता; इसके लिए एक समावेशी संस्कृति को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। स्कूलों में बच्चों को सहिष्णुता, समानता और विविधता का सम्मान करने की शिक्षा दी जा रही है। बच्चों के बीच समावेशी वातावरण बनाने के लिए सामूहिक गतिविधियाँ, खेल और अन्य शिक्षाप्रद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे सभी बच्चे एक साथ मिलकर सीख सकें और उनका आत्म-सम्मान बढ़ सके।

8. **सरकारी और निजी क्षेत्र का सहयोग:** समावेशी शिक्षा के प्रयासों में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का सहयोग आवश्यक है। सरकारी स्कूलों में समावेशी शिक्षा के लिए संसाधनों का विकास किया जा रहा है, जबकि निजी क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने के लिए कई संस्थाएँ काम कर रही हैं। यह सहयोग न केवल सुविधाओं की आपूर्ति करता है, बल्कि समाज में समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है। समावेशी शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप समाज में बच्चों के लिए समान शिक्षा अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जो उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। हालाँकि इस दिशा में कई चुनौतियाँ हैं, फिर भी विभिन्न प्रयासों और नीतियों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इन प्रयासों के सफल कार्यान्वयन से भारत में एक ऐसा समाज बनेगा, जहां हर बच्चा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या शारीरिक स्थिति जैसी भी हो, शिक्षा के समान अवसरों का लाभ उठा सके।

समाधान और सिफारिशें

समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इसे व्यवहार में लाने के लिए कुछ ठोस समाधानों और सिफारिशों को अपनाया जा सकता है। इन प्रयासों का

मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में समानता, समावेशन और सभी बच्चों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसके लिए, शिक्षकों का प्रशिक्षण, उपयुक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण, और तकनीकी सहायता जैसे कदम महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, समाज और परिवारों को जागरूक करना और सरकार द्वारा संसाधनों का सही उपयोग करना भी आवश्यक है।

1. **नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में समावेशी शिक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। नीतियों को लागू करने के लिए शिक्षा विभागों के बीच समन्वय और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि प्रावधानों का सही तरीके से पालन हो सके और सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर मिल सके।

2. **शिक्षकों का प्रशिक्षण:** शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करने की विधियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए समावेशी शिक्षा के विशेष पाठ्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। शिक्षकों को संवेदनशीलता, सहनशीलता और विविधता के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वे हर बच्चे की आवश्यकताओं को समझ सकें और उसकी विशेषताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकें।

3. **स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास:** समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप, व्हीलचेयर, विशेष शौचालय और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों को सुसज्जित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके और वे बिना किसी रुकावट के शिक्षा प्राप्त कर सकें।

4. **डिजिटल तकनीक और संसाधनों का उपयोग :** डिजिटल तकनीक के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढावा दिया जा सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक तकनीक जैसे स्पीच-टू-टेक्स्ट, स्क्रीन रीडर और ब्रेल आधारित शिक्षण उपकरण को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही, ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित की जाए, ताकि डिजिटल विभाजन को कम किया जा सके और सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर मिल सकें।

5. **सामाजिक जागरूकता अभियान:** समावेशी शिक्षा के महत्त्व को लेकर समाज में जागरूकता

फैलाने के लिए अभियान चलाए जाएं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के अधिकार को लेकर परिवारों और समुदायों को जागरूक किया जाए। इसके साथ ही, लैंगिक समानता और बच्चों की शिक्षा के महत्त्व को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय संगठनों और सामाजिक समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि समाज में समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके।

6. **वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति:** वंचित वर्गों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता योजनाओं का विस्तार किया जाए। इसके लिए सरकार को विशेष फंड का प्रावधान करना चाहिए, ताकि बच्चों की शिक्षा पर आने वाले खर्च को कम किया जा सके और अधिक से अधिक बच्चे बिना किसी आर्थिक बाधा के शिक्षा प्राप्त कर सकें।

7. **मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान:** मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में सुझाव दिया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि उनकी सीखने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जा सके। इस तरीके से, बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति से जुडाव महसूस होगा, जिससे उनकी शिक्षा में रुचि और सफलता बढ़ेगी।

8. **शिक्षा में लचीलापन:** शिक्षा प्रणाली में लचीलापन लाने की आवश्यकता है, ताकि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक स्थितियों के बच्चों को शिक्षा में भागीदारी का अवसर मिले। कक्षाओं के समय, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में बच्चों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए जाएं, जिससे वे अपनी गति से सीख सकें और अपनी क्षमताओं के अनुसार उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। इस लचीले दृष्टिकोण से, समावेशी शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

9. **सामुदायिक भागीदारी:** समावेशी शिक्षा में समुदाय और स्थानीय संगठनों की भागीदारी बढ़ाई जाए। स्कूल प्रबंधन समितियों और स्थानीय निकायों को समावेशी शिक्षा के प्रयासों में शामिल किया जाए। इससे समाज में एक समावेशी मानसिकता विकसित होगी और बच्चों की शिक्षा में समाज का सक्रिय सहयोग मिलेगा। इस प्रकार, स्थानीय समुदायों का समर्थन बच्चों के शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने और समावेशी वातावरण बनाने में मदद करेगा।

10. **नियमित निगरानी और मूल्यांकन:** समावेशी शिक्षा के प्रयासों की नियमित रूप से निगरानी

और मूल्यांकन किया जाए। शिक्षा के परिणामों, बच्चों की भागीदारी, और विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा की जाए। इसके लिए सरकार और अन्म संस्थाओं को मिलकर एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समावेशी शिक्षा के प्रावधान सही तरीके से लागू हो रहे हैं और सभी बच्चों को समान अवसर मिल रहे हैं। समावेशी शिक्षा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए ठोस प्रयासों, सामुदायिक सहयोग, और सशक्त नीतियों की आवश्यकता है। शिक्षकों का प्रशिक्षण, स्कूलों का बुनियादी ढांचा, और समाज में जागरूकता फैलाकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन सिफारिशों के माध्यम से एक ऐसा समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाया जा सकता है, जहां हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और वह अपनी क्षमता के अनुसार अपने सपनों को साकार कर सके। यह न केवल बच्चों के व्यक्तिगत विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है, बल्कि पूरे समाज के समृद्ध और समावेशी विकास के लिए भी आवश्यक है।

निष्कर्ष

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को, उसकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक या शारीरिक स्थिति के बावजूद, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यह केवल एक शैक्षिक सिद्धांत नही, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है, जिसका पालन करके एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य बच्चों को एक ऐसा वातावरण देना है, जहाँ वे अपनी क्षमताओं के अनुसार सीख सकें और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस नीति में समावेशी शिक्षा को केंद्रीय भूमिका दी गई है और इसे लागू करने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN), सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, और लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षकों के प्रशिक्षण और डिजिटल तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। हालांकि, समावेशी शिक्षा के मार्ग में कई चुनौतियाँ भी हैं। सबसे बडी चुनौती नीति का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन है। वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव और स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता जैसे मुद्दे इन प्रयासों को सीमित कर सकते हैं। इसके अलावा, समाज में भेदभाव और पूर्वाग्रह भी समावेशी शिक्षा की सफलता में बाधा उत्पन्न करते

हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सही समाधान और सिफारिशें आवश्यक हैं। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें समावेशी शिक्षा के लिए तैयार करना, स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए अनुकूल ढांचा विकसित करना, और शिक्षा में डिजिटल तकनीक का अधिकतम उपयोग करना ऐसे उपाय हैं जो इन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा, समाज में जागरूकता फैलाने और समुदाय को समावेशी शिक्षा के प्रयासों में शामिल करने से भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित पक्षों – सरकार, स्कूल प्रशासन, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज – का एकजुट होकर कार्य करना आवश्यक है। यह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में समानता स्थापित करेगा, बल्कि समाज में सहिष्णुता, न्याय और विविधता को भी बढावा देगा।

अन्ततः, समावेशी शिक्षा एक ऐसा मॉडल है, जो बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देता है और समाज को एकजुट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, शिक्षा का अधिकार प्राप्त करे। समावेशी शिक्षा का सही मायने में क्रियान्वयन समाज को न केवल शैक्षिक रूप से समृद्ध बनाएगा, बल्कि इसे सामाजिक और नैतिक रूप से भी मजबूत करेगा।

इस प्रकार, समावेशी शिक्षा को बढावा देना केवल एक नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रयास है, जो आने वाले समय में हमारे समाज को अधिक न्यायपूर्ण और सशक्त बना सकता है।

संदर्भ

1. अलूर, एम., ऐण्ड बाच, एम. (2005). समावेशी शिक्षा–दृष्टिकोण और चुनौतियाँ :. सेज पब्लिकेशन।
2. कुमार, के. (2010). शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: कार्यान्वयन और चुनौतियाँ. ओरिएंट ब्लैकस्वान।
3. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD)। (2020).
5. यूनेस्को। (2015). सभी के लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट : 2015. पेरिस यूनेस्को पब्लिकेशन।
6. यूनिसेफ। (2017). समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए पहुंच और समानता सुनिश्चित करना :.
7. शर्मा, यू., ऐण्ड लोरेमैन, टी. (2014). समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा सर्वोत्तम प्रथाएँ । : इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्क्लूसिव एजुकेशन, 18(1), 1–16।
8. सिंगंल, एन. (2019). भारत में समावेशी शिक्षा में चुनौतियाँ और अवसर। इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, 25(4), 12–24।

9. एनसीईआरटी। (2022). समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल और गाइड.

10. वर्ल्ड बैंक। (2021). विकासशील देशों में समावेशी शिक्षा की बाधाएँ और समाधान.

11. पुनर्वास परिषद भारत। (2020). समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण.

12. अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। (2021). भारत में समावेशी शिक्षा को समझना.

13. गुप्ता, वि.प. (2021)। भारतीय शिक्षा में समावेशन: दृष्टिकोण और चुनौतियाँ। नई दिल्ली: ज्ञान पब्लिकेशन्स।

14. जैन, र. (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: समता और समावेशिता की दिशा में एक पहल। भारतीय शैक्षिक अनुसंधान पत्रिका, 25(3)।

15. Ainscow, M. (2005)। समावेशी शिक्षा प्रणाली का विकास: परिवर्तन के लिए प्रमुख कारक। जर्नल ऑफ एजुकेशनल चेंज, 6(2), 109-124।

16. सिंह, ए.के. (2021)। समावेशी शिक्षा: भारतीय संदर्भ। नई दिल्ली: सैज पब्लिकेशन्स।

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्तःअनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० का कार्यान्वयन

डॉ. सिद्धार्थ शुक्ल*

प्रस्तावना

किसी भी देश की प्रगति के साथ-साथ उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा को सबसे महत्त्वपूर्ण आधार माना गया है। देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय शिक्षा प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। आधुनिक समय की ज़रूरतों के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को मंज़ूरी दी गई। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के माध्यम से भारतीय शिक्षा परिदृश्य में बड़े बदलावों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1968 में कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। तत्पश्चात् वर्ष 1986 में देश की शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों के साथ शिक्षा की पहुँच को मज़बूत करने और शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं को दूर करने हेतु दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया, जिसके तहत देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एकल प्रवेश परीक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के योग्य बनाना है। इसके तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक ढांचा के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली (क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18

*शिक्षा संकाय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल; E-mail: dr.siddharth76@gmail.com

वर्ष की आयु के बच्चों के लिये) के आधार पर विभाजित किया गया है। इसके तहत कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अपनाने और आगे की शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री के विकास तथा 'भारतीय सांकेतिक भाषा' (Indian Sign Language& ISL) को पूरे देश में मानकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही इसके तहत कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। इसमें तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence - AI) आधारित साफ्टवेयर का प्रयोग करने की बात कही गई है। इस नीति के तहत शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers - NPSTs) का विकास और चार वर्ष के एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। साथ ही इसके तहत देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities - MERUs) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसका उददेश्य शिक्षा को उत्कृष्ट बनाना और भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना, भारत की प्राचीन समृद्ध ज्ञान परंपरा से शिक्षा को जोड़ना, मातृभाषा को महत्व देना, विद्यार्थी को आधुनिक तकनीक से जोडना, शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों का कौशल संवर्धन करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उददेश्य छात्रों को 'ग्लोबल सिटीजन' बनाना भी है। शिक्षा को ज्ञानमूलक के साथ रोजगारपरक बनाना तथा विद्यार्थियों को जिम्मेदार और मानवीयता से परिपूर्ण नागरिक बनाना भी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है अत: इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकारों का आपस में समन्वय अति आवश्यक है। क्रियान्वयन की व्यापकता महत्वपूर्ण है तथा यह नीति एक व्यापक दृष्टिकोण एवं समग्रता रखती है जिसके अवयव आपस में अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। वर्ष 2025 तक प्री-प्राइमरी विद्यालयों से माध्यमिक स्तर तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करना है। वर्ष 2030 तक शिक्षण

के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री आवश्यक होगी। विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को वर्ष 2025 तक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य-योजना विकसित किया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन का उल्लेख है जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुविषयक संस्थान जो अध्ययनरत विद्यार्थियों को 1 वर्ष में सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा, 3 वर्ष में डिग्री तथा 4 वर्ष पूर्ण करने पर मास्टर डिग्री प्रदान करेंगे। एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन तथा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में अथवा उसके समीप कम से कम एक बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित होगा। वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत करना होगा। वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य के प्रति समर्पित है। समृद्ध और उन्नत भारतीय ज्ञान परंपरा की सूक्ष्म समझ, गांधीजी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दृष्टिकोण से प्रेरित एवं आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षा से लैस यह शिक्षा नीति विविध शिक्षण-अधिगम सिद्धांतों का सामंजस्यपूर्ण समावेशन है। जीवनोपयोगी सैद्धांतिक ज्ञान को अपनाते हुए सामाजिक मूल्यों के साथ बहुभाषावाद को प्रतिष्ठापित करती है। नई शिक्षा नीति 1968 और 1986 का लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में समता और समानता को बढ़ावा देना था। शिक्षा नीति 1968 में जहाँ शैक्षिक ढांचे में सुधार पर जोर था; वहीं, 1986 की शिक्षा नीति में शैक्षिक असमानताओं का उन्मूलन चिंता के केंद्र में था। इसके विपरीत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक साधनों और नवोन्मेष के माध्यम से समानता और समावेशन को बढ़ावा देती है। यह सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के लिए एक समान, संतुलित एवं संवेदनशील नियमन की प्रस्तावना करने के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में लाभरहित निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहन देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के परिणामस्वरूप समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे- अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट (ABC), जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान (HEIs) छात्रों द्वारा प्राप्त क्रेडिट्स को डिजिटल रूप में जमा कर रहे हैं। छात्र त्रिवर्षीय ऑनर्स प्रोग्राम या चतुर्वर्षीय ऑनर्स प्रोग्राम, अनुसन्धान के साथ चतुर्वर्षीय ऑनर्स प्रोग्राम का चयन कर रहे हैं। इसके साथ ही, वे प्रोग्राम के किसी भी वर्ष में प्रवेश ले या छोड़ सकते हैं। उन्हें अध्ययन अवधि के अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। अब उनका समय, श्रम और संसाधन निष्फल नहीं जाएगा। उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश और निकास प्रणाली के साथ-साथ बहुविषयक

पठन-पाठन भी अकादमिक बैंक आफ़ क्रेडिट (ABC) के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

भारत सरकार शिक्षा के माध्यम के साथ-साथ भारतीय भाषा, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे संभव कर रही है। इसके अंतर्गत कई उच्च शिक्षण संस्थान क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ स्थानीय भाषा को शिक्षण का माध्यम बना रहे हैं। सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता, विशेष ऋण, छात्रवृत्तियाँ और पुरस्कार आदि सुनिश्चित किये गए हैं। शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूचना-तकनीक यंत्रों और माध्यमों से शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, समावेशी और सरल बनाया जा रहा है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में प्रत्येक कक्षाकक्ष वह सुन्दर उपवन है, जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रोशनी में क्षमता, प्रतिभा, आकांक्षा और संभावना के बहुरंगी फूल खिल रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना के साथ-साथ सर्वजनीनता और सार्वभौमिकता को साकार करने की दिशा में निर्णायक पहल कर रहा है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप पाठ्यक्रमों में आधारभूत परिवर्तन और विषयों के चयन में लचीलापन, बहुविषयकता, गुणवत्तापूर्ण शोध और नवाचार, महाविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षक प्रशिक्षण आदि को अपनाया है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अनेक राज्य विश्वविद्यालयों ने अपने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को सीबीसीएस और एल.ओ.सी. एफ फ्रेमवर्क के अंतर्गत परिवर्तित करते हुए अधुनातन कर लिया है। यह प्रणाली छात्रों को अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम चुनने और बुनने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। पाठ्यक्रमों के अलावा शिक्षण प्रविधियों और पद्धतियों में भी निर्णायक बदलाव हुए हैं। इसका उद्देश्य समग्र शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह बदलाव छात्रों के कैरियर लक्ष्यों के अनुसार कौशल विकास और संस्कार निर्माण में सहयोगी सिद्ध होगा। विश्वविद्यालयों में इन्नोवेशन सेंटर, इन्क्यूबेशन सेंटर, स्टार्ट-अप फंड, उद्यमोदय फाउंडेशन, विश्वविद्यालय फाउंडेशन और रिसर्च पार्क आदि की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं-

1. चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम: इस सिस्टम में किसी भी संकाय में प्रवेशित विद्यार्थी को अपने संकाय से एक मुख्य विषय (मेजर), एक गौण विषय (माईनर), एक वैकल्पिक विषय (ओपन इलैक्टिव) के साथ एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) का

चयन करने की स्वतंत्रता होगी।

2. बहुविषयक शिक्षा: इसमें विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन की स्वतंत्रता होगी।
3. बहुआगमन एवं निर्गमन: इसके अनुसार किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि विद्यार्थी की पढाई बीच में रह जाए तो अध्ययन अंतराल के बाद जब वह पुन: अपनी पढ़ाई जारी करेगा, तो पूर्व पढाई का लाभ उसे मिल जायेगा।
4. परिणाम आधारित शिक्षा एवं पाठ्यक्रम: इसके माध्यम से विषय के प्रति विद्यार्थी की अवधारणात्मक सोच बढ़ाने वाले पाठ्यक्रम से परिणाम आधारित शिक्षा को बल मिल सकेगा और विद्यार्थी को इस परिणाम आधारित शिक्षा से अपनी मौलिक सोच और रचनात्मकता को प्रकट करने का अवसर मिल सकेगा।
5. समावेशी शिक्षा: भारत की समृद्ध और अक्षुण्ण ज्ञान परंपरा को प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।
6. व्यावसायिक शिक्षा का समावेश: इसमें रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम का अंग बनाया गया है।
7. योग्यता संवर्धन: इस नीति में विद्यार्थी की योग्यता का संवर्धन भी होगा। यानि भाषा के साथ-साथ पर्यावरण अध्ययन, स्टार्टअप्स के साथ संगीत, शिल्प, खेल, योग, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण जैसे कोर्सेस को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
8. अकादमिक लचीलापन: इसमें विद्यार्थी अपने मूल संकाय के अतिरिक्त किसी अन्य संकाय से भी विषय का चयन कर सकता है।
9. ऑनलाइन सुविधा: इसमें विद्यार्थियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधन से पूर्ण करने का विकल्प रहेगा।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षक राष्ट्र के भावी कर्णधारों में श्रेष्ठ मूल्य, संवेदनशीलता का निर्माण करने के भाव, मानसिकता और दृष्टिकोण के साथ कार्य करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हो पाएगी। पिछले चार वर्षों में देश के उच्च शिक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इन बदलावों ने उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक छात्र-केंद्रित, शोध-केंद्रित एवं नवाचारी बना दिया है। साथ ही, कई विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय शैक्षिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धी बना दिया है। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की सबसे बड़ी बाधा आर्थिक

संसाधनों और ढाँचागत सुविधाओं का अभाव है जो कि सरकार को शिक्षा में निवेश बढ़ाना चाहिए। अत: इस प्रकार यदि सारांश में कहा जाय कि प्राचीन शिक्षा के आधार तत्वों को अपनी आज की शिक्षा पद्धति में समुचित स्थान देकर राष्ट्र के लिए चरित्रवान, गुणवान तथा तेजस्वी शिष्यों को निर्माण या तैयार करें, तभी भारत को पुन: विश्वगुरु बना सकते हैं।

संदर्भ:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020). नई शिक्षा नीति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, 'नई शिक्षा, नई उड़ान', मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
- तडागी, सावित्री (2020),''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: बहु-विषयक दृष्टिकोण और उसकी प्रासंगिकता, अंतर्राष्ट्रीय जार्नलस अफ सांइटिफिक एण्ड इनोवेशन रिसर्च स्टडी, अंक 12 दिसम्बर,
- कुमार, तरुण (2023), नई शिक्षा नीति-2020: बहु-विषयक शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स ऑफ रिसर्च एण्ड एनॉलिटिकल रिब्यू, वैल्यूम 10, जनवरी नं. 1

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्तःअनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

AI-Powered Education : NEP 2020 Strengthening Indian Multidisciplinary Education Initiatives

Dr. Aparna Mishra*

Dr. Pavitra Bajpai**

ABSTRACT

A computing approach that mimics human intelligence in order to solve a particular problem is referred to as 'Artificial Intelligence' (AI). It is informatics combined with psychology and philosophy. Artificial intelligence (AI) encompasses a broad range of technologies that vary in complexity, adaptability, and appropriateness for specific problems. AI has been widely used in allareas of research and innovation. Furthermore, by compelling educators to usetechnology for digital learning and instruction, the pandemic has drastically altered the landscape. According to 86% of educators today, technology should be a basic part of education. The National Education Policy2020 aims to enhance AI-based learning in multidisciplinary education, modernizing India's curriculum, and preparing students for the AIeconomy.The policy emphasizes the need to impart technological skills at all levels of education, focusing on the importance of AI in education and psychology.

Key Words: NEP 2020, Artificial Intelligence, Multidisciplinary Education, AI initiatives, psychology, benefits.

INTRODUCTION

A developing technology called artificial intelligence appears to be promising and might us her in a new era of technology. There is great potential for integrating information and communication technology (ICT) into education under the National Education Policy

*Assistant Professor, Department of Humanities and SocialSciences, Shri Ramswaroop Memorial University, Deva Road, Barabanki (U.P) admirableaparna@gmail.com

**Assistant Professor, Department of Humanities and SocialSciences, Shri Ramswaroop Memorial University, Deva Road, Barabanki (U.P) pavitradikshit@gmail.com

(NEP) -2020. It has brought attention to the core problems with the digital divide and attempted to address solutions. In addition, it has elevated the idea of artificial intelligence and promoted its use in contemporary society. This article's goal is to go into detail about how artificial intelligence has been incorporated into human civilization and offer suggestions in light of NEP-2020.

The NEP gives technology-based learning a lot of attention because of its benefits and variety of uses, which have the possibility of drastically changing the nation's educational system. Even while still enrolled in school, students now have additional options for becoming employable. Technology developments like artificial intelligence, according to the policy, would drastically alter the way that students learn in the classroom. The New Education Policy, 2020 has as one of its main objectives providing Indian children with a comprehensive education with a concentrate on honing their abilities in cutting-edge fields like artificial intelligence.

Artificial Intelligence in National Education Policy 2020:

The updated curriculum emphasizes core ideas, skills, and outcomes in disciplines that aid in problemsolving anddecision making,such as datascienceandartificial intelligence. Toeducate students for the AI-driven economy, NEP has worked to align the present curriculum with the significance of AI. The new method begins teaching students critical thinking and computational skills from a very young age, including digital literacy, coding, and other skills. Today's children will surely benefit from a new "technology-oriented" educational method that also creates employment opportunities.

It is currently expected that AI would support instructors by providing them with the time and flexibility to be ready in accordance with the needs, administrative activity efficiency, customization, and simplification. The aim of artificial intelligence is to work with people and robotsto help students by combining the best features of each. It has been suggested that all institutions with AICTE approval create B.Tech. degrees in AI and Data Science and offer AI as an optional in order to boost the number of human resources in the sectors. Because of theirActs and Statutes, which allow them to create their own curriculum and work with other institutions and businesses on research and academic initiatives, IITs also currently offer similar courses.

In view of the NEP's present emphasis on developing disruptive technologies and 21st century capabilities, it may be expected that the country will set out on a transformative

path through technical education and research. However, teaching students about the ethical and moral issues surrounding AI is equally crucial.

Artificial intelligence might enhance every aspect of schooling:

·AI might provide students with more access to tutoring and other educational materials, quick feedback on their work and answers to their questions, and a ustomized learning experience tailored to their individual preferences and needs. It can help educators reduce tiredness, create better intrusions, and automate part of the strain of their jobs. AI can monitor student behaviors and provide preemptive solutions for administrators by utilizing predictive data.Though there are many benefits to implementing AI in education, there are also some operational, technological, and societal challenges that limitits use in this field.

The educational environment is always evolving to accommodate students' requirements through customized learning pathways. Artificial intelligence (AI)-powered processes examine student data and behavioral trends to identify unique learning preferences. The future of education in India and the readiness of its workforce will be largely shaped by digitalization and upskilling programs, as is evident when one considers the actions taken in 2023. The transformational force of technology, in addition to the vibrancy of technological platforms or educational technology, is set to reshape the educational landscape and enable people to thrive in the future's evolving, technologically driven labor market. Therefore, the integration of artificial intelligence and digitization in the field of educational technology has been crucial in promoting high-quality education through out India and in the development of affordable and user-friendly solutions, which have raised educational standards in a variety of linguistic fields.

Features of NEP-2020 That Are Centered on Artificial Intelligence:

- AllianceforTechnologyinNational Education Policy
- AIEducation inSchoolCurriculum
- Teaching-Learning-relatedSoftware
- DigitalClassrooms
- NationalTeachers'Portal

Government of India and its initiatives for Artificial Intelligence (AI)

A number of efforts have been launched by the Indian government to promote artificial intelligence through out the nation. Now a days, Among the exciting new technologies

that appear to improve, assist, and fortify the many faces of human existence is artificial intelligence. Given the needs of a changing world, artificial intelligence (AI) and its implementation have a lot of promise to improve education. However, making AI accessible to everyone is a major challenge. The programs aim to benefit the whole country and address societal problems, such as health care, education, agriculture, smart cities, and infrastructure, including smart mobility and transportation. Additionally, it has a significant influence on advancing technology by generating new information and finding applications for societal benefit.

NITI Aayog aims to leverage AI in five key sectors to address societal needs: health care, agriculture, education, smart cities and infrastructure, and transportation. The Government of India's significant projects for AI include:

- Health care U.S. -India Artificial Intelligence (USIAI) Initiative
- YUVAi- Youth for Unnatiand Vikas with AI
- INDIAai–(TheNational AI Portalof India)
- The Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council (PM-STIAC)
- The Artificial Intelligence (AI) mission of the PM-STIAC

Artificial Intelligence for Creating Intelligent Environment for Teaching and Learning:

Building an intelligent learning and teaching environment in the classroom may benieft greatly from the use of artificial intelligence. An intelligent classroom environment consists of helpful technological tools that improve the child's learning experience. Artificial intelligence can be used responsibly to support learning and comprehension of concepts in a classroom (Winer & Cooperstock, 2002). Artificial intelligence (AI) is promising for teaching, providing learning materials,e-contents, and OERs. It offers instructors opportunities to eliminate repetitive tasks and respond timely to students, enhancing the adaptive teaching process. Recent trends include emotion detection in game-based learning and teacher response tools using Natural Language Processing (NLP).

Future of Artificial Intelligence in Education:

Artificial intelligence holds great potential to improve the overall education system. However, it also presents challenges for stakeholders, including concerns about privacy, lack of awareness about AI, the need for teacher training and upskilling, and ensuring

adequate support for administrators in managing and maintaining intelligent classrooms. Artificial intelligence in education has immense potential, but further research and updates are needed to make its use more practical and beneficial for teachers and society. While AI promises to transform education and daily life with emerging technologies, its app lication must be thoughtful and judicious to ensure positive impacts on human civilization. Effective AI usage depends on its integration into both online learning and physical classroom contexts. Scholars, particularly in computer science, are encouraged to explore and refine AI applications to enhance teaching and learning experiences. While AI offers significant potential to enhance education, it raises social and ethical concerns, particularly regarding the teacher's role, social interaction, and emotional well-being. Teachers playanirreplaceableroleinimpartingethicalandmoralvaluestostudents;adimensionAIcannot replicate. Questions about theteacher's identity and rolein AI-integrated classrooms also need to be addressed. Despite these challenges, AI can serve as a powerful tool to support and enhance the teaching-learning process when used along side other technologies, provided stake holders address these concerns responsibly.

Artificial Intelligence and Psychology:

While the use of AI in psychology remains a relatively new field, the ubiquity of smart phone technology means that many of us have hardware within easy reach to run the increasing number of AI-inspired psychology apps e.g. woebot, biobase, youper, replica, and tess. AI can be a positive tool for psychologists, as it can shorten the times needed for research, assessment, personalized treatments, or predictive modeling. In the following paragraphs, we have compiled a list of examples where AI can be seen as a positive tool:

- Psychological Evaluations. AI can be used to develop automated psychological evaluations that can be administered online, thus making things easier and more time-efficient for psychologists to assess their clients (Malins et al., 2022). These evaluations can also be more precise and trustworthy than traditional paper and pencil tests.
- Tailored Treatment Recommendations. AI algorithms can analyze a patient's data, including their symptoms and treatment history, to provide tailored treatment recommendations (Bohr & Memarzadeh,2020). This can help psychologists develop more efficient treatment plans for their clients.
- VR Therapy. AI can be also used to create virtual reality settings for therapy sessions, thus allowing patients to overcome their fears, their social or generalized anxiety, in a

controlled and safe medium (Riva et al., 2019).

- EarlyRecognition of Mental Health Disorders. AI can analyze big data to identify patterns and risk factors linked to mental health disorders (Balcombe & De Leo, 2022). This can help psychologists to discover disorders earlier, leading to better results for patients.
- Predictive Modeling. AI can be used to develop predictive models that can identify persons who could be at risk of developing mental health disorders (Nemesure et al., 2021). This gives psychologists the possibility of early interventions and thus prevent the beginning of disorders.
- Natural Language Processing. AI can analyze written and spoken language to identify patterns and detect emotions (Diwan,2023). This can be of particular use in psychotherapy settings, where psychologists can use such information to better understand their clients.
- FeelingsAnalysis. AI can analyze social media posts and other online content to identify changes in a patient's mood or mental health status (Kumar,Prabha&Samuel,2022).This can give psychologists the possibility to oversee their patients from the distance and interfere, if necessary.
- Drug Development. AI has the potential to examine extensive data sets in drug development (Patel & Shah, 2022), aiding in the identification of promising targets for mental health disorders. Consequently, this could result in the creation of enhanced and innovative therapies.
- Chatbots. Chatbots using AI have the capacity to deliver mental health assistance to individuals, especially in regions where psychologist availability is limited. These chatbots can offer immediate support to patients during critical situations as well (Pham,Nabizadeh & Selek, 2022; Noble et al., 2022).
- Brain Imaging Examination. AI can be used in the analysis of brain imaging data, such as fMRI scans, to identify patterns and correlations associated with mental health disorders (Liet al., 2022). This can help psychologists to better understand the fundamental causes of these disorders and develop more useful treatments.
- AI models for helping in depression, anxiety or preventing suicide have been built to foreseen suicide risky behaviors in certain individuals, thus permitting tailored interventions that can prevent such situations. Such models use machine learning algorithms to analyze information and data from different sources, including health

records, social media activity and mobile devices usage (Barua et al., 2022).

- Psychotherapysupported by AI has also been effective in the treatment of depression by giving tailored and adaptive interventions based on the patient's symptoms and needs (Sedlakova & Trachsel, 2022).
- Cognitiveevaluation tools based on AI have been designed to give more accurate and efficient evaluations of cognitive functioning, which can help in the diagnosis and treatment of various mental health disorders, such as Alzheimer's disease and attention- deficit/ hyperactivity disorder (ADHD). These tools use machine learning algorithms to analyzedatafromdifferentsources, such as cognitivetests and brain imaging (Grahamet al., 2020).
- Technology able to recognize emotions assisted by AI, has been designed and developed to improve the precision and consistency of emotion detection in many contexts, such as mental health evaluation and social interaction analysis. This technology uses machine learning algorithms to study facial expressions, voice tone, and other physiological indicators, to identify different emotions (Huang et al., 2023).

Cognitive behavioral therapy (CBT) assisted by AI has also proved useful intreating post- traumatic stress disorder (PTSD). The therapy uses natural language processing algorithms that can analyze the patient's speech and provide feedback and assistance in real-time (Olaniyan et al., 2023; Peretz et al., 2023).

Conclusion:

The potential for artificial intelligence to build a better, quicker, and more engaged society has been enormous. Various researchers have demonstrated how AI can maximize human potential for improved results. Regarding that, NEP-2020 has made a major effort to revitalize the current educational system and introduced the idea that education can be changed and that a paradigm shift can be implemented to address the difficulties of education in the current technological era, which can generate the next generation of bright minds capable of competing more effectively and advanced with the challenges and scopes of modern technology. AI appears to be helpful in enhancing teaching and learning and all of its components, but there are also some real-world issues with its wide spread application. In conclusion, while AI brings significant advancements to education, its potential consequences must be carefully managed to ensure it supports rather than disrupts the teaching-learning process. Addressing social, ethical, and practical challenges is crucial for

the effective and responsible integration of AI into education.

References:

- BALCOMBE, L., DE LEO, D., Human-computer interaction in digital mental health, In Informatics, 2022, 22, 9, MDPI, p. 14, https://doi.org/10.3390/informatics9010014
- BARUA,PD.,VICNESH,J.,LIH,OS.,PALMER,EE.,YAMAKAWA,T., KOBAYASHI,M.,ACHARYA,UR.,Artificialintelligence assisted toolsfor thedetection of anxiety and depression leading to suicidal ideation in adolescents: a review, Cognitive Neurodynamics, 2022, p. 1–22
- BOHR, A., MEMARZADEH, K., The rise of artificial intelligence in healthcare applications, In Artificial Intelligence in healthcare, Academic Press, 2020, p. 25–60. https://doi.org/10.1016/ B978-0-12-818438-7.00002-2
- DIWAN,SA.,ImplementationPatterns of NaturalLanguageProcessingUsingPre-Trained Deep Learning Models, International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 2023, 11, 1, p. 33–8.
- AHAM,SA.,LEE,EE.,JESTE,DV.,VANPATTEN,R.,TWAMLEY,EW., NEBEKER,C.,YAMADA,Y.,KIM,HC.,DEPP,CA.,Artificial intelligence approaches to predicting and detecting cognitive decline in older adults: A conceptual review, Psychiatry research, 2020, 284:112732
- Holmes,W.,Bialik,M.,&Fadel,C.(2020).ArtificialIntelligenceinEducation HUANG,CW.,WU,BC.,NGUYEN,PA.,WANG,HH.,KAO,CC.,LEE,PC., RAHMANTI,AR.,HSU,JC.,YANG,HC.,LI,YC.,Emotionrecognitionindoctor-patient interactions from real1world clinical video database: Initial development of artificial empathy, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2023, 233:107480
- KUMAR, S., PRABHA, R., SAMUEL, S., Sentiment Analysis and Emotion Detection with Healthcare Perspective, In Augmented Intelligence in Healthcare: A Pragmatic and Integrated Analysis, Springer Nature Singapore, 2022, p. 189–204.
- LI,R.,WANG,X.,LAWLER,K.,GARG,S.,BAI,Q.,ALTY,J.,Applicationsofartificial intelligence to aid detection of dementia: a scoping review on current capabilities and future directions, Journal of biomedical informatics, 2022, 104030.
- MALINS, S., FIGUEREDO, G., JILANI, T., LONG, Y., ANDREWS, J., RAWSTHORNE,M.,MANOLESCU,C.,CLOS,J.,HIGTON,F.,WALDRAM,D., HUNT, D., Developing an Automated Assessment of In-session Patient Activation for Psychological Therapy: Codevelopment Approach, JMIR Medical Informatics, 2022, 10, 11: e38168.
- MHRD(2020).NationalEducationPolicy2020.RetrievedApril,2023,from https://

www.mhrd.gov.in/·
NEMESURE,MD.,HEINZ,MV.,HUANG,R.,JACOBSON,NC.,Predictivemodeling
of depression and anxiety using electronic health records and a novel machine learning approach with artificial intelligence, Scientific reports, 2021, 11, 1, p. 1–9.

· OLANIYAN,OT.,ADETUNJI,CO.,DARE,A.,ADEYOMOYE,O.,ADENIYI,MJ.,
ENOCH, A., Cognitive therapy for brain diseases using artificial intelligence models, In Artificial Intelligence for Neurological Disorders, Academic Press, 2023, p. 185–207.

· PATEL, V. & SHAH, M., Artificial intelligence and machine learning in drug discovery and development. Intelligent Medicine, 2022, 2, 3, p. 134–140

· PHAM,KT.,NABIZADEH,A.,SELEK,S.,Artificialintelligenceandchatbotsinpsychiatry, Psychiatric Quarterly, 2022, 93, 1, p. 249–253.

· RIVA,G.,WIEDERHOLD,BK.,DILERNIA,D.,CHIRICO,A.,RIVA,EF., MANTOVANI, F., CIPRESSO, P., GAGGIOLI, A., Virtual reality meets artificial intelligence: the emergence of advanced digital therapeutics and digital biomarkers, Annual Review of CyberTherapy and Telemedicine, 2019, 17, p. 3–11

· SEDLAKOVA,J.,&TRACHSEL,M.,Conversational artificial intelligence in psychotherapy : a new therapeutic tool or agent?, TheAmerican Journal of Bioethics, 2022, p. 1–0

· https://indiaai.gov.in/

· https://innovateindia.mygov.in/yuvai/

· https://usiai.iusstf.org/

· https://www.nvidia.com/en-in

A Study of Examination Reforms in NEP 2020 and Assessment in India

Shipra Singh*

Abstract:

The examination ad assessment reforms in India aim to make education system more comprehensive, equitable and student friendly. Examinations play a very important role in deciding the quality of education. Examinations determine students' academic future. With a particular reference to the historical perspective of examination reforms in India, the goals of the study are an overview of examination reforms and reforms in written examinations. This paper has discussed about the growth of new educational policies and their implementations across nation. It also discusses how New Education Policy is a solution to the problems that student face while writing exams. The NEP is based on the idea that education should focus not only on cognitive abilities but also on foundational capacities like knowledge and proficiency as well as higher order intellectual abilities like critical thinking and problem solving as well as social, ethical and emotional temperaments.Finally, the paper has discussed, the requirement of planning and designing the new progress card in a new fashion while has to be recorded and reflected in 360 degree multi dimension report.

Key words: Examination, Assessment, Evaluation

Examination is a prime component of education. Future of students depends on their examination results. The term 'examination' is decided from the Latin word 'examine', which means 'tongue of parity'.

It is an instrument used to qualify a learning or aptitude of an exceptional general

*Research scholar, Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya

limit in an efficient way completed under the expert of an open body or by the educators themselves. Chinese were the first to truly have an across the nation sectioned test called the supreme examination.

Need and Significance of Evaluation:

- The evaluation process is extremely valuable to increasing the efficiency of instrumentation and overall improvement of learning. It is a significant tool which when used correctly can be used to-
- Evaluate the scholastic achievement of students.
- Measure the non-scholastic areas of development of students.
- In diagnosis of issues related to the teaching-learning process.
- Acts as a motivational tool and as an incentive for both, the teachers and students.
- Acts in prognosis of what a curricular component will be able to achieve.
- Assist in grouping and differentiated learning strategies according to the needs of the students.
- Measure the fitness for admission of a student to a program of study.
- Assist in selection of students through competitive examination.

Role of Evaluation:

Teaching : In teaching evaluation is used to assess the effectiveness of teaching, teaching strategies, methods and techniques, it provides feedback is the teachers about their teaching and learners about their learning.

Curriculum : The improvement in courses or curricular, text and teaching materials in brought about with the help of evaluation.

Society : Evaluation provides accountability to society in terms of the demands and the requirement of the employment market.

Parents : Evaluation also provides a mechanism for regular reporting to parents regarding the program of their child.

In the Vedic period, students were subjected to oral reaction and informal observation in the Buddhist period entrance examinations were held to get admission to

universities; in Muslim period Maktab and Madarsas were setup and the nature of assessment was oral examination with no external agency.

Pre-Independence-Era:

- Three universities – Calcutta, Madras and Bombay- were founded, Examination issues have been treated as criticism. It is beyond question that teaching is subordinate to examination and not examination to teaching, which is the greatest evil from which the system of Indian university education suffers, according to the Hunter Commission (1882).(*India, Report of the Indian Education Commission, 1882*)
- The annual examination mechanism was the only part of the entire education system. In all of education, there was no system of formative and ongoing evaluation.
- Some questions in a question paper came from outside the syllabus or context.
- The question paper fully comprised of essay-type questions.
- The drawback of the examination system, there was no option to consider an evaluation of the higher-order thinking skills, i.e., analyzing, evaluating, and creating.

Before 1921-22, all the administrative responsibilities of Indian education were controlled by British Ministers, and before 1935, there was no provincial autonomy system. In this context, the control over educational levels is a sign of provincial autonomy. Even though it was observed that the university administrated the matriculation examination, not the boards. These educational reforms resulted in the establishment of Boards of secondary education in the states.

The Hartog Committee report (1929) stated that academic prejudice existed at the school level. There was no opportunity to prepare for Industrial, Commercial, professional and university-level examinations. The central advisory board of education, known as the Sargent Report (1944), emphasized that there was a big gap between secondary and university curricula as well as the standard of examinations between them. That's why only 10-15 students per hundred can obtain a university education. The reason behind that is the learning burden, huge curriculum, examination panic and teacher-centric education (one master-one boss) that are purely autoerotic environments and common characteristics of the Indian education system. (*The Central Advisory Board of Education, 1944*)

Post-Independence-Era:

After independence, the first Education Commission established in 1948, known as the University Education Commission popularly known as the Radhakrishnan Commission, criticized the whole system of education at the university level and recommended reform as early as possible. The United provinces also known as the Uttar Pradesh Government, also appointed a separate committee in 1948 to treat primary and secondary education separately (Deva, 1953). The secondary education committee was established by the Central Provinces and British India governments in the same year. Both committees addressed the examination issue and initiated immediate reform (Berar, 1948).

In 1953, Uttar Pradesh had a secondary education committee. This committee strongly suggests that teachers' evaluations replace external tests, with formative assessments according for the majority of a student's final grade. The following recommendation for examination reforms was made by the secondary education commission, also known as the **Mudaliar Commission** (1952-53). (*India Report of the Secondary Education Commission, 1954*)

1. The number of external examinations conducted by the faculties and the number of essay-type questions in a question paper should be reduced and minimized.
2. Regarding students' future academic lives, the schools should be recorded in a separate academic record book for future reference.
3. The concept of credit marks was introduced at that time, and these credit marks should be calculated free from bias and given to them (students) during internal and final examinations.
4. There should be only one public examination.

In 1957, all the Indian educationists were advising and implementing the final rectificationof the Indian examination for the Ministry of Education, Government of India. The Government of India and the Ministry of Education appointed and invited Dr. Benjamin S. Bloom to take the initiative regarding the burning issues of examination in India. He visited 300 schools, several universities and scholars in Education as well as conducted several workshops. After that, he shared his experiences with the Ministry of Education for improvement and has taken the necessary actions to reform the examination system in

1961. The National Council of Education Research and Training (NCERT) and the Central Examination Unit (CEU) became part of secondary education and took on the necessary responsibilities to improve primary education.

In 1964, the government of India established the **Kothari Commission**. The following recommendations regarding reforming the examination system were as follows. (*India, Report of the education commission* (1964-66) – *Education and National Development, 1966*)

1. The external written examinations follow diverse techniques for measuring all aspects of students' growth.
2. Lower primary examinations should be treated for the achievement of basic skills, constructive habits and attitudes.
3. At the end of primary education, the school gives the certificate along with a cumulative record card. Special tests may be held at the end of primary education for the award of scholarships and certificates to identify students' talent and merit.
4. The technical faculties have made improvements to the external examinations and objective-style question papers should be prepared to assess students' proficiencies, aptitude, altitudes and general development.
5. The cumulative record card should be provided to the students along with their records of internal assessment.
6. During that period, the higher secondary students have to appear for two successive external examinations, i.e. at the end of classes ten and twelve. Here, the courses of classes nine and twelve are integrated.

In the National Education Policy-1986, examination system and evaluation process was uplifted. At the end of the eighth part of the National Education Policy-1986, reforms in the existing examination system and evaluation process, internal evaluation was given more importance than the external evaluation, examinations were made reliable and valid. The construction of Test papers and the evaluation of Answer sheets were made objective and grading system in place of division was implemented.

New Education policy: 2020, emphasizes on transforming assessment for optimizing learning and development of all students with a focus on the following:

1. Regular, formative and competency-based.
2. Promoting learning and development of students.
3. Focuses on assessment for learning.
4. Tests higher-order skills (analysis, critical thinking and conceptual, clarity etc.)
5. Helps entire schooling system in revising continuously teaching-learning process to optimize learning.

NEP 2020 focuses on continuous tracking of learning outcome of each child. It aims at making 10^{th} and 12^{th} board examination easier and to test core competencies rather than memorized facts with all studentsallowed to take the examination twice. It also encourages AI based software's to help, track program of students to enable them to make optional career choice. National Assessment Centre (PARAKH) has been established to bring greater smeary in board examination conducted by different boards. Assessment reforms with 360 Degree Holistic Progress Card tracking student program for achieving learning outcomes. Teachers will be prepared for a transformation in the assessment by 2022-23Academic Session.

The National Assessment Centre, PARAKH (Performance Assessment, Review, Analysis of Knowledge for Holistic development) has been setting norms, standards ad guidelines for assessment and evaluation. The national testing agency will secure as a premier, expert autonomous testing organization to conduct entrance examinations for undergraduate and graduate admission and fellowships in higher education.

Conclusion:

NEP-2020 has ushered in a new era with the hope that by making drastic reforms in our pattern of assessment and examination system, we can raise our standards of education to meet the global level, but this vision to meet the international students in the field of education can be realized only if we are able to implement NEP-2020 in our educational institutions. NEP-2020 has introduced a redial shift in the way assessment and evaluation is carried out in India. The policy emphasizes the need for a multidimensional and holistic approach to assessment and evaluation which focuses on assessing students understanding skills and competencies. The use of Technology Based assessments for learning and a diversified approach to assessment and evaluation are some key features of

NEP-2020. These changes are essential for promoting student centered learning improving educational outcomes, and preparing students for the challenges of 21st century.

References:

- Rathee, N & Sarkar, C (2023), 'Overview of Indian Examination Reforms : A Historical Perspective I JRAR', Vol. 10, Issue-2, https://www.research.gov.in publication.
- Examination Reform NCERT https://ncert.nic.in
- NEP 2020, Assessment Reforms Ministry of Education, https://www.education. gov.in
- NCERT (2003), Continuous and Comprehensive Evaluation Teachers Handbook for Primary Stage, New Delhi.
- NCERT (2001), Grading in Schools, New Delhi.
- NCERT (1975), The Curriculum for Ten year School A Framework, New Delhi.
- NEP 2020, Ministry of Education, https://www.education. gov.in
- Yadav, Harsh (2023), Assessment Reforms in Indian Education : A Study of NEP 2020 ShodhSamagam. https:shodh samagam.com.
- Singh S & Kaur, K, Transforming Assessment and Evaluation in the Context of NEP 2020, International Journal of Applied Research, www.all research journal.com.

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्त:अनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : भाषा और कला की अभिव्यक्ति के संकल्प से सिद्धि

डॉ. संदीप कुमार श्रीवास्तव*

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न केवल हमें आत्म-मूल्यांकन का एक अवसर देती है, अपितु यह आकांक्षी भविष्य की संभावनाओं को भी पंख देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने अतीत में अनंत नवीन प्रयोगों का तिलस्मी संदूक है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की शिक्षा व्यवस्था का दस्तावेजी ज्ञानपुंज संकलित है। जिसके नवीन प्रयोगों से भविष्य की संकल्पना, राष्ट्रवाद और जीवन मूल्यों के साथ जीवन जीने की रचनात्मक अभिव्यक्ति परिष्कृत होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अद्यतन विकास यात्रा में भाषा और कला की अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण विषय है ।

शिक्षा राष्ट्रीय आकांक्षाओं और उद्देश्यों के लिहाज से एक अति महत्त्वपूर्ण विषय है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा का पक्ष किसी भी विद्यार्थी के जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, कलात्मक एवं वैधानिक पक्ष से जुड़ा होता है। इसमें शिक्षा का मूल किसी भी शिक्षार्थी के जीवन के सर्वांगीण विकास में निहित है। वैदिक काल में गुरुकुल आश्रम पद्धति की शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन की परिधि में विद्या ग्रहण कर विद्यार्थी जीवन में व्यावसायिक एवं कलात्मक प्रशिक्षण लेकर अपने जीवन के लक्ष्य को साधता था। गुरुकुल आश्रम पद्धति में वैदिक काल से वेद पुराण का श्रवण, लेखन और उच्चारण विद्यार्थी को जीवन के हर क्षेत्र के लिए तैयार करने की प्रेरणा देता था। परिवर्तनशील विश्व में जहाँ एक तरफ आवश्यकताएँ आविष्कारों पर दबाव बना रहीं हैं, वहीं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र को भी बड़े स्तर पर प्रभावित कर रही हैं। शिक्षा व्यवस्था में जीवन का कोई भी ऐसा विषय नहीं है, जो कला से अछूता रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व की नीतियों में कला संस्कृति को विषय के रूप में गंभीरता से

*सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, (दृश्य कला), महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूषड़, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश); ई-मेल – sandeepsri1981@gmail-com

नहीं लिया गया इसे सिर्फ विकल्प के रूप में इतिश्री किया गया। वर्तमान में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तुलनात्मक दृष्टि से सुव्यवस्थित है जहाँ ललित कला के सभी विषयों को गंभीरता से अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का ऐतिहासिक संकल्प पूर्ण किया गया है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा में कला को अनिवार्य रूप से नवाचार के रूप में स्वीकार किया गया, जिससे प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के बाल-मन:स्थिति के अनुसार छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बच्चे में सृजन के भाव को पल्लवित करती है। धीरे-धीरे अभ्यास की यह प्रक्रिया कला को देखने, अंगीकार करने की प्रवृत्ति नवाचार की ओर प्रेरित करती है। कला को प्रोफेशनल स्तर पर लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय निरंतर प्रोफेशनल कलाकारों और लोक से लोकल, और लोकल से फोकल की ओर प्रयासरत है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तुलनात्मक दृष्टि से पुरातन और नवीन के बीच संतुलन बनाए रखने की कड़ी चुनौती है। समय के बदलाव में अन्य विषयो में यदि स्कोप है तो कला के विविध आयामों में स्कोप के साथ बाईस्कोप जैसी संभावना है। सरकारी नौकरी के साथ स्वतंत्र कलाकार के रूप में कला के वैश्विक बाजार में सृजन की भारी मांग है, इसके लिए कलाकार को बाजार की मांग के अनुसार स्वयं को तापना और साधना होगा। आज के विश्व में चाहे वह तकनीक के जटिल विषय हों, जैसे- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल या आधारभूत अवसंरचना के विविध सौन्दर्य पक्ष हों, सभी मानव के कला-कौशल की मांग से भरे पड़े हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व, मध्य और वर्तमान की शैक्षणिक आकांक्षाओं और उद्देश्यों का सुन्दर सम्मेलन देखने को मिलता है। सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् जैकस डेलर्स की अध्यक्षता में गठित 21वीं सदी में शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय आयोग (International Commission on Education in Twenty first century) जिसकी रिपोर्ट 'लर्निंग द ट्रेजर विद इन' (Learning the Treasure With in) शीर्षक से यूनेस्को द्वारा 1996 में प्रकाशित की गयी। जैकस डेलर्स के अनुसार 21वीं सदी में शिक्षा के निर्धारित चार आधार स्तंभ होने चाहिए:

1-ज्ञान के लिए सीखना।

2-करने के लिए सीखना।

3-होने के लिए सीखना।

4-साथ रहने के लिए सीखना।

यूनेस्को द्वारा प्रकाशित यह रिपोर्ट एक क्रांतिकारी रिपोर्ट है, जिसने संपूर्ण विश्व की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, जिसमें शिक्षा के कौशल विकास, जीवन निर्माण, मूल्य निर्माण एवं आदर्शवादी समाज निर्माण के पक्ष को सर्वाधिक बल दिया गया। यदि हम देखें तो इन

चार स्तंभों में दो स्तंभ - होने के लिए सीखना और साथ रहने के सीखना - शिक्षा में कलाओं के उपयोग का एक मजबूत आधार है। कलाओं का सामान्य उद्देश्य संप्रेषण, विभिन्न अंतरद्वंद्वों का उद्घाटन एवं आनंद की प्राप्ति है। नई शिक्षा नीति बच्चों के अंदर नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने में सहायक होगी जो प्रकारांतर से एक उन्नत समाज, एक उन्नत राष्ट्र और एक शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना कर सकने में सहायक होगी। कलाओं का तात्पर्य विचारों अनुभव एवं भावनाओं की संगीत, चित्र, भाषा, मुद्रा, गति एवं भाव-भंगिमाओं के माध्यम से सुनियोजित अभिव्यक्ति है। ललित कला के विविध रूप-स्वरूप में बच्चों को संवेदी, भावनात्मक, बौद्धिक एवं रचनात्मक रूप से समृद्ध करती हैं और इसके सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं।

कला शिक्षा छात्रों को संप्रेषण के वैकल्पिक तरीके सीखने में मदद करता है। विभिन्न व्यक्तिगत एवं नवीन विचारों को प्रोत्साहित भी करता है और बच्चे में बहुबुद्धि (Multiple Intelligence) के विकास में अत्यंत सहायक है। प्राथमिक स्तर पर एक उद्देश्यपूर्ण कला शिक्षा (Purposeful Art Education) जीवन को उन्नत करने एवं रचनात्मक क्षमता को उत्तेजित करने, विभिन्न कौशलों को बढ़ाने एवं विद्यार्थी के समायोजन (Adjustment) में सहायक होती है। लुइस हेटलैंड का मानना है कि संस्कृतियों का मूल्यांकन उनकी कला द्वारा होता है अधिकांश संस्कृतियों एवं ऐतिहासिक युगों ने बच्चों की शिक्षा में कला के महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया है। कला अधिगम, ज्ञान एवं अभिव्यक्ति का एक समयानुकूल माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई अवधारणा में कला को शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में शामिल किया जाना दूरदृष्टिता का प्रमाण है। बच्चे के जन्म के समय से ही अपनी पहली भाव-भंगिमा, तोतली जुबान, किलकारी से अभिनय अधिगम का प्रथम चरण मां के स्पर्श से बालक ग्रहण करने लगता है, जिससे नवाचार की पहली थपकी और ककहरा नवजात माँ से संस्कारों को सीखता है। अल्प भाषा, लघु प्रज्ञा, सीमित शब्दावली, वाणी दोषयुक्त बच्चों के लिए कलात्मक निर्माण और शाब्दिक अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम प्रदान करता है।

बालक में विकासात्मक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन सर्वप्रथम डॉ. विक्टर लाफेल्ड ने 1947 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'रचनात्मक एवं मानसिक विकास' (Creative and Mental Growth) में कला के विकास की छह अवस्थाएँ उल्लेखित किया है। अस्पष्ट लेख घसीटने की अवस्था (1-3 वर्ष), पूर्व नियोजन अवस्था (3-4 वर्ष), नियोजन अवस्था (5-6 वर्ष), यथार्थ अरुणोदय की अवस्था (7-9 वर्ष), छद्म प्राकृतिक अवस्था (10-13 वर्ष), निर्णय अवस्था (13-16 वर्ष) जो बालक की विभिन्न अवस्था के विकास चरण में रचनात्मक कला-कौशल से अंतर्मुखी दृष्टि के विकसित होने में सहायक होता है। कला संस्कृति की छाँव में छात्रों में वृहद संस्कृति, धरोहरों एवं

राष्ट्र के प्रति समर्पण संवेदना चैतन्य होती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति से नवीन नवाचारों के प्रति उन्मुख होता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव करती है। नई शिक्षा नीति इस आधारभूत विचार पर केन्द्रित है कि 21वीं सदी की शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत की नींव पर समृद्ध संगठित समाज को स्थापित किया जा सके। शिक्षा नीति कहती है, दुनिया के विभिन्न देशों के अनुभव से यह स्पष्ट हो चुका है कि अपनी भाषा संस्कृति और परंपराओं से शिक्षित होने से हानि नहीं, बल्कि शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी उन्नति की अपार संभावनाएँ हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारत के ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि भारत के ज्ञान में प्राचीन भारत से प्राप्त ज्ञान और आधुनिक भारत और इसकी सफलताओं और चुनौतियों में इसके योगदान के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के संबंध में भारत के भविष्य की आकांक्षाओं का एक स्पष्ट भाव शामिल होगा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पृष्ठ संख्या 24)। हमारे सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा और परम्पराओं का ज्ञान छात्र-छात्राओं में सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान का निर्माण करने में मदद करेगा। एक रचनात्मक सभ्यता के रूप में यह भारत की एक अधिक निष्पक्ष और शुद्धि की सराहना को बढ़ावा देगा।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 की सकल्पनाओं के अनुरूप विद्यालयों में कला शिक्षा के क्रियान्वयन के साथ हमारा प्रयास विद्यालयों में कला शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना रहा है। ऐसा करने में कला के द्वारा बच्चों के ज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावनात्मक विकास की मजबूती के लिए हमने लगातार पारंपरिक वर्तमान चलन को चुनौती दी है।

भारत में शिक्षा का विकास त्वरित गति से हो रहा है, किन्तु अभी भी लगभग आधी जनसंख्या निरक्षरता के अंधेरे में भटक रही है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की गिरावट चिन्ता का विषय है. सरकार की भूमिका अभी पूर्णरूप से प्रतिबद्धता की नजर नहीं आती. अन्यथा प्राइमरी विद्यालयों की आज दयनीय स्थिति नहीं होती। सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य कर उसके क्रियान्वयन की ओर दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाना, समय की आवश्यकता है। यदि अगले 5 वर्षों में लगभग पूर्ण साक्षरता और उच्चशिक्षा की गुणवत्ता में यथेष्ट सुधार के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए, तो भारत विकास की दौड़ में अन्य देशों से पिछड़ जाएगा. आशा है हम इस दिशा में और अधिक प्रतिबद्धता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अग्रसर होंगे।

अगर हम इसी सन्दर्भ में अपने संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्त्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों

को अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। इसी को पूरा करती नई शिक्षा नीति-2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन् 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। भाषायी विविधता का संरक्षण इस शिक्षा नीति में पाँचवीं कक्षा की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी। 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' तैयार की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी इस नीति की अप्रतिम विशेषता है।

निष्कर्ष:

भाषा और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए हमें उस संस्कृति की भाषाओं का मूल संस्करण और अन्वेषकीय शब्दकोष के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करना होगा। विषय विशेषज्ञ भाषाओं के अध्येता और आम बोल-चाल में रचे बसे लोगो के साथ शब्दकोष में संजीवनी के रूप में संकलन किया जा सकता है। अभिव्यक्ति को अधिक व्यापक रूप में बातचीत और शिक्षण अधिगम के लिये प्रयोग में लिया जाना चाहिए। भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शनशास्त्र, इतिहास के अन्वेषण से भाषा शब्दकोष को समृद्ध किया जा सकता है ।

मनोविज्ञान का यह प्राथमिक सिद्धांत है कि मनुष्य जैसा देखता है वैसा ही वह प्रथम दृष्ट्या सीखता है। कला अभिव्यक्ति का न केवल एक आकर्षक माध्यम है, अपितु यह मनुष्य की प्रज्ञा में निहित भावों की रचनात्मक अभिव्यक्ति का अनंत आकाश प्रदान करता है। कला के द्वारा मानव के बहुपक्षीय विकास के विविध आयामों को शिक्षा जगत् में उड़ान दी जा सकती है, यह इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। नई शिक्षा नीति का वास्तविक स्वरूप मानव के जीवन को नयी विश्व व्यवस्था के अनुरूप परिवर्तनशील बनाने का एक प्रयास है, जो पीढ़ियों की लक्षित आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास है। आवश्यकता है कि भावी युग की चुनौतियों के लिहाज से आने वाली समस्याओं का समेकित मूल्यांकन कर उनके प्रति एक रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाय।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत वर्ष 2030 तक सफल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत करना है। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढाँचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। शैक्षिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिनमें सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। भारत में नई शिक्षा नीति (NEP 2020) एक व्यापक नीति है जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण करना है। यह नीति पाठ्यचर्या सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण सहित कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार पेश करती है। ध्योरेटिकल लर्निंग के बजाय प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज्यादा फोकस करें। जाति, लिंग या किसी भी विकलांगता से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रत्येक छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा देश का सर्वांगीण विकास सम्भव है। यह विकास समभाव व शिक्षा की गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है। 'यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एस.डी.जी. 4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है।'

नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं व मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण प्रावधान रखा गया है। साथ ही शिक्षा को समान रूप से पहुँचाने हेतु अनेक सुझाव प्रस्तुत किये हैं। स्कूल शिक्षा सम्बन्धी विविध परिवर्तन किये गये हैं जिससे बाल्यावस्था से ही छात्रों का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास हो सके। इस नीति को और महत्त्वपूर्ण व उपयोगी नई शिक्षा में भाषायी विविधता, पाठ्यक्रम में सुधार, शिक्षण व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन बनाते हैं।

भारतीय उच्च शिक्षा को डिजिटल बनाया जा रहा है जिससे शिक्षा समान रूप से सभी तक पहुँचायी जा सके। किंतु, इस सुविधा के साथ-साथ कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं जैसे- ऑनलाइन परीक्षा के समय तकनीकी खराबी, नेटवर्क की समस्या, सिस्टम सम्बन्धी (तकनीकी) जानकारी का अभाव छात्रों में असफलता के साथ-साथ उनके जीवन में निराशा व अवसाद जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। अतः इस नीति को लागू करने के साथ-साथ शिक्षक व छात्रों को इस सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है ताकि वे किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का निदान कर सकें।

नई शिक्षा नीति में वयस्क प्रौढ़ साक्षरता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जिसके समर्धन हेतु अनेक स्वयंसेवी संगठनों व सामुदायिक संगठनों हेतु 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' को अस्तित्त्व में लाने का लक्ष्य तय किया गया है। परिणामस्वरूप नवीन पाठ्यक्रम, साक्षरता, सांख्य ज्ञान, व्यापार व व्यवसाय में कुशलता, संस्कृति व शारीरिक विकास, स्वास्थ्य के प्रति चेतना, प्रौद्योगिकी कौशल विकास, विज्ञान, नैतिक जीवन वृद्धि जैसे सकारात्मक परिणाम संभवतः प्राप्त होंगे।

"The NEP (2020) is based on pillars of access, equity, quality, affordability, accountability and it will transform India into a vibrant knowledge hub- It brings some fundamental changes to the current education system"

नई शिक्षा नीति शिक्षण व्यवस्था में किया गया वह सकारात्मक परिवर्तन है जो बहु-उद्देश्य को साथ लेकर चल रहा है, जिससे सम्पूर्ण भारत के बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। शिक्षण प्रणाली में किये गये यह परिवर्तन एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण में संभवतः सहायक सिद्ध होंगे तथा साथ ही भारतीय संस्कृति भी उन्नत होगी जिससे नैतिक मूल्यों को बल मिलेगा। छात्र व शिक्षक के मध्य माधूर्यपूर्ण सम्बन्ध होंगे। यह सम्बन्ध शिक्षण को रोचक बनाने के साथ-साथ छात्र का बहुमुखी विकास करने में सहायक सिद्ध होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय शिक्षा को वैश्विक पटल पर स्थापित करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

संदर्भ:

1- एनसीईआरटी (2010) country report: Art Education in India NCERT, New Delhi

2- New Education Policy 2020 - 5वीं तक पढ़ाई अब मातृभाषा में, स्नातक तक प्रवेश की एक परीक्षा. अमर उजाला. अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020.

3- रोहतग, अनुभा, लैक Œ (2020-08=07)- "हाईलाइट्स, एनईपी विल प्ले रोल इन रिड्यूशिंग गैप बिटविन रिसर्च एण्ड एजुकेशन इन इण्डिया : पीएम मोदी"- हिन्दुस्तान टाइम्स- अभिगमन तिथि 2020-08-08.

4- प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी 2001/1240

5- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 4, पृ. 31

6- डॉ. निशा शर्मा, कुश कुकरेती, NEP 2020, फ्लाइंग टू इमैजिनेशन, अक्षरवार्ता (मासिक), नवम्बर-2022, Issue: 1, Total pages: 121- 124, page: 121

7- डॉ. राजबाला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (2020), इश्यूज एण्ड चैलेंजेज इन हायर एजुकेशन, शब्दार्णव, मुजफ्फरपुर, जनवरी-जून 2022, वॉल्यूम-15, पार्ट-1, कुल पृष्ठ 323-325, पृ. 323 Reliable Source https://www-mhrd-gov-in

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्त:अनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. मुकेश कुमार सिंह*

प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों में सृजनात्मकता का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, जहाँ शिक्षक सृजनात्मक रहेगा उसकी शिक्षणशीलता अधिक प्रभावित होगी। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में असंतुष्टि का प्रभाव देखने को मिलता है जहाँ उन्हें अच्छा वेतन, सारी सुख-सुविधाएँ मिल रही हैं, वहीं विद्यालय का वातावरण, प्रधानाचार्य का मानवीय व्यवहार न होना, पढ़ाने के लिए विद्यालय में सारी सुविधाएँ उपलब्ध न होना, विद्यार्थियों का सहयोग न मिलना, अन्य शिक्षकों से अच्छा सम्बन्ध न होना आदि ऐसे कई कारक हैं जिनका सरकारी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता को प्रभावित करता है। वहीं अप्रशिक्षित एवं वित्तीय एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का तो वेतन कम होता ही है, उन्हें घर से अधिक दूर जाकर पढ़ाना, देर समय तक विद्यालय में रहकर कार्यों को समाप्त करना, अन्य शिक्षकों का रवैया अच्छा न होना, पाठ्यक्रम को अपने मन-माफिक न पढ़ाने को मिलना, विद्यार्थियों का सहयोग न प्राप्त होना आदि ऐसे कारक हैं जिनका अप्रशिक्षित शिक्षकों के समायोजन के साथ-साथ सृजनात्मकता को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में शिक्षकों के शिक्षा के प्रति समर्पण भाव का कम होना स्वाभाविक है। अत: शोधकर्ता अपने शोध-पत्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेगा कि क्या माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता में अन्तर होता है, और यह अन्तर किस स्तर तक होता है।

प्रमुख शब्दावली : प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षक

सृजनात्मकता

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का

*सहायक आचार्य, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

विकास, उसके ज्ञान एवं कला-कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एंव सुयोग्य नागरिक बनाया जाता है। और यह कार्य मनुष्य के जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है।

माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी होती है। माध्यमिक शिक्षा मुख्य रूप से किशोर बच्चों की शिक्षा है, उनके भविष्य निर्माण की शिक्षा है, तथा अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती है। इसलिये सर्वमान्य रूप से मानी गयी माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थी के नाजुक भविष्य के निर्धारण का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् विद्यार्थी व्यावसायिक जीवन में प्रवेश करता है तथा उसके जीवन में व्यक्तित्व निर्माण की विशेष प्रक्रिया होती है। माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थी की किशोरावस्था विद्यमान रहती है। इस अवस्था में विकास की तीव्र प्रक्रिया के कारण जहाँ एक ओर छात्र-छात्राएं आन्दोलित रहते हैं वहीं दूसरी ओर उनकी विभिन्न क्षमताओं का उच्चतम स्तर तक विकास होने की समस्या रहती है। इसलिये इस स्तर पर विभिन्न चरों के प्रभाव का अध्ययन अत्यन्त प्रासंगिक एवं महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

शिक्षकों की सृजनात्मकता विद्यालय व शिक्षा के विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है। सृजनात्मकता वह स्थिति है जो कि शिक्षक को अपने कार्य के सन्दर्भ में प्राप्त होने वाले आनन्द के मूल्यों का अनुमान देती है। सृजनात्मकता व्यक्ति के कार्य के समान विभिन्न पहलुओं जैसे- वेतन, पदोन्नति के अवसर, अधिकारियों एवं सहयोगियों के प्रति दृष्टिकोण आदि के कारण उत्पन्न मानसिक संवेगात्मक स्थिति है। किसी व्यवसाय में संतुष्टि एक अति आवश्यक तत्त्व है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने व्यवसाय से जितना अधिक संतुष्ट होगा उतने ही प्रभावशाली रूप से अपने कार्य को पूरा करेगा। यही बात शिक्षक के व्यवसाय के सम्बन्ध में भी सत्य है कि यदि एक शिक्षक को अपने शिक्षण व्यवसाय में संतुष्टि की भावना दृष्टिगत होगी तब वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही प्रकार से कर पायेगा।

जहाँ तक अध्यापकों की सृजनात्मकता के अर्थ का प्रश्न है, यह लिखना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि अध्यापकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि पर पूरे विश्व का भविष्य निर्भर है। अध्यापक हो या अध्यापिका, कार्य से मिलने वाले सन्तोष पर ही भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य की कामना की जा सकती है। यदि शिक्षक अपने कार्य से असन्तुष्ट होगा तो अपने दायित्वों को वह भली प्रकार नहीं निभा पायेगा। इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ेगा और इसके उपरान्त समाज का पतन अवश्यम्भावी है।

शिक्षक युग-निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि शिक्षक अपने कार्य से सन्तुष्ट

होंगे तो निश्चित ही ऐसे समाज का निर्माण होगा जो स्वस्थ मस्तिष्क और बौद्धिक प्रतिभा का धनी होगा।

वास्तव में अध्यापक ही किसी राष्ट्र के भाग्य के निर्णायक होते हैं। वे राष्ट्र के वास्तविक शिल्पकार होते हैं। किसी राष्ट्र की महानता उसकी ऊँची-ऊँची इमारतों, विशाल परियोजनाओं तथा विशाल सेनाओं पर निर्भर नहीं करती है बल्कि किसी राष्ट्र की महानता का स्वतः परीक्षण उसके नागरिकों की गुणवत्ता से होती है। यदि एक राष्ट्र अपने नवयुवकों को चरित्रवान बनाकर और उनके अन्दर दोषरहित राष्ट्रप्रेम उत्पन्न कर सके तो वह सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति करने में सफल हो जायगा। शिक्षण व्यवसाय को नवयुवकों के संरक्षण में सौंप दिया जाय और यदि ऐसा करना है तो उसके लिए शिक्षकों का यह परम व पवित्र कर्त्तव्य है कि छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें अच्छी प्रकार की शिक्षा प्रदान करें। इस प्रकार अध्यापक अपनी देखभाल में सौंपे गये बालकों पर ध्यान देकर, भारत के भविष्य का निर्माण करने में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

शिक्षा किसी देश की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उन्नयन तथा सांस्कृतिक स्थानान्तरण में परिवर्तन लाने का एक अतिप्रभावशाली उपकरण है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शिक्षा का विकास एवं विस्तार अद्‌भुत रहा है और यह देश के भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। शिक्षा का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षण व्यवसाय में जाने वाले लोग सुयोग्य, प्रतियोगी, प्रशिक्षित तथा शिक्षण व्यवसाय में अत्यधिक रुचि लेने वाले हों। दुर्भाग्यवश इस तेजी से बदलते विश्व में इस तरह के शिक्षकों का मिलना बहुत कठिन है। नये वैज्ञानिक युग की चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं के लिए अप-टू-डेट शिक्षकों की आवश्यकता होती है।

वर्तमान पाठ्य-पुस्तकों का जो निर्माण हो रहा है उसमें विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं मूल्यों से सम्बन्धित तथा वैज्ञानिक एवं संचार प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित विषय सम्मिलित हैं। अतः प्रशिक्षित शिक्षकों की शिक्षण कौशल अधिक कारगर साबित होती है। जहाँ अप्रशिक्षित शिक्षक इन पाठ्य-पुस्तकों को समझने में नकामयाब हैं वहीं उनके समायोजन एवं सृजनात्मकता में अभाव देखने को मिल रहा है।

प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों में सृजनात्मकता का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, जहाँ शिक्षक सृजनात्मक रहेगा उसकी शिक्षणशीलता अधिक प्रभावित होगी। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में असंतुष्टि का प्रभाव देखने को मिलता है जहाँ उन्हें अच्छा वेतन, सारी सुख-सुविधाएँ मिल रही है वहीं विद्यालय का वातावरण, प्रधानाचार्य का मानवीय व्यवहार न होना,

पढ़ाने के लिए विद्यालय में सारी सुविधाएँ उपलब्ध न होना, विद्यार्थियों का सहयोग न मिलना, अन्य शिक्षकों से अच्छा सम्बन्ध न होना आदि ऐसे कई कारक है जिनका सरकारी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता को प्रभावित करता है।

वहीं अप्रशिक्षित एवं वित्तीय एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का तो वेतन कम होता ही है, उन्हें घर से अधिक दूर जाकर पढ़ाना, देर समय तक विद्यालय में रहकर कार्यों को समाप्त करना, अन्य शिक्षकों का रवैया अच्छा न होना, पाठ्यक्रम को अपने मन-माफिक न पढ़ाने को मिलना, विद्यार्थियों का सहयोग न प्राप्त होना आदि ऐसे कारक है जिनका अप्रशिक्षित शिक्षकों के समायोजन के साथ-साथ सृजनात्मकता को प्रभावित करता है।

वर्तमान समय में शिक्षकों के शिक्षा के प्रति समर्पण भाव का कम होना स्वाभाविक है। अत: शोधकर्ता अपने लघु शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेगा कि क्या माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के सृजनात्मकता में अन्तर होता है, और यह अन्तर किस स्तर तक होता है?

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है-

1. माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष शिक्षकों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर के अप्रशिक्षित महिला एवं पुरुष शिक्षकों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना

प्रस्तुत शोध में उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जायेगा-

1 माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता में अन्तर है।

2 माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष शिक्षकों की सृजनात्मकता में अन्तर है।

3 माध्यमिक स्तर के अप्रशिक्षित महिला एवं पुरुष शिक्षकों की सृजनात्मकता में अन्तर है।

शोध-विधि

शोध एक ऐसा व्यवस्थित तथा नियंत्रित अध्ययन है जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित चरों व घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का अन्वेषण तथा विश्लेषण उपयुक्त सांख्यिकी विधि द्वारा किया जाता है। सिद्धान्त की रचना खोज व पुष्टि की जाती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अध्ययन में माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता का पता लगाना है।

शोधकर्ता द्वारा इलाहाबाद जिले के शहरी क्षेत्र में स्थापित माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का यादृच्छिक विधि द्वारा चयन कर उक्त विद्यालयों में अध्यापनरत 100 शिक्षक-शिक्षिकाओं का उद्देश्यपरक विधि से चयन न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है जिसमें 50 प्रशिक्षित एवं 50 अप्रशिक्षित शिक्षकों को लिया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा शिक्षकों की सृजनात्मकता को मापने के लिए डॉ. मीरा दीक्षित द्वारा निर्मित सृजनात्मकता मापनी का प्रयोग किया गया है।

परिकल्पनाओं का परीक्षण :

$\mathbf{H_1}$: माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के सृजनात्मकता में सार्थक अन्तर है।

$\mathbf{H_{01}}$: माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के सृजनात्मकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

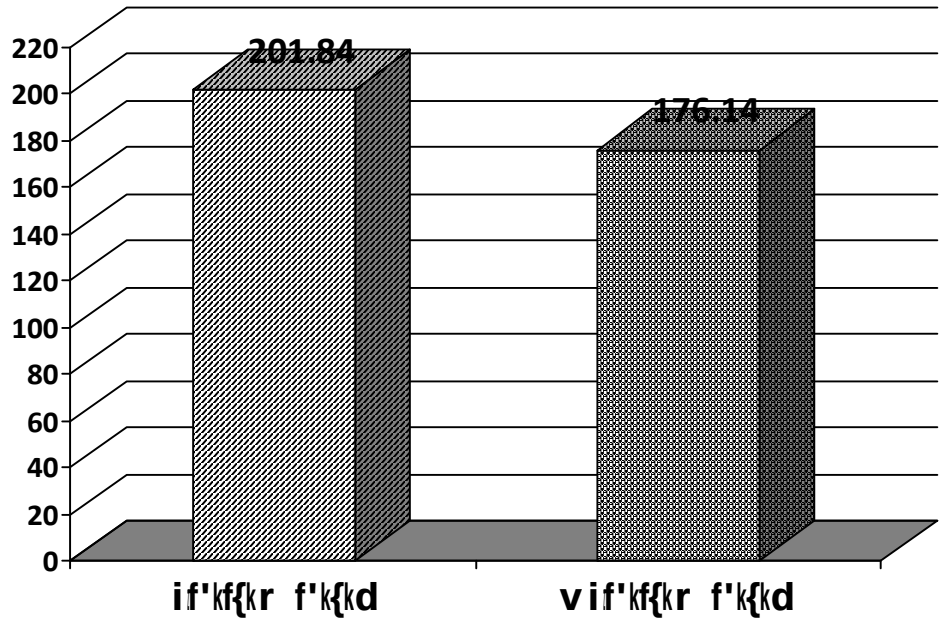
तालिका १

माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता के मध्यमान, प्रामाणिक विचलन व t-मान की गणना-

क्र.सं.	समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	मध्यमानों का अन्तर (M_1~M_2)	मानक त्रुटि (σ_D)	t-मान	सार्थकता स्तर
1.	प्रशिक्षित शिक्षक	50	201.84	19.31	25.70	4.02	6.39	.05 एवं .01 स्तर पर सार्थक
2.	अप्रशिक्षित शिक्षक	50	176.14	20.82				

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के सृजनात्मकता के अन्तरों का t. मान 6.39 है जो कि मुक्तांश 98 तथा सार्थकता स्तर 0.05 एवं 0. 01 पर t. के तालिका मान 1.98 एवं 2.63 से अधिक है। अत: मध्यमानों के बीच का अन्तर सार्थक है। अत: शून्य परिकल्पना (H_{01}) अस्वीकृत होती है तथा शोध परिकल्पना (H_1) स्वीकृत की जाती है। माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के सृजनात्मकता में सार्थक अन्तर है अर्थात् प्रशिक्षित शिक्षकों के सृजनात्मकता अप्रशिक्षित शिक्षकों की अपेक्षा उच्च पाया गया।

प्रशिक्षित शिक्षकों में सृजनात्मकता अधिक पाया जाने का कारण उनके द्वारा परीक्षण से उनमें शिक्षण दक्षता एवं अभिक्षमता में वृद्धि होना एवं नये पाठ्यक्रम की जानकारी होना भी उनके सन्तुष्टि में वृद्धि का कारण है। **एम. दीक्षित (१९८६)** ने अपने अध्ययन में पाया कि माध्यमिक विद्यालयों के अधिक सेवाकाल वाले शिक्षक, कम सेवाकाल वाले शिक्षकों की अपेक्षा अधिक संतुष्ट थे।



आरेख चित्र-१

माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता के मध्यमान का आरेख चित्र

H_2: माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की सृजनात्मकता में सार्थक अन्तर है।

H_{02}:माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की सृजनात्मकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

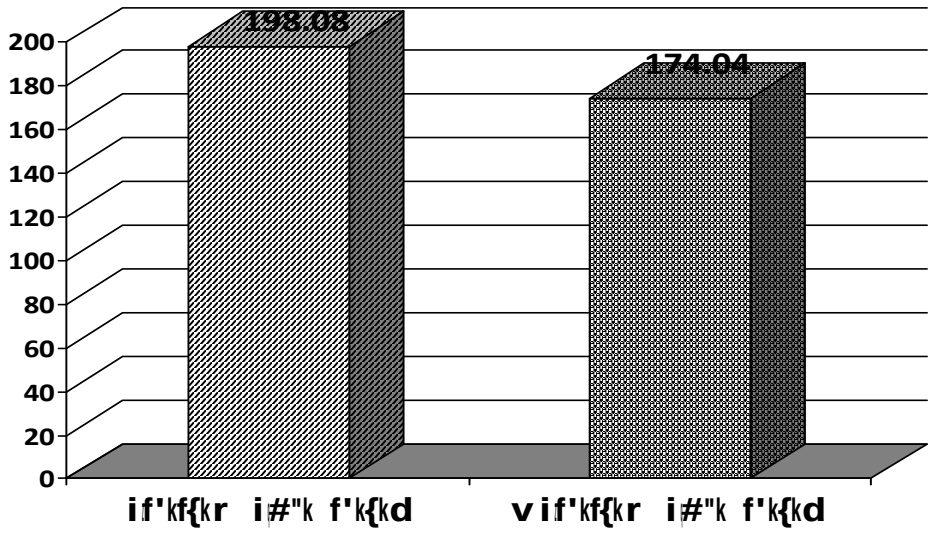
तालिका २

माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की सृजनात्मकता के मध्यमान, प्रामाणिक विचलन व t-मान की गणना –

क्र.सं.	समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	मध्यमानों का अन्तर (M_1~M_2)	मानक त्रुटि (σ_D)	t-मान	सार्थकता स्तर
1.	प्रशिक्षित पुरुष शिक्षक	25	198.08	22.71	24.04	6.23	3.86	.05 एवं .01 स्तर पर सार्थक
2.	अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षक	25	174.04	20.37				

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की सृजनात्मकता के अन्तरों का t-मान 3.86 है जो कि मुक्तांश 98 तथा सार्थकता स्तर 0.05 एवं 0.01 पर t- के तालिका मान 1.98 एवं 2.63 से अधिक है। अत: मध्यमानों के बीच का अन्तर सार्थक है। अत: शून्य परिकल्पना (H_{02}) अस्वीकृत होती है तथा शोध परिकल्पना (H_2) स्वीकृत की जाती है। माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की सृजनात्मकता में सार्थक अन्तर है अर्थात् प्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की सृजनात्मकता अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की तुलना में अधिक पाया गया।

प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के सृजनात्मकता में अन्तर पाये जाने का कारण इसका प्रमुख कारण षिक्षिकाओं का मानसिक तनाव, प्रषासनिक समस्या, वेतन, सामाजिक स्तर, संगठनात्मक वातावरण परिवार से दूरी इत्यादि हो सकती है। **सक्सेना, जे. एवं सिंह, एस. (२००८)** ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रभावी शिक्षण करने वाले शिक्षक अपने व्यवसाय से अधिक संतुष्ट पाये गये।



आरेख चित्र-२

माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की सृजनात्मकता के मध्यमान का आरेख चित्र

H_3: माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की सृजनात्मकता में सार्थक अन्तर है।

H_{03}:माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की सृजनात्मकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका ३

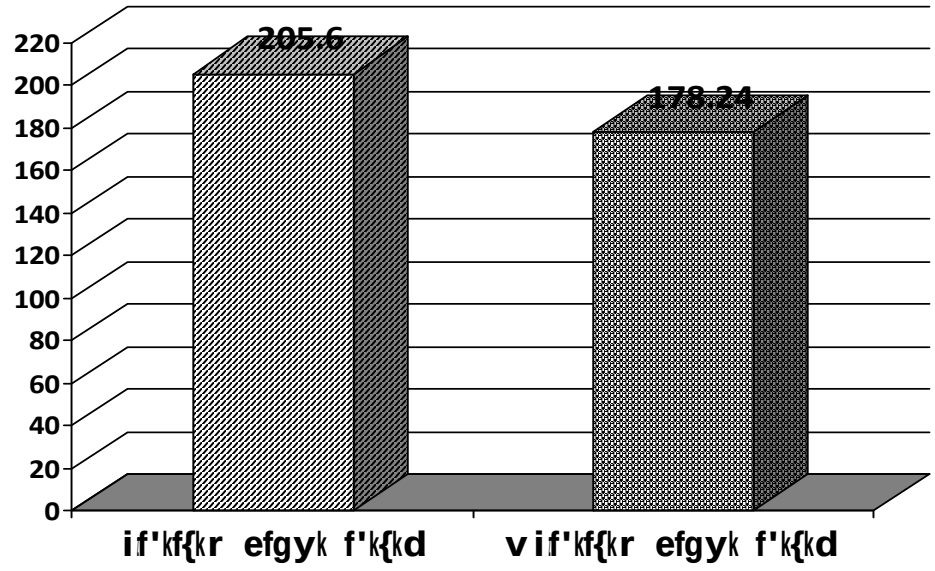
माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की कार्य-संतुष्टि के मध्यमान, प्रामाणिक विचलन व t-मान की गणना-

क्र.सं.	समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	मध्यमानों का अन्तर (M_1~M_2)	मानक त्रुटि (σ_D)	t-मान	सार्थकता स्तर
1.	प्रशिक्षित महिला शिक्षक	25	205.60	14.18	27.36	5.19	5.26	.05 एवं .01 स्तर पर सार्थक
2.	अप्रशिक्षित महिला शिक्षक	25	178.24	21.16				

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की सृजनात्मकता के अन्तरों का t-मान 5.26 है जो कि मुक्तांश 98 तथा सार्थकता स्तर 0.05 एवं 0.01 पर t- के तालिका मान 1.98 एवं 2.63 से अधिक है। अत: मध्यमानों के बीच का अन्तर सार्थक है। अत: शून्य परिकल्पना (H_{03}) अस्वीकृत होती है तथा शोध परिकल्पना (H_3) स्वीकृत की जाती है। माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की सृजनात्मकता में सार्थक अन्तर है अर्थात् प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की सृजनात्मकता अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की तुलना में अधिक पाया गया।

इसका प्रमुख कारण महिला शिक्षकों का अपने व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता, प्रशासनिक संगठन, प्रशासनिक समस्या, सामाजिक स्तर, संगठनात्मक वातावरण, अध्यापकों का सहयोगात्मक व्यवहार इत्यादि हो सकते हैं।

कुमारी, ललिता, वाई. (२०१०) ने अपने अध्ययन में पाया कि लिंग, क्षेत्र का माध्यमिक स्तर के हेड मास्टर के कार्य संतुष्टि में अन्तर पाया गया जबकि आयु, शैक्षिक योग्यता, व्यवस्था, अनुभव एवं माध्यम का उनके कार्य संतुष्टि में कोई अन्तर नहीं पाया गया।



आरेख चित्र-३

माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की सृजनात्मकता के मध्यमान का आरेख चित्र

निष्कर्ष:

प्रस्तुत शोध **'माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन'** से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए-

1. माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता में सार्थक अन्तर है अर्थात् प्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता अप्रशिक्षित शिक्षकों की अपेक्षा उच्च पायी गयी।
2. माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की सृजनात्मकता में सार्थक अन्तर है अर्थात् प्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की सृजनात्मकता अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की तुलना में अधिक पायी गयी।
3. माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की सृजनात्मकता में सार्थक अन्तर है अर्थात् प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की सृजनात्मकता अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की तुलना में अधिक पायी गयी।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की सृजनात्मकता में सार्थक अन्तर पाया गया। सृजनात्मकता में सार्थक अन्तर पाया जाना इस बात को इंगित करता है कि यदि शिक्षक अपने कार्य के प्रति संतुष्टि नहीं हैं तो वह शिक्षण कार्य में पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ नहीं कर सकता है। अत: शिक्षकों की कार्य संतुष्टि को उच्च बनाने के लिए कुछ निहितार्थों का होना जरूरी है, जो निम्नांकित हैं-

1. शिक्षकों को शिक्षण कार्य के दौरान तनावमुक्त होकर अध्यापन कार्य करना चाहिए जिससे उनका शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो सके।
2. शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य करते समय बालकों को भी मानसिक तनाव से मुक्त रखें जिससे बालकों का अधिगम और सुदृढ़ हो सके।
3. शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में भ्रमण, योग, नाटक, तकनीकी आदि का प्रयोग करें जिससे षिक्षण कार्य प्रभावपूर्ण हो सके।
4. शिक्षकों को अपने सहकर्मियों के साथ सहयोगात्मक एवं सहानुभूति सम्बन्ध रखना चाहिए जिससे उचित एवं प्रभावपूर्ण शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो सके।
5. शिक्षकों को कार्य सुरक्षा, लचीली सेवा शर्तें तथा कार्य में स्वायत्तता प्रदान की जाय।

6. शिक्षकों का मानसिक तथा आर्थिक शोषण रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे शिक्षक अपने कार्य के प्रति सन्तोष प्राप्त कर सकें और अपना शिक्षण प्रभावपूर्ण ढंग से करें।

7. प्रत्येक कक्षा में छात्र व शिक्षक का निश्चित अनुपात होना चाहिए जिससे शिक्षक पर अधिक कार्य का बोझ न पड़े और वह अपने कार्य को सन्तोषजनक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से कर सके।

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची:

- अस्थाना, विपिन (2008). मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन मूल्यांकन, आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।
- एम. दीक्षित (1986). प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षको के मध्य कृत्य-संतोष का तुलनात्मक अध्ययन, पी-एच.डी. एजुकेशन, लखनऊ विश्वविद्यालय, एम.बी. बुच, फोर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, पृ. 932
- गुप्ता, ए.पी. एवं गुप्ता, अलका (2004). आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन।
- नायक (1990), अस्थायी तथा शिक्षण सहायकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि का उनके व्यवसाय सम्बन्धी कारकों के सम्बन्धों में अध्ययन, लघुशोध प्रबन्ध, कानपुर : छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय।
- नदीम, एन.ए., पूजू, अहमद जावेद एवं जहूर, नादिया (2013). ए स्टडी ऑफ पर्सनालिटी एडजेस्टमेन्ट एण्ड जॉब सैटिस्फैक्शन ऑफ रूरल एण्ड अर्बन सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स, स्टैण्डर्ड जर्नल ऑफ एजूकेशन ऐसे, वाल्यूम-1(1)।
- पाण्डेय, के.पी. (2008). शिक्षा तथा मनोविज्ञान में सांख्यिकी, मेरठ: अमिताश प्रकाशन।
- मंगल, एस.के. (2009). शिक्षा मनोविज्ञान, नई दिल्ली, पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड प्रकाशन।
- राय, पारसनाथ द्ध2007ऋ. अनुसंधान परिचय, आगरा, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल।
- सक्सेना, जे. (1995). ए स्टडी ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस इन रिलेशन टु एडजस्टमेन्ट जॉब सैटिस्फैक्शन ऐण्ड एटिट्यूड टुवर्ड टीचिंग प्रोफेशन, इण्डियन एजुकेशन ऐब्सट्रैक्ट्स (2002); वाल्यूम. II, पब्लिश्ड बाई एन.सी.ई. आर.टी., पृ. 85.
- सिंह, अरुण कुमार (2002). मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, दिल्ली, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, संस्करण-पंचम।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० : व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास की पुनर्कल्पना

डॉ. अमर नाथ तिवारी*

सार-संक्षेप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का मौलिक उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों एवं 21वीं सदी के विद्यार्थियों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना है, जिससे देश के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, जिसका प्रमुख कारण व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली का अभाव है। व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने के साथ ही उन्हें व्यावहारिक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करके, शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस शिक्षा नीति में शैक्षिक प्रणाली के संपूर्ण पुनर्निर्माण और संशोधन के साथ ही कौशलयुक्त व्यावसायिक शिक्षा की परिकल्पना की गयी है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करना, युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना तथा भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाना है। प्रस्तुत शोध-पत्र का प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास से सम्बन्धित प्रमुख पहलुओं पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना तथा व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में इस नीति की अनुशंसाओं, चुनौतियों एवं उनके संभावित प्रभावों पर विस्तृत चर्चा करना है।

बीज शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, शैक्षिक प्रणाली, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, भारतीय ज्ञान परंपरा, समावेशी, प्रौद्योगिकी ।

प्रस्तावना

शिक्षा को राष्ट्र की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यह देश के विकास और प्रगति को आकार

*असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य, महंत अवेद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय, जंगल कौड़िया, गोरखपुर।

देने में एक मौलिक भूमिका निभाती है। भारतीय ज्ञान-परंपरा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में विचार, दर्शन, विज्ञान, सामाजिक संरचना और जीवनशैली के संदर्भ में गहरा प्रभाव छोड़ चुकी है। भारतीय ज्ञान-परंपरा ने सदैव आत्मज्ञान, सामाजिक सुधार, नैतिकता, विज्ञान और समग्र मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया है। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केन्द्र गुरुकुल होते थे, जहाँ विद्यार्थी न केवल ज्ञान-विज्ञान, अध्यात्म एवं दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते थे, बल्कि शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक कौशल भी सीखा करते थे। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में कला और शिल्प को उच्च मान्यता प्राप्त थी। गुरु-शिष्य परंपरा के अन्तर्गत विद्यार्थी विभिन्न शिल्पों (मूर्तिकारी, भवन निर्माण, कशीदाकारी, धातु, पत्थर एवं लकड़ी की शिल्पकारी, रंगरोगन एवं वस्त्रों की बुनाई) कला और व्यावसायिक कार्यो में दक्षता प्राप्त करते थे जिन्हें पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता था। मौर्यकालीन महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने यह सिद्धांत दिया था कि 'एक व्यक्ति को अपनी रुचि के कौशल में प्रवीण होना चाहिए ताकि वह समाज में सम्मान प्राप्त कर सके।' इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि समाज के हर हाथ में कौशल और काम था जिसके कारण देश और समाज में बेरोजगारी का कोई स्थान नहीं था। कालान्तर में भारत विभिन्न विदेशी आक्रान्ताओं के अधीन रहा जिन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः छिन्न-भिन्न कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप देश का सामाजिक ताना-बाना पूरी तरह अव्यवस्थित हो गया। कुशल कारीगरों की संख्या में कमी होने के कारण बेरोजगारी की समस्या ने समाज में विकराल रूप लेना प्रारम्भ कर दिया। ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इस प्रकार से परिवर्तित किया, जिससे केवल क्लर्कों की फौज तैयार हो और इस व्यवस्था से निकलने वाले युवा नौकरी के लिए अंग्रेजों पर पूर्णतः आश्रित रहें।

स्वतंत्रता के पश्चात् समग्र रूप में शिक्षा के मानकों को उन्नत करने एवं समग्र विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के दृष्टिगत भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के विभिन्न प्रयास हुए। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के दृष्टिगत विभिन्न योजनायें एवं नीतियाँ बनाई गयीं, जिनमें माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53), कोठारी आयोग (1964) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968, 1986) आदि इस दिशा में किये गये प्रमुख प्रयास हैं। इन सभी शैक्षिक सुधारों के निर्दिष्ट उद्देश्यों में व्यावसायिक शिक्षा एवं युवाओं के कौशल विकास की बात की गयी, परन्तु इसे धरातल पर कैसे उतारा जायेगा, इस दिशा में ठोस प्रयासों एवं रूपरेखा का अभाव रहा, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारी एक महामारी का रूप लेती रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण को मुख्यधारा में लाकर तथा इसे औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ जोड़कर इस कहानी को बदलने एवं शैक्षिक मानकों को पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास है।

व्यावसायिक शिक्षा का महत्त्व

व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों में ऐसे ज्ञान एवं कौशल का विकास करती है जो उन्हें व्यावसायिक जीवन में सफल बनाने में सहायक होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनाने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है। व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है-

१. **रोजगार अवसरों का सृजन** - व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को सीधे तौर पर उन क्षेत्रों में काम करने के योग्य बनाती है, जिनमें उच्च तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। यह रोजगार सृजन में सहायक होती है तथा बेरोजगारी की समस्या को कम करती है।

२. **स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता**- व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को अपनी क्षमता और कौशल के आधार पर आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। इसके द्वारा व्यक्ति स्वरोजगार या व्यवसाय शुरू कर सकता है।

३. **कौशल विकास**- यह शिक्षा विशेष कौशल और व्यावहारिक ज्ञान पर केंद्रित होती है, जो विद्यार्थियों को सिद्धांत से अधिक वास्तविक दुनिया में उपयोगी होती है। इससे वे अपने कार्यक्षेत्र में दक्षता प्राप्त करते हैं।

४. **समग्र आर्थिक विकास**- जब व्यक्ति विशेष कौशल से युक्त होता हैं, तो उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिससे न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन बेहतर होता है, बल्कि वह समाज और देश के आर्थिक मानकों के विकास में भी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

५. **सामाजिक विकास**- व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, निर्माण, तकनीकी, सेवाएं आदि। यह समाज के कल्याण के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का उपयोग और अनुप्रयोग कर समाज के समग्र विकास में सहायक होती है।

६. **उच्च शिक्षा की दिशा**- व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर एक कदम हो सकती है। कई बार यह विद्यार्थियों को व्यावसायिक क्षेत्रों में स्नातक स्तर की शिक्षा से जोड़ने का मार्ग भी खोलती है।

७. **उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार**- जब व्यक्ति किसी विशेष पेशे के लिए प्रशिक्षित होते हैं, तो वे अपनी नौकरी में गुणवत्ता और दक्षता के साथ काम करते हैं, जिससे समग्र उत्पादकता, उत्पाद एवं सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होती है।

८. **सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चयन**- यह मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर आर्थिक प्रगति के लाभों के समान वितरण में योगदान देती है, जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

९. **समाज के वंचित वर्गों के लिए समान अवसर**- व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से महिलाओं, ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों, आदिवासियों तथा समाज में हाशिए पर पड़े लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाता है।

व्यावसायिक शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा की मूलभूत समस्याएँ

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिगत विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से कई प्रयास हुए है। यद्यपि, भौतिक रूप में इन प्रयासों के परिणाम आशानुकूल नहीं रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा के बुनियादी स्तर पर कई समस्याएँ देखी गईं, जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन और विद्यार्थियों के बीच इसके प्रति जागरूकता की कमी के रूप में परिलक्षित होती है। देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा के स्तरों में व्यापक अन्तर विद्यमान रहा है। देश के कई राज्यों में शैक्षिक प्रबंधन संरचना या तो कमजोर है या न के बराबर रही है, जिससे इन कार्यक्रम को बुनियादी एवं सूक्ष्म स्तर पर कोई विशेष सफलता नहीं मिल पायी। शिक्षण एवं औद्योगिक संस्थानों के अन्तर्सम्बन्धों में कमी के कारण उद्योगों की माँग के अनुकूल व्यावसायिक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण एवं कौशल का सर्वथा अभाव रहा है। इन समस्याओं के मूल में प्रभावी कारक निम्नांकित हैं-

- औद्योगिक विकास के उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित न करना,
- शिक्षण संस्थानों में पुराने पाठ्यक्रम और परंपरागत उपकरणों का उपयोग होना,
- व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित संस्थानों की कमी,
- विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं कौशल अपर्याप्त हैं जिनका व्यावहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं हैं,
- व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की कमी,
- व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त युवाओं के सामाजिक स्वीकार्यता की कमी,
- रोजगार के अवसरों की कमी,
- व्यावहारिक कौशल की कमी,

- नवीन प्रौद्योगिकी के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था का न होना,
- उद्योग तथा शिक्षण संस्थानों के मध्य साझेदारी की कमी,
- निरंतर कौशल उन्नयन के अवसरों की कमी।
- व्यावसायिक स्ट्रीम में नामांकन दर का कम होना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० का व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के संदर्भ में दृष्टिकोण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इक्कीसवीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है जिसे 29 जुलाई, 2020 को भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लोचनीय तथा गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इस नीति के अन्तर्गत भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को अधिक उत्पादक, रोजगारपरक और यथार्थवादी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह नीति शिक्षा के सभी स्तरों पर नवाचार एवं सुधारों का समर्थन करती है, जिसके माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त यह नीति विशेष रूप से युवा पीढ़ी के कौशल विकास हेतु उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के मध्य एक मजबूत सम्बन्ध स्थपित करने की आवश्यकता पर बल देती है।

इस नीति के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के दृष्टिगत कई महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर घ्यान दिया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख और उद्योग-उन्मुख शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना है। इसे पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने हेतु इस नीति में निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाये गये हैं-

१. **व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाना**- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा की मुख्यधारा के साथ एकीकृत करना है। इस नीति के अनुसार 6वीं कक्षा से ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे भविष्य में अपने कैरियर को और बेहतर बना सकें।

२. **व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार**- इस नीति के अनुसार अगले कुछ वर्षो में सभी स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाएंगे। यह शिक्षा न केवल तकनीकी और व्यावसायिक कौशल पर केंद्रित होगी, बल्कि यह विद्यार्थियों को भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार करेगी।

३. **कौशल आधारित पाठ्यक्रम**- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत, पाठ्यक्रम में कौशल-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को उनकी रुचियों और उद्योगों की आवश्यकताओं के आधार पर प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करेगा। इसके साथ ही, विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री स्तर की व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त होगा।

४. **उद्योग और शिक्षा संस्थानों के मध्य साझेदारी**- इस नीति ने उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित किया है, ताकि विद्यार्थियों को वास्तविक उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। इससे विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया के अनुभव प्राप्त होंगे और उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकसित हो सकेगा।

५. **औद्योगिक प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप**- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव से युक्त करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप के महत्त्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है जहाँ विभिन्न आविष्कारों एवं तीव्र गति से उन्नत हो रही तकनीकों के कारण औद्योगिक गतिविधियों एवं कार्यदशाओं का आधुनिकीकरण हो रहा है। इसलिए, विद्यार्थियों को औधोगिक प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप के माध्यम से विभिन्न आधुनिक तकनीकी कौशल विकसित करने में मदद करना आवश्यक है, जिससे वे उद्योगों एवं आधुनिक कार्यस्थलों की मांगों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें।

६. **शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना**- इस नीति के अन्तर्गत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों के माध्यम से, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार प्राप्ति के लिए तैयार किया जाएगा।

७. **लचीली एवं इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा की व्यवस्था**- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में लचीले एवं बहु-आयामी (इंटरडिसिप्लिनरी) पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को विविध क्षेत्रों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके तहत, व्यावसायिक शिक्षा को पारंपरिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त कर सकें।

८. **ऑनलाइन एवं डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग**- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में डिजिटल शिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण घटक माना गया है। इसके अंतर्गत, ऑनलाइन प्लेटफार्मों और डिजिटल टूल्स का उपयोग कर व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को

विद्यार्थियों तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जाएगा। यह नीति विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए उपयुक्त है।

९. **रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर**- इस नीति ने विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों के साथ-साथ उद्यमिता की ओर भी प्रोत्साहित किया है। नीति में कौशल विकास के साथ-साथ स्टार्टअप और उद्यमिता के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त हो सके।

१०. **स्थानीय कला एवं शिल्प को विशेष महत्त्व**- इस नीति में स्थानीय और व्यावहारिक महत्त्व वाले कला एवं शिल्प को बढ़ावा देने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। इन क्षेत्रें से सम्बन्धित विशेषज्ञों द्वारा इंटर्नशिप गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को स्थानीय कला के विभिन्न स्वरूपों तथा शिल्पकला का ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दिया गया है, जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार प्राप्त हो सके तथा स्थानीय कला एवं शिल्प को संरक्षित एवं सम्वर्धित किया जा सके।

११. **मल्टी-एंट्री और मल्टी-एग्जिट प्रणाली का समावेश**- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा में लोचनीयता को बढ़ावा देने के लिए मल्टी-एंट्री और मल्टी-एग्जिट प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के किसी भी स्तर पर छोड़ने और फिर से प्रवेश करने की सुविधा देना है। यह प्रणाली व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होगी, जिससे विद्यार्थी विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे। ऐसे में उन्हें रोजगार के अवसरों के उपलब्ध होने पर यदि वे चाहे तो शिक्षा से बिना किसी कठिनाई के अवकाश ले सकते हैं तथा भविष्य में अवसर उपलब्ध होने पर पुन: शिक्षा अथवा प्रशिक्षण पूरा करने हेतु प्रवेश ले सकते हैं।

१२. **इंटरनेशनल मानकों से मेल खाने वाली शिक्षा व्यवस्था की संकल्पना**- इस शिक्षा नीति में वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है, ताकि भारतीय विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया जा सके। इसमें व्यावसायिक शिक्षा का स्तर भी सुधारने की योजना है, ताकि भारतीय विद्यार्थियों का कौशल वैश्विक मानकों के अनुसार हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को एक नया रूप देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके माध्यम से, भारत के युवा विद्यार्थियों को न केवल एक मजबूत अकादमिक शिक्षा मिल सकेगी, बल्कि उन्हें उद्योगों की

जरूरतों के अनुरूप व्यावसायिक कौशल भी मिलेगा, जिससे वे रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में सफल हो सकेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० की चुनौतियाँ एवं समाधानः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को प्रमुखता दी गयी है, लेकिन इसके सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में कई चुनौतियाँ एवं बाधायें है। इन समस्याओं के व्यापक समाधान के बिना व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के लक्ष्य को पूरा करना कठिन हो सकता है। इन चुनौतियों में से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं-

१. **संस्थागत और बुनियादी ढाँचे की कमी**- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की प्रमुख अवधारणाओं में से एक व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकरण करना है, लेकिन भारत में अभी भी व्यावसायिक शिक्षा देने वाले संस्थानों की संख्या सीमित है। इन संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं एवं प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है, जिससे विद्यार्थियों को उद्योगों की माँग एवं मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण एवं कौशल प्राप्त नहीं हो पाता है। इस समस्या के समाधान हेतु शिक्षण संस्थाओं में व्यापक रूप में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं, उपकरणों एवं प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है।

२. **उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन पाठ्यक्रमों की कमी**- दुनिया में तकनीकी बदलाव तीव्र गति से हो रहे हैं अतः व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम इन बदलाओं के अनुरूप अद्यतन होना चाहिए। भारत में अधिकांश शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम पुराने तथा आउटडेटेड हैं, इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वे अक्सर उद्योगों की वर्तमान माँग से मेल नहीं खाते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु शिक्षण संस्थानों का उद्योगों से एकीकरण आवश्यक है, जिससे उन्हें उद्योगों की माँग एवं मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम को अद्यतन करने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर ऐसे शिक्षण प्रबन्ध एवं नियामक संस्थानों की स्थापना की जाय जिसका काम शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों एवं उद्योगों के बीच सेतु का काम करना हो।

३. **शिक्षकों की कमी एवं गुणवत्तापूर्ण सतत प्रशिक्षण का अभाव**- व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक शिक्षा में तेजी से बदलाव हो रहा है ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वर्तमान में देश के अधिकांश शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के

अधिकांश पद रिक्त हैं। जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके अद्यतन प्रशिक्षण के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों में व्यावहारिक ज्ञान और अद्यतन कौशल का अभाव होने के कारण रोजगार प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस समस्या के समाधान हेतु व्यापक स्तर पर कार्ययोजना एवं उसके कार्यान्वयन की महती आवश्यकता है।

४. **वित्तीय संसाधनों की कमी**- व्यावसायिक शिक्षा के सफल संचालन एवं विकास हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में इस क्षेत्र में सरकारी एवं निजी क्षेत्र का निवेश कम है। इसके कारण इन संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों का अभाव होता है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके समाधान हेतु यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के संस्थानों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध किये जाये। नीतियों में परिवर्तन कर इस क्षेत्र को निजी निवेश के लिए आकर्षक बनाया जाये। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों विशेषकर गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

५. **सामाजिक दृष्टिकोण एवं मानसिकता**- भारतीय समाज में अभी भी पारंपरिक शिक्षा (जैसे विज्ञान, गणित एवं मानवीकी) को प्राथमिकता दी जाती है। अक्सर यह माना जाता है कि केवल अकादमिक डिग्रियाँ (जैसे बी.ए., बी.कॉम., बी.एस-सी.) ही भविष्य को सुरक्षित बना सकती हैं। व्यावसायिक शिक्षा को एक उपयुक्त और सम्मानजनक विकल्प नहीं माना जाता है। इससे विद्यार्थियों और उनके परिवारों के बीच व्यावसायिक शिक्षा को लेकर एक नकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है, जिससे इसकी लोकप्रियता में कमी आती है। इस समस्या के समाधान हेतु व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं कैरियर मार्गदर्शक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के विविध क्षेत्रों एवं संभावित कैरियर विकल्पों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारत दुनिया के सर्वाधिक युवा मानव संपदा वाला देश है तथा यही मानव संपदा भारत की वास्तविक संपत्ति है। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली ही इस विशाल मानव संपदा को सर्वोत्तम तरीके से विकसित करके देश के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकती है। देश की प्रगति मुख्यरूप से युवाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता पर निर्भर करती है। औद्योगिक माँग एवं मानकों के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा ही युवाओं की रोजगार क्षमता और उत्पादकता सुनिश्चित कर सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, भारत में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास का एक

नया अध्याय प्रारम्भ करने वाली है। इसके तहत व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम उठाये गये हैं। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करके यह नीति युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। यद्यपि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक स्पष्ट प्रावधान के साथ ही विभिन्न सकारात्मक एवं नवीन पहलू हैं, किन्तु हम उन प्रावधानों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में व्यावहारिक कठिनाइयों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि इन समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाता है तथा इस नीति के प्रावधानों को दृढ़ संकल्प के साथ सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन किया जाता है तो इसमें भारत की शैक्षिक प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है।

संदर्भ सूचीः

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
2. कौशल विकास रिपोर्ट, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम।
3. व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास में चुनौतियाँ, भारतीय शिक्षा परिषद्।
4. जोशी, वी एण्ड त्रिपाठी, एस.के. (2023) इश्यूज इन वोकेशनल एजुकेशन इन इण्डिया एण्ड देयर पॉसिबल सॉल्यूशन्स, Retrieved from https:èèijcrt.orgèpapers/IJCRT2302041.pdf
5. कौका, एस, (2020, अगस्त 7), टेन प्वाइंट्स टु कंसीडर : वोकेशनल एजुकेशन एण्ड स्किल्स इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. Retrieved from website: https://www.nationalskillsnetwork.in/
6. लुकोज एण्ड शर्मा (2023), ए स्टडी ऑन द रोल ऑफ एनईपी 2020 : स्किल डेवलपमेण्ट ऑफ स्टूडेन्ट्स Retrieved from https://www.amity.edu/aien/aijte/articles 2023/9. % 20 A%20 Study%20 on % 20 the%20 Role% 20 of %20 NEP %20 2020_% 20 Skill% 20 Development% 20 of %20 Students.pdf
7. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (2020), एबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी कन्सल्टेशन. Retrieved from MHRD website: https://www.mhrd.gov.in/nep-new
8. पटेल एण्ड अग्रवाल (2024), नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 : पॉराडिग्म शिफ्ट इन वोकेशनल एजुकेशन फॉर आत्मनिर्भर भारत। Retrieved from https://www.research gate.net/ publication /380470990_ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020_पाराडिग्म शिफ्ट इन वोकेशनल एजुकेशन फॉर आत्मनिर्भर भारत#:~:text=The %20 NEP %20 2020 %20 has %20 also, to % 20 a%20 self%2 Dreliant%20India.
9. पाठक, आर.के., रिमैजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन एण्ड स्किल–बिल्डिंग. Retrieved from https:// www.education.gov.in.
10. शर्मा, एन. (2022). वोकेशनल एजुकेशन एण्ड एनईपी 2020. इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स,

10 (5) ISSN: 2320-2882. Retrieved from IJCRT2205953.pdf

11. इण्डिया टुडे (2023, जुलाई 17), रोल ऑफ एनईपी इन इन्हेन्सिंग स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टुडेन्ट्स Available on: https://www.indiatoday.in/education today/ featurephilia/ story/explained-role-of-nepinenhancing-skill-development-among-students1981740-2022-07-3

12. मलिक, एन, दास, जे. (2022), वोकेशनल एजुकेशन एण्ड इण्टरप्रेनरशिप इन एनईपी 2020. Available on:https://www.researchgate.net/publication/359685830_VOCATIONAL_EDUCATION_AND _E NTREPRENEU RSHIP_IN_NEP_2020

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्त:अनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : भाषाई संदर्भ

डॉ. आरती सिंह*

सार-संक्षेप:

शिक्षा मानव जीवन को पूर्ण बनाने और सामाजिक-राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। उच्चस्तरीय शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा का वह उचित माध्यम है जिससे किसी देश की प्रतिभा और संसाधनों का विकास होता है। शिक्षा से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई की जा सकती है। भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। इन सब का माध्यम होगा भाषा। भारत एक विकासशील राष्ट्र है और वैश्विक स्तर पर ज्ञान के स्रोत के रूप में पहचान बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार पारंपरिक शिक्षा मॉडल को आधुनिक ऐड-टेक ढांचे में ढालने के लिए काम कर रही है, इसका उद्देश्य भारत को सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत बनाना है। इसे संभव बनाने की प्रक्रिया में शिक्षा में मातृभाषा के महत्त्व की खोज की गई है। इस खोज के कारण भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम के तहत बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा को शामिल किया गया है। इसने छात्रों के लिए नए दरवाजे खोले हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से सीखने में सक्षम बनाया है। इसने पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के बीच की खाई को पाटने में भी मदद की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2022 की सिफारिश की गई है कि बच्चों को 8 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए।

बीज-शब्द:

मातृभाषा, सार्वभौमिक, वैश्विक मंच, उच्च स्तरीय, गुणवत्तापूर्ण, प्रेरणादायक, प्रणालियों, पाठ्यचर्या, रूपरेखा, अधिनियम, निर्विवाद, शिक्षा मॉडल, वैश्विक, बुनियादी, संज्ञानात्मक, बहुउद्देशीयता, शैक्षणिक, परिकल्पना।

*अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अध्याय 5 की धारा 29-(1) में निर्विवाद रूप से कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो शिक्षण का माध्यम बच्चों की मातृभाषा में होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान अर्जन से छात्रों को विषय-वस्तु को बेहतर ढंग से समझने और अपने समग्र शिक्षण अनुभव में सुधार करने में मदद मिलेगी। सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालय में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी जिसके लिए आवश्यकतानुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद भी करवाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि "यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते है। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए शिक्षा का माध्यम घर की भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद घर / स्थानीय भाषा के रूप में जहां भी संभव हो पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसका अनुपालन करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं / मातृभाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएंगे कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षक के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जा सके।"[1]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनई पी-2020) के तहत भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई पहलुओं पर काम करने का प्रस्ताव है- त्रिभाषा सूत्र के तहत सभी छात्रों को तीन भाषा सीखनी होगी। पहली भाषा मातृभाषा / घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषा राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा हिंदी भाषा और गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या एक शास्त्रीय भाषा होगी। कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। विज्ञान सहित सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकें घरेलू भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएँगी। शिक्षकों को उन छात्रों के साथ द्विभाषी शिक्षण सामग्री सहित परिभाषित दृष्टिकोण का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा और विदेशी भाषा को वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कक्षा 8 तक पढ़ाई अनिवार्य रूप से मातृभाषा में कराई जाएगी। सरकार को यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि कक्षा 5 तक निर्धारित भाषा का संबंध त्रिभाषा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुच्छेद 411 के अनुसार 'जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि ग्रेड 8 तक उससे आगे तक भी शिक्षा का माध्यम घर की भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा

होगी – इसके बाद घर स्थानीय भाषा को जहां तक संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा।[2]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार भाषा सीखना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुद्देशीयता और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना है। त्रि–भाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी व गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में यह वकालत की गई है कि जहां तक संभव हो शिक्षा का माध्यम कम से कम ग्रेड पांच तक मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी। लेकिन बेहतर होगा कि ग्रेड 8 और उससे आगे तक सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अध्याय 4 भाग 13 में कहा गया है कि 'संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए त्रि–भाषा फार्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं के विकल्प राज्यों एवं क्षेत्रों में निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम से कम तीन में दो भाषाएं भारतीय हो।'[3]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लगभग 34 वर्षों में पहली बार आई है, मौजूदा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन का प्रस्ताव करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का एक प्रमुख आकर्षण यह कि 'भारत की भाषा दुनिया में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यंजक भाषा है, जिसमें प्राचीन और आधुनिक साहित्य (गद्य और पद्य दोनों) के विशाल भंडार हैं। इन भाषाओं में लिखे गए फिल्म संगीत और साहित्य भारतीय राष्ट्रीय पहचान और धरोहर है। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सभी युवा भारतीयों को अपने देश की भाषाओं में विशाल और समृद्ध भंडार और इनके साहित्य के खजाने के बारे में जागरूक होना चाहिए।'[4]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी कहा गया कि 'उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कार्यक्रम में मातृभाषा /स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा, और कार्यक्रमों को द्विभाषिक रूप में चलाया जाएगा ताकि भारतीय भाषाओं की मजबूती, उपयोग एवं जीवन्तता को प्रोत्साहन मिल सके। निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत शीघ्र ही अनुवाद और विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा। भारत इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषा और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालय का विस्तार करेगा, और उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने का मजबूत प्रयास करेगा, जिन पर अभी ध्यान नहीं गया। जिन संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय में शास्त्रीय भाषा एवं साहित्य पढ़ाया जा रहा है, उनका और विस्तार किया जाएगा।'[5]

भाषा नि:संदेह कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी है। दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। आठवीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं वे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एकीकृत करने की आवश्यकता है। अनेक उपाय के पश्चात भी देश में देसी भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की कमी रही है। भाषा शिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए ताकि भाषा में बातचीत और अंत:क्रिया की क्षमता के साथ भाषा साहित्य, शब्द भंडार का विकास हो। भाषाओं को अधिक व्यापक रूप में बातचीत और शिक्षक अधिगम के लिए प्रयोग में लाना चाहिए।

स्कूली बच्चों में भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा, बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रि-भाषा फार्मूला का जल्द क्रियान्वयन, साथ ही जब संभव हो मातृभाषा /स्थानीय भाषा के शिक्षक तथा अधिक अनुभव आधारित भाषा शिक्षण, उत्कृष्ट लेखक एवं साहित्यकारों को शामिल करें। उच्चतर शिक्षा एवं उसके आगे की शिक्षा में भारतीय भाषाओं में तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन का विकास होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि 'देश के प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान 'द लैंग्वेज ऑफ इंडिया' के प्रोजेक्ट में भाग लेंगे। इससे भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। इसके तहत उनके सामान्य ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला और लिपियों, उनकी सामान्य व्याकरणिक संरचनाओं, संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषा से इनकी शब्दावली के स्रोत और उद्भव को ढूंढने से लेकर भाषा के समृद्ध का अंतर-प्रभाव और अन्तरों को समझना शामिल है।'[6]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 'सभी भाषाओं को मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा। मातृभाषा में लिखने के साथ- ग्रेड 3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देशभर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं और विशेष रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश का एक बड़ा प्रयास होगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य अपने-अपने राज्यों में त्रि-भाषा फार्मूले को अपनाने के लिए और साथ ही देश भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए आपस में द्विपक्षी समझौता कर सकते हैं।'[7]

भारतीय भाषाओं के विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कविताओं एवं गद्य के लिए पुरस्कार की

स्थापना जैसे प्रोत्साहन के कदम उठाए जाएंगे, ताकि सभी भारतीय भाषा में जीवंत कविताएं, उपन्यास, पाठ्य-पुस्तकें, कथेतर साहित्य निर्माण एवं पत्रकारिता जैसे अन्य कार्य प्रोत्साहित किये जा सकें। भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार अर्हता के मानदंडों के एक हिस्से के तौर पर शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में 'यह भी कहा गया कि शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषा सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किए जाएंगे। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी जिसमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल रहेंगे। अनुसूची 8 की भाषाओं के लिए इन अकादमियों को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अथवा उनके साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा। भारतीय भाषाओं का संवर्धन एवं प्रसार तभी संभव है जब उनका नियमित तौर पर प्रयोग किया जाए।'[8]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम के अंतर्गत उच्चतर गुणवत्तायुक्त ऐसे उच्च शिक्षण संस्थाओं का निर्माण और विकास करना है जो स्थानीय /भारतीय भाषाओं में द्विभाषी रूप से शिक्षण कराए। भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप में पढ़ाए जाने वाले डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक ऐसा राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ सेवा निवृत उत्कृष्ट संकाय के सदस्यों को जोड़ा जाएगा। इनमें वे संकाय सदस्य भी शामिल होंगे जिनमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता हो और जो विश्वविद्यालयों कॉलेजों के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श दे सकें। भारतीय भाषाओं में पठन-सामग्री उपलब्ध कराना, बाल पुस्तकालय एवं चल पुस्तकालय खोलना, पूरे भारत में महत्त्वपूर्ण विषयों पर सामाजिक पुस्तक क्लब की स्थापना करना, तथा शिक्षण संस्था और पुस्तकालय में आपसी सहयोग भी बढ़ाने जैसे उद्देश्य अर्थपूर्ण होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं में एक अत्यंत समृद्ध साहित्य है। इन शास्त्रीय भाषाओं के अतिरिक्त प्राकृत का समृद्ध साहित्य देश के बच्चों को भारत की समृद्ध शास्त्रीय भाषा और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम दो साल तक सीखने का विकल्प होगा। भारतीय भाषाओं के अलावा विदेशी भाषाओं जैसे- कोरिया, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली आदि भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों और क्षेत्रीय भाषाओं में ओलंपियाड उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में स्थानीय भाषा में शिक्षक की सहजता

और दक्षता के लिए प्रत्येक स्कूल/कॉम्प्लेक्स में कम से कम कुछ शिक्षक ऐसे हों जो स्थानीय भाषा/छात्रों की अन्य प्रचलित घरेलू भाषाओं में छात्रों से बातचीत कर सकें। निजी स्कूलों में शिक्षकों को भी टीईटी कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन/साक्षात्कार और स्थानीय भाषा के ज्ञान के माध्यम से समान रूप से योग्य होना चाहिए। ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाना जिसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों जो स्थानीय भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रम का माध्यम प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के भाषा विषयक संदर्भ का अध्ययन करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मातृभाषा में सीखने से छात्रों में बेहतर संचार कौशल विकसित करने में बल मिल सकता है। क्योंकि वह अपनी मूल भाषा में खुद को व्यक्त करने में अधिक सहज होते हैं। बच्चों की मूल भाषा में शिक्षा मिलने से उनकी सफलता की संभावनाएँ और बढ़ सकती हैं। मातृभाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक अपने छात्रों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। वह अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। साथ ही भारत की शास्त्रीय भाषा और साहित्य के महत्त्व, प्रासंगिकता और सुंदरता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नियमित उपयोग की जाने वाली शैक्षणिक सामग्री की तैयारी, शिक्षकों के प्रशिक्षण, नवीन तरीकों, प्रौद्योगिकी के विवेकपूर्ण उपयोग और सभी भाषाओं और उनकी उल्लेखनीय एकता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास के माध्यम से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

सन्दर्भ-

1- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 रिपोर्ट, मानव विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ संख्या-19

2- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 रिपोर्ट, मानव विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ संख्या-18

3- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 रिपोर्ट, मानव विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ संख्या-20

4- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 रिपोर्ट, मानव विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ संख्या-21

5- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 रिपोर्ट, मानव विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ संख्या-90

6- राष्ट्रीयशिक्षा नीति 2020-रिपोर्ट, मानव विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ संख्या-21

7- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 रिपोर्ट, मानव विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ संख्या-20

8- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 रिपोर्ट, मानव विकास मंत्रालय, भारत सरकार,पृष्ठ संख्या-91

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्त:अनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

The Role of Mathematics in National Education Policy 2020

Pappu Kumar Gupta*

Abstract:

The National Education Policy (NEP) 2020 of India emphasizes a holistic, multidisciplinary, and inclusive approach to education, with a strong focus on enhancing critical thinking, problem-solving, and analytical skills. Mathematics plays a pivotal role in this vision, serving as a foundational subject across all levels of education. The NEP 2020 acknowledges the importance of mathematics not only as a tool for scientific and technological advancements but also as a means to foster logical reasoning, creativity, and numeracy skills among students. By advocating for a curriculum that integrates mathematical concepts with real-world applications, the policy seeks to improve students' ability to approach complex problems methodically. Furthermore, the NEP aims to promote mathematical literacy and reduce math-related anxiety, encouraging active learning through technology and innovative pedagogical practices. This abstract explores the role of mathematics in the NEP 2020, highlighting its contribution to the overall educational goals of improving cognitive skills, enabling future-ready learners, and empowering students for personal and professional success in an increasingly data-driven world.

National Education Policy 2020 (NEP 2020) of India emphasizes mathematics as a critical component of education for developing logical reasoning, problem-solving, and analytical thinking. It aims to make mathematics accessible, enjoyable, and relevant to real-life applications. Here are the key roles of mathematics as envisioned by NEP 2020.

Key Words : National Education Policy 2020, Mathematics, Critical Thinking, Problem-Solving, Analytical Skills, Mathematical Literacy, Curriculum Integration, Real-

*Department of Mathematics & Statistics M.P.P.G. College Jungle Dhusan Gorakhpur (guptapappu88@gmail.com)

World Applications, Pedagogical Practices, Numeracy Skills, Logical Reasoning, STEM Education, Technology in Education, Active Learning, Educational Goals, Cognitive Skills, Future-Ready Learners..

1. Building Foundational Skills

Numeracy and Literacy Mission: NEP 2020 places a strong focus on foundational numeracy as an essential skill for all students in the early grades. It aims to ensure that children develop basic mathematical abilities by Grade 3.

Efforts like activity-based learning and interactive pedagogical approaches aim to make learning mathematics engaging and effective.

Mathematics plays a **crucial role in building foundational skills**, as it nurtures cognitive abilities and practical competencies that are essential for lifelong learning and problem-solving. Here are some key aspects of its importance:

1.1. Development of Critical Thinking

- Mathematics encourages logical reasoning and structured thinking.
- Problem-solving activities in math require analysing, hypothesizing, and drawing conclusions.
- ·It cultivates the ability to approach problems systematically, which is applicable across disciplines.

1.2. Numeracy Skills

- Foundational math skills, like counting, addition, subtraction, multiplication, and division, form the basis for handling real-world tasks such as budgeting, measuring, and planning.
- These skills are essential for personal and professional tasks, including financial literacy and decision-making.

1.3. Strengthening Cognitive Development

- Mathematical learning enhances memory, attention, and executive functioning.
- Activities like solving puzzles or equations build mental agility and improve concentration.

1.4. Laying the Foundation for Advanced Learning

- Early exposure to mathematical concepts prepares learners for advanced subjects such

as science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

- Understanding patterns, relationships, and structures in math aids in grasping more complex ideas later.

1.5. Improving Communication Skills

- Mathematics teaches the use of precise language, symbols, and diagrams.
- It helps learners articulate their thought processes and solutions clearly and effectively.

1.6. Fostering Problem-Solving Abilities

- Mathematics trains individuals to approach challenges with creativity and persistence.
- These problem-solving techniques are transferable to diverse situations, from daily life to professional tasks.

1.7. Encouraging Logical and Spatial Reasoning

- Understanding shapes, measurements, and spatial relationships in geometry aids in practical tasks like construction, navigation, and design.
- Logical reasoning built through math contributes to better decision-making.

1.8. Building Confidence and Growth Mindset

- Success in solving mathematical problems instils confidence and encourages a growth mindset.
- It teaches resilience, as learners often need to try different approaches to reach solutions.

2. Curricular and Pedagogical Reforms

NEP advocates a conceptual understanding of mathematics rather than rote learning. Students are encouraged to develop a deep understanding of mathematical principles and their applications.

Integration of mathematics with other subjects to foster interdisciplinary learning and real-world problem-solving.

Mathematics plays a vital role in **curricular and pedagogical reforms** as it provides a strong foundation for holistic education and equips learners with skills that align with 21st-century demands. Here's how mathematics contributes to such reforms:

2.1 Fostering Critical and Analytical Thinking

- Mathematics is central to developing reasoning and analytical skills, which are priorities in modern educational reforms.
- Curricula are designed to move beyond rote memorization, emphasizing problem-solving and critical analysis through mathematical concepts.

2.2. Supporting Interdisciplinary Learning

· Mathematics integrates with other subjects like science, technology, and economics, promoting cross-disciplinary learning.

· Curricular reforms increasingly highlight connections between mathematics and real-world applications, enhancing relevance and engagement.

3. Skill Development

NEP emphasizes the development of computational thinking and mathematical reasoning skills, which are crucial for various disciplines such as engineering, technology, economics, and data science.

It Introduces coding and computational thinking from the middle school level, where mathematical concepts play a foundational role.

Mathematics plays a crucial role in **skill development**, providing learners with essential abilities that are transferable across various fields and professions. Here's how mathematics contributes to developing key skills:

3.1Problem-Solving Skills

· Mathematics trains individuals to approach problems logically, analyse situations, and develop solutions.

· These skills are applicable in diverse contexts, from technical tasks to everyday decision-making.

3.2. Analytical Thinking and Reasoning

· Mathematics fosters critical analysis by requiring students to evaluate patterns, relationships, and data.

· Analytical reasoning developed through math helps in understanding complex systems

and making informed decisions.

3.3. Numeracy and Financial Literacy

- Basic mathematical skills, such as arithmetic, percentages, and ratios, are foundational for managing finances, budgeting, and understanding economic principles.
- Strong numeracy skills are crucial for both personal and professional success.

3.4. Logical and Computational Thinking

- Mathematics cultivates logical reasoning and computational thinking, essential for programming, data analysis, and algorithm design.
- These skills are foundational for careers in technology, engineering, and science.

3.5. Time Management and Organizational Skills

- Problem-solving in math often involves sequencing steps and allocating resources, indirectly enhancing time management and organizational abilities.

3.6. Attention to Detail

- Mathematics requires precision in calculations and reasoning, fostering an eye for detail that is valuable in fields like accounting, engineering, and research.

3.7. Data Interpretation and Statistical Skills

- Skills in data analysis, statistics, and probability are critical for understanding trends, making predictions, and supporting evidence-based decisions.
- These are especially valuable in research, business analytics, and public policy.

3.8. Adaptability and Creativity

- Tackling challenging mathematical problems encourages adaptability and innovative thinking, which are essential for addressing unpredictable challenges in various domains.

3.9. Communication and Collaboration Skills

- Explaining mathematical reasoning, working in teams to solve problems, and presenting solutions build communication and collaboration abilities.

3.10. Preparation for Technological and STEM Careers

- Mathematical knowledge and skills are prerequisites for success in fields like engineering, technology, and natural sciences.
- It also equips learners for emerging fields like artificial intelligence, data science, and robotics.

4. Use of Technology

Promotes the use of educational technology such as digital tools, apps, and software to teach mathematics effectively.

Encourages creating virtual labs and gamified learning platforms to enhance understanding and engagement.

Mathematics plays an essential role in the **use of technology**, as it underpins the development, application, and understanding of technological tools and innovations. Here are key ways in which mathematics is integral to the use of technology:

4.1Foundation for Technological Innovations

- Mathematical principles form the backbone of technologies like computer algorithms, machine learning, artificial intelligence, and cryptography.
- Concepts such as calculus, linear algebra, and probability are critical for designing and optimizing systems.

4.2. Data Analysis and Modelling

- Technology relies on mathematical models to simulate real-world scenarios and analyse data effectively.
- Statistical methods and predictive analytics are used in fields like healthcare, finance, and climate science.

4.3. Development of Software and Algorithms

- Programming and software development require mathematical logic, algorithms, and computational thinking.
- Math ensures efficiency and accuracy in processes like data sorting, encryption, and search engine optimization.

4.4. Digital Graphics and Design

- Mathematics is crucial for creating animations, 3D modelling, and computer-aided design (CAD) tools.
- Geometry, matrices, and transformations enable the realistic rendering of images and motion in video games, movies, and virtual reality.

4.5. Enhancing Precision in Engineering and Robotics

- Robotics and automated systems use mathematical principles for movement control, trajectory planning, and sensor integration.
- Mathematics ensures precision in manufacturing technologies like CNC machining and 3D printing.

4.6. Artificial Intelligence and Machine Learning

- AI algorithms rely on mathematical concepts like linear algebra, probability, and optimization.
- These technologies use mathematical models to learn patterns, make predictions, and improve decision-making processes.

4.7. Communication and Signal Processing

- Mathematics enables technologies such as wireless communication, GPS, and data transmission.
- Fourier transforms, wave equations, and statistical methods optimize signal clarity and reliability.

4.8. Cybersecurity and Encryption

- Cryptographic algorithms, used to secure digital information, are built on mathematical concepts like number theory and modular arithmetic.
- Mathematics ensures the safety and integrity of sensitive data in online transactions and communications.

4.9. Educational Technologies

- Mathematics drives the design of educational software and tools, like adaptive learning platforms and simulations.
- It helps in creating algorithms that personalize learning experiences for users.

4.10. Big Data and Cloud Computing

- Mathematics is vital for processing and analysing massive datasets in real time, which is central to big data and cloud computing technologies.
- Techniques such as matrix operations and distributed computing optimize data storage and retrieval.

5. Flexibility and Inclusion

NEP promotes flexible curricula, allowing students to pursue mathematics at different levels based on their aptitude and career aspirations.

Special efforts are proposed to support children from disadvantaged groups to overcome their fear of mathematics and build confidence.

Mathematics plays a significant role in promoting **flexibility and inclusion** in education and society, fostering equitable opportunities for learning and participation. Here's how mathematics contributes:

5.1Adaptable Learning Pathways

- Mathematics curricula can be tailored to suit diverse learning needs, ensuring that all students, regardless of ability level, can engage meaningfully.
- Personalized approaches, such as differentiated instruction and adaptive technologies, make math accessible to a broader range of learners.

5.2. Integration of Technology for Inclusion

- Math-based educational technologies, like interactive tools and apps, support inclusive learning environments by addressing varied learning styles.
- Assistive technologies, such as text-to-speech and visual aids, make math accessible to learners with disabilities.

5.3. Cultivating Diverse Problem-Solving Approaches

- Mathematics encourages multiple methods for solving problems, allowing learners to explore strategies that align with their cognitive preferences and cultural contexts.
- This flexibility fosters a sense of belonging and empowerment for individuals from different backgrounds.

5.4. Universal Application Across Fields

- The universality of mathematics ensures its relevance across professions and disciplines, opening doors to diverse career opportunities.
- Mathematical skills are foundational in STEM fields, economics, and social sciences, promoting inclusive participation in these areas.

5.5. Support for Cross-Cultural Understanding

- Mathematics is a universal language, transcending linguistic and cultural barriers.
- Collaborative problem-solving in mathematics encourages global perspectives and intercultural understanding.

5.6. Addressing Equity Gaps

- Math education initiatives often target underserved communities, promoting social equity by improving numeracy and problem-solving skills.
- Providing resources and support in math helps bridge educational gaps and creates pathways to higher education and employment.

5.7. Encouraging Growth Mindsets

- Mathematics fosters resilience and adaptability by emphasizing that challenges can be overcome through effort and persistence.
- This growth mindset is inclusive, empowering learners of all abilities to succeed.

5.8. Accommodating Diverse Needs

- Mathematics education is designed to support learners with varied needs, including gifted students, students with learning difficulties, and those with physical or sensory disabilities.
- Inclusive practices, like using manipulatives, visual models, and hands-on activities, ensure active participation.

5.9. Promoting Lifelong Learning

- Mathematical skills are essential for navigating everyday life, from budgeting to decision-making, making them universally beneficial.

- This inclusivity ensures that all individuals, regardless of background, can leverage math to enhance their lives.

5.10. Flexibility in Application

- The adaptability of mathematical principles allows them to be applied to various real-world scenarios, making math relevant for diverse interests and professions.
- This flexibility helps learners see the value of math in their personal and professional goals.

6. Integration with Vocational Training

Mathematics is seen as vital for vocational education, emphasizing its application in fields like construction, finance, and technical trades.

Students are introduced to financial literacy, basic arithmetic, and data analysis for practical decision-making.

Mathematics plays a critical role in **integration with vocational training**, as it provides the foundational skills and practical knowledge necessary for various trades and professions. Here's how mathematics supports and enhances vocational training:

Mathematics plays a critical role in **integration with vocational training**, as it provides the foundational skills and practical knowledge necessary for various trades and professions. Here's how mathematics supports and enhances vocational training:

6.1. Foundational Knowledge for Technical Skills

- Vocational fields like carpentry, plumbing, electrical work, and manufacturing rely on basic mathematical concepts such as measurement, geometry, and arithmetic.
- Understanding ratios, proportions, and scales is essential for tasks like reading blueprints or creating precise measurements.

6.2. Enhancing Problem-Solving Abilities

- Mathematics helps vocational learners develop logical reasoning and problem-solving skills, enabling them to tackle technical challenges efficiently.
- These skills are particularly important in professions requiring troubleshooting, optimization, or system design.

6.3. Application in Industry-Specific Contexts

- In fields such as engineering, mechanics, and construction, applied mathematics ensures accuracy in calculations for structural integrity, load distribution, and material usage.
- Hospitality and retail vocations use mathematics for inventory management, pricing, and financial transactions.

6.4. Support for Technology and Automation

- Vocational training increasingly involves technology like CAD (Computer-Aided Design), CNC (Computer Numerical Control) machines, and robotics, all of which require mathematical knowledge.
- Mathematics is integral to understanding algorithms, programming, and data analysis used in automated systems.

6.5. Preparing for Certification and Standards

- Many vocational certifications require proficiency in mathematical concepts, such as those in accounting, electrical work, and HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) systems.
- Mathematics ensures adherence to industry standards and regulations, improving professional competence.

6.6. Facilitating Financial Literacy

- Vocational professionals benefit from mathematics in managing finances, calculating costs, and maximizing profitability.
- Skills in percentages, interest rates, and financial planning are vital for those running small businesses or working independently.

6.7. Fostering Precision and Accuracy

- Vocational tasks often require exact measurements, calculations, and estimations. Mathematics ensures precision in these areas.
- Professions like welding, tailoring, and culinary arts depend heavily on accurate measurements and proportions.

6.8. Interdisciplinary Applications

- Mathematics connects with other vocational subjects, such as physics for mechanics, chemistry for materials science, and biology for healthcare-related training.
- This interdisciplinary integration enhances the depth and applicability of vocational education.

6.9. Improving Employability

- Mathematical proficiency is a sought-after skill in the job market, boosting employability in various vocational fields.
- It enables individuals to adapt to evolving technologies and industry demands, making them more competitive in the workforce.

6.10. Promoting Lifelong Learning and Adaptability

- By integrating mathematics into vocational training, learners are better equipped to upgrade their skills or transition to new roles as industries evolve.
- It fosters a mindset of continuous improvement, vital in dynamic and technology-driven workplaces.

7. Teacher Training and Capacity Building

NEP calls for the training of teachers in innovative methods of teaching mathematics.

Teacher empowerment includes exposure to modern teaching aids and techniques that make mathematics learning fun and accessible.

Mathematics plays a vital role in **teacher training and capacity building**, as it equips educators with the knowledge, skills, and confidence to effectively teach and inspire students. Here's how mathematics contributes to this process:

Mathematics plays a vital role in **teacher training and capacity building**, as it equips educators with the knowledge, skills, and confidence to effectively teach and inspire students. Here's how mathematics contributes to this process:

7.1. Deepening Subject Knowledge

- Mathematics training ensures that teachers have a solid understanding of foundational and advanced concepts, enabling them to teach with accuracy and confidence.
- Strong mathematical knowledge allows teachers to address students' questions effectively

and adapt explanations to diverse learning needs.

7.2. Enhancing Pedagogical Skills

- Teacher training programs integrate mathematical pedagogy, focusing on innovative teaching methods such as problem-based learning, inquiry-based instruction, and real-world applications.
- It prepares teachers to design engaging lessons that connect abstract concepts to practical experiences.

7.3. Building Confidence in Teaching

- Training in mathematics helps teachers overcome math anxiety and develop a positive attitude toward the subject, which they can pass on to their students.
- Confidence in mathematical teaching fosters a growth mindset and encourages teachers to explore creative teaching strategies.

7.4. Promoting Analytical and Problem-Solving Abilities

- Mathematics training enhances teachers' analytical and problem-solving skills, enabling them to tackle challenges in lesson planning, classroom management, and assessment design.
- Teachers learn to create assessments that test not just knowledge but also critical thinking and application skills.

7.5. Facilitating Use of Technology in Math Education

- Mathematics training often includes the use of technological tools like graphing calculators, educational apps, and data analysis software.
- Teachers are equipped to integrate technology into their lessons, making learning interactive and inclusive.

7.6. Encouraging Differentiated Instruction

- Training in mathematics equips teachers to cater to diverse student needs, including advanced learners, students with learning disabilities, and those with math anxiety.
- Teachers learn to use manipulatives, visual aids, and collaborative techniques to ensure inclusive and equitable learning experiences.

7.7. Linking Mathematics to Interdisciplinary Learning

- Teachers are trained to show connections between mathematics and other subjects, such as science, technology, engineering, and arts (STEAM), fostering interdisciplinary understanding.
- This integration helps students see the relevance of mathematics in the broader context of education and real life.

7.8. Strengthening Assessment and Feedback Skills

- Mathematics training enables teachers to design effective formative and summative assessments that measure understanding and application.
- It also prepares teachers to provide constructive feedback that helps students improve and build confidence in their abilities.

7.9. Fostering Lifelong Learning Among Teachers

- Mathematics promotes critical thinking and adaptability, encouraging teachers to continuously update their knowledge and teaching practices.
- Capacity-building programs in mathematics often emphasize professional growth and staying current with research and trends.

7.10. Improving Educational Equity

- Trained mathematics teachers can address gaps in education by using strategies that ensure all students, regardless of background, have access to quality math instruction.
- Capacity building in mathematics helps teachers contribute to reducing disparities in education and promoting social equity.

8. Global Competence

Mathematics education under NEP aims to prepare students to compete globally by fostering critical thinking and analytical problem-solving skills.

It aligns with global standards and emphasizes the role of mathematics in research, innovation, and entrepreneurship.

By recognizing mathematics as a universal language of reasoning and critical thinking, NEP 2020 envisions its role as integral to the holistic development of learners and the progress

of the nation.

Mathematics plays a significant role in promoting **flexibility and inclusion** in education and society, fostering equitable opportunities for learning and participation. Here's how mathematics contributes:

8.1. Universal Language of Problem-Solving

- Mathematics is a universal language that transcends cultural and linguistic boundaries, enabling collaboration and communication across nations.
- Its universal principles facilitate global cooperation in addressing common challenges like climate change, public health, and economic stability.

8.2. Developing Analytical and Critical Thinking

- Mathematical skills, such as logical reasoning and data analysis, enable individuals to critically evaluate global issues and propose evidence-based solutions.
- These skills are crucial for understanding complex systems, such as global markets or environmental changes.

8.3. Supporting Interdisciplinary Understanding

- Mathematics integrates with fields like science, technology, and social studies, helping learners understand the interconnectedness of global phenomena.
- Examples include analysing population growth, studying economic disparities, or modelling the spread of diseases.

8.4. Promoting Equity and Inclusivity

- Access to quality mathematics education empowers individuals worldwide, reducing educational disparities and promoting social equity.
- Mathematical literacy is critical for global participation in STEM fields, fostering diversity in innovation and leadership.

8.5. Equipping for the Global Economy

- Mathematics is essential for participating in the knowledge-based global economy, where skills like statistical analysis, financial literacy, and programming are in high demand.

· Proficiency in mathematics ensures competitiveness in international job markets and the ability to adapt to evolving technologies.

8.6. Understanding and Addressing Global Issues

· Mathematics enables the quantitative analysis of pressing global issues such as climate change, resource management, and economic inequality.

· For instance, mathematical models help predict climate trends, optimize renewable energy use, and evaluate sustainable development goals (SDGs).

8.7. Fostering Cross-Cultural Collaboration

· Collaborative problem-solving in mathematics encourages teamwork and respect for diverse perspectives, key components of global competence.

· Participation in international math competitions and projects fosters intercultural understanding and exchange.

8.8. Enhancing Data Literacy

- Mathematics provides tools to interpret and analyse global data, empowering individuals to make informed decisions in a data-driven world.
- Skills in statistics and probability help individuals critically evaluate media reports, research findings, and policy decisions.

8.9. Encouraging Ethical Decision-Making

- Mathematics supports ethical considerations in global decision-making by providing objective, data-backed insights.
- Examples include equitable resource allocation, risk assessment, and cost-benefit analysis for sustainable practices.

8.10. Inspiring Innovation and Solutions

- ·Mathematics drives innovation in addressing global challenges, from designing efficient transportation systems to creating algorithms for renewable energy optimization.
- It fosters creativity and ingenuity, essential for tackling the world's most pressing problems.

References.

1. **Nanda, A.**, &**Jha, S.** (2021). The evolving role of mathematics in the National Education Policy 2020: A review. *International Journal of Educational Research*, 10(2), 65-74.
2. **Kaur, R.** (2020). Mathematics education in India: Reforms and opportunities in the context of the NEP 2020. *Journal of Education and Practice*, 11(18), 121-129.
3. **Gupta, P., & Sharma, A.** (2021). Enhancing STEM education: The integration of mathematics in the NEP 2020 framework. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 12(4), 58-65.
4. **Sinha, D., & Kumar, R.** (2020). The National Education Policy 2020 and its impact on mathematics education. *Indian Journal of Education*, 45(3), 112-118.
5. **Deshmukh, V.**, &**Kumar, S.** (2020). A critical analysis of the mathematical learning objectives in the National Education Policy 2020. *Journal of Mathematics Education*, 34(1), 45-52.
6. **Sharma, M., & Gupta, R.** (2020). Fostering critical thinking and numeracy skills in mathematics: Insights from the National Education Policy 2020. *Journal of Educational Change*, 22(1), 88-98.
7. **Singh, B.**, &**Verma, P.** (2020). Role of mathematics in achieving NEP 2020's vision for a holistic education system. *Journal of Policy Research in Education*, 17(3), 201-209

गोरखपुर की शिक्षा में सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं का योगदान

हर्षिता सिंह* डॉ. सन्तोष कुमार सिंह**

भारतीय संस्कृति की मूल चेतना का स्पर्शबिन्दु गोरखपुर रहा है। सम्पूर्ण जगत् को अपने ज्ञान-रश्मियों से आलोकित करने वाले चिन्तकों, विचारकों की यह कर्मभूमि रही है। वैदिक ऋचाओं के रचयिताओं, बौद्ध मत को प्रतिपादित करने वाले महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी से लेकर महायोगी गोरखनाथ एवं कबीर से होते हुए मुंशी प्रेमचन्द, फिराक गोरखपुरी, भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार, युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ जी, राष्ट्रसन्त महन्त अवेद्यनाथ जी तक की विचार-यात्रा का साक्षी गोरखपुर की शाश्वत चिन्तन परम्परा रही है। यह क्षेत्र आसेतु हिमालय, विन्ध्य गंगा की संस्कृति के आलोक में सदा सर्वदा प्रदीप्त रही है। ब्राह्मण, वैश्य, आजीवक, श्रमण इत्यादि मत-मतान्तरों-शास्त्रों से आवेष्ठित यह भूमि न केवल वाग्विदग्धता का परिचायक रहा है, अपितु पूर्वांचल के गौरव एवं विश्व संवाद से जुड़ा यह नगर अहिंसा, प्रेम, सौहार्द, मुदिता, करुणा आदि भावों से सम्पृक्त गहरी मानसिकता को समेटे धैर्य की धरा रही है। वसिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु, भरद्वाज, कपिल, कौसल्यायन, पाणिनि-पतंजलि जैसे ऋषि-मनीषा एवं प्रवचनकर्ताओं एवं उपदेशकों की यह चिन्तन-भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एवं उनकी श्रेष्ठ वंश-परम्परा से शासित रही है। सदानीरा की सदावाहिता की तरह ही गंगा, यमुना, सरयू, अचिरावती एवं सदानीरा की नदी-घाटी-संस्कृति में भारतीय मनीषा की चिन्तन परम्परा का सतत प्रवहमान गोरखपुर रहा है।[1] वस्तुत: यह क्षेत्र भारतीय चिन्तकों एवं संस्कृति साधकों की अक्षुण्ण परम्परा का वाहक है। इस क्षेत्र की अन्तर्वेदी से ही यज्ञ-याज्ञ, प्रकाश-ज्ञान, ऊर्जाशक्ति, गति-संचरण, कर्षण-उत्पादन आदि का भारत एवं भारत के बाहर विस्तार हुआ तथा भारतीय मेधा का प्रकटीकरण हुआ। इस क्षेत्र की चिन्तन परम्परा ने देश को दिशा दी।[2] वैदिक मन्त्रों के अनेक ऋषियों ने इसी पूर्वांचल की अन्तर्वेदी में बैठकर मन्त्रों की रचनाएँ कीं। औपनिषदिक परम्परा में अनेक पदवीधारी

*शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
**सहायक आचार्य, बी.एड्. (शिक्षाशास्त्र) विभाग, रतनसेन डिग्री कॉलेज, बाँसी, सिद्धार्थनगर

नरेश याज्ञवल्क्य के ज्ञानमयी विमर्शों से ज्ञानाच्छादित हुए। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र वैदिक युग से ही चिन्तनप्रधान क्षेत्र रहा है। भारत सहित विश्व के अनेक क्षेत्रों में बोली जाने वाली वैदिक संस्कृत, पालि, प्राकृत, हिन्दी एवं भोजपुरी भाषाओं की उत्पत्ति का भी यह क्षेत्र केन्द्र रहा है। हम कह सकते हैं कि सृजन एवं दर्शन दोनों की शाश्वत परम्परा इस क्षेत्र की पहचान रही है। श्रमणिक चिन्तन परम्परा में जैन, बौद्ध तथा आजीवक सम्प्रदायों के चिन्तक लोकविश्रुत हैं। बुद्ध के जन्म, सम्बोधि, धर्मोपदेश, चारिका, चर्या तथा महापरिनिर्वाण से आच्छादित भूक्षेत्र का यह केन्द्र रहा है। महात्मा बुद्ध के चार आर्यसत्यों से यह क्षेत्र गुंजायमान रहा है।[3] जैन चिन्तन परम्परा की दृष्टि से भी गोरखपुर परिक्षेत्र उल्लेखनीय है। चिन्तन की योग साधना से सम्बद्ध सिद्धनाथ परम्परा का मूल क्षेत्र गोरखपुर है। नाथसम्प्रदाय के प्रवर्तक महायोगी गोरखनाथ की यह तपस्थली रही है। मान्यता है कि गोरखपुर का नामकरण उन्हीं के नाम पर हुआ।[4] चिन्तन एवं दर्शन की दृष्टि से ही नहीं, अपितु भारतीय ज्ञान परम्परा की दृष्टि से भी महायोगी गोरखनाथ भारतीय संस्कृति के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। आदि शंकराचार्य जैसा ही विशाल व्यक्तित्व एवं दार्शनिक चेतना के धनी गोरखनाथ से गोरखपुर की वैचारिक चिन्तन परम्परा का विशुद्ध मौलिक स्वरूप प्रस्फुटित हुआ। गोरखपुर योग परम्परा एवं योग दर्शन का प्रधान केन्द्र बना। चिन्तन की इस योग परम्परा में अनेक योगियों एवं सिद्धों ने गोरखपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान दिया। इसी चिन्तन परम्परा से आगे चलकर भक्ति आन्दोलन के महान सन्त कबीर ने गोरखनाथ की वैचारिक धारा को आगे बढ़ाया।[5] उनके कबीरपन्थ में नाथपन्थियों की रहस्यवादी साधना, निर्गुण ज्ञान और सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद का सुन्दर मेल है। गोरखपुर की यह दार्शनिक चिन्तन परम्परा आधुनिक युग में भी बनी रही। मुंशी प्रेमचन्द, फिराक गोरखपुरी, पण्डित दशरथ द्विवेदी जैसे साहित्यकार गोरखपुर की 20वीं शताब्दी के वैचारिक अधिष्ठान के प्रतिनिधि उदाहरण बने। भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक नानाजी देशमुख गोरखपुर के आधुनिक ज्ञान-गंगा की त्रिवेणी बने।[6] इनके प्रयत्नों से गोरखपुर में राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत भारतीय संस्कृति आधारित शैक्षिक क्रान्ति का जन्म हुआ तथा गोरखपुर के शैक्षिक परिदृश्य को सँवारने में गोरखपुर की अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं ने अपना योगदान दिया।

समाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं में गोरखपुर की शैक्षिक विकास-यात्रा श्रीगोरक्षनाथ मन्दिर द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उल्लेखनीय भूमिका रही है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के संस्थापक महन्त दिग्विजयनाथ जी ने गोरखपुर में शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी उत्कृष्ट अवधारणा पर आधारित शिक्षा का ढाँचा खड़ा किया था, जो गोरखपुर के शैक्षिक

परिवर्तन एवं शैक्षिक विकास का मार्ग बना।

महन्त दिग्विजयनाथ द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के योगदान को रेखांकित करते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 10 दिसम्बर 2018 को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के संस्थापक समारोह के मुख्य महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित करते हुए कहा था कि आजादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ी आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का एक अभियान शुरू हुआ। महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (बी.एच.यू.) से लेकर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् की स्थापना, गोरखपुर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विकास को गति एवं दिशा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हुई है।[7] परिषद् ने अपने दो महत्त्वपूर्ण महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय में विलय करके गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना में अहम भूमिका निभायी।

01 जुलाई 2025 को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के एक समारोह को सम्बोधित करते हुए भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने गोरखपुर की शैक्षिक विकास यात्रा में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के योगदान को उल्लेखनीय बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् महन्त दिग्विजयनाथ एवं महन्त अवेद्यनाथ जी की सोच, तपस्या एवं उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है।[8] जब पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा पूर्णत: सरकार के भरोसे थी, उस युग में दूर-दराज के उन क्षेत्रों में भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् ने ज्ञान की लौ प्रज्वलित की, जहाँ शासन एवं सरकार बहुत दिनों तक नहीं पहुँच सकी। गोरखपुर महानगर की शिक्षा व्यवस्था भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् एवं उनके संस्थापक के प्रयत्नों का ही सुपरिणाम है। प्राथमिक स्तर से लेकर डिग्री कॉलेज तक का मॉडल खड़ा करना एवं आजादी के तुरन्त बाद गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहल कर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् ने अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वाह किया।

गोरखपुर के शैक्षिक विकास में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के साथ-साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। भारत की आजादी के समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 27 वर्ष पूरे कर रहा था। उस समय तक वह अपने वैचारिक अधिष्ठान पर खड़े अपने संगठनात्मक तन्त्र का अनवरत फैलाव कर रहा था। संघ से सम्बद्ध अनेक जीवनव्रती राष्ट्र को समर्पित पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता प्रचारक के रूप में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार का अभियान छेड़े हुए थे। संघ ने इस परिस्थिति को भाँप लिया था कि भारत में सत्ता परिवर्तन तो हो चुका है, परन्तु सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य अभी अधूरा है। इस

कार्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश में सांस्कृतिक जनजागरण एवं सनातन परम्परा के पुनर्जागरण का अभियान प्रारम्भ कर दिया था।[9] सांस्कृतिक पुनर्प्रतिष्ठा अभियान के अन्तर्गत संघ ने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की योजना पर कार्य प्रारम्भ किया। स्वाभाविक था कि शिक्षा, समाजपरिवर्तन एवं अपनी विरासत को समझने का सशक्त माध्यम थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वर्ष 1950 में यह निर्णय लिया कि देश में भारतीय संस्कृति केन्द्रित शिक्षण संस्थाओं का एक मॉडल तन्त्र तैयार करना होगा। गोरखपुर इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि संघ का पहला शिक्षण संस्थान 'सरस्वती शिशु मन्दिर' गोरखपुर में ही खुला।[10] सन् 1952 ई. में गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी चौक पर यह संस्थान प्रारम्भ हुआ, जिसे प्रारम्भ करने का श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन प्रचारक नानाजी देशमुख को जाता है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा हुआ उसका मूल मन्त्र ही था - व्यक्ति परिवर्तन से समाज परिवर्तन, समाज परिवर्तन से राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर का मानना था कि समाज जब एक स्नेह-सूत्र में ग्रन्थित होकर अपने परम्परागत संस्कृति स्वरूप का आत्मसाक्षात्कार कर अपने राजकीय जीवन की रचना करेगा, तभी उसे संसार में गौरव तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होगी।[11] इन सब की सम्भावना राष्ट्रीय चरित्र पर ही निर्भर है। अपने अतीत का सिंहावलोकन करने पर हमें स्पष्ट दिखायी देगा कि राष्ट्रीय चरित्र विकसित होने से राष्ट्र वैभव सम्पन्न होता है और उसके नष्ट होने से अध:पतन के गर्त में गिरता है।[12]

राजनीतिक समस्याएँ समय-समय पर उपस्थित होती रहती हैं और उनका तात्कालिक समाधान भी हो जाता है परन्तु अपने सम्पूर्ण समाज में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण कर उसे स्थायी बनाना अखण्ड रूप से चलने वाला कार्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि केवल वैयक्तिक सद्गुणों तक ही राष्ट्रीय चरित्र सीमित नहीं है। अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्र कार्य हेतु समर्पित कर देने की सिद्धता राष्ट्रीय चरित्र का लक्षण है। राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वैयक्तिक और राष्ट्रीय चरित्र दोनों की ही आवश्यकता है और इस कार्य का सशक्त माध्यम है-शिक्षा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शिक्षा के क्षेत्र में 1948 से ही कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था।[13] यद्यपि कि संघ के स्थापना काल के तुरन्त बाद डॉ. हेडगेवार की प्रेरणा से शैक्षिक संस्थाओं की शुरुआत हो गयी थी। 1933 में नागपुर महल में संघ के कुछ स्वयंसेवकों द्वारा नवयुग विद्यालय की स्थापना का उल्लेख मिलता है।[14]

सन् 1939 में उस विद्यालय के प्रबन्धन की बागडोर डॉ. हेडगेवार जी द्वारा बालासाहब देवरस को सौंपी गयी। उत्तर भारत में सर्वप्रथम 1946 में कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर माधवराव

सदाशिव राव गोलवलकर द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का शिलान्यास हुआ। गुरु गोलवलकर के मन में अवस्थित त्याग, तपस्या, समर्पण एवं भारतमाता की भक्ति की लौ जलाने वाली शिक्षाप्रणाली की अन्त:प्रेरणा ने अनेक देशभक्त हृदय को प्रदीप्त किया।[15] इस प्रदीप्त ज्योति के साकार स्वरूप भाऊराव देवरस ने जो उत्तर प्रदेश के प्रान्त प्रचारक थे, 1952 में नानाजी देशमुख एवं श्री कृष्णचन्द्र गाँधी को भारतीय जीवनदृष्टि एवं संस्कृति पर आधारित एक विद्यालय गोरखपुर में स्थापित करने का निर्देश दिया और इसी निर्देश के अन्तर्गत गोरखपुर नगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जारी शैक्षिक अभियान का केन्द्र बना। साकेत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री कृष्णकान्त वर्मा को गोरखपुर में इस विद्यालय के संचालन हेतु भेजा गया। कृष्णकान्त वर्मा 2 जून 1952 को गोरखपुर पहुँचे।[16] फिर गोरखपुर के पूर्व विभाग प्रचारक नानाजी देशमुख एवं तत्कालीन विभाग प्रचारक श्री कृष्णचन्द्र गाँधी एवं साकेत के प्रचारक श्री कृष्णकान्त वर्मा ने मिलकर गोरखपुर में सरस्वती शिशु मन्दिर की स्थापना की। गोरखपुर का यह सरस्वती शिशु मन्दिर आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित संस्थाओं का मॉडल बना। आज देशभर में विद्याभारती के अन्तर्गत 13000 से अधिक विद्यालय चल रहे हैं। ये विद्यालय शहर, नगर, कस्बा, गाँव, देहात लगभग हर क्षेत्र में हैं।

स्पष्ट है कि गोरखपुर नगर की शिक्षा-व्यवस्था के विकास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में सरस्वती शिशु मन्दिर-पक्कीबाग के अतिरिक्त सरस्वती शिशु मन्दिर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल-सुभाषनगर, सरस्वती शिशु मन्दिर-सूरजकुण्ड, सरस्वती शिशु मन्दिर-प्रेमचन्द नगर, सरस्वती शिशु मन्दिर-धर्मपुर रेलविहार, सरस्वती शिशु मन्दिर-महावीरपुरम, रविदासनगर जैसे संघ के एक दर्जन विद्यालय गोरखपुर में संचालित हैं।

गोरखपुर की शिक्षा-व्यवस्था में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा सर्वाधिक प्रमुख योगदान मसीही समाज का है।[17] यद्यपि कि इनके द्वारा संचालित ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य गोरखपुर में शैक्षिक व्यवस्था का प्रचार-प्रसार न होकर ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार था। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया। धर्म-प्रचार के लिए उन्होंने शिक्षा एवं चिकित्सा को अपना मिशन बनाया। उनका उद्देश्य चाहे जो रहा हो, गोरखपुर के शैक्षिक स्वरूप के परिवर्तन में ईसाई मिशनरियों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गोरखपुर महानगर में ब्रिटिश शासन के सहयोग से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। ध्यातव्य है कि भारत में ईसाई मिशनरियों के आगमन का उद्देश्य व्यापार भी था। उनके उद्देश्य-पूर्ति में राज्य व्यवधान उत्पन्न न करे, अत: समकालीन परिस्थितियों में ईसाई मिशनरियों ने व्यापार के साथ-साथ शासन सत्ता पर भी अधिकार स्थापित किया। इस प्रकार ईसाई मिशनरियों को स्वतन्त्र भारत से पूर्व ही

ब्रिटिश शासन में राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ब्रिटिश शासन के सहयोग से मिशनरियों ने गोरखपुर में गिरजाघरों के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रारम्भ की। गोरखपुर में सर्वप्रथम ईसाई मिशनरी की उपस्थिति सन् 1821 ई. में दिखायी देती है, जब आर.एम.बर्ड ने फादर विल्किंसन को प्रथम चेप्लिन अर्थात् पुरोहित नियुक्त किया। फादर विल्किंसन क्रिश्चियन्स मिशनरी सोसायटी के प्रथम पुरोहित थे। इन्होंने सन् 1831 ई. में ब्रिटिश शासन से लगभग 2 हजार बीघा अर्थात् 1120 एकड़ भूमि अनुदान में प्राप्त किया और सेण्ट जॉन्स बशारतपुर का गोथिक गिरजाघर निर्मित किया। तत्पश्चात् 1854 में एच. इस्टर्न गोरखपुर आये। 1881 में इन्हीं के नाम पर इस्टर्नपुर मोहल्ले की स्थापना हुई। और फिर गोरखपुर में धर्मान्तरण का अभियान प्रारम्भ हुआ। 1828 ई. में मिशन स्कूल की स्थापना हो चुकी थी, जो 1899 आते-आते सेण्ट एण्ड्रयूज कॉलेज के नाम से स्थापित हो चुका था।[18] इस प्रकार गोरखपुर के शैक्षिक विकास यात्रा का आधार-स्तम्भ बनने का श्रेय इन मिशनरियों ने प्राप्त किया। आज गोरखपुर महानगर की निजी शिक्षा व्यवस्था में ईसाई मिशनरियों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता।

गोरखपुर नगर के शैक्षणिक तन्त्र के विकास में दयानन्द ऐंग्लोवैदिक विद्यालय का योगदान भी उल्लेखनीय है। ध्यातव्य है कि 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन की आँधी चल रही थी, उसमें दयानन्द सरस्वती का नाम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। आधुनिक भारत स्वामी दयानन्द सरस्वती का ऋणी है क्योंकि भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन में उनके द्वारा स्थापित आर्यसमाज ने क्रान्तिकारी भूमिका का निर्वहन किया। 1875 में स्थापित आर्यसमाज ने देश भर में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। उनके इस शैक्षिक अभियान के अन्तर्गत गुरुकुलों की स्थापना की गयी। सबसे पहला गुरुकुल दिल्ली के पास सिकन्दराबाद में खोला गया। कुछ वर्षों के पश्चात् उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधि सभा ने इस गुरुकुल को अपने अधिकार में ले लिया और सिकन्दराबाद से फर्रूखाबाद स्थानान्तरित किया गया। आगे चलकर वृन्दावन में राजा महेन्द्र प्रताप द्वारा यमुना नदी तट पर प्राप्त अनुदान से यह गुरुकुल वृन्दावन गुरुकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी श्रृंखला में 1929 में आर्यसमाज द्वारा गोरखपुर में डीएवी जूनियर हाईस्कूल की स्थापना हुई जिसे आजादी के बाद इण्टरमीडिएट की मान्यता प्राप्त हो गयी। 1970 तक आते-आते आर्यसमाज द्वारा डीएवी डिग्री कॉलेज खोल दिया गया। इस प्रकार गोरखपुर के शैक्षणिक उत्थान में आर्यसमाज ने भी अपनी विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

गोरखपुर नगर के शैक्षिक विकास में समाज के अन्य विविध घटकों का भी योगदान रहा। इनमें इस्लामिक शिक्षण संस्थाओं की भी किंचित अपनी भूमिका रही है। गोरखपुर के प्रतिष्ठित समाजसेवी रायबहादुर राम गरीब लाल द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक समिति द्वारा गोरखपुर के शिक्षा

विकास में अपना योगदान सुनिश्चित किया गया। 1909 में इस समिति की स्थापना हुई। इस समिति को रायबहादुर राम गरीब लाल जी द्वारा 15 एकड़ से अधिक भूमि अनुदान में दी गयी। इस सामाजिक संस्था द्वारा संचालित महात्मा गाँधी इण्टर कॉलेज, रामनारायण लाल बालिका इण्टर कॉलेज, महात्मा गाँधी पी.जी. कॉलेज सहित अनेक महत्त्वपूर्ण संस्थान गोरखपुर के शैक्षणिक तन्त्र की रीढ़ बने। इनके अतिरिक्त भी स्वतन्त्रता के पश्चात् तेजी से बढ़ते शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए समाज के अन्य प्रबुद्ध एवं समृद्ध लोगों ने पब्लिक स्कूलों की स्थापना की। इन पब्लिक स्कूलों ने गोरखपुर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बनाये रहने में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को जन्म दिया और हम कह सकते हैं कि आज गोरखपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का महत्त्वपूर्ण हब बनकर उभरा है।

सन्दर्भः

1. श्री गोरखनाथ मन्दिर द्वारा प्रकाशित 'श्री गोरखनाथ मन्दिर एवं गोरखपुर का इतिहास', वर्ष 2022, पृष्ठ 13
2. विश्व संवाद केन्द्र गोरखपुर द्वारा प्रकाशित 'पूर्वांचल गौरव', वर्ष 2002; पृष्ठ 17-19
3. पी.के. लाहिड़ी, आइने गोरखपुर, वर्ष 2018, पृष्ठ 38
4. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् गोरखपुर द्वारा प्रकाशित 'साधना-पथ', वर्ष 2019, पृष्ठ 28
5. अक्षय कुमार बनर्जी, 'गोरख-दर्शन', श्री गोरखनाथ मन्दिर द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ 19
6. वेदप्रकाश पाण्डेय, 'शहरनामा गोरखपुर', वर्ष 2023, पृष्ठ 492
7. 'दैनिक जागरण' समाचार-पत्र, गोरखपुर से प्रकाशित, 11 दिसम्बर 2018
8. 'हिन्दुस्तान' समाचार-पत्र, गोरखपुर से प्रकाशित, 2 जुलाई 2025
9. गोरखपुर महोत्सव समिति द्वारा प्रकाशित 'मंथन-2018', पृष्ठ 112
10. गोरखपुर महोत्सव समिति द्वारा प्रकाशित 'मंथन-2019', पृष्ठ 151
11. माधव सदाशिव गोलवलकर, विचार नवनीत, पृष्ठ 103
12. वचनेश त्रिपाठी, भारतमाता की उपासना, प्रथम संस्करण, 1999, पृष्ठ-204
13. पाञ्चजन्य, दिसम्बर 2016, पृष्ठ 94
14. भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रकाशित, सरस्वती शिशु मन्दिर, बीजारोपण, अंकुरण एवं विकास, वर्ष 2010; पृष्ठ 10
15. भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रकाशित, सरस्वती शिशु मन्दिर, बीजारोपण, अंकुरण एवं विकास, वर्ष 2012; पृष्ठ 7-9
16. वही, पृष्ठ 13
17. कु. सन्ध्या उपाध्याय द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के शिक्षाशास्त्र विभाग में 'उत्तर प्रदेश में सन् 1948 से प्राथमिक शिक्षा का विकास' विषय पर शोध-प्रबन्ध, 1989
18. डॉ. के.एन. ठाकुर द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के शिक्षाशास्त्र विभाग में 'उत्तर प्रदेश के उत्तर - घाघरा परिक्षेत्र में सन् 1947 के बाद प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का विकास' विषय पर शोध -प्रबन्ध, 1989

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्त:अनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२०' में कौशल आधारित शिक्षा : छात्रों के रोजगार के अवसरों पर प्रभाव

श्रीमती दिव्या दुबे*

सारांश:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाना है, जिसमें कौशल आधारित शिक्षा को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। यह नीति छात्रों को पारम्परिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रदान करने पर बल देती है ताकि वे बदलते वैश्विक श्रम बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें। यह शोध-पत्र कौशल आधारित शिक्षा पत्र कौशल आधारित शिक्षा के महत्त्व, उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया और छात्रों के रोजगार के अवसरों पर इसके सम्भावित प्रभावों का विश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त, यह नीति में सुझाए गए कौशल विकास कार्यक्रमों और उनकी चुनौतियों पर भी चर्चा करता है। अन्ततः यह अध्ययन शिक्षा और कौशल के बीच के संतुलन और छात्रों की रोजगार योग्यता में वृद्धि के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है।

बीज शब्द:

कौशल आधारित शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, रोजगार के अवसर, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी कौशल, रोजगार योग्यता, श्रम बाजार, शैक्षणिक सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा नीति।

परिचय:

कौशल 21वीं सदी में तेजी से बदलते वैश्विक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में छात्रों के रोजगार योग्य बनने के लिए सिर्फ पारम्परिक शिक्षा पर्याप्त नहीं मानी जाती। आधुनिक समय में

*सहायक आचार्य, रसायन शास्त्र विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर, ई-मेल: divichem@gmail.com

छात्रों के पास केवल सैद्धांतिक ज्ञान होने के बजाय व्यावहारिक और तकनीकी कौशल होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देती है। इस नीति के तहत, शिक्षा को रोजगार और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को शिक्षा के साथ एकीकृत किया गया है।

कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता

भारत में रोजगार के अवसर तेजी से बदल रहे हैं। तकनीकी प्रगति और ऑटोमेशन ने कौशल आधारित कार्यबल की माँग को बढ़ा दिया है। आज के छात्रों को केवल अकादमिक शिक्षा के बजाय तकनीकी और पेशेवर कौशल से लैस करना अनिवार्य हो गया है। NEP-2020 इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव रखता है। यह नीति छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखती है। इससे न केवल छात्रों की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और उद्यमशील बनने का अवसर भी मिलेगा।[1]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत कौशल आधारित शिक्षा के प्रावधान (NEP-2020) के अन्तर्गत कौशल आधारित शिक्षा के लिए प्रमुख प्रावधान किए गए हैं:[2]

1. **व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण** - कक्षा 6 से ही छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा दी जाएगी, जिसमें इंटर्नशिप, व्यावसायिक कार्यक्रम और शिल्प कौशल होंगे।
2. **तकनीकी शिक्षा पर बल** - नीति के तहत छात्रों को तकनीकी शिक्षा, जैसे कम्प्यूटर विज्ञान, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौशल विकास का मौका मिलेगा।
3. **व्यावसायिक प्रशिक्षण** - उच्च शिक्षा संस्थानों में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को लागू किया जाएगा, जिसमें उद्योग आधारित प्रशिक्षण इंटर्नशिप और साझेदारियों को प्रोत्साहित किया गया।
4. **लाइफ स्किल्स** - छात्रों को उद्योगों के साथ सीधे जुड़ने के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ताकि उन्हें वास्तविक दुनिया के कार्य क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव मिल सके।

नीति के लाभ:[3]

1. **रोजगार के अवसरों में वृद्धि** - कौशल आधारित शिक्षा से छात्रों की व्यावसायिक क्षमता बढ़ेगी, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

2. **श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा** - नीति का उद्देश्य छात्रों को ऐसे कौशल प्रदान करना है जो उद्योगों और व्यवसायों की माँग के अनुसार हों।

3. **उद्यमशीलता को बढ़ावा** - यह नीति छात्रों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे वे नए उद्यम और व्यवसाय शुरू करने में सक्षम हो सकें।

4. **अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार** - कौशल आधारित शिक्षा से छात्रों को वैश्विक श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया जाएगा।

चुनौतियाँ:[4]

1. **शिक्षा संस्थानों में आवश्यक संसाधनों की कमी** - सभी शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए जरूरी संाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती है।

2. **शिक्षकों का प्रशिक्षण** - व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

3. **सामाजिक मानसिकता में बदलाव** - कौशल आधारित शिक्षा को पारम्परिक शिक्षा की तरह महत्त्व देने के लिए समाज में मानसिकता का परिवर्तन जरूरी है।

4. **व्यावसायिक शिक्षा के प्रति झुकाव** - छात्रों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए इसे और अधिक प्रासंगिक और लाभप्रद बनाना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय नीति में कौशल आधारित शिक्षा का समावेश भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक दूरदर्शी कदम है।[5] यह नीति न केवल छात्रों को पारम्परिक शिक्षा से पूरे व्यावसायिक और तकनीकी कौशल में दक्ष बनाने का प्रयास करती है, बल्कि उन्हें बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है। कौशल विकास, रोजगार क्षमता और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को केन्द्र में रखते हुए यह नीति युवाओं को उद्योगों की माँगों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करती है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो यह शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने के साथ-साथ भारत को वैश्विक कौशल हब के रूप में स्थापित कर सकती है। यह नीति न केवल छात्रों को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करेगी, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देगी। कौशल आधारित शिक्षा का यह आयाम भारत की युवा शक्ति को सशक्त करते हुए 'नए भारत' के निर्माण की नींव रखता है।

सन्दर्भ सूची:

1. कुमार, आर. (2021) एन.ई.पी. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) 2020 में कौशल विकास : शिक्षा एवं रोजगार के बीच सेतु, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म, 43(3), 56-78
2. शर्मा, एन. (2022) एन.ई.पी. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) 2020 में व्यावसायिक शिक्षा : कौशल आधारित शिक्षण के लिए नया प्रतिमान, जर्नल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी एण्ड प्रैक्टिस, 10(40 90-104
3. मेहता, पी. (2021) भविष्य की पीढ़ियो के लिए तकनीकी कौशल : एन.ई.पी. 2020 का प्रभाव, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस
4. सिंह, एए. (2020), भारत में कौशल आधारित शिक्षा : चुनौतियाँ और अवसर, जर्नल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, 18(2), 35-54
5. पटेल, एस., एन.ई.पी. 2020 में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका : वैश्विक कार्यबल के लिए छात्रों की तैयारी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्त:अनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

Role of NEP-2020 in Community Development

Ramakant Dubey*
VivekkumarVishwakarma**

Abstract

Education was the base of indian society from the beginning of civilization. Informal Gurukul education system was popular in our country before the colonial periods. In this education system there was more possibility of the use of knowledge and communication through the society. During the period of Nalanda and Takshashila higher education in India was more comprehensive and attached to the society. Our present education system is based on British education structure. British education system was more formal and it has sa great contributiion to the development of our country. In our country the educational structure at University, College and School level was formulated and developed by this education system. NEP 2020 has envisaged indigenous development of imperatives for our country.

Keywords: National Education Policy (NEP 2020), Higher Education Institutions (HFIs), Community Development, Quality Education, University Grant Commission (UGC), National Development.

Education is a fundamental necessity for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. Providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent, and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement,

*Asst. Prof., Department of Defence and Strategic Studies, Maharana Pratap PG College, Jungle Dhoosar, Gorakhpur.
**Research Scholar, Department of Defence and Strategic Studies, DDU Gorakhpur University, Gorakhpur.

national integration, and cultural preservation. Universal high-quality education is the best way for developing and maximizing our country's rich talents and resources for the good of the individual, the society, the country, and the world. India has the highest population of young people in the world, and our ability to provide high-quality educational opportunities to them will determine the future of our country.

The world is undergoing rapid changes in the knowledge landscape. With various dramatic scientific and technological advancement, such as the rise of big data, machine learning, and artificial intelligence, many unskilled jobs worldwide may be taken over by machines, while the need for a skilled workforce, particularly involving mathematics, computer science, and data science, in conjunction with multidisciplinary abilities across the sciences, social sciences, and humanities, will be increasingly in greater demand. With climate change, increasing pollution, and depleting natural resources, there will be a sizeable shift in how we meet the world's energy, water, food, and sanitation needs, again resulting in the need for new skilled labour, particularly in biology, chemistry, physics, agriculture, climate science, and social science. The growing emergence of epidemics and pandemics will also call for collaborative research in infectious disease management and development of vaccines and the resultant social issues heightens the need for multidisciplinary learning. There will be a growing demand for humanities and art, as India moves towards becoming a developed country as well as among the three largest economies in the world.

Indeed, with the quickly changing employment landscape and global ecosystem, it is becoming increasingly critical that children not only learn, but more importantly learn how to learn. Education, thus, must move towards less content, and more towards learning about how to think critically and solve problems, how to be creative and multidisciplinary, and how to innovate, adapt, and absorb new material in novel and changing fields. Pedagogy must evolve to make education more experiential, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centred, discussion-based, flexible, and, of course, enjoyable. The curriculum must include basic arts, crafts, humanities, games, sports and fitness, languages, literature, culture, and values, in addition to science and mathematics, to develop all aspects and capabilities of learners; and make education more well-rounded, useful, and fulfilling to the learner. Education must build character, enable learners to be ethical, rational, compassionate, and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment. The gap between the current state of learning outcomes and what is required

must be bridged through undertaking major reforms that bring the highest quality, equity, and integrity into the system, from early childhood care and education to higher education.

This National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century that aims to address the many growing developmental imperatives of our country. This Policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, while building upon India's traditions and value systems. The National Education Policy lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual. It is based on the principle that education must develop not only cognitive capacities - both the foundational capacitiesof literacy and numeracy and higher-order cognitive capacities, such as critical thinking and problem solving – but also social, ethical, and emotional capacities and dispositions.The purpose of the education system is to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination, with sound ethical moorings and values. It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our Constitution.

This National Education Policy envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high-quality education to all, and thereby making India a global knowledge superpower. The Policy envisages that the curriculum and pedagogy of our institutions must develop among the students a deep sense of respect towards the Fundamental Duties and Constitutional values, bonding with one's country, and a conscious awareness of one's roles and responsibilities in a changing world. The vision of the Policy is to instill among the learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living, and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen.

In 2011, a national review was conducted by a Committee of Experts to analyse the purposes, principles and forms of social responsibility and community engagement which are relevant to our context. Its recommendations to Ministry of Human Resource

Development (MHRD) about "fostering social responsibility and community engagement of HEIs" in India contain several important elements for the new policy, announced by the Government of India in 2020 has presented a transformative framework for higher education in the country. It has reinforced many of the recommendations already included in the new policy, as exemplified through the below lines:

"The purpose of the education system is to develop good human being capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination, with sound ethical moorings and values. It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our Constitution."[1]

The goals of fostering social responsibility and community engagement in HEIs' can comprise of

- Improving the quality of teaching/learning in HEIs, by bridging the gap between theory and practice through community engagement;
- Promoting deeper interactions between higher educational institutions and local communities for identification and solution of real-life problems faced by the communities in a spirit of mutual benefit;
- Facilitating partnerships between local communities and institutions of higher education so that students and teachers can learn from local knowledge and wisdom;
- Engaging higher education institutions with local communities in order to make curriculum, courses and pedagogies more appropriate to achieving the goals of national development;
- Catalysing acquisition of values of public service and active citizenship amongst students and youth alike, which would also encourage, nurture and harness the natural idealism of youth;
- Undertaking research projects in partnership with local community through community-based research methods.[2]

In light of the global and national approaches currently prevalent, and key recommendations of NEP 2020, the key principles that shall guide community engagement of HEIs are:

1- Mutually agreed interests and needs of both rural and peri-urban poor communities and HEIs should be articulated and respected. Without ensuring mutual benefit, community engagement does not serve the purpose of social responsibility of HEIs. While community learns from students and faculty engaging with them, students and teachers should also learn from community knowledge and experiences.

2- Community engagement should not be limited to a few social science disciplines alone. It should be practiced across all disciplines and faculties of HEIs. Faculties of natural sciences and engineering can also promote community engagement in teaching and research. This will help educate local communities about new technological innovations as well as inform students and faculty about ways to harness local technology and knowledge.

3- Participation of students in teaching activities of community engagement and research projects and learning should earn them credits. Community engagement should thus be included to meet their graduation requirements and it should be integrated into their assessments.

4- Performance assessments of teachers, researchers and administrators in HEIs should include review of their involvement and contributions to community engagement in teaching and research. Criteria of and weightage to community engagement by teachers and researchers should be explicitly included in assessments for recruitment, regularisation and promotion.

5- In order to sustain regular community engagement programmes, HEIs should develop organic and long-term linkages with local institutions around them. These include local governments, district administration, local entrepreneurs, business and local NGOs.[3]

For the application of above principles students and teachers have to apply their knowledge and skills in a chosen community to improve the lives of people in that community. This can be achieved through the model of service-learning, providing engagement opportunities to students from various disciplines and courses to apply their knowledge to address the challenges of a specific community. For example, students of chemistry can conduct water and soil testing in local areas and share the results with local community. Various faculties and programmes of HEIs devise joint research projects in partnership with the communities and local agencies. The community's own knowledge is integrated into the design and conduct of the research. New research by students helps them to

complete their academic requirements, and at the same time the community's knowledge is systematized. Community-based Participatory Research approaches are gaining increasing recognition in this regard.[4]Students of engineering, for example, can undertake research in partnership with community on solid and liquid waste disposal.

The knowledge available with students and teachers in various disciplines is made available to the local community to realize its developmental aspirations, secure its entitlements and access its benefits from various agencies and schemes. These can take the forms of enumerations, surveys, awareness camps and campaigns, trainings, learning manuals/films, maps, study reports, public hearings, policy briefs, cleanliness & hygiene teachings, legal aid clinics etc. For example, students can undertake 'swachhtasurvekshana' and/or nutrition survey for mothers and children, and educate them about hygiene and nutrition. Many institutions of higher education develop new curricula in existing courses as well as design new courses to engage with community. This enriches the curriculum of existing courses through locally-appropriate subject-matter. It also creates new, locally appropriate educational programmes that interest new generation of students.[5] For example, new courses on financial inclusion, entrepreneurship development and nutritional value of local produce can improve knowledge and business opportunities for students. Local community elders, women leaders, tribal, entrepreneurs and civil society practitioners have enormous practical knowledge of a wide variety of issues—from agriculture and forestry to child-rearing, micro-planning, waterharvesting and project management. This expertise can be tapped by inviting such practitioners to co-teach courses both in the classrooms and in the field. Such instructors should be duly recognized, compensated and respected for their practical experience and knowledge.

The students can be encouraged to initiate learning projects with a social impact and supported by HEIs. Incubation of such social innovation projects by students can also have meaningful links to existing curriculum and courses. Some competitions for social innovation are being organized by HEIs, that should be integrated into the curriculum. As discussed above, the post-pandemic context and NEP 2020 demands that community engagement be mainstreamed in all teaching-learning, research and service activities of HEIs. The curriculum of 2 credit course needs to focus on community engagement, especially with vulnerable and excluded households.[6] The corona virus has disrupted life and livelihoods of many households and communities. Migrant labour, students in rural and remote areas, basic service providers have all been affected due to lockdown and disruptions due to

pandemic. Many new social protection and welfare schemes have been since announced by the central government like AtmaNirbharBharat, PM Garib KalyanYojana, SFURTI, portability of PDS cards, cash transfer, Ayushman Bharat health insurance etc. Awareness and last mile delivery of all these benefits to the excluded households need to be included in the syllabusand field study by students. Likewise, the roles of panchayats and urban local bodies became very critical during the pandemic. These local governance institutions need support to perform their responsibilities in the post-pandemic period. Students and their teachers can utilise this 2 credit course to provide such support to panchayats around their institutions.[7]

NEP 2020 provides operational guidelines for implementation of this national curriculum framework for fostering community engagement and social responsibility in HEIs. Support to the framework and its operational guidelines of UGC scheme are so described in the NEP 2020.[8] Higher Education plays an extremely important role in promoting human as well as societal well-being and in developing India as envisioned in its Constitution- a democratic, just, socially-conscious, cultured, and humane nation upholding liberty, equality, fraternity, and justice for all. Higher education significantly contributes towards sustainable livelihoods and economic development of the nation. A quality higher education must enable personal accomplishment and enlightenment, constructive public engagement, and productive contribution to the society. It must prepare students for more meaningful and satisfying lives and work roles and enable economic independence.[9]

Conclusion:

It is recommended that each HEI conducts a compulsory course to provide community engagement to all Undergraduate & Post Graduate students so that their appreciation of rural field realities is holistic, respectful and inspiring. Model community engagement course can be described asnew generation of students are increasingly unaware of local rural and peri-urban realities surrounding their HEIs, as rapid urbanisation has been occurring in India. A large percentage of Indian population continues to live and work in rural and periurban areas of the country. While various schemes and programmes of community service have been undertaken by HEIs, there is no singular provision of a welldesigned compulsory community engagement course that provides opportunities for immersion in rural realities. Such a course will enable students to learn about challenges faced by vulnerable households and develop understanding of local wisdom and life-style

in a respectful manner.

References

1- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep_achievement.pdf

2- Ibid.

3- Ibid.

4- http://www.pria.org/uploaded_files article_category1531475111_Fostering_Social_Responsibility.pdf

5- http://unescochair-cbrsr.org/pdf/resource/Knowledge%20%26%20Engagement_26-09-16_pdf%20ver-mail.pdf

6- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/SARTHAQ_Part-1_updated.pdf

7- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/SARTHAQ_Part-2_updated.pdf

8- https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pragyata-guidelines_0.pdf

9- https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pragyata-guidelines_0.pdf

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्त:अनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० : शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षक सशक्तिकरण के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. सुबोध कुमार मिश्र, डॉ. इक्ष्वाकु प्रताप सिंह*

सारांश:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आगमन के साथ ही भारत की शिक्षा प्रणाली में भी 21वीं शताब्दी के महत्त्वाकांक्षी उद्देश्यों के अनुरूप बदलावों का अहम सिलसिला प्रारंभ हो गया है। इस नीति में पठन-पाठन की पुरानी चली आ रही शिक्षक आधारित व्यवस्था की जगह विद्यार्थी केंद्रित नई व्यवस्था लाकर सम्पूर्ण प्रणाली में बदलाव लाने पर जोर दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके और उनकी रचनात्मक क्षमता भी विकसित की जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के इस मूल सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है कि "शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को साक्षर बना देने और उन्हें अंक ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए या फिर विद्यार्थी में विवेचनात्मक सोच और समस्या का समाधान खोजने तक ही सीमित न रहे, अपितु शिक्षा से सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास भी सुनिश्चित हो सके।" राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन्हें ही सॉफ्ट स्किल कहा गया है, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक चेतना और अनुभूति, दृढ़ निश्चय तथा विश्वास, समूह-भावना, नेतृत्व और संचार जैसे गुणों का विकास भी सम्मिलित है। प्रस्तुत शोध-पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उनके अध्यापन कौशल के विकास तथा उनमें आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने का सूक्ष्म प्रयास किया गया है।

बीज शब्द - राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, प्रशिक्षण, शिक्षण कौशल, स्किल, ईसीसीई, एनआईईपीए, एचईआई, एमएआरयू- मेरु, एनसीएफ, एनसीएफटीई, एनसीटीई, एनपीएसटी, एनएमएम, रचनात्मकता, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षण संस्थान आदि।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा में उदार दृष्टिकोण को आत्मसात करने की बात कही

*सहायक आचार्य, प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगलधूसड़, गोरखपुर

गयी है। इसमें स्कूली और उच्चतर शिक्षा में मौजूदा पाठ्यक्रम और अध्यापन के तौर-तरीकों के पुनर्गठन पर जोर दिया गया है ताकि इस नीति के उद्देश्यों और प्रयोजनों को पूरा किया जा सके। इसमें 10+2 के मौजूदा ढांचे की बजाय 5+3+3+4 का नया ढांचा प्रस्तुत किया गया है। इसमें 3 वर्ष की उम्र से प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा - अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) का मजबूत आधार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2030 तक मजबूत अध्यापन पर आधारित गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई के सर्वव्यापीकरण का सुझाव भी दिया गया है। इसमें 3 से 8 वर्ष तक की उम्र के किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए महत्त्वपूर्ण बुनियादी चरण माना गया है। इसके साथ ही प्रत्येक छात्र को तीसरी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम और अध्यापन का ढांचा आयु, वर्ग और श्रेणी के अनुसार विकास के विभिन्न चरणों में छात्रों की आवश्कताओं और मनोनुकूल होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में उच्चतर शिक्षा में ढांचागत सुधारों की बात कही गई है। इसमें उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और ज्ञानकेन्द्रों में परिवर्तित करने पर जोर दिया गया है। उदार बहु-विषयक शिक्षा से शिक्षाप्राप्ति, अनुसंधान और सामुदायिक कार्य समेत ज्ञानार्जन के औपचारिक और अनौपचारिक अवसरों को समन्वित कर छात्रों में बहुविध क्षमताओं को विकसित किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह शैक्षिक प्रक्रिया में अंतर विषयक परिप्रेक्ष्यों को बढ़ावा देगी। संस्थान बहु-विषयक होने के कारण अध्यापन प्रणाली का इस प्रकार पुनर्गठन करेंगे, जिससे कि छात्रों को विषयों के चुनाव का अवसर मिल सके। व्यवस्थाकारों का ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2035 तक सम्बद्ध कॉलेज धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह बहु-विषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ले लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्व स्तरीय बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान- हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन (एचईआई) बनाने की सिफारिश की गई है। इन संस्थाओं को बहु-विषयक शैक्षिक अनुसंधान विश्वविद्यालय - मल्टीडिसीप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी (एमएआरयू-मेरु) के नाम से जाना जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का औपचारिक लक्ष्य शिक्षकों को एक बार पुन: समाज में सर्वाधिक सम्मानित सदस्य के रूप में स्थान प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 में शिक्षकों के सशक्तिकरण को एक आवर्ती विषय बनाया गया है, इसके साथ ही इसका स्पष्ट मन्तव्य है कि गुणवत्ता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए समाज में शिक्षकों की 'आजीविका, सम्मान, गरिमा और स्वायत्तता' को व्यवस्थित रूप से प्रतिस्थापित किया जा सके।

शिक्षक का प्रशिक्षण

भारत में प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक वास्तव में बहु-विषयक था, क्योंकि वह जीवन कौशल, मार्शल कौशल और वेदों की शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित था। कालान्तर में बौद्ध धर्म के प्रसार के दौरान भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण की एक औपचारिक प्रणाली प्रारम्भ हुई। तत्समय मठवासी व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को एक उपदेशक (उपाज्जय) की देखरेख और मार्गदर्शन में रखा जाता था।

भारत में स्कूली शिक्षा और शिक्षण की वर्तमान शैली का उदय ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। विक्टोरियन स्कूल शिक्षा प्रणाली से प्रेरित यह प्रणाली एक व्यवहारवादी प्रतिमान पर केंद्रित थी। इसमें जहाँ एक तरफ शिक्षा का संबंध विद्यार्थियों को ब्रिटिश प्रशासन के कार्यों को विनम्रतापूर्वक निष्पादित करने के लिए अंग्रेजी बोलने वाले अनुशासित क्लर्कों को तैयार करना था, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को मुख्य रूप से कक्षा में शिक्षण के लिए एक मैकेनिक के रूप में तैयार करने से था।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ)-2005 शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफटीई)-2009 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सफल शुरुआत के साथ भारत में शिक्षक शिक्षा की प्रणाली में धीमी गति से बदलाव आया। समय के साथ रटकर याद करने की बजाय ज्ञान की समझ पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 और शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2009 के बाद शिक्षक शिक्षा कार्यनीति का उद्देश्य शिक्षकों को जानकारी के द्वारपाल की बजाय ज्ञान के सूत्रधार बनने के साथ-साथ शिक्षण को अल्प पाठ्यपुस्तक-उन्मुख बनाना और ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है।

न्यायमूर्ति जे.एस वर्मा आयोग-2012 ने भी पूर्व-सेवा और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2014 में बी.एड. कार्यक्रम का पुनर्गठन किया और इसकी अवधि को दोगुना करके दो वर्ष कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा तैयार किये गये नवीन शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में योग शिक्षा, आईसीटी, शांति तथा मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा जैसे कई महत्त्वपूर्ण बदलाव किये गये।

चुनौतियाँ

शिक्षक शिक्षा के साथ कुछ चुनौतियों के कारण प्रशिक्षण और भर्ती की प्रणाली सहित इस क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) ने अभी तक 690840

विद्यार्थियों के लिए प्रवेश क्षमता वाले 11139 डी.एल.एड्. पाठ्यक्रमों को मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार 937660 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ 9455 बी.एड पाठ्यक्रम पंजीकृत किए गए हैं। यह संख्या नए शिक्षकों की वार्षिक आवश्यकताओं से काफी अधिक है, जो 3.5 से 4 लाख के बीच होगी। शिक्षक शिक्षा संस्थान बाकी उच्च शिक्षा संस्थानों से अलग हटकर काम कर रहे हैं। शिक्षक के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक बहु-विषयक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा संस्थानों में नहीं दी जाती रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है कि केवल अभिप्रेरित और मेधावी व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में चुनें।

वर्तमान समय में शिक्षकों को न केवल पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यक्रम के साथ बल्कि विद्यार्थियों को सक्षम बनाने वाली, सतत् विकसित होने वाली तकनीकों, बदलते बाजार के रुझानों के साथ-साथ संस्कृति और मान्यताओं के अनुरूप खुद को लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को भी बच्चों के विकास में माता-पिता, समुदाय के साथ-साथ स्कूल-प्रबंधन का सहयोग करने में अधिक जागरूक भूमिका निभाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जैसे-जैसे तकनीक और मिश्रित शिक्षा हमारे दैनिक जीवन का अंग बनती जा रही है वैसे-वैसे दुनिया में पेशेवर व्यक्तियों के रूप में सफल होने के लिए जीवन-कौशल जैसे- सहयोगात्मकता, रचनात्मकता एवं जिज्ञासा की और अधिक आवश्यकता महसूस होती जा रही है। शिक्षकों को भी विद्यार्थियों को परामर्श प्रदान करते समय एवं पाठ्यक्रम पढ़ाते समय उसे वास्तविक जीवन के अनुभवों और कौशलों से जोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के अग्रणी तथा उद्यमशील बनने वाले युवाओं में सीखने और आविष्कार की खुशी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी केंद्रित और आनंदमय होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षक-शिक्षा के पहलुओं को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें देश में शिक्षक-शिक्षा के लिए प्रभावी कार्यवाही के माध्यम से इसकी संरचना विनियमन और संचालन सहित मौजूद प्रवृत्तियों के अनुरूप मानकों को बढ़ाने और ईमानदारी, विश्वसनीयता, प्रभावकारिता और उच्च गुणवत्ता को बहाल करने का प्रस्ताव है। 'शिक्षक की शक्ति' को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रणालीगत सुधार किए गए हैं जो शिक्षण को प्रतिभाशाली युवाओं की पसंद के आकर्षक पेशे के रूप में उभरने में मदद करेंगे और एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी), शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसपी), स्कूलों के लिए राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम) और 1 वर्ष के प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 50 घंटे का सतत् व्यावसायिक विकास (सीडीपी) जैसे विभिन्न कार्यक्रम हैं।

चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) एक दोहरी प्रमुख समग्र

स्नातक डिग्री कार्यक्रम है, जो बी.ए.-बी.एड., बी.एस-सी.-बी.एड. और बी.कॉम.-बी.एड. शिक्षकों के लिए न्यूनतम प्रवेश हेतु आवश्यक होगी, क्योंकि व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए बहुआयामी माहौल महत्त्वपूर्ण है, बहु-विषयक विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं को मनोविज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, तंत्रिका-विज्ञान, भाषा, कला, विज्ञान आदि जैसे अन्य विभागों के सहयोग से शिक्षा विभाग स्थापित करने और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वतंत्र रूप से कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को 2030 तक बहु-विषयक संस्थानों में बदलना होगा।

एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अत्त्याधुनिक शिक्षाशास्त्र पढ़ाया जाएगा और प्रारंभिक बचपन देखभाल तथा शिक्षा (ईसीसीई) , मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता (एफएलएन), खिलौना- आधारित शिक्षाशास्त्र, मंच आधारित शिक्षाशास्त्र, समग्र शिक्षा और भारत तथा इसके मूल्यों, लोकाचारों, कला परंपराओं की समझ पैदा करेगा। कक्षा में प्रशिक्षण और इंटर्नशिप भी कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होंगे। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों के सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सुरुचि संबंधी विकास के बारे में अच्छी जानकारी रखते हों तथा साथ ही उन्हें अपने विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री, शिक्षा के माध्यम के साथ-साथ सीखने के तौर-तरीकों का उपयोग करने का अनुभव भी हो। शिक्षकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे उन बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं को समझें, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह से आते हैं और विशेष आवश्यकता वाले हैं, जिन्हें अपने साथियों की तुलना में अधिक सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है।

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) में निरंतरता से व्यवसाय के विभिन्न चरणों में विशेषज्ञता / अनुभव और आवश्यक दक्षताओं के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की भूमिका के लिए आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा। समय के साथ जैसे ही यह पूर्ण रूप से विकसित होगा, करियर प्रोन्नति, वित्तीय प्रोत्साहन आदि से शिक्षकों को व्यावसायिक क्षमता से अगले स्तर के लिए प्रयास करने में सक्षम करेगा। शिक्षकों द्वारा स्व-मूल्यांकन के लिए एक तकनीकी-सक्षम प्लेटफार्म और मान्यता प्राप्त निकायों (एससीईआरटी - डाइट सहित) की एक विस्तृत श्रृंखला, शुरुआती शिक्षक, कुशल शिक्षक, विशेषज्ञ शिक्षक और प्रमुख शिक्षक का आकलन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक के तहत विशेषज्ञता बढ़ाने, गहरी सामाजिक-मनोवैज्ञानिक समझ, शिक्षाशास्त्र में नई विधियों, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग और नेतृत्व कौशल में सेवाकालीन शिक्षकों की सहायता के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और मिश्रित मॉड्यूल की उपलब्धता की योजना बनाई जा रही है। शिक्षकों के लिए

राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, शिक्षकों के बीच आवश्यक कौशल, दक्षता, मनोवृति और ज्ञान के स्पष्ट मानक स्थापित करते हैं, जो शिक्षकों के बीच अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होने के साथ-साथ करियर की प्रगति के लिए स्पष्ट मार्ग निर्धारित करने के लिए व्यावसायिकता तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देंगे।

एनसीटीई द्वारा स्कूलों के लिए नेशनल मेंटेरिंग मिशन (एनएमएम) का संचालन, मेंटियों (स्कूल, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षक-शिक्षकों आदि) के लिए संभावित सलाहकारों के रूप में उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत शिक्षकों का एक बड़ा पूल बनाकर किया जाएगा, इसमें परामर्शदाता और परामर्श पाने वाले की उम्र या स्थिति कुछ भी हो सकती है। यह हमारे देश के 21वीं सदी के विकासात्मक लक्ष्यों को साकार करने में योगदान देंगे। मेंटेरिंग, ज्ञान के अनौपचारिक/औपचारिक प्रसारण और प्राप्तकर्ता द्वारा काम, कैरियर या पेशेवर विकास के लिए प्रासंगिक मनोसामाजिक समर्थन के लिए एक प्रक्रिया है। नेशनल मेंटेरिंग मिशन, शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक सलाह पेशेवर सहयोग के महत्त्व को रेखांकित करता है।

स्कूल शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) राज्य सरकारों और राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास में सहायता के लिए अल्पकालिक मॉड्यूलर तैयार किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रत्येक शिक्षक के प्रति वर्ष कम से कम 50 घंटे व्यावसायिक विकास जारी रखने की परिकल्पना करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए हाल में एनसीईआरटी ने शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राज्यों /केंद्रशासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों के बीच से स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों- यथा शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों / प्रधानाचार्यों और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में अन्य हितधारकों के लिए निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.0, 2.0 और 3.0 ऑनलाइन प्रारंभ किया है।

निष्कर्ष

अतीत में यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि पूर्व-सेवा और सेवाकालीन शिक्षक पर ध्यान केंद्रित करने से विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा अपनाए गए बहु-आयामी दृष्टिकोण से शिक्षक-शिक्षा के पुनर्जीवित होने की प्रबल संभावना है। इसके अंतर्गत प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थी अपनी पसंद के तौर पर आईटीईपी को चुन सकते हैं और एनपीएसटी एनएमएस, सीडीपी आदि जैसे कार्यक्रम शिक्षकों की शैक्षिक

गुणवत्ता के सुधार में योगदान कर सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और डी.एल. एड. पाठ्यक्रमों को भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रयास करने होंगे।

डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम ने कहा था कि "प्रबुद्ध नागरिक के तीन घटक होते हैं- मूल्य प्रणाली के साथ शिक्षा, धर्म को आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित करना और विकास के माध्यम से आर्थिक समृद्धि लाना।" हम अपने शिक्षकों में युवा पीढ़ी के लिए मशालवाहक बनने और भारत के विकास तथा निरंतर प्रगति को सही दिशा में आकार देने के लिए विश्वास करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की दृष्टि अत्यंत व्यापक और दीर्घकालिक है। इस तथ्य और नीति के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए तौर-तरीके निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा के मौजूदा और इच्छित परिणाम के बीच अंतर को शुरुआती बाल्यावस्था से उच्चतर शिक्षण तक व्यवस्था में बड़े सुधारों तथा समुचित रणनीतियों और कार्यक्रमों के जरिए दूर किया जाना है। यह नीति अपने दृष्टिकोण और इरादे में वैश्विक के साथ ही स्थानीय भी है। यह कई मायनों में पिछली नीतियों से काफी आगे है। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को शैक्षिक सुधारों के एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। इसका लक्ष्य शिक्षा की बुनियाद को मजबूत बनाना, सबसे कमजोर समूहों की शैक्षिक जरूरत को पूरा करना तथा भारत को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक तौर पर अग्रणी स्थान तक पहुँचाना है।

सन्दर्भ सूची:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, खंड-1, पैरा 2.2, पृष्ठ-11
- राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए)-2020, पृष्ठ-114
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, खंड-3, पैरा 3.1
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, खंड-3, पैरा 15.1, पृष्ठ-67
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, खंड-3, पैरा 15.2, पृष्ठ-68
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, खंड-10, पैरा 10.06
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, खंड-7, पैरा 9.3
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय रिपोर्ट-2020, नई दिल्ली
- कस्तूरीरंगन, के. 2021 लिबरल एजुकेशन-ए ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी इनिशिएटिव, पन्द्रहवाँ स्थापना दिवस व्याख्यान, एनआईईपीए, नई दिल्ली, 11 अगस्त

Effect of Child Abuse and its impact on Intellectual development of Adolescents : A Psychological Study

Dr. Venkat Raman*

ABSTRACT

Child abuse—physical, sexual, emotional, and neglect—is a pervasive public-health problem with far-reaching developmental consequences. This paper investigates the effect of child abuse on intellectual development during adolescence through correlational study approach. Present study aimed to investigate the effect of Child Abuse and its impact on Intellectual development of Adolescence.. A total 80 adolescents age range from 10-18 years from Gorakhpur district were selected for the present study. Stratified random sampling technique was used for sample selection. A 2x2 factorial design with two level of abuse (abused and non abused) and two age groups (10-13 years & 14-18 years) was used. in present study. Child Abuse Checklist was used to assess level of abuse in respondents. Level of neglect was measured with the help of Child Neglect Scale. Further, Culture Fair Intelligence Test was used to assess intellectual development of respondents.

Results revealed direct link between child abuse, child neglect and intellectual development. More specifically, child abuse was found positively related with child neglect. Despite this, child abuse and neglect were found inversely related to intellectual development. Findings have been discussed that child abuse and neglect have been associated with cognitive deficits, among other effects on child development.

Key words: Child Abuse, Child Neglect, Intellectual Development, Cognitive deficits, Adolescents, Cognitive functioning,

Introduction

Child abuse and neglect is, at a minimum, any recent act or failure to act on the part

*Assistant Professor, Deptt. Of Psychology Maharana Pratap College, Jungle Dhusn, Gorakhpur.

of a parent or care - taker, which results in death, serious physical or emotional harm, sexual abuse or exploitation (including sexual abuse as determined under section 111), or an act or failure to act which presents an imminent risk of serious harm (Child Abuse Prevention and Treatment Act).This section offers resources on child abuse and neglect, including definitions, identification of signs and symptoms, statistics and data, risk and protective factors, the impact on individuals and society, characteristics of perpetrators, and information about child fatalities.

Child abuse is doing something or failing to do something that results in harm to a child or puts a child at risk of harm. Child abuse can be physical, sexual or emotional. Neglect, or not providing for a child's needs, is also a form of abuse. Most abused children suffer greater emotional than physical damage. An abused child may become depressed. He or she may withdraw from contacts, think of suicide or become violent. An older child may use drugs or alcohol, try to run away or abuse others.

Child abuse and neglect is a social and public health problem as well as a children's right issue in Australia. Abuse and neglect can lead to a wide range to adverse consequences for children and young people. This proper provides and overview of the possible effects of child abuse and neglect and explores whether different types of maltreatment are associated with specific adverse consequences in childhood and adolescence.

Child abuse and neglect refers to any behavior by adults or older adolescents that is outside the norms of conduct and entails a substantial or emotional harm to a child or young person. Such behaviors may be intentional or unintentional and can include acts of omission (i.e., neglect) and commission (i.e., abuse) (Bromfield, 2005; (Ristofel.et.al 1992; Gilbert et.al. 2009). The five main subtypes of child abuse and neglect are physical abuse, emotional maltreatment, neglect, sexual abuse and witnessing family violence. Not all children exposed to similar experiences of abuse and neglect are affected in the same way for some children and young people, the effects of child abuse and neglect may be chromic and debilitating; other may experience less adverse outcomes (Miller-purring & Perrin 2007).

Types of Child Abuse:

Child abuse can be a single incident or several incidents that take place over time. Child Protection Act 1999 focuses on the impact of the abuse on the child, rather than how

often the abuse has occurred. In particular, whether the child has suffered significant harm, is suffering significant harm. The Act also looks at whether a child who has been harmed has a parent who is able and willing to protect them. Harm is any detrimental effect of a significant nature on the child's physical, psychological or emotional wellbeing.

Physical Abuse: Physical abuse happens when a child has been hurt or injured, and it is not an accident. Physical abuse does not always leave visible marks or injuries. Hitting, Shaking, Chocking, Smothering, Throwing, Burning, Biting, Poisoning etc.

Sexual Abuse: Child sexual abuse happens when an adult, teenager or child uses there to involve another child in sexual activity. Find out more about child sexual abuse including what is horn behavior in children, myths and facts about child sexual abuse, and where to get help and advice.

Emotional Abuse: Emotional abuse happens when a child is treated in a way that negatively impacts their social, emotional or intellectual development. Emotional abuse can be caused by Rejection, Name calling, teasing or bullying., Yelling, Criticism, Isolation or looking a child up for extended periods, Exposure to domestic and family violence. Experiencing domestic and family violence can also lead to emotional harm. A child who experiences violence at home is at greater risk of not having their basic needs protection and care needs. Domestic and family violence can meet, including their Affect a child's emotional wellbeing and development.

Child Neglect: Neglect happens when a child's basic needs are not achieve, affecting and development. Basic needs include Food, Housing and clean living, condition, Health care, adequate clothing, Personal hygiene, adequate supervision, Intellectual/Academic Deficiencies in Abused and Neglected Children.

A large number of studies comparing neglected children and adolescents to non-neglected groups indicated that neglected victims show deficits in language abilities, academic skills, intelligence and problem-solving skills (Egeland et al., 1983; Hoffman-Plotkin & Twenty man, 1984; Wodarski et al., 1990). Child maltreatment damages the school performance of children. Wodarski et al. (1990).

Factors affecting the consequences of child abuse and neglect:

Not all children exposed to similar experiences of abuse and neglect is affected in the same way. For some children and young people, the effects of child abuse and neglect may be chronic and debilitating; others may experience less adverse outcomes (Miller-

Perrin & Perrin, 2007). Resilience refers to the ability of a child to cope and even thrive despite being exposed to negative experiences (Child Welfare Information Gateway, 2008; Hunter, 2012). When a child who has experienced abuse or neglect has few protective factors (such as positive relationships with extended family and friends), the risk of more serious adverse out comes increases. Risk factors that may contribute to poorer outcomes for children exposed to abuse and neglect include socio-economic disadvantage, social isolation, living in dangerous neighborhoods, large families, a caregiver with depression or alcohol or drug dependence, and whether the child has a disability (Dubowitz & Bennett, 2007; Jaffee & Maikovich-Fong, 2011). Factors that contribute to a child's resilience include child attributes (e.g., self-esteem and independence), features of the family environment (e.g., parenting quality), and extra-familial and community resources (e.g., high quality peer relationships and school environment) (Haskett et al., 2006; Hunter, 2012).

Research suggests that maltreatment types are interrelated, that is, a large proportion of children and young people who experience childhood abuse or neglect are exposed to more than one type of abuse (known as multi-type maltreatment). Further to this, other forms of victimization such as bullying or assault by a peer have often been found to co-occur with child maltreatment (known as poly- victimization) (Finkelhor, Ormrod, & Turner, 2006).

Other factors that can affect the consequences of child abuse and neglect on children and adolescents include: the age and developmental stage at which maltreatment occurred: some evidence suggests that the younger the child was at the time of the onset of the maltreatment, the more likely they are to experience problems later in life.

Review of literature:

Child abuse and neglect are serious global problems and can be in the from of physical, sexual, emotional or just neglect in providing for the child's needs. These factors can leave the child with serious, long lasting psychological damage. Altimeter W.A. et. al. (1984) in their article titled, Prediction of child abuse: a prospective study of feasibility, researcher identified risk for child abuse prospectively was determined by interviewing 1400 expectant mothers and predicting that 273 were high risk. Important predictors included subjective impressions of interviewers, residency transience, untruthfulness, disturbed childhood nurture, unwanted pregnancy, and perhaps conditions that increased parent- child exposure. Waterman Jand Lusk R. (1993) in their article titled, psychological

testing in evaluation of child sexual abuse, researcher said that Cognitive measures, personality inventories, symptomatology checklists, and projective tests with sexually abused children are reviewed. While a variety of standardized instruments have been administered to sexually abused children, relatively few have been utilized in empirical studies. Findings have been mixed, with stronger differences between sexually abused and non abused children generally found on measures completed by parents than on measures administered directly to children. Sexually abused children often fall between non abused and psychiatric groups. Use of measures specific to sexual abuse is advocated. While psychological tests may currently have limited use in validating suspected sexual abuse, they may be extremely useful in the clinical treatment of the child.

Aim and Hypothesis

A part from sizable number of studies on child maltreatment, conducted throughout the world, there are still numerous questions unanswered. Considering the gap in literature, contradiction in findings and relevance of variables present research is aimed to be done. Literature search showed that even though there are few studies have been done in India to see the relationship between child abuse and adolescents' intellectual development. Against this backdrop, present study was conducted with following objectives:

Objectives of the Study:

1. To measure the intellectual development in abused and non-abused children.
2. To ascertain the role of age in intellectual development.
3. To assess the relationship between child abuse and intelligence.

Hypotheses:

Following research hypotheses were formulated. It was hypothesized that:

1. Child abuse would be cause adverse effect on intellectual development of adolescents.
2. Child abuse would also be influence by age level of adolescents
3. Negative relationship would be found between child abuse and intellectual development in adolescents.

Method Design: In this study a 2x2 factorial design with two level of abuse (abused and non abused) x two age groups (10-13 years & 14-18 years) was used.

Participants: A total 80 adolescents age range from 10-18 years from Gorakhpur district were selected for the present study. Stratified random sampling technique was used for

sample selection.

Measures: Along with personal data sheet following measures were used for data collection in this study. A brief description of the measures is given below:

1. Personal Data Sheet (PDS): In order to determine the detail background information, Personal Data Sheet was used.

2. Child Abuse Checklist (CAC): The CAC developed and standardized by Pandey (2002) was used to ascertain the level of abuse in children. It has75 items related to physical (32 items), sexual (8 items) and psychological (35 items) abuse respectively the CAC has 3 point scales ranging between 75 to 225. The CAC measures the frequency and intensity of various forms of abuses and abuse as a whole. Its test - retest reliability has been estimated at 89. Against expert rating it correlated significantly (r = 45).

Scoring: Responses on each item were scored following 3, 2, and I order Total summated scores in each area denote the magnitude of neglect in specific area and on the basis of the grand total, abuse as a whole was determined and on basis of Median score (mdn123) children were classified into abused and non-abused group.

3. Child Neglect Scale (CNS): The CNS developed and standardized by Pandey (2002), was used to determine the level of neglect in children. It has 15 items concerning physical neglect (3 items), emotional neglect (9 items) and educational neglect (3 items) respectively. It has three-point scales ranging from severe (3) to moderate (2) to low level (1) neglect. The scores could range between 15 to 45. The CNS measures the frequency and intensity of neglect and neglect as a whole Its reliability (r=. 91) and validity (criterion r=.79) were found high.

Scoring: Responses on each item were scored following 3. 2 and I order. Total summated score in each area denotes the strength of neglect in specific area and on the basis of the grand total, neglect as a whole was determined.

4. Culture Fair Intelligence Test (C.F.I.T.): In order to assess the intellectual capacity of children, CFIT was used R B. Cattell (scale-1(1950), scale-2 & 3,1973) developed this test to measure general intelligence across the culture This consists of the task requiring basic cognitive skill involving complex conceptualization Since, the age of children ranges from 11 -18 yrs, hence, 2nd,and 3 rd scales of this test, were used. The administration of test was done in accordance with the procedure given in the manuals. The reliability [Split-half reliability for Scale-2 r .76, Scale-3 r .74)] and validity [(Scale-2

concept validity (81) & concrete validity (r=.70) and Scale-3 concept validity (r-.85) & concrete validity (r=.66)) of scales 2 and 3 were found high. The administration of test was done in accordance with the procedure given in the manual. The participants' score was the number of correct solution done by him/her. Number and time allotted on each sub test in scale – 2 and 3, are shown in table – 3.1.

Table-3.1: Items and time allotted to each subtest in scale– 2 and 3

		Scale-2		Scale-3	
		No. of Items	Time Allotted	No. of Item	Time Allotted
Test-1	Series	12	3 min	13	3 min
Test-2	Classification	14	4 min	14	4 min
Test-3	Matrices	12	3 min	13	3 min
Test-4	Conditions	8	2½ min	10	2½ min
Total		46	12½ min	50	12½ min

Procedure:

The study was conducted in Gorakhpur district. Study was done on a sizable number of participants to assess the suitability of sample and appropriateness of measures. Target participants were contacted personally either in work place or at home. The aim of the study was explained. When the participants were agreed to participate in the study then a booklet containing various measures were given to them. First, they were given Personal Data Sheet to determine the demographic characteristics of children. Further they were given Child Abuse Checklist and Child Neglect Scale measure the level of abuse and neglect respectively. Then, they were requested to answer on Culture Fare Intelligence test to assess the intelligence level of adolescents. As they will complete their responses on all measures, they were thanked for their participation. Scoring of the responses was done according to the instructions given in the concerned manual. Obtained responses were scored and tabulated.

Result Obtained responses were scored, tabulated and treated statistically in terms of Mean, SDs analysis of Variance (ANOVA) and co-efficient of correlation.

Comparative Analysis: Scores obtained on various intelligence scale, two-way (2x2) ANOVA analysis was done to examine the impact of child abuse and age on intellectual

development of adolescents. Results are displayed in table 4.1.

Table – 4.1: Shows Means, SDs and Significant 'F' values of Intelligence as a function of child abuse and age.

	Abused		Non-abused	
	Pre-adolescents	**Adolescents**	**Pre-adolescents**	**Adolescents**
Mean	70.09	75.13	84.58	87.70
SD	12.80	16.92	22.04	15.56
'F' values FA=Child abuse FB= Age	**FA= 24.13**,**	**FB= 7.45**,**	**FA x B = 4.24****	

N=80**P >.01

Table- 4.1 displays Means, S.Ds and significant 'F'-values of scores on Intellectual Functioning by different groups of children Results indicate that the level of intellect varied in accordance with abuse level and age.

ANOVA results (table- 4.1) evinced significant main effect for Child abuse (F= 24.13, P> .01) which reveals that abused children scored low on Intelligence Test (M= 72.61) than non- abused children (M=86.14). Further significant main effect for age indicated that pre adolescents scored lower (M=77.33) than adolescents (M=81.41) on intellectual task. Significant child abuse × age interaction effect (FA x B = 4.24) revealed that in abused group little variation on intellectual functioning was observed among pre adolescents and adolescents however in non abused group the intellectual functioning of pre adolescents and adolescence were found for superior than abused group. Results, thus shows that abuse and age jointly exercised impact on intellectual level of adolescents.

Correlation analysis: Co relational analysis was done to established the relationship of abuse with intelligence. Result is displayed in table 4.2. Result indicated highly negative relationship between child abuse and intelligence(r=-.23) as well as between child neglect (r = -.22) and intelligence level of Adolescents.

Table–4.2: Shows the relationship of child abuse with intelligence

Variable	Child Abuse	Child Neglect
Intelligence	-.23**	-.22**

N= 80, **P>.01

Discussion

Findings of present study suggest that that the level of intellect varied in accordance with abuse level and age. Results evince that abused children scored low on Intelligence Test than non-abused children further significant main effect for age indicated that pre adolescents scored lower than adolescents on intellectual task. Correlation result indicated highly negative relationship between child abuse and intelligence. Child abuse and neglect have been associated with cognitive deficits, among other effects on child development. As children grow, their brains undergo periods of rapid development. Negative experiences can disrupt those developmental periods, leading to changes in the brain later on.

Research supports this idea and suggests that the timing and duration of childhood abuse can impact the way it affects those children later in life. Abuse that occurs early in childhood for a prolonged period of time, for example, can lead to particularly negative outcomes. Dr. Martin Teichner and his colleagues at McLean Hospital, Harvard Medical School, and Northeastern University studied this relationship between abuse and brain structure by using magnetic resonance imaging (MRI) technology to identify measured changes in brain structure among young adults who had experienced childhood abuse or neglect. They found clear differences in nine brain regions between those who had experienced childhood trauma and those who had not.The most obvious changes were in the brain regions that help balance emotions and impulses, as well as self-aware thinking. The study's results indicate that people who have been through childhood abuse or neglect do have an increased risk of developing mental health issues later on.

Childhood maltreatment has also been shown to increase the risk of anxiety disorders, bipolar disorder, major depression, personality disorders, post-traumatic stress disorder (PTSD), and psychosis. The experience may also translate into a higher risk of substance misuse as a result of changes in their brain associated with impulse control and decision-making.

Cognitive and language deficits in abused children have been noted clinically (Augustine's, 1987; Azar et al., 1988; Fantuzzo, 1990; Kolko, 1992). Abused and neglected children with no evidence of neurological impairment have also shown delayed intellectual development, particularly Suggested Citation:" National Research Council, 1993. Understanding Child Abuse and Neglect. Washington, DC: The National Acad-

emies Press.doi:10.17226/2117.In the area of verbal intelligence (Augoustinos,1987).Some studies have found lowered intellectual functioning and reduced cognitive functioning in abused children (Hoffman-Plotkinand Twenty man, 1984; Perry et al., 1983). However, others have not found differences in intellectual and cognitive functioning, language skills, or verbal ability (Alessandri,1991;Allenand Oliver,1982; Elmer,1977;Lynchand Roberts,1982).

Significance of the Study: Child abuse has involved several scary aspects of violence. However, it is less investigated issue in Indian context focusing to association between child abuse and intellectual functioning. Findings of the study will be helpful to understand the causative factors and consequences of child abuse on adolescents' population. Results of the study would be instrumental to develop and implement preventive intervention programmers to help adolescents, to improve their well-being and protected them from abusive incidence. Thus, the study is proving its empirical and theoretical implications.

Relevance of the Study:

The findings of this study on "Effect of Child Abuse and Its Impact on Intellectual Development of Adolescents: A Psychological Study" have direct relevance to the objectives of the National Education Policy (NEP) 2020. The NEP envisions an education system that promotes holistic development, equity, inclusion, and student well-being. This research highlights the adverse cognitive and intellectual consequences of child abuse, thereby strengthening the rationale for NEP's reforms.

1. Holistic Development

NEP 2020 emphasizes cognitive, emotional, and ethical growth. This study shows how abuse negatively influences cognitive processes such as memory, attention, and reasoning, thereby hindering holistic development.

2. Early Childhood Care and Education (ECCE)

The policy underscores the importance of nurturing environments during foundational years. The findings affirm that adverse childhood experiences impair intellectual growth, validating NEP's focus on safe and supportive early education.

3. Equity and Inclusion

NEP prioritizes education for vulnerable groups. Abused children represent a marginalized category facing hidden disadvantages. The study advocates targeted interventions, aligning with NEP's call for inclusive and equitable education.

4. Curriculum and Pedagogy

NEP highlights integration of life skills, socio-emotional learning, and counseling in schools. This research underscores the need for trauma-informed teaching and access to school-based mental health services.

5. Teacher Training and Sensitization

The study reinforces NEP's recommendation for continuous professional development of teachers, equipping them to identify signs of abuse, address socio-emotional concerns, and support affected learners.

6. Integration of Health and Education

NEP advocates school complexes as hubs for health and well-being. The findings emphasize the importance of psychological screening, counseling, and social support to mitigate the intellectual consequences of abuse.

7. Research and Innovation

By addressing a critical child development issue, this study aligns with NEP's vision for universities to generate evidence-based solutions for India's educational and social challenges. The study demonstrates that child abuse is not only a violation of child rights but also a critical barrier to achieving the educational goals envisioned in NEP 2020. The policy's emphasis on safe learning environments, mental health support, inclusivity, and holistic development is strongly validated by the evidence presented. Thus, this research contributes both to the academic understanding of adolescent development and to the policy discourse on implementing NEP 2020 effectively.

References:

1. Anthony, LG., Anthony, J.B., Glanville, D.N., Naiman, D.O., Waanders, C. (2005). The relationship between parenting stress parenting behavior and preschoolers social competence and behavior problems in the class room. Infant and child development. An International Journals of Research and Practices, 14(2),133-154.www.scholar.google.co.in (accessdate-18 Feb 2021).
2. Child Abuse Prevention and Treatment Act of1974, pub.L.No.99-628.
3. Child Abuse Prevention. Adoption and Family Act of 1988, pub. L. No. 1000 294.
4. Encyclopedia of Infant and Early Childhood Development (2008), www.scholar.google.co.in.
5. Either, L.S., Lachaise, C. & Couture, G. (1999), Childhood adversity, parental stress and depression of negligent mothers. Child Abuse & Neglect,19,619-632.

6. Finkelhor, D. & Corbin, J. (1988). Child abuse as an international issue. Child and Neglect, 12, (1). 3-23.
7. Corbin, J. (1987). Child maltreatment in cross- cultural perspective: Vulnerable children and circumstances. In R. J. Gilles & J. B. Lancaster (Eds), Child Abuse & Neglect. Biosocial Dimensions (pp31-55).New York: Aliened Gruyter.
8. Kurtz, P.D., Gaudin, J.M., Wodarski, J.S.& Hawing, P.T.(1993). Maltreatment and the school aged child: School performance consequences. Child Abuse & Neglect, 17, 518-589.
9. Malviya, R. (2006). Parental Factors Of Child Maltreatment And Its Impact On Cognitive Functioning. Unpublished Doctoral Dissertation, D. D. U. Gorakhpur University, Gorakhpur.
10. Milner, J. S. & Dopke, C. (1997). Child physical abuse: Review of offender characteristics, In D.A. Wolfe, R.J. Mc-Mahon & R. D. Peters (Eds), Child Abuse: New Directions in Prevention and Treatment Across The Life Span(pp.27-54).Thousand Oaks, CA Sage.
11. Milner, J. S. (1998). Individual and family characteristics associated with interfamilial child physical and sexual abuse. In P. K. Trickett & C. J. Schellenbach (Eds). Violence Against Children in the Family and Community (pp. 141-170). Washington, D. C., American Psychology Association.
12. Pandey. S. (2002). Child Abuse and Neglect Interview Schedule for Parents Published UGC Research Project, Department of Psychology, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur.
13. Pandey, S. (2002). Child Neglect Scale. Published UGC Research Project, Department of Psychology, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur.
14. Pereira, J., Vickers, K. Atkinson, L., Gozzalez, A., Wekerle, C. Levitan, R. (2012). Parenting stress mediates between maternal maltreatment history and maternal sensitivity in a community sample. Child Abuse & Neglect 36(5),433-437 www.scholar.google.co.in (Accessdate-18 Feb 2021).
15. Straus, M. (1980). Stress and physical abuse. Child Abuse and Neglect, 4, 75- 88.Thousand Oake, CA, Sage.
16. www.google.com
17. www.bing.com

Yogi's UP: From BIMARU to Trillion-Dollar Beast

Nitin Pandey*

Eight years. One monk. A state reborn.

Imagine a state once synonymous with "BIMARU RAJYA"—a label of economic illness and social strife—morphing into India's second-largest economy, buzzing with expressways, tech hubs, and record-breaking festivals. That's Uttar Pradesh in 2025, eight years into Chief Minister Yogi Adityanath's tenure. Skeptics in 2017 scoffed at a monk in saffron robes taking the helm of India's most populous state, home to over 240 million souls. "How can a spiritual leader tackle mafia empires and crumbling infrastructure?" they sneered.

Fast-forward to today :

Ï% Encephalitis deaths? Near zero.

Ï% Mafia empires? Bulldozed.

Ï% GSDP? Exploding to ¹ 36 lakh crore.

Ï% Mahakumbh? 663 million pilgrims — minimal chaos.

Ï% UPITS? Exceptional

Ï% INVEST UP ? Boomed

UP isn't just surviving; it's thriving, pulling millions out of poverty and attracting billions in investments. Buckle up as we dive into this gripping tale of transformation—one that blends bold reforms, cultural revival, and sheer grit.

Taming the Wild: A Law and Order Revolution

In the pre-Yogi era, Uttar Pradesh was a **mafia playground**—extortion rackets, kidnappings for ransom, and communal riots were daily headlines. Investors fled. Farmers lost land to goons. Women feared the night.Then came **2017**.Enter **Yogi Adityanath**—

* Founder & CTO, Naught Ventures

not with speeches, but with **action**.

They called him **"Bulldozer Baba"** for a reason.When mafia dons built empires on illegally grabbed land, Yogi didn't negotiate.He **sent the bulldozers**.

Over **64,000 hectares** of prime land—worth **thousands of crores**—was **ripped from mafia clutches** and returned to the poor, farmers, and public projects. Palaces of crime? **Leveled in hours**.

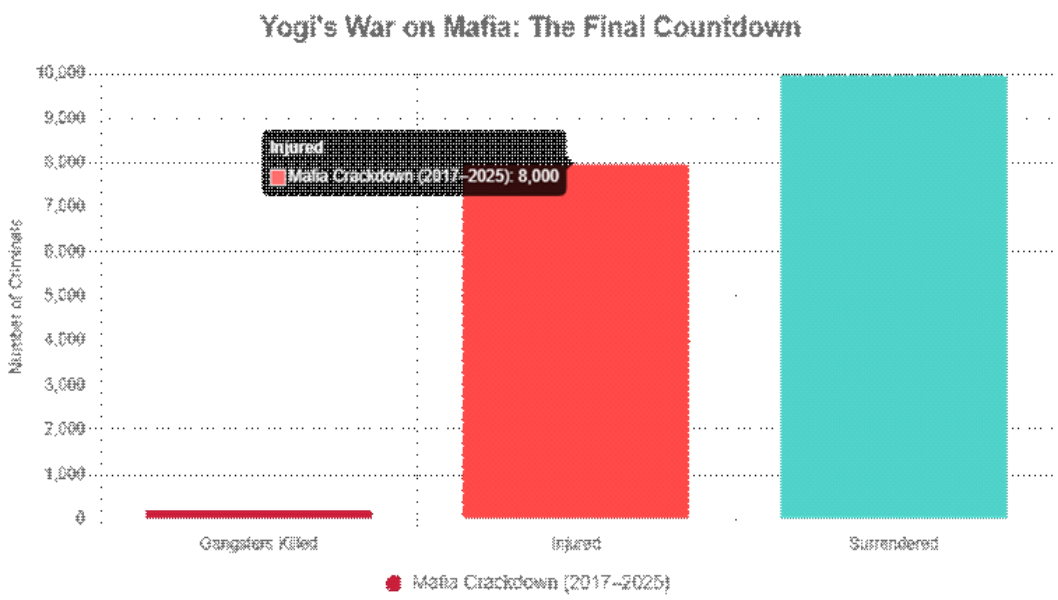
But the bulldozer was just the beginning.

The real shock came in the **encounter rooms**.

222 gangsters eliminated. 8,000+ injured. 10,000 surrendered.

Yogi's message was clear: **"Criminals have two choices—jail or the grave."**

Crime didn't just drop—it **vanished in categories**, **Communal Riots**: **Zero since 2017** *(NCRB verified)*



now walk free at midnight.

Thanks to **Mission Shakti**, **Anti-Romeo Squads**, and **three all-women PAC battalions**, UP leads India in female safety perception.

As Yogi roared in the Assembly:

"We didn't just demolish illegal structures, we demolished the politics of fear, caste, and crime."

The result?

A **secure, fearless UP**—now the **#1 destination for global investors**.

From Samsung to Adani, they're not just investing—they're **racing** to be part of the **Trillion-Dollar Beast**.

Healing a Broken State: The Health Revolution

(From Encephalitis Graveyard to Medical Marvel)

In 2016, **Gorakhpur was ground zero** for a national tragedy.

1,187 children died of Japanese Encephalitis in a single year.

Hospitals ran out of oxygen. Mothers wailed outside wards. The world called it **"UP's shame."**

Yogi didn't send condolences.

He sent **solutions**.

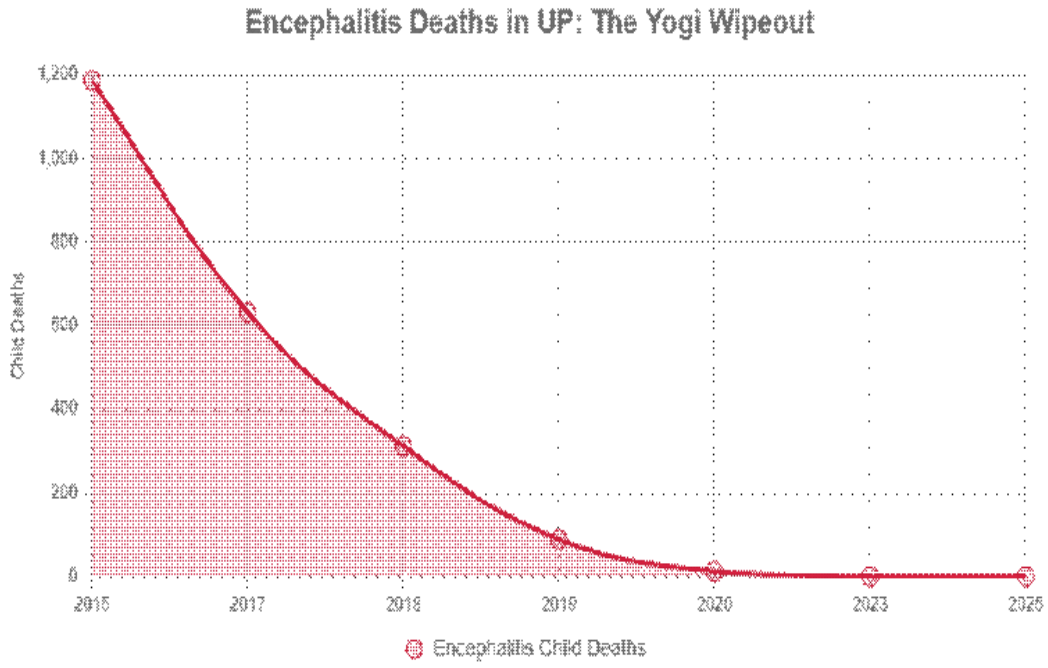
Encephalitis Eradicated

Ï% **Vaccination blitz**: **3.5 crore children immunized** in 3 years

Ï% **1,200+ oxygen plants** installed across districts

Ï% **24/7 pediatric ICUs** in every medical college

Ï% **Result**: **Deaths dropped from 1,187 (2016) '! 0 (2020–25)**



Healthcare on Steroids

- ♦ 5,000 new health sub-centers
- ♦ Free dialysis in all 75 districts
- ♦ **Jan Arogya Yojana**: ₹ **5 lakh coverage for 49 lakh families**
- ♦ AIIMS Gorakhpur, AIIMS Raebareli and SGPGI Lucknow expansion
- ♦ **1.5 lakh health workers recruited** — transparent, merit-based

COVID? Crushed.

Yogi's mantra:

"No child should die for lack of a ₹ 30 vaccine or a ₹ 300 oxygen cylinder."

Today, UP's **infant mortality rate** is down **32%**, **maternal deaths** cut by **40%**, and **life expectancy** has jumped **5 years**.

From **disease capital** to **medical hub** — this is **Viksit Swasthya**.

Economic Boom: From Laggard to Leader

What if a state doubled its economy in under a decade? UP did just that—and more. The Gross State Domestic Product (GSDP) skyrocketed from Rs 13 lakh crore in 2016-17 to Rs 29.78 lakh crore in 2024-25, with projections hitting Rs 36 lakh crore by year-end. Per capita income tripled to Rs 1.2 lakh, outpacing national averages. Exports doubled, MSMEs ballooned to 96 lakh units, and unemployment dipped to 3%.

The secret sauce? Reforms like the One District One Product scheme, which turned local crafts into global exports, and massive investor summits netting Rs 36 lakh crore in pledges. The success of UPITS 2025 tells its own story. UP now dominates 45% of India's mobile manufacturing and leads in food processing. "Uttar Pradesh has become the growth engine of the Indian economy," Yogi declared.

Roads to Riches: Infrastructure Overdrive

Gone are the pothole-plagued days—UP now reigns as India's expressway king with 17 major expressways operational or underway, spanning thousands of kilometers. Add 22 airports, including the newly inaugurated Jewar International, and metros zipping through Lucknow, Kanpur, Agra, and more. Power supply? Rural areas get more than 20 hours, cities 24/7, with solar initiatives lighting up Ayodhya and Bundelkhand.

These aren't just roads; they're lifelines boosting trade and tourism, creating jobs and hubs. Yogi's vision: "Infrastructure is the backbone of Viksit Bharat."

Harvest of Hope: Agricultural Awakening

In a state where farming feeds millions, Yogi's reforms have supercharged growth.

Agriculture expanded at 13.7% annually, making UP India's top producer of grains, fruits, and veggies—contributing 21% to national food output. Solar pumps for 76,000+ farmers, modernized markets, and a Rs 30/quintal sugarcane hike in 2025 are fueling prosperity.

From ethanol distilleries jumping from 61 to 97, to food processing hubs, UP's fields are now factories of fortune. "Our farmers are the backbone of food security," Yogi affirms.

Faith and Festivity: The Mahakumbh Miracle

No story of UP's rise is complete without the 2025 Mahakumbh in Prayagraj—a logistical marvel that drew a staggering 663 million visitors over 45 days, outnumbering entire nations. AI surveillance, 150,000 tents, and seamless health services turned a spiritual dip into a global showcase, generating Rs 2 lakh crore in revenue.

This event epitomizes Yogi's blend of tradition and tech, boosting tourism to new heights. "Civic duty makes Bharat developed," he noted.

Lifting the Last: Welfare Wins and Poverty Plunge

At the heart of this revival? People. NITI Aayog data shows UP lifted 3.43 crore from multidimensional poverty in recent years, leading the nation. Free rations for 15 crore during crises, 56 lakh homes, 2.6 crore toilets, and health coverage for 49 lakh families have rewritten destinies.

Yogi's "Antyodaya" ethos—uplifting the poorest—shines through, with schemes like Ujjwala delivering clean fuel to millions.

The Road Ahead: A Trillion-Dollar Dream

As UP eyes a $1 trillion economy by 2030 and $6 trillion by 2047, Yogi's blueprint is clear: Sustain the momentum. Challenges linger, but this monk's mission has turned a troubled giant into a beacon of progress. Will UP lead India's charge to global supremacy? The signs say yes—stay tuned…

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्त:अनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

Analysis of the Effectiveness of Regulatory Simplification under the Startup India Initiative

Ms. Rani Dwivedi* Dr. Niraj Kumar Singh**

Abstract

This research paper critically examines the effectiveness of regulatory simplification measures implemented under India's Startup India Initiative, launched in 2016. Through systematic analysis of scholarly articles, policy documents, and empirical studies, this review synthesizes current knowledge on regulatory reforms, their implementation mechanisms, and measurable outcomes on the entrepreneurial ecosystem. The review identifies that while the initiative has introduced substantial procedural simplifications and institutional support mechanisms, empirical evidence regarding effectiveness remains predominantly descriptive rather than causal. Key findings reveal mixed outcomes across regions and sectors, persistent implementation challenges, and significant research gaps in rigorous impact evaluation. The review concludes with policy implications and directions for future research.

Keywords: *Startup India Initiative, regulatory simplification, entrepreneurship policy, ease of doing business, startup ecosystem, policy effectiveness*

Introduction

The entrepreneurial landscape in India underwent a significant policy transformation with the launch of the Startup India Initiative on January 16, 2016. This flagship program, introduced by the Government of India, represented a comprehensive policy intervention designed to catalyze entrepreneurship through regulatory simplification, financial support,

*Research Scholar, Siddharth University, Kapilvastu ,Siddharth Nagar, (U.P) **Assistant Professor, B.B.A Department, Faculty of Commerce Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar, (U.P)

and ecosystem development[1]. The initiative emerged against the backdrop of India's aspiration to transition from a predominantly job-seeking economy to a job-creating one, leveraging innovation and technology-driven ventures as engines of economic growth and employment generation.Prior to 2016, India's regulatory environment for new ventures was characterized by complex compliance requirements, bureaucratic procedures, and fragmented support systems that collectively imposed substantial transaction costs on nascent enterprises[2]. Entrepreneurs faced multiple regulatory hurdles spanning company registration, tax compliance, labor laws, environmental clearances, and sector-specific regulations. These barriers were particularly onerous for early-stage ventures lacking dedicated legal and compliance resources, thereby constraining entrepreneurial entry and growth.

Policy Objectives and Scope

The Startup India Initiative was conceptualized as a multi-dimensional policy package encompassing three primary pillars: simplification and handholding, funding support and incentives, and industry-academia partnership and incubation. Within the regulatory simplification dimension, the initiative aimed to achieve several specific objectives:

- Streamline the process of business incorporation and reduce time-to-market for new ventures
- Minimize compliance burden through self-certification mechanisms and exemptions
- Provide tax benefits and relaxations to recognized startups
- Establish single-window clearance systems for approvals and licenses
- Create institutional mechanisms for handholding and mentorship support
- Facilitate access to government procurement opportunities through preferential treatment

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) was designated as the nodal agency for policy implementation, with responsibility for startup recognition, benefit administration, and ecosystem coordination.

Significance of the study

Despite the policy's prominence and the substantial resources allocated to its implementation, systematic scholarly assessment of its effectiveness remains fragmented. Existing literature comprises diverse methodological approaches, ranging from descriptive policy analyses to case studies and limited quantitative evaluations, without comprehensive synthesis. This literature review addresses this gap by systematically examining empirical

evidence on regulatory simplification effectiveness, identifying patterns of success and failure, and highlighting areas requiring further investigation.

Methodology

This review synthesizes findings from peer-reviewed articles, working papers, policy reports, and grey literature published between 2016 and 2025. Sources were identified through systematic searches across multiple academic databases including SciSpace, Google Scholar, and specialized repositories. The review employs thematic synthesis to organize findings around key dimensions of regulatory effectiveness, critically evaluates methodological approaches, and identifies consensus and contradictions within the literature.

Theoretical Frameworks for Analyzing Regulatory Simplification

Regulatory Governance Theory

The effectiveness of regulatory simplification initiatives can be conceptualized through multiple theoretical lenses. Regulatory governance theory emphasizes the importance of rule design, implementation capacity, and stakeholder engagement in determining policy outcomes. Applied to the Startup India context, this framework suggests that the mere introduction of simplified regulations is insufficient; effectiveness depends critically on administrative capacity, inter-agency coordination, and mechanisms for continuous feedback and adaptation.

However, the reviewed literature reveals limited explicit application of formal regulatory governance frameworks to analyze Startup India. Most studies adopt descriptive or a theoretical approaches, documenting policy provisions without systematic analysis of governance mechanisms or implementation pathways. This theoretical gap constrains deeper understanding of why certain simplification measures succeed while others fail to achieve intended outcomes.[3]

Institutional Economics Perspective

From an institutional economics perspective, regulatory simplification represents an attempt to reduce transaction costs associated with entrepreneurial activity. North's (1990) framework of formal and informal institutions suggests that regulatory reforms must align with existing informal norms and enforcement capabilities to be effective. The literature on Startup India indicates tension between formal policy provisions and ground-level implementation realities, particularly regarding state-level variation and sectoral heterogeneity.

Entrepreneurial Ecosystem Framework

Several studies situate Startup India within broader entrepreneurial ecosystem frameworks that emphasize the interdependence of regulatory, financial, human capital, and cultural factors. These frameworks suggest that regulatory simplification alone cannot catalyze entrepreneurship without complementary investments in access to finance, skilled talent, market linkages, and entrepreneurial culture. The ecosystem perspective helps explain why regulatory reforms show differential effectiveness across geographic regions and industrial sectors with varying ecosystem maturity.

PolicyEvaluation Frameworks

From a policy evaluation standpoint, assessing regulatory simplification effectiveness requires clear specification of inputs, outputs, and outcomes, along with appropriate counterfactual estimation strategies. The literature review reveals that most existing studies lack rigorous evaluation designs, relying instead on pre-post comparisons without adequate controls for confounding factors or selection effects. This methodological limitation undermines causal inference regarding policy effectiveness.[4]

Regulatory Reforms and Simplification Measures

Company Incorporation and Registration Reforms

- One of the most visible components of regulatory simplification under Startup India involved streamlining company incorporation processes. Prior to the initiative, entrepreneurs faced multiple procedural steps across different agencies, resulting in average incorporation timelines of several weeks. The reforms introduced several specific measures:
- Single-Window Portal: The initiative established an integrated online portal enabling entrepreneurs to complete incorporation, tax registration, and startup recognition through a unified digital interface. Studies document that this integration reduced procedural fragmentation and improved transparency regarding required documentation and timelines.
- Simplified Director Identification: Reforms eliminated certain procedural requirements for obtaining Director Identification Numbers (DIN) and simplified verification processes, particularly for first-time entrepreneurs. However, authors note that complexities remain in related company law provisions, creating implementation

challenges.

- Mobile App Integration: The introduction of mobile applications for startup registration represented an attempt to enhance accessibility, particularly for entrepreneurs in smaller cities lacking access to professional intermediaries.

Compliance and Reporting Simplifications

The initiative introduced several mechanisms to reduce ongoing compliance burden for recognized startups:

- Self-Certification: Startups were permitted to self-certify compliance with nine labor laws and three environmental laws for specified periods, eliminating requirements for routine inspections. This provision aimed to reduce regulatory harassment and allow entrepreneurs to focus resources on business development rather than compliance management.
- Tax Benefits: Recognized startups became eligible for three-year tax holidays on profits, exemptions from capital gains taxation on certain investments, and carry-forward of losses provisions. These fiscal incentives complemented procedural simplifications by reducing financial burdens during critical early-stage periods.
- Reduced Patent Fees and Fast-Track Processing: The initiative provided 80% rebates on patent filing fees and established fast-track examination mechanisms for startups, addressing intellectual property concerns that are particularly salient for technology-intensive ventures[5].

Institutional Handholding Mechanisms

Beyond procedural simplifications, Startup India established institutional support structures:

- Startup India Hub: A dedicated hub was created to serve as a single-point contact for startup-related queries, mentorship connections, and information dissemination. The literature documents variable effectiveness of this mechanism, with accessibility constraints cited particularly for rural and semi-urban entrepreneurs.
- Incubation Support: The initiative provided funding for establishment and operation of incubators across educational institutions and private sector organizations. Studies indicate that incubator density and quality vary substantially across regions, contributing to geographic disparities in ecosystem development.

- Investor Connect Platforms: Government-facilitated platforms aimed to connect startups with potential investors, addressing information asymmetries in early-stage financing markets. Empirical evidence on the effectiveness of these platforms in generating actual investment flows remains limited.

Public Procurement Preferences

Reforms included provisions exempting startups from requirements for prior experience and earnest money deposits in government procurement, potentially opening substantial market opportunities. However, implementation studies suggest that awareness of these provisions remains low, and actual procurement awards to startups constitute a small fraction of total government spending.

Empirical Evidence on Policy Effectiveness

Startup Registration and Recognition Trends

- Administrative data compiled by DPIIT provides the most comprehensive quantitative evidence on policy reach. As documented in multiple studies, the number of DPIIT-recognized startups grew from negligible levels in 2016 to over 100,000 entities by 2023, with continued upward trajectory. This substantial expansion in formal recognition represents a clear output-level success of the initiative.[6]

However, scholars caution against interpreting recognition numbers as direct evidence of policy effectiveness for several reasons:

- Selection Effects: Recognition is voluntary and self-selected; growth may reflect increased awareness and formalization of existing ventures rather than net new venture creation.
- Definitional Ambiguity: The statutory definition of "startup" has evolved over time, and definitional boundaries affect eligibility and recognition patterns.
- Survival and Growth Outcomes: Recognition data do not capture subsequent venture performance, survival rates, or growth trajectories, limiting inference about economic impact

Ease of Doing Business Metrics

India's improvement in World Bank Ease of Doing Business rankings during the initiative period (from 142nd position in 2014 to 63rd in 2020) is frequently cited as evidence of regulatory improvement. However, the literature emphasizes that these rankings reflect multiple concurrent reforms beyond Startup India, making attribution challenging.

Moreover, the metrics focus primarily on large-city environments and established firm operations, potentially misrepresenting conditions faced by early-stage startups in diverse geographic contexts.

Access to Finance and Investment Flows

- Several studies examine whether regulatory simplifications translated into improved access to finance. Aggregate venture capital and angel investment data show substantial growth in funding volumes during the initiative period, with India emerging as the third-largest startup ecosystem globally by investment value. However, critical analyses reveal:
- Geographic Concentration: Investment flows remain heavily concentrated in metropolitan hubs, particularly Bengaluru, Delhi-NCR, and Mumbai, with limited penetration into tier-2 and tier-3 cities despite regulatory reforms.
- Sectoral Skew: Funding disproportionately favors technology-intensive sectors such as e-commerce, fintech, and SaaS, while traditional sectors and social enterprises struggle to attract capital.
- Causal Attribution Challenges: Investment growth coincided with global trends in emerging market venture capital and India-specific factors including digital infrastructure expansion and demographic dividends, complicating attribution to regulatory simplification specifically.

Compliance Burden Reduction

- Empirical assessment of actual compliance burden reduction remains limited. Survey-based studies report mixed perceptions among entrepreneurs:
- Positive Assessments: Entrepreneurs in technology sectors with DPIIT recognition report meaningful reductions in procedural hassles and inspection-related disruptions.
- Persistent Challenges: Smaller ventures and those in traditional sectors cite continued complexity in navigating overlapping central, state, and local regulations not covered by simplification provisions. The self-certification mechanism, while conceptually attractive, requires entrepreneurs to understand which laws are covered and maintain appropriate documentation, creating information and capacity burdens.
- State-Level Variation: Implementation of simplification measures varies substantially across states due to differences in administrative capacity, political commitment, and

coordination between central and state agencies.

Employment Generation

Studies utilizing DPIIT administrative data report substantial employment generation by recognized startups, with estimates ranging from 10-15 jobs per startup on average. However, methodological limitations constrain interpretation:

- Self-Reported Data: Employment figures rely on self-reporting by startups without independent verification.
- Causality: Whether these jobs represent net employment creation or displacement from other sectors remains unclear.
- Quality Considerations: The literature provides limited evidence on job quality dimensions such as wages, benefits, and stability

Regional and Sectoral Variations in Effectiveness

Geographic Disparities

The literature consistently documents substantial geographic variation in policy effectiveness and ecosystem development:

- Metropolitan Dominance: Cities such as Bengaluru, Delhi-NCR, Mumbai, Hyderabad, and Pune account for the overwhelming majority of recognized startups, investment flows, and ecosystem infrastructure. These hubs benefit from pre-existing entrepreneurial culture, talent pools, investor networks, and market access that amplify the impact of regulatory simplifications.
- Emerging Ecosystems: Tier-2 cities including Jaipur, Ahmedabad, Chandigarh, and Kochi show nascent ecosystem development, with regulatory simplifications providing necessary but insufficient conditions for growth. Success in these contexts depends critically on complementary investments in incubation infrastructure, mentorship networks, and investor outreach.
- Lagging Regions: Large portions of India, particularly in eastern and northeastern states, show minimal startup activity despite availability of regulatory benefits[7]. Studies attribute this to multiple factors including limited entrepreneurial culture, weak educational infrastructure, poor digital connectivity, and absence of local role models and support networks.

- Rural-Urban Divide:Regulatory simplifications designed primarily around urban, technology-intensive ventures show limited relevance for rural entrepreneurship focused on agriculture, handicrafts, and local services. Policy mechanisms such as online portals and investor networks presume digital literacy and connectivity that remain constrained in rural contexts.

Sectoral Heterogeneity

Policy effectiveness varies significantly across industrial sectors:

- Technology-Intensive Sectors: Software, fintech, e-commerce, and SaaS ventures report substantial benefits from regulatory simplifications, particularly regarding intellectual property protections, compliance exemptions, and investor access. These sectors align well with policy design assumptions and benefit from India's strengths in digital talent and infrastructure.
- Traditional Manufacturing: Manufacturing startups face sector-specific regulations regarding land acquisition, environmental clearances, and labor laws that fall largely outside Startup India simplification provisions. Studies document that these ventures experience limited benefit from the initiative despite formal recognition.
- Social Enterprises: Ventures focused on social impact in sectors such as education, healthcare, and rural development face unique challenges including limited investor interest, complex regulatory requirements for social impact verification, and misalignment between policy incentives and social objectives.
- Service Sectors: Professional services, hospitality, and personal services startups report moderate benefits from incorporation simplifications but limited advantage from other policy provisions designed primarily for scalable, technology-intensive ventures.

Implementation Challenges and Limitations

Awareness and Information Gap

Multiple studies identify awareness deficits as a critical implementation barrier:

- Geographic Variation in Awareness: Entrepreneurs in metropolitan areas with developed ecosystems demonstrate high awareness of policy provisions, while those in smaller cities and rural areas often lack basic information about eligibility, application processes, and available benefits.
- Complexity of Provisions: The multiplicity of schemes, eligibility criteria, and application

procedures creates confusion even among informed entrepreneurs. Studies report that startups often rely on paid consultants to navigate the system, undermining the objective of simplification.

- Language Barriers: Policy documentation and online portals predominantly in English create accessibility challenges for entrepreneurs more comfortable in regional languages.

Administrative and Coordination Challenges

Implementation studies reveal substantial administrative hurdles:

- Inter-Agency Coordination: Effective simplification requires coordination across multiple ministries, departments, and levels of government. The literature documents coordination failures, particularly between central government initiatives and state-level implementation agencies.
- Capacity Constraints: State and district-level administrative units often lack personnel with expertise in startup ecosystem development, leading to inconsistent implementation and delayed processing of applications and benefits.
- Technology Platform Issues: While digital platforms aimed to simplify processes, studies report technical glitches, user interface problems, and inadequate customer support that frustrate entrepreneurs.

Definitional and Eligibility Ambiguities scholars identify several definitional challenges:

- Evolving Startup Definition: The official definition of "startup" has been modified multiple times regarding age limits, revenue thresholds, and innovation criteria, creating uncertainty and retroactive eligibility concerns.
- Innovation Assessment: Requirements that startups demonstrate innovation or scalability involve subjective assessments that vary across evaluators and sectors, leading to inconsistent recognition decisions.
- Exclusions: Certain sectors and business models are explicitly excluded from startup recognition, but boundary cases create ambiguity and potential for arbitrary determinations.

Limited Scope of Simplifications

- Critical analyses emphasize that Startup India simplifications address only a subset of regulatory burdens:

- State and Local Regulations: Many compliance requirements fall under state jurisdiction or involve local municipal authorities, which are not covered by central government simplifications. Entrepreneurs must still navigate complex state-specific regulations regarding land use, local taxes, and sector-specific licenses.
- Interconnected Regulations: Simplification of specific procedures (e.g., company incorporation) provides limited benefit if entrepreneurs still face complexity in related domains such as taxation, labor compliance, and environmental regulations.
- Scalability Challenges: Regulatory benefits often apply only during early stages (e.g., first three years), but ventures face renewed compliance burdens as they scale beyond startup thresholds.

Equity and Inclusion Concerns the literature raises important questions about distributional effects

- Elite Capture: Benefits may accrue disproportionately to educated, urban, English-speaking entrepreneurs with prior exposure to formal business environments, potentially exacerbating existing inequalities.
- Gender Gaps: While the initiative includes specific provisions for women entrepreneurs, studies report persistent gender disparities in startup recognition and funding access, suggesting that regulatory simplification alone is insufficient to address structural barriers.
- Social Category Representation: Limited evidence exists on whether the initiative has expanded entrepreneurial participation among historically marginalized communities, despite policy rhetoric emphasizing inclusion.

Comparative Perspectives

International Benchmarking

While the reviewed literature provides limited systematic cross-country comparisons, scattered references to international startup policies offer contextual insights:

- Israel's Yozma Program: Studies cite Israel's government-backed venture capital fund model as demonstrating the importance of combining regulatory reforms with direct financing mechanisms.
- Singapore's Startup SG: Singapore's comprehensive ecosystem approach, integrating regulatory simplification with substantial public investment in infrastructure and talent

development, is referenced as a potential benchmark.

- United Kingdom's Startup Visa: The UK's immigration reforms facilitating international entrepreneur entry are noted as addressing a dimension not adequately covered in India's initiative.

However, the absence of rigorous comparative analyses limits understanding of relative effectiveness and transferable lessons.

Domestic Policy Comparisons some studies compare Startup India with other Indian policy initiatives:

- Make in India: Scholars note overlap and potential synergies between Startup India and Make in India, but also identify coordination gaps and conflicting priorities.
- Digital India: The Digital India program's investments in connectivity and digital infrastructure are viewed as complementary enablers of technology startup growth.
- State-Level Initiatives: Several states have launched parallel startup policies with additional incentives and support mechanisms, creating both opportunities for policy innovation and risks of fragmentation and confusion [8]

Policy Implications and Recommendations

Enhancing Implementation Effectiveness based on identified challenges, researchers propose several implementation improvements:

- Strengthen Monitoring and Evaluation: Establish robust data collection systems to track policy uptake, benefit utilization, and outcomes at granular levels, enabling evidence-based refinement.
- Improve Inter-Agency Coordination: Create formal mechanisms for coordination between central and state governments, and across ministries, to ensure consistent implementation and address regulatory gaps.
- Enhance Outreach and Awareness: Develop targeted communication strategies using regional languages and local media to reach entrepreneurs in underserved geographies.
- Simplify Complexity: Consolidate multiple schemes and portals into more intuitive, user-friendly systems with clear guidance and responsive support.

Expanding Scope and Coverage, scholars recommend broadening policy scope:

- Address State and Local Regulations: Work with state governments to extend

simplification principles to state-level regulations and facilitate model law adoption.

- Sector-Specific Adaptations: Develop differentiated support mechanisms recognizing the distinct needs and challenges of manufacturing, social enterprises, and rural ventures.
- Lifecycle Support: Extend regulatory support beyond the initial three-year startup phase to address scaling challenges and maintain momentum.

Strengthening Complementary Ecosystem Elements, regulatory simplification alone is insufficient; researchers emphasize need for:

- Access to Finance: Expand public financing mechanisms, particularly for ventures in underserved sectors and regions that struggle to attract private capital.
- Talent Development: Invest in entrepreneurship education and skill development programs to expand the pool of potential entrepreneurs.
- Market Access: Facilitate connections between startups and potential customers, including more effective implementation of public procurement preferences.
- Mentorship Networks: Systematically develop mentorship and advisory support, particularly in emerging ecosystems lacking experienced entrepreneurs.

Promoting Equity and Inclusion to address distributional concerns:

- Targeted Support: Design specific interventions for women, rural entrepreneurs, and underrepresented communities, going beyond generic simplifications.
- Language and Digital Access: Ensure policy information and platforms are accessible in regional languages and accommodate varying levels of digital literacy.
- Decentralized Infrastructure: Invest in incubation and support infrastructure in smaller cities and rural areas to reduce geographic concentration.

Research Gaps and Future Directions

Methodological Limitations in Existing Research

The review identifies several critical methodological gaps:

- Lack of Causal Evaluation: Most studies employ descriptive or correlational approaches without adequate attention to causal identification. Future research should employ quasi-experimental designs such as difference-in-differences, regression discontinuity, or synthetic control methods to isolate policy effects from confounding trends.[9]

- Limited Longitudinal Analysis: The literature lacks long-term tracking of startup cohorts to assess survival, growth, and employment outcomes over extended periods.
- Measurement Challenges: Standardized metrics for compliance burden, regulatory complexity, and ecosystem quality are needed to enable rigorous comparative analysis.

Substantive Research Priorities

Key areas requiring further investigation include:

- Heterogeneous Treatment Effects: Systematic analysis of how policy effectiveness varies by entrepreneur characteristics, venture types, geographic contexts, and time periods.
- Mechanism Analysis: Research elucidating specific pathways through which regulatory simplifications affect entrepreneurial decisions, resource access, and performance outcomes.
- Complementarities and Interactions: Studies examining how regulatory simplification interacts with other policy interventions and ecosystem factors to produce outcomes.
- Unintended Consequences: Investigation of potential negative effects such as rent-seeking, gaming of recognition criteria, or displacement of non-recognized ventures.

Data Infrastructure Needs

Advancing research requires improved data:

- Comprehensive Startup Census: Systematic tracking of all startups (not just DPIIT-recognized entities) to assess representativeness and selection effects.
- Linked Administrative Data: Integration of startup recognition data with tax records, employment data, and regulatory compliance information to enable holistic analysis.
- Qualitative Research: In-depth case studies and ethnographic research to understand entrepreneur experiences and implementation realities beyond what quantitative data reveal.

Policy Experimentation Opportunities

The literature suggests opportunities for embedded policy experiments:

- Randomized Pilots: Test variations in outreach strategies, application processes, or support mechanisms through randomized controlled trials.
- Phased Rollouts: Implement new policy components in staggered fashion across regions or sectors to enable evaluation.

- Continuous Improvement Cycles: Establish systematic feedback mechanisms linking evaluation findings to policy refinement.

Conclusion

This comprehensive literature review reveals a complex and nuanced picture of regulatory simplification effectiveness under the Startup India Initiative. On one hand, the initiative represents a significant policy commitment to entrepreneurship promotion, introducing meaningful procedural simplifications and institutional support mechanisms that have contributed to substantial growth in formal startup recognition and increased visibility of entrepreneurship as a career pathway. Administrative data document tens of thousands of recognized startups, billions in reported employment generation, and improved perception of India as an entrepreneurial destination.

On the other hand, the evidence base for causal effectiveness remains limited. Most studies employ descriptive methodologies that document policy provisions and aggregate trends without rigorous assessment of counterfactual outcomes. Where empirical evidence exists, it reveals substantial heterogeneity in effectiveness across geographic regions, industrial sectors, and entrepreneur populations. Metropolitan hubs with pre-existing ecosystem strengths have benefited disproportionately, while smaller cities and rural areas show limited impact despite availability of regulatory benefits. Technology-intensive sectors align well with policy design and demonstrate positive outcomes, while traditional manufacturing, services, and social enterprises experience more limited gains.Implementation challenges persist across multiple dimensions including awareness gaps, administrative capacity constraints, inter-agency coordination failures, and continued complexity in regulatory domains outside the initiative's scope. Definitional ambiguities and evolving eligibility criteria create uncertainty, while equity concerns suggest that benefits may accrue disproportionately to already-advantaged populations.

The Startup India Initiative represents an important policy experiment with significant potential. Realizing this potential requires moving beyond initial enthusiasm to systematic evaluation, honest assessment of limitations, and continuous improvement based on evidence. The research agenda outlined in this review provides a roadmap for generating the knowledge needed to inform next-generation entrepreneurship policy in India and comparable emerging economies.

References

1. The startup India scheme: fostering entrepreneurship and innovation in the Indian ecosystem. Retrieved fromhttps://www.academia.edu/download/116291197/View_ of_ The _ Startup _ India _ Scheme _ Fostering _ Entrepreneurship _ and _ Innovation_in_the_Indian_Ecosystem.pdf
2. IMPACT OF GOVERNMENT POLICIES ON STARTUP ECO SYSTEM. Retrieved from https:/ /www.researchgate.net/profile/Vidhya Drp / publication / 393211640 _ IMPACT _ OF _ GOVERNMENT _ POLICIES _ ON _ STARTUP _ ECO _ SYSTEM / links / 68639b 5007 b 3253fd1cadba 3 / IMPACT - OF - GOVERNMENT - POLICIES - ON - STARTUP - ECO-SYSTEM.pdf
3. A study on effect of government policies on startup. Retrieved from https://www.researchgate.net/ profile/MarzunJokhi/publication/ 374784672_GAP_GYAN_A_GLOBAL_JOURNAL_ OF _SOCIAL_ SCIENCES_ A_STUDY_ ON_ EFFECT _OF_ GOVERNMENT_ POLICIES_ ON_STARTUP / links / 652 fc 6665 d 1a 8012b52 bb 0f/ GAP - GYAN -A-GLOBAL - JOURNAL- OF - SOCIAL - SCIENCES - A - STUDY - ON-EFFECT - OF - GOVERNMENT - POLICIES - ON - STARTUP. pdf
4. Varalakshmi, D. (2025). An Analytical Review of India's Startup Ecosystem (2019-2023). *International Research Journal on Advanced Science Hub*. https://doi.org/10.47392/ irjash.2025.081
5. Venkateswaran, A. (2024). Startup in India –Stand Up India Retrospect and Prospects. *Deleted Journal*. https://doi.org/10.47392/irjaem.2024.0426
6. Start-up Ecosystem and Company Law in India: Legal Simplifications and Complexities. Retrieved from https://penacclaims.com/wp-content/uploads/2025/04/Dr.-Sakshi-Pathak.pdf
7. Patel, A., Mistry, F., & Shah, D. (2025). STARTUPS UNPLUGGED: INSIGHTS INTO CHALLENGES & GROWTH OF INDIA'S STARTUP ECO SYSTEM. https://doi.org/10.62823/jmme/15.03.7938
8. Ushering the Startup-Revolution, the India Way: Identifying Impediments and Overcoming Obstacles. Retrieved from https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ juscrp3&section=25
9. Saini, A. K. Role of Government Policies on Success of New Ventures: an Empirical Study. https:/ /doi.org/10.17762/itii.v6i3.819

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्त:अनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND COPYRIGHT LAW: THE INDIAN PERSPECTIVE

Prof. (Dr.) Sudhir Kumar* Neelank Rao**

ABSTRACT

Generative Artificial Intelligence (GAI) has fundamentally transformed creative industries worldwide, producing works of literature, art, music, and software with minimal or no human intervention. The Indian Copyright Act, 1957, drafted in a pre-digital era, faces unprecedented challenges in addressing questions of authorship, ownership, infringement liability, and moral rights in the context of AI-generated content. This research paper examines the adequacy of India's current copyright framework in regulating GAI, analyzes landmark judicial precedents, compares international approaches from the United Kingdom, United States, European Union, and China, and proposes legislative reforms necessary to balance innovation with the protection of creators' rights. The paper argues that without timely statutory amendments and policy interventions, India risks legal uncertainty that could stifle both technological advancement and traditional creative industries.

Keywords: Generative AI, Copyright Law, Authorship, Ownership, Indian Copyright Act 1957, AI-generated works, Fair Dealing, Moral Rights, Comparative Law

I. INTRODUCTION

The rapid advancement of generative artificial intelligence has ushered in a new era of creativity, wherein machines autonomously produce original works indistinguishable from human creations.[1] Technologies such as OpenAI's GPT-4,

*Professor, **LL.M. Corporate and Commercial Laws, School of Legal Studies, Babu Banarasi Das University, Lucknow

Google's Imagen, Stability AI's Stable Diffusion, and DALL-E are now integral to content creation across industries from journalism and entertainment to education and software development[2]. India, as a global technology hub with a burgeoning digital economy valued at over $250 billion, stands at a critical juncture where its copyright law must evolve to address the unique challenges posed by GAI[3].

The Copyright Act, 1957, was enacted to protect human creativity and incentivize original expression in accordance with the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works[4]. However, the Act's anthropocentric framework, which recognizes only natural or juristic persons as authors, is ill-equipped to handle works generated autonomously by machines[5]. Fundamental questions arise: Can AI-generated works qualify for copyright protection? Who owns such works—the programmer, the user, or the business deploying, the AI? Are the training datasets used by AI models lawfully acquired, or do they constitute mass infringement of existing copyrights?

Recent developments in India's technology sector underscore the urgency of these questions. Tata Consultancy Services has deployed AI for scriptwriting in Bollywood productions, while educational technology companies like Byju's utilize GPT-4 for generating personalized learning materials[6]. Indian news agencies are experimenting with automated content generation for financial reporting and sports coverage. Yet, the legal status of these AI-generated outputs remains ambiguous, creating uncertainty for rights holders, investors, and content creators alike.

This research paper seeks to critically analyse these issues through doctrinal and comparative legal research methodologies. The central research question is: **Is the Indian copyright framework adequate to regulate generative AI-generated works, and what reforms are necessary to balance innovation with creator protection?**

II. RESEARCH METHODOLOGY

This research employs a doctrinal legal research methodology, analysing primary legal sources including the Copyright Act, 1957, and relevant judicial precedents from Indian courts[7]. The paper utilizes comparative legal analysis, examining copyright regimes in the United Kingdom, United States, European Union, and China to identify best practices and potential reform models for India.

Secondary sources include academic journals, government policy documents (notably the Ministry of Commerce and Industry's AI Policy White Paper, 2024),

and authoritative legal commentaries. The research is limited to copyright law and does not extensively address related intellectual property issues such as patent law or trade secrets, though these intersect with AI development.

III. THE INDIAN COPYRIGHT FRAMEWORK

A. Statutory Provisions

The Copyright Act, 1957 serves as the primary legislation governing intellectual property rights in creative works in India[8]. Section 2(d) defines "author" and, in the context of computer-generated works, attributes authorship to "the person who causes the work to be created"[9]. This provision, however, predates the era of autonomous AI and leaves significant ambiguity regarding who qualifies as the causal agent when machines operate independently.

Section 13 of the Act extends copyright protection to "original" literary, dramatic, musical, and artistic works[10]. Originality, as interpreted by Indian courts, requires a minimal degree of creativity and skill; a human element traditionally considered indispensable[11]. Section 17 governs the first ownership of copyright, vesting it in the author unless otherwise contracted or employed under specific conditions[12].

Section 52 provides crucial exceptions to copyright infringement under the doctrine of "fair dealing," permitting use of copyrighted works for purposes such as private study, research, criticism, review, and reporting[13]. The applicability of these exceptions to the mass scraping and training of AI models remains legally untested in India.

Finally, Section 57 protects the moral rights of authors, including the right to claim authorship (paternity) and the right to prevent distortion or modification that would harm the author's reputation (integrity)[14]. These rights presume a human creator and become virtually unenforceable in the context of AI-generated derivative works.

B. Legislative Intent and Historical Context

The Copyright Act was enacted following India's accession to the Universal Copyright Convention in 1951 and was designed to align with international copyright standards while addressing India's post-independence developmental needs[15]. The 1957 Act replaced the colonial-era Copyright Act of 1914, introducing provisions specific to Indian cinema, broadcasting, and indigenous artistic traditions[16].

Subsequent amendments in 1983, 1994, 1999, 2012, and 2021 addressed digital technologies, but none contemplated autonomous machine creativity[17].

IV. JUDICIAL INTERPRETATION AND CASE LAW ANALYSIS

A. The Originality Standard: Eastern Book Company v. D.B. Modak

In *Eastern Book Company v. D.B. Modak*, the Supreme Court of India adopted the "modicum of creativity" standard, departing from the earlier "sweat of the brow" doctrine[18]. The Court held that copyright protection requires more than mere labour; it demands an element of intellectual creativity and judgment[19]. Justice Dalveer Bhandari, writing for the bench, stated: "The person claiming copyright must show that sufficient skill, labour and judgment have been exercised by him to impart to the work that minimum of originality required to make it his own"[20].

This standard raises significant questions about whether purely machine-generated content, devoid of human creative input, can satisfy the originality requirement. The Court emphasized that copyright protects expression, not ideas, and that originality is the sine qua non of copyright protection[21].

B. Expression versus Idea Dichotomy

The Supreme Court in *R.G. Anand v. Delux Films* clarified the fundamental copyright principle that ideas are not protected, only their original expression[22]. The Court established a multi-factor test for substantial similarity, considering whether: (i) the same idea can be expressed in numerous ways; (ii) substantial similarity exists between the two works; (iii) the defendant had access to the plaintiff's work; and (iv) the similarities are too numerous to be coincidental[23].

GAI models, trained on vast corpora of existing works, often generate outputs that mimic styles, structures, and patterns from copyrighted sources. This complicates the determination of what constitutes original expression versus derivative infringement. For instance, if an AI model trained on the complete works of renowned Indian authors generates a story that closely resembles existing narratives, does this constitute infringement or independent creation?

C. Computer-Generated Works and Human Control

The Bombay High Court in *Video Master v. Nishi Productions* addressed works created using automated processes, concluding that copyright subsists only where humans exercise ultimate creative control over the output[24]. The Court held

that merely operating equipment or software does not confer authorship; rather, the human must make creative choices in producing the final work[25].

This precedent suggests that fully autonomous AI-generated works may fall outside the protective scope of Indian copyright law. The Court's reasoning was that copyright rewards human intellectual effort, not mechanical reproduction, regardless of the sophistication of the machinery employed[26].

D. Platform Liability in the Digital Age

In *Super Cassettes Industries Ltd. v. MySpace Inc.*, the Delhi High Court extended liability principles to digital platforms, holding operators accountable for infringing content hosted on their services[27]. The Court rejected the "mere conduit" defines where platforms exercise editorial control or derive commercial benefit from infringing material[28].

By analogy, entities deploying GAI systems that produce infringing content may face similar liability, even if the AI acts autonomously. The Court emphasized that commercial exploitation of copyrighted works without authorization constitutes infringement regardless of the technological means employed[29].

E. Database Rights and Scraping

The Delhi High Court's decision in *WhatsApp Inc. v. TrueCaller* recognized that the unauthorized scraping of substantial portions of copyrighted databases could constitute infringement[30]. The Court held that databases involving substantial investment of skill, labour, and capital qualify for copyright protection under Section 13, and their unauthorized reproduction violates the exclusive rights of the database creator[31].

This ruling has direct implications for GAI training practices, which often involve large-scale data extraction from copyrighted sources without explicit authorization or compensation. The Court noted that "substantial part" is a question of quality, not merely quantity, and that copying the essential or distinctive parts of a work constitutes infringement[32].

V. KEY CHALLENGES POSED BY GENERATIVE AI

A. Authorship and Ownership Ambiguity

The most fundamental challenge lies in determining authorship. Indian law does not recognize machines as legal persons capable of holding copyright[33]. When

an AI system generates content autonomously, the statutory phrase "person who causes the work to be created" becomes ambiguous—does it refer to the programmer who wrote the algorithm, the data scientist who curated the training dataset, the end-user providing prompts, or the corporate entity deploying the system?[34]

Consider the following scenario: A user inputs a detailed prompt into an AI image generator requesting "a watercolour painting of the Taj Mahal at sunset in the style of M.F. Husain." The AI produces an original image. Who is the author? The programmer created the underlying algorithm, but did not envision this specific work. The user provided creative direction, but did not execute the work. The AI performed the actual creative synthesis, but lacks legal personhood. This authorship vacuum creates significant commercial uncertainty[35].

B. Training Data and Fair Dealing

GAI models require training on massive datasets, often comprising millions of copyrighted works scraped from the internet without explicit authorization[36]. While Section 52 permits "fair dealing" for research and private study, Indian law lacks explicit provisions for "text and data mining" exceptions found in jurisdictions like the United Kingdom[37].

The commercial scale of AI training arguably exceeds the scope of fair dealing. For instance, Stability AI trained its Stable Diffusion model on the LAION-5B dataset, containing over 5 billion image-text pairs scraped from the internet, many of which are copyrighted works by professional artists and photographers[38]. In India, such mass reproduction without authorization would prima facie constitute infringement under Sections 14 and 51 of the Copyright Act[39].

C. Infringement Liability

If an AI system generates content that infringes existing copyrights, liability falls on human actors—programmers, users, or deplorers—rather than the AI itself[40]. However, determining the precise locus of liability, particularly when multiple parties are involved in the AI's development and deployment remains legally complex.

The principle of vicarious liability may apply where one party has the right and ability to supervise infringing activity and derives financial benefit from it[41]. Contributory liability may attach where one party, with knowledge of infringing activity, induces, causes, or materially contributes to the infringement[42]. Both doctrines require judicial development in the AI context.

D. Erosion of Moral Rights

Section 57's moral rights protections presuppose identifiable human authors[43]. When AI systems amalgamate and transform countless copyrighted works into new outputs, the rights of original creators to attribution and integrity are effectively nullified, as their contributions become untraceable and uncompensated[44].

For example, if an AI music generator is trained on recordings by classical Indian musicians and subsequently produces compositions incorporating recognizable elements of their work without attribution, this violates both the paternity right (right to be identified as author) and potentially the integrity right (right against prejudicial modifications)[45].

VI. COMPARATIVE INTERNATIONAL PERSPECTIVES

A. United Kingdom

The United Kingdom's Copyright, Designs and Patents Act 1988 explicitly address computer-generated works in Section 9(3), defining them as works "generated by computer in circumstances such that there is no human author"[46]. Copyright in such works is vested in "the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken"[47].

This pragmatic approach provides legal certainty and has been applied in cases involving automated journalism and algorithmic trading reports[48]. However, critics argue that it potentially rewards minimal human involvement and may not adequately incentivize truly creative human endeavour[49]. The UK's approach grants a reduced copyright term of 50 years for computer-generated works compared to the standard life-plus-70-years for human-authored works[50].

B. United States

The United States Copyright Office maintains a strict human authorship requirement, explicitly excluding AI-generated content from protection unless substantial human creative input is demonstrated[51]. The *Compendium of U.S. Copyright Office Practices* (Third Edition) states: "The Office will not register works produced by a machine or mere mechanical process that operates randomly or automatically without any creative input or intervention from a human author"[52].

In the recent *Thaler v. Perlmutter* case, the D.C. District Court affirmed that U.S. copyright law "protects only works of human creation" and that works created by AI without human involvement cannot be copyrighted[53]. This position prioritizes incentivizing human creativity over providing commercial certainty for AI-generated outputs.

C. European Union

The European Union follows a similar human-centric approach. The Court of Justice of the European Union (CJEU) has consistently held that copyright protection requires "the author's own intellectual creation", interpreted as requiring human creative choices[54]. In *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*, the CJEU emphasized that originality must reflect "the personality of the author"[55].

The EU's proposed AI Act (2024) introduces transparency requirements and risk classifications but does not explicitly address copyright in AI-generated works, leaving this to member state implementation of the Copyright Directive[56].

D. China

Chinese courts have adopted a pragmatic, user-centric approach. In the landmark *Dreamwriter* case (*Shenzhen Tencent Computer System Co. v. Shanghai Yingxun Technology Co.*), the Shenzhen Nanshan District Court granted copyright protection to AI-generated financial news articles, vesting ownership in Tencent, the company that operated the AI tool[57].

The Court reasoned that the articles met the originality requirement because they: (i) reflected individualized expression not predictable by others; (ii) involved substantial human input in designing algorithms, selecting data, and editing outputs; and (iii) served the copyright system's goal of encouraging creation and dissemination of works[58]. This decision prioritizes commercial utility and investment protection over strict adherence to human authorship doctrine.

E. Comparative Analysis

Jurisdiction	AI Authorship	Copyright Duration	Rationale
United Kingdom	Recognized	50 years	Commercial certainty
United States	Not recognized	N/A	Human creativity incentive
European Union	Not recognized	N/A	Human creative choice
China	Case-by-case	Standard term	Investment protection
India	Unclear	Unclear	Legislative gap

Table 1: Comparative Analysis of AI Copyright Protection

The comparative analysis reveals a fundamental tension between two policy objectives: incentivizing human creativity versus providing commercial certainty for AI investments. The UK and China prioritize the latter, while the US and EU prioritize the former. India must decide which policy goal better serves its national interests in fostering both technological innovation and cultural production[59].

VII. POLICY RECOMMENDATIONS AND LEGISLATIVE REFORMS

A. Statutory Amendments to the Copyright Act

India should amend the Copyright Act to explicitly address AI-generated works through a tiered approach:

Option 1: Sui Generis Rights - Create a new category of protection for AI-generated works with reduced duration (25 years) and scope, vesting rights in the person or entity that invested substantial resources in developing and deploying the AI system[60].

Option 2: Clarified Authorship Threshold - Amend Section 2(d) to specify that authorship requires "substantial human creative input and control," is providing judicial guidance on what constitutes sufficient human involvement[61].

Option 3: Hybrid Model - Adopting the UK approach for commercial AI outputs while maintaining human authorship requirements for traditional copyright, distinguishing between "copyright" and "AI-generated rights"[62].

B. Licensing Frameworks for Training Data

India should develop statutory licensing schemes permitting the use of copyrighted works in AI training, subject to fair compensation for rights holders[63]. The proposed framework should include:

- Compulsory licensing provisions for non-commercial research and educational AI development
- Collective licensing mechanisms through copyright societies
- Transparency requirements mandating disclosure of training datasets
- Opt-out mechanisms for creators who object to their works being used in AI training
- Fair remuneration calculated based on the volume and value of works used

C. Expansion of Fair Dealing Exceptions

Section 52 should be amended to include explicit exceptions for text and data mining for research, educational, and non-commercial purposes, with appropriate safeguards against commercial exploitation[64]. The amendment should clarify that:

1. Temporary reproduction of copyrighted works for computational analysis does not constitute infringement if the purpose is non-commercial research
2. Educational institutions may use AI tools trained on copyrighted materials for pedagogical purposes
3. Commercial AI training requires authorization unless covered by specific licensing provisions

D. Moral Rights Protection

Introduce disclosure requirements for AI-generated works, mandating clear identification when content is substantially AI-generated, thereby preserving the transparency necessary for moral rights enforcement[65]. Additionally, establish attribution requirements when AI systems are trained on identifiable works of specific creators.

E. Regulatory Oversight and Industry Guidelines

The Ministry of Commerce and Industry, in consultation with the Copyright Board, judiciary, technology sector, and creative industries, should establish regulatory

guidelines and best practices for responsible AI deployment in creative contexts[66]. This should include:

- Standards for documenting human creative input in AI-assisted works
- Ethical guidelines for AI training data acquisition
- Dispute resolution mechanisms for copyright conflicts involving AI
- Periodic review mechanisms to assess the impact of AI on creative industries and adjust regulations accordingly

VIII. CONCLUSION

Generative artificial intelligence represents both an unprecedented opportunity for innovation and a profound challenge to established copyright principles. India's Copyright Act, 1957, rooted in an anthropocentric understanding of creativity, is inadequate to address the complexities introduced by autonomous machine-generated content. Without timely legislative reform, India risks legal uncertainty that could stifle technological advancement while simultaneously undermining the protections afforded to human creators.

This research has demonstrated that authorship, ownership, training data usage, and moral rights all require urgent reconsideration in the AI context. Comparative analysis reveals that jurisdictions worldwide are grappling with similar challenges, offering valuable lessons for India's reform efforts. The United Kingdom's pragmatic commercial approach, the United States' human creativity focus, the European Union's personality-based doctrine, and China's investment-protection model each present distinct advantages and drawbacks.

The recommendations proposed in this paper—statutory amendments introducing tiered protection, licensing frameworks for training data, expanded fair dealing exceptions, moral rights safeguards, and regulatory oversight—provide a comprehensive roadmap for harmonizing copyright law with the realities of the AI-driven creative economy. India must adopt a balanced approach that neither stifles innovation through excessive restriction nor abandons human creators to uncompensated exploitation.

As India aspires to global leadership in both technology and creative industries, contributing over $200 billion annually to GDP through these sectors combined, it must proactively adapt its legal framework to balance innovation incentives with the fundamental rights of human creators[67]. The Copyright (Amendment) Act, 2021,

introduced important digital provisions but failed to address AI comprehensively[68]. The next legislative intervention must not repeat this oversight.

The time for reform is now. As generative AI capabilities accelerate and adoption spreads across Indian industries, delay in establishing clear legal frameworks will only deepen uncertainty and disputes. Parliamentary action, judicial innovation, and stakeholder collaboration are all essential to ensuring that India's copyright regime serves the dual goals of promoting the progress of science and useful arts while securing for limited times to authors the exclusive right to their respective writings and discoveries—adapted for the age of artificial intelligence.

BIBLIOGRAPHY

Primary Sources

Statutes

- The Copyright Act, 1957 (India)
- The Copyright (Amendment) Act, 2021 (India)
- Copyright, Designs and Patents Act 1988 (United Kingdom)
- Digital Millennium Copyright Act, 1998 (United States)

Cases

- *Eastern Book Company v. D.B. Modak*, (2008) 1 SCC 1
- *R.G. Anand v. Delux Films*, AIR 1978 SC 1613
- *Video Master v. Nishi Productions,* AIR 1992 Bom 309
- *Super Cassettes Industries Ltd. v. MySpace Inc.*, 2011 (47) PTC 49 (Del)
- *WhatsApp Inc. v. TrueCaller*, Civ. W.P. No. 537/2019 (Del. HC)
- *Thaler v. Perlmutter*, No. 22-cv-1564 (D.D.C. Aug. 18, 2023)
- *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*, Case C-5/08 [2009]
- *Shenzhen Tencent v. Shanghai Yingxun*, Nanshan Court No. 14010/2019

Secondary Sources

Books

- Bently, L. & Sherman, B. (2014). *Intellectual Property Law* (4th ed.). Oxford University Press.

- Morris, R. & Murphy, J. (2022). *Legal Research Methods* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Nariman, F. (2007). *The State of the Nation*. Hay House India.

Journal Articles

- Bal, M. (2023). Fair Dealing in the Age of AI. *Indian Law Review*, 7(2), 123-145.
- Bansal, A. (2024). Generative AI and the Law: Indian Challenges. *Indian Journal of Law and Technology*, 17(2), 210-225.
- Das, S. (2024). AI Ownership under the Indian Copyright Act. *NUJS Law Review*, 14(1), 67-89.
- Davies, C.R. (2011). An Evolutionary Step in Intellectual Property Rights. *Computer Law & Security Review*, 27(6), 601-619.
- Ginsburg, J.C. (2020). Authorship and Machines. *Columbia Law Review*, 120(4), 1020-1045.
- Kumar, S. (2025). AI, Jobs and Ethics: New Policy Frontiers. *Economic & Political Weekly*, 60(8), 23-29.
- Lemley, M.A. & Casey, B. (2020). Remixing Authorship in the Age of Artificial Intelligence. *Stanford Law Review*, 72(1), 291-322.
- McKenzie, S. (2023). AI, Attribution and Moral Rights: New Dilemmas. *Journal of Intellectual Property Rights*, 28(4), 234-246.
- Mishra, H. (2025). Statutory Licensing and AI: Lessons from the Music Industry. *IPRment Law Journal*, April 2025, 45-67.
- Subramanian, K. (2023). Artificial Intelligence and Intellectual Property: The Indian Context. *NUJS Law Review*, 13(3), 540-558.
- Yu, P.K. (2018). Artificial Intelligence and Copyright Law. *Law and Contemporary Problems*, 79(3), 21-46.

Government Publications

- Ministry of Commerce & Industry. (2024). AI Policy White Paper. Government of India.
- Ministry of Electronics and Information Technology. (2024). India's Digital Economy Report 2024. Government of India.

- U.S. Copyright Office. (2021). *Compendium of U.S. Copyright Office Practices* (3rd ed.).

Technical Reports

- OpenAI. (2023). GPT-4 Technical Report. https://openai.com/research/gpt-4
- Schuhmann, C. et al. (2022). LAION-5B: An Open Large-Scale Dataset. *NeurIPS*, 35, 25278-25294.

Web Sources

- George, R. (2024). Copyright Law and AI. *Bar & Bench*, May 2024.
- TCS Press Release. (2024). TCS Uses Generative AI to Transform Bollywood Scripting. June 15, 2024.

References:

1 Bansal, A. (2024). Generative AI and the Law: Indian Challenges. *Indian Journal of Law and Technology*, 17(2), 210-225.

2 OpenAI. (2023). GPT-4 Technical Report. https://openai.com/research/gpt-4

3 Ministry of Electronics and Information Technology. (2024). India's Digital Economy Report 2024. Government of India.

4 The Copyright Act, 1957, Preamble.

5 The Copyright Act, 1957, Section 2(d).

6 TCS Press Release. (2024). TCS Uses Generative AI to Transform Bollywood Scripting. June 15, 2024.

7 Morris, R. & Murphy, J. (2022). *Legal Research Methods*. Oxford University Press, 3rd ed., pp. 45-67.

8 The Copyright Act, 1957, No. 14, Acts of Parliament, 1957 (India).

9 The Copyright Act, 1957, Section 2(d), Explanation (ii).

10 The Copyright Act, 1957, Section 13.

11 *Eastern Book Company v. D.B. Modak*, (2008) 1 SCC 1.

12 The Copyright Act, 1957, Section 17.

13 The Copyright Act, 1957, Section 52.

14 The Copyright Act, 1957, Section 57.

15 Bently, L. & Sherman, B. (2014). *Intellectual Property Law*. Oxford University Press, 4th ed., pp. 89-95.

16 Nariman, F. (2007). *The State of the Nation*. Hay House India, pp. 156-158.

17 The Copyright (Amendment) Acts of 1983, 1994, 1999, 2012, and 2021.

18 *Eastern Book Company v. D.B. Modak*, (2008) 1 SCC 1, para 18.

19 *Ibid.*, para 20.

20 *Ibid.*, para 22.

21 *Ibid.*, para 26.

22 *R.G. Anand v. Delux Films*, AIR 1978 SC 1613, para 15.

23 *Ibid.*, para 17.

24 *Video Master v. Nishi Productions*, AIR 1992 Bom 309.

25 *Ibid.*, para 8.

26 *Ibid.*, para 12.

27 *Super Cassettes Industries Ltd. v. MySpace Inc.*, 2011 (47) PTC 49 (Del).

28 *Ibid.*, para 24.

29 *Ibid.*, para 28.

30 *WhatsApp Inc. v. TrueCaller*, Civ. W.P. No. 537/2019 (Del. HC).

31 *Ibid.*, para 15.

32 *Ibid.*, para 18.

33 Subramanian, K. (2023). Artificial Intelligence and Intellectual Property: The Indian Context. *NUJS Law Review*, 13(3), 540-558.

34 Das, S. (2024). AI Ownership under the Indian Copyright Act. *NUJS Law Review*, 14(1), 67-89.

35 George, R. (2024). Copyright Law and AI. *Bar & Bench*, May 2024.

36 Ministry of Commerce & Industry. (2024). AI Policy White Paper. Government of India, July 2024.

37 Copyright, Designs and Patents Act 1988 (UK), Section 29A.

38 Schuhmann, C. et al. (2022). LAION-5B: An Open Large-Scale Dataset for Training Next Generation Image-Text Models. *NeurIPS*, 35, 25278-25294.

39 The Copyright Act, 1957, Sections 14 and 51.

40 Lemley, M.A. & Casey, B. (2020). Remixing Authorship in the Age of Artificial Intelligence. *Stanford Law Review*, 72(1), 291-322.

41 *Super Cassettes Industries* (n 27), para 26.

42 *Ibid.*, para 27.

43 The Copyright Act, 1957, Section 57.

44 McKenzie, S. (2023). AI, Attribution and Moral Rights: New Dilemmas. *Journal of Intellectual Property Rights*, 28(4), 234-246.

45 *Ibid.*, pp. 238-240.

46 Copyright, Designs and Patents Act 1988 (UK), Section 9(3).

47 *Ibid.*, Section 9(3).

48 Davies, C.R. (2011). An Evolutionary Step in Intellectual Property Rights – Artificial Intelligence and Intellectual Property. *Computer Law & Security Review*, 27(6), 601-619.

49 Ginsburg, J.C. (2020). Authorship and Machines. *Columbia Law Review*, 120(4), 1020-1045.

50 Copyright, Designs and Patents Act 1988 (UK), Section 12(7).

51 U.S. Copyright Office. (2021). *Compendium of U.S. Copyright Office Practices* (3rd ed.), Section 313.2.

52 *Ibid.*, Section 313.2.

53 *Thaler v. Perlmutter*, No. 22-cv-1564 (D.D.C. Aug. 18, 2023).

54 *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*, Case C-5/08, [2009] ECR I-6569.

55 *Ibid.*, para 45.

56 European Commission. (2024). Proposal for a Regulation on Artificial Intelligence (AI Act). COM(2024) 206 final.

57 *Shenzhen Tencent Computer System Co. v. Shanghai Yingxun Technology Co.*, Nanshan District People's Court, Case No. (2019) Yue 0305 Min Chu 14010, December 2019.

58 *Ibid.*, paras 12-15.

59 Yu, P.K. (2018). Artificial Intelligence and Copyright Law. *Law and Contemporary Problems*, 79(3), 21-46.

60 Mishra, H. (2025). Statutory Licensing and AI: Lessons from the Music Industry. *IPRment Law Journal*, April 2025, pp. 45-67.

61 *Ibid.*, pp. 52-54.

62 Ministry of Commerce & Industry (n 36), pp. 34-38.

63 *Ibid.*, pp. 40-42.

64 Bal, M. (2023). Fair Dealing in the Age of AI. *Indian Law Review*, 7(2), 123-145.

65 Kumar, S. (2025). AI, Jobs and Ethics: New Policy Frontiers. *Economic & Political Weekly*, 60(8), 23-29.

66 Ministry of Commerce & Industry (n 36), pp. 56-60.

67 Ministry of Electronics and Information Technology (n 3), pp. 12-15.

68 The Copyright (Amendment) Act, 2021, Statement of Objects and Reasons.

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्त:अनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

श्रीरामजन्म-भूमि पर मन्दिर निर्माण और श्रीगोरखनाथ मन्दिर

डॉ. पद्मजा सिंह*

लगभग 500 वर्षों के अनवरत संघर्ष, प्रयत्न और तपस्या का परिणाम था कि अयोध्या में श्रीरामजन्म-भूमि पर समस्त विवादों का सर्वोच्च न्यायालय से निराकरण हुआ और भव्य एवं दिव्य मन्दिर का भूमि-पूजन 5 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। 3 वर्ष के अल्प समय में ही इस दिव्य मन्दिर का लोकार्पण 22 जनवरी 2024 को भारत के माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा कर दिया गया। यह महज संयोग नहीं था कि जब श्रीरामजन्म-भूमि पर चल रहे विवादों के न्यायिक निस्तारण की दिशा में देश बढ़ रहा था, न्यायिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही थी, उसके पूर्व ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री के पद पर श्रीगोरखनाथ मन्दिर के महन्त एवं पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हो चुके थे। यद्यपि कि वे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री के रूप में चुने गये तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधि का विधान ही था कि श्रीरामजन्म-भूमि पर मन्दिर निर्माण के लिए जिस गोरखनाथ मन्दिर की अनेक पीढ़ियाँ निरन्तर संघर्ष करती रहीं, उस मन्दिर के पीठाधीश्वर की देखरेख में ही इस ऐतिहासिक भव्य मन्दिर का निर्माण होना था।

श्रीरामजन्म-भूमि मन्दिर लगभग पाँच शताब्दियों के अनवरत संघर्ष में श्रीगोरखनाथ मन्दिर के पीठाधीश्वरों ने अग्रणी भूमिका निभायी। हमारे पास आरम्भिक पीठाधीश्वरों का प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है किन्तु श्रीगोरखनाथ मन्दिर की पाँच पीढ़ियों का श्रीरामजन्म-भूमि पर मन्दिर निर्माण हेतु किये गये संघर्षों में प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध हैं। इनमें महन्त गोपालनाथ जी महाराज, योगिराज बाबा महन्त गम्भीरनाथ जी महाराज, महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज, महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज एवं महन्त आदित्यनाथ जी महाराज की सक्रिय भूमिका रेखांकित की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि 1855 से 1885 ईस्वी तक महन्त गोपालनाथ

*असिस्टेण्ट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

गोरक्षपीठाधीश्वर थे। यह उल्लेख मिलता है कि गोरक्षपीठाधीश्वर श्री गोपालनाथ जी की पहल पर उनके समय के मुस्लिम क्रान्तिकारी नेता अमीर अली और बाबा रामचरण दास श्रीरामजन्म-भूमि मन्दिर विवाद के समाधान हेतु हिन्दू-मुस्लिम दोनों पक्षों को तैयार कर चुके थे किन्तु ब्रिटिश शासन को यह हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रयत्न रास नहीं आ रहा था। अत: ब्रिटिश शासन ने दोनों को बागी घोषित कर 18 मार्च 1885 को फाँसी पर लटका दिया। महन्त गोपालनाथ जी भी गिरफ्तार किये गये किन्तु वह अपने भक्त जयपुर नरेश के प्रयत्न से बरी हो गये।[1]

उल्लेखनीय है कि श्रीरामजन्म-भूमि विवाद का समाधान निकलते-निकलते रह गया। महन्त गोपालनाथ के बाद उनके शिष्य योगीराज बाबा गम्भीरनाथ जी और गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त ब्रह्मनाथ जी महाराज भी श्रीरामजन्म-भूमि मुक्ति के लिए अनवरत प्रयासरत रहे, किन्तु श्रीरामजन्म-भूमि मुक्ति आन्दोलन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणामकारी भूमिका महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज ने निभायी। उनकी उपस्थिति में 22-23 दिसम्बर 1949 की वह रात श्रीरामजन्म-भूमि मुक्ति आन्दोलन में ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित हुई जब वहाँ श्रीरामलला का प्राकट्य हुआ।

उल्लेखनीय है कि सन्त समाज की मान्यता है कि महाराजा कुश ने अपने पिता मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की स्मृति में उनकी जन्मभूमि पर भव्य मन्दिर का निर्माण कराया था। सन् 1527 में बाबर अयोध्या पहुँचा, फिर उसके आदेश पर उसके सेनापति मीर बांकी ने धर्म की ध्वजपताका फहराते हुए श्रीराम मन्दिर को तोड़ दिया। कहा जाता है कि 16वीं सदी से 20वीं सदी तक मन्दिर के पुनर्निर्माण के लिए 79 संघर्ष हुए, किन्तु 22-23 दिसम्बर 1949 की रात श्रीरामजन्म-भूमि मुक्ति आन्दोलन में ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित हुई। सन्त समाज के अनुसार उस रात श्रीरामजन्म-भूमि पर रामलला का प्राकट्य हुआ। जन्मभूमि की पुलिस चौकी पर तैनात हवलदार अब्दुल बरकत ने डीएम के सामने बयान दिया कि रात दो बजे के करीब उसने इमारत के अन्दर एक खुदाई रोशनी कौंधते देखी जिसका रंग सुनहरा था। उसमें उसने एक चार-पाँच वर्ष के एक तेजस्वी बालक को देखा। उसने इसके पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वह सकते में आ गया। चेतना लौटी तो उसने देखा कि मन्दिर का ताला टूटा हुआ है और भक्तों की भारी भीड़ भवन में प्रवेश कर सिंहासन पर प्रतिष्ठित मूर्ति की आरती कर रही है।

श्रीगोरक्षपीठाधीश्वर महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज वहाँ मौजूद थे। आरती के बाद लोग वहाँ 'भये प्रकट कृपाला, दीन दयाला' गाकर स्तुति करने लगे। कहा जाता है कि रामलला प्रकट हुए तो महन्त दिग्विजयनाथ और बाबा अभिरामदास ने वहाँ रामलला की मूर्ति को स्थापित किया था। हालाँकि सन्त समाज यह कहता है कि रामलला की मूर्ति वहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। बहरहाल,

रामलला के प्राकट्य के बाद जन्मभूमि पर पूजा-अर्चना शुरू हो गयी और महन्त दिग्विजयनाथ ने आन्दोलन की कमान सँभाल ली। और हम कह सकते हैं कि आजाद भारत में यहीं से श्रीरामजन्म-भूमि की मक्ति का संघर्ष शुरू हुआ। यह लड़ाई सड़क, संसद, न्यायालय में एक साथ चली।

23 दिसम्बर 1949 को बाबरी मस्जिद भवन के अन्दर एक बहुत बड़े जनसमूह द्वारा भगवान् श्रीराम की मूर्ति की स्थापना की एफआईआर दर्ज की गयी। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जंगल में आग की तरह आस-पास के जिलों और गाँवों में फैल गयी। लोग बड़ी संख्या में श्रीराम की जयकार करते हुए जन्मभूमि की ओर चल पड़े। महन्त दिग्विजयनाथ ने उनका नेतृत्व किया। इस बीच पुलिस ने बलपूर्वक मस्जिद का दरवाजा बन्दकर ताला लगा दिया। इसके बाद अयोध्या में अनशन शुरू हो गया। तब फैजाबाद के तत्कालीन डी.एम. के.के. नायर ने जन्मभूमि को विवादित स्थल घोषित करते हुए आईपीसी की धारा 145 के तहत प्रशासन के अधिकार में ले लिया। महन्त दिग्विजयनाथ की माँग पर उन्होंने वहाँ स्थापित भगवान् राम की मूर्ति की पूजा-अर्चना की व्यवस्था करायी। बाद में ठाकुर गोपाल सिंह नामक एक भक्त की याचिका पर फैजाबाद के सिविल जज न्यायालय ने 16 जनवरी 1950 को अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी करके केन्द्रीय गुम्बद के नीचे श्रीराम की मूर्ति को हटाने या पूजा में हस्तक्षेप किये जाने पर रोक लगा दी। 1934 में अपने गुरु महन्त ब्रह्मनाथ के समाधि लेने के बाद नान्हू सिंह गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त दिग्विजयनाथ बने। 1967 में वह गोरखपुर से संसद में भी पहुँचे। 1969 में अपने देहावसान तक रामजन्मभूमि आन्दोलन में लगातार सक्रिय रहे।[2]

आधुनिक भारत में क्षेत्र और जनसहभागिता के आधार पर 1857 और आपातकाल के विरुद्ध हुए जनान्दोलनों से भी बड़ा या यह कहें कि अब तक के सबसे बड़े उस जनान्दोलन का, जिसने भारत की दिशा बदल दी, नेतृत्व गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने ही किया। पांथिक विविधता और मतवैभिन्नता से युक्त हिन्दू समाज के धर्माचार्यों में जिस एक नाम पर सहमति थी वह गोरक्षपीठाधीश्वर का ही नाम था। शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन, सिख, विविध अखाड़ों सहित बड़ी संख्या के मतावलम्बी धर्माचार्य महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के प्रति सम्मान श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हैं। हिन्दू समाज में अस्पृश्यता एवं ऊँच-नीच जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ देश भर में जन-जागरण अभियान पर निकलकर गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने सर्वप्रथम धर्माचार्यों के बीच अपने-अपने मत-श्रेष्ठतावाद का खण्डन किया और भारत के लगभग सभी शैव-वैष्णव इत्यादि धर्माचार्यों को एक मंच पर खड़ा किया था। परिणामतः जब श्रीरामजन्म भूमि मुक्ति यज्ञ-समिति का गठन हुआ तो 21 जुलाई 1984 को अयोध्या के वाल्मीकि भवन में

सर्वसम्मति से महन्त जी को अध्यक्ष चुना गया। तब से जीवनपर्यन्त श्रीरामजन्म भूमि मुक्ति यज्ञ समिति के महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज अध्यक्ष रहें और उनके नेतृत्व में भारत में ऐसे जनान्दोलन का उदय हुआ जिसने भारत में सामाजिक-राजनीतिक क्रान्ति का सूत्रपात किया। विकृत धर्मनिरपेक्षता एवं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का काला चेहरा उजागर हुआ। हिन्दुत्व पर नये सिरे से दुनियाभर में बहस शुरू हुई। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आन्तरिक ताकत का एहसास हुआ। भारत सहित दुनिया के इतिहास में श्रीरामजन्म भूमि आन्दोलन और उसके प्रभाव एवं परिणाम का अध्याय महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज का उल्लेख हुए बिना अधूरा रहेगा।

श्रीरामजन्म भूमि की मुक्ति और उस स्थान पर भव्य मन्दिर निर्माण के लिए महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में अत्यन्त योजनापूर्वक जनान्दोलन की रूपरेखा बनी और 1984 से प्रारम्भ किये गये इस चरण का आन्दोलन एक हद तक परिणाम पर पहुँचा और उस स्थान पर स्थित विदेशी आक्रान्ता द्वारा निर्मित हिन्दू समाज को चिढ़ाने और अपमानित करने वाला 'ढाँचा' ध्वस्त कर दिया गया तथा श्रीरामजन्म भूमि पर कारसेवकों ने भगवान् श्रीराम का 'मन्दिर' अपने हाथों से बना दिया। अब उस मन्दिर को 'भव्यतम' बनाने का कार्य ही मात्र शेष है। लगभग पाँच शताब्दियों से चल रहे संघर्ष को अन्ततः पूज्य महन्त जी के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। महन्त जी ने 1984 के बाद से श्रीरामजन्म भूमि मुक्ति यज्ञ समिति द्वारा चलाये गये जन-संघर्ष का सफलतम नेतृत्व किया।

7 अक्टूबर 1984 को भगवान् श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में सरयू के तट पर श्रीरामजन्म भूमि को मुक्त कराने के पवित्र संकल्प के साथ प्रारम्भ 'धर्मयात्रा' 14 अक्टूबर को लखनऊ पहुँची जहाँ बेगम हजरत महल पार्क में तब तक का ऐतिहासिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें लगभग दस लाख की संख्या में हिन्दू जनता ने हिस्सा लिया। महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज की अध्यक्षता में सम्पन्न इस सम्मेलन से सरकार हिल गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी से महन्त जी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि-मण्डल ने भेंट की और उन्हें अपना माँग-पत्र सौंपा। जनसंघर्ष को निरन्तर दिशा देते और कुशल नेतृत्व देते हुए तीन-चार वर्षों में ही इसे राष्ट्रव्यापी बनाने में सफल हुए धर्माचार्यों के आह्वान पर 22 सितम्बर 1989 को नई दिल्ली में वोट-क्लब पर विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने की। इस विराट हिन्दू सम्मेलन में तीन प्रस्ताव पारित किये गये- 1. श्रीरामजन्म भूमि हिन्दुओं का था, है, और रहेगा। 2. श्रीरामजन्म भूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण हेतु 9 नवम्बर 1989 को समारोहपूर्वक शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न होगा। 3. लोकसभा चुनाव में श्रीरामजन्म भूमि पर मन्दिर निर्माण के समर्थक, चरित्रवान तथा योग्य प्रत्याशी को ही हिन्दू जनता मतदान करेगी। इस

सम्मेलन में मुस्लिम समाज से अपील की गई कि वे हिन्दुओं के तीन प्रमुख तीर्थस्थल-अयोध्या, काशी, मथुरा - हिन्दू समाज को सौंप दें।[3]

वोट क्लब की रैली से पूर्व ही 20 सितम्बर को भारत सरकार के तत्कालीन गृहमंत्री श्री बूटा सिंह ने महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज से बातचीत का आग्रह किया, किन्तु महन्त जी ने रैली के बाद ही बातचीत का निमन्त्रण स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। 25 सितम्बर को प्रातः 9 बजे मुलाकात की तिथि निर्धारित हुई। उक्त निर्धारित तिथि पर गृहमंत्री के साथ महन्त जी की घंटे भर वार्ता हुई। गृहमंत्री चाहते थे कि 9 नवम्बर 1989 को सम्पन्न होने वाला श्रीरामजन्म भूमि पर विशाल मन्दिर के निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित किया जाय। महन्त जी ने दृढ़तापूर्वक अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह फैसला करोड़ों हिन्दू समाज का है। महन्त जी द्वारा अपने निर्णय पर अडिग रहने के कारण पुनः लखनऊ में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी के साथ गृहमंत्री बूटा सिंह एवं महन्त जी की वार्ता तय हुई। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में महन्त जी के साथ महन्त नृत्यगोपालदास, श्री दाउदयाल खन्ना एवं विहिप के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंहल भी शामिल हुए। इस बैठक में भी महन्त जी ने स्पष्ट किया कि यह मामला अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है, यह राष्ट्रीय सम्मान एवं हिन्दू समाज की आस्था का प्रष्न है।[4]

सरकार के समक्ष अपना स्पष्ट और दो टूक पक्ष रखने के पश्चात् देश भर में शिलान्यास समारोह हेतु श्रीरामशिला पूजन अभियान प्रारम्भ हो गया। महन्त जी की अगुवाई में देश भर के गाँव-गाँव से श्रीरामशिला पूजन कर अयोध्या के लिए चल पड़ी। 29 सितम्बर को उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जनपद के खड्डा में श्रीरामशिला पूजन समारोह के अवसर पर आयोजित विशाल हिन्दू सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने कहा आज राष्ट्र की एकता-अखण्डता एवं प्रभुसत्ता खतरे में है। इसलिये गुफाओं की साधना और मठ-मन्दिरों की आराधना से बाहर निकलकर धर्माचार्य देश को दिशा देने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हिन्दू समाज को जागना होगा। श्रीरामजन्म भूमि पर विदेशी आक्रान्ता द्वारा स्थापित गुलामी के प्रतीक एवं हमारी राष्ट्रीय सम्प्रभुता को चुनौती देने वाले ढाँचे के स्थान पर भव्य मन्दिर के निर्माण के शिलान्यास समारोह को सम्पन्न कराने एवं उसका विरोध करने वाली सरकार तथा राजनीतिक दलों को सबक सिखाने हेतु राष्ट्रभक्त जनता भी घरों से बाहर निकले।[5] महन्त जी ने श्रीरामशिला पूजन अभियान हेतु देशभर की दर्जनों जनसभाओं को सम्बोधित किया तथा उत्तर प्रदेश में जन-जागरण की अलख जगाने की बागडोर सीधे अपने हाथ में ले ली। इसी अभियान के दौरान लखनऊ में एक पत्रकार को दिये विशेष साक्षात्कार में महन्त जी ने कहा कि हिन्दुस्तान की एकता का पहला सूत्र हिन्दू समाज की एकता है। देश का बहुसंख्यक वर्ग यदि संगठित रहा तो साम्प्रदायिक और विघटनकारी

तत्त्व राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को खतरा नहीं पैदा कर सकेंगे। हमारी निष्ठा राष्ट्र और भारत की संस्कृति में है।[6]

इसी बीच लोकसभा चुनाव घोषित होने तथा देश भर के धर्माचार्यों के आग्रह पर महन्त जी ने गोरखपुर सदर लोकसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। 9 नवम्बर को शिलान्यास समारोह की तैयारी और जनजागरूकता से घबराई सरकार के प्रतिनिधि रूप में जिलाधिकारी गोरखपुर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का महन्त जी को लखनऊ आने का आमंत्रण दिया। महन्त जी की स्वीकृति पर राज्य सरकार के विशेष विमान द्वारा 8 नवम्बर को प्रात: महन्त जी लखनऊ पहुँचे तथा मुख्यमंत्री से भेंट की। इस विशेष वार्ता के पश्चात् महन्त जी को विशेष विमान द्वारा अयोध्या पहुँचा दिया गया।[7] शंखनाद के साथ वैदिक रीति से मंत्रोच्चार एवं श्रीरामभक्तों के गगनभेदी जयघोष के बीच प्रस्तावित श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर का शिलान्यास समारोह प्रारम्भ हो गया। शुभ घड़ी के अनुसार 10 नवम्बर को एक बजकर पैंतीस मिनट पर वर्तमान गर्भगृह से 192 फीट दूर पूर्व निर्धारित स्थान पर हवन और भूमि पूजन के पश्चात् गोरक्षपीठाधीश्वर ने सांकेतिक रूप से नींव खोदने के पश्चात् शिलान्यास हेतु पहली शिला हिन्दू समाज में तथाकथित अछूत दक्षिणी बिहार के श्री कामेश्वर प्रसाद चौपाल (हरिजन) से रखवाकर एक और नये भविष्य की शुरुआत कर दी। महन्त जी का यह प्रयास भारत के सामाजिक परिवर्तन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया।[8] शिलान्यास समारोह सम्पन्न होने के पश्चात् दुनिया भर की जुटी मीडिया को सम्बोधित करते हुए महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने कहा- यह श्रीराम मन्दिर का ही नहीं हिन्दू राष्ट्र के सिंहद्वार का शिलान्यास हुआ है, हिन्दू समाज की एकता का शिलान्यास हुआ है, सामाजिक समरसता की प्रतिष्ठा का शिलान्यास हुआ है।[9]

श्रीरामजन्मभूमि के शिलान्यास समारोह के पश्चात् महन्त अवेद्यनाथ महाराज गोरखपुर वापस आये और दस नवम्बर को ही रात्रि नौ बजे वे महाराणा प्रताप इण्टर कॉलेज के मैदान में आयोजित अपनी विशाल चुनावी सभा में उपस्थित हुए। यह वही समय था, जब 1989 का लोकसभा चुनाव चल रहा था। महन्त जी की चुनावी सभा में राजमाता विजयाराजे सिन्धिया भी थीं। महन्त जी 1989 का लोकसभा चुनाव श्रीरामजन्मभूमि के मुद्दे पर ही सन्तों-महात्माओं के प्रतिनिधि रूप में 'हिन्दू महासभा' से लड़ रहे थे। चुनावी सभा में रात्रि के सन्नाटे को महन्त जी की गर्जना तोड़ रही थी। वे कह रहे थे- 'मैं राजनीति से अलग हट चुका था। किन्तु आज जब हिन्दू समाज के साथ अन्याय हो रहा है; राजनीतिज्ञ हिन्दू समाज को अपमानित कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाली सरकारों के एक समान कानून बनाने के मुद्दे पर हाथ-पाँव फूलने लगते हैं। हमारी राष्ट्रीयता के प्रतीक मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम, श्रीकृष्ण एवं भगवान् शंकर के

जन्म स्थानों पर विदेशी आक्रान्ताओं के ध्वंसावशेष हमें मुँह चिढ़ा रहे हैं; हमें अपमानित कर रहे हैं, उनका भी जीर्णोद्धार हम नहीं कर सकते। हिन्दू, हिन्दुस्थान में ही सम्मान से नहीं जी सकता और 'वोट बैंक की राजनीति' तथा चुनावी जीत-हार की गणित में सच बोलने का साहस राजनीतिज्ञ नहीं कर पा रहे, तो चुनावी समर में उतरना हमारी मजबूरी है। हिन्दू समाज अपमान का घूँट अब और नहीं पी सकता।'[10]

14 नवम्बर 1989 को महन्त जी ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा - 'कौरव सभा में जब द्रोपदी का चीर हरण हो रहा था, तब वहाँ एक से एक बड़े योद्धा और धर्मवेत्ता मौन थे। ठीक ऐसी ही दशा संसद की तब होती है जब संसद में श्रीरामजन्मभूमि का मुद्दा बहस हेतु उठ जाता है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की ऐसी ही स्थिति तब हुई जब उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाये जाने का विधेयक प्रस्तुत किया गया। जब भी संसद या विधानसभा में हिन्दू समाज से सम्बन्धित कोई सकारात्मक मुद्दा उठता है तो हमारे जनप्रतिनिधियों की स्थिति कौरव सभा में द्रोपदी चीर-हरण के समय उपस्थित महारथियों एवं धर्मवेत्ताओं जैसी हो जाती है। भारतीय संस्कृति के प्रतीक मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम की जन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण हेतु बोलने वाला भारतीय संसद में एक भी सांसद नहीं था। सभी राजनीतिक दलों के अल्पसंख्यक प्रतिनिधि तथाकथित बाबरी मस्जिद के दावे पेश कर रहे थे वहीं हिन्दू समाज के प्रतिनिधि खामोश थे। भारतीय संसद में इसी एकतरफा कार्रवाई तथा भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय मानबिन्दुओं के चीर-हरण पर बहुसंख्यक जनप्रतिनिधियों के मौन ने मुझे एक बार फिर मठ से बाहर राजनीति की धरती पर पैर रखने को बाध्य कर दिया। मैं साधु रूप में हिन्दू समाज का प्रहरी हूँ। ऐसे में हिन्दू समाज पर आने वाले संकट को ललकारने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। यदि भारत की संसद में हिन्दू समाज के साथ न्याय के पक्ष में हक अदा करते हुए सांसद दिखाई देते तो मुझे राजनीति में उतरने की क्या जरूरत थी?'[11]

श्रीरामजन्मभूमि आन्दोलन को आगे बढ़ाते हुए महन्त जी के नेतृत्व में 26 जनवरी 1990 को प्रयाग में सन्त सम्मेलन तय किया गया। महन्त जी ने 12 दिसम्बर 1989 को दिल्ली में कहा कि सरकार सन्त सम्मेलन से पूर्व श्रीरामजन्मभूमि स्थान हमें सौंपे।[12] सरकार की ओर से कोई पहल न होने पर 26 जनवरी को प्रयाग में महन्त जी की अध्यक्षता में आयोजित सन्त सम्मेलन में 14 जनवरी से श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का संकल्प लिया गया।[13]

9 फरवरी को दिल्ली में श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति एवं विश्व हिन्दू परिषद् की ग्यारह सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक के पश्चात् महन्त जी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि - 'प्रधानमंत्री

विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कल अपील की थी कि चार माह के अन्दर श्रीरामजन्मभूमि विवाद का स्थायी समाधान कर दिया जायेगा। उन्होंने चार माह तक मन्दिर निर्माण की तिथि टाल दिये जाने का भी अनुरोध किया है। हमने उनकी इस अपील को स्वीकार करते हुए मन्दिर निर्माण का कार्य चार माह के लिए स्थगित कर दिया है।'[14] महन्त जी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये उपर्युक्त निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सांसद एवं माइनॉरिटीज वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष श्री अशफाक हुसेन ने कहा कि श्रीरामजन्म भूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष एवं सांसद महन्त अवेद्यनाथ जी ने श्रीराममन्दिर के निर्माण कार्य को चार महीने तक स्थगित कर अपनी दूरदृष्टि एवं देशभक्ति का प्रमाण दे दिया है।[15]

किन्तु भारत सरकार अपने द्वारा मांगे गये चार माह में श्रीरामजन्मभूमि मंदिर निर्माण की दिशा में समाधान निकालने की दिशा में एक कदम भी नहीं चल पायी और 9 जून को महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सन्त-महात्माओं का एक प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिला। डेढ़ घंटे की वार्ता के पश्चात् जब महन्त जी बाहर आये तो संवाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा - प्रधानमंत्री जी की अपील पर हमने चार माह का समय सरकार को इसीलिए दिया था कि लोग हमें दुराग्रही न समझें। पर इस चार महीने में कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के बीच अब तक बात नहीं हो पायी। अत: अब दो बातों पर कोई समझौता नहीं हो सकता, एक-23-24 जून को हरिद्वार के सन्त सम्मेलन में मन्दिर निर्माण की जो तिथि तय होगी, वह किसी भी दशा में नहीं टलेगी। दो-श्रीराम मन्दिर वहीं बनेगा जहाँ श्रीरामलला की पूजा होती है। सरकार के उपेक्षात्मक रवैये से दु:खी महन्त जी ने यहीं घोषणा कर दी कि अब अयोध्या में श्रीरामशिलाएं ही नहीं श्रीरामभक्त भी आयेंगे। महन्त जी ने कहा कि जिन पाँच लाख गाँवों से श्रीरामशिलाएँ आयी हैं, उन्हीं गाँवों से अब पाँच लाख श्रीरामभक्त अयोध्या आयेंगे।[16] महन्त जी की इस घोषणा के पश्चात् हरिद्वार के सन्त सम्मेलन में श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण की तिथि 30 अक्टूबर घोषित कर दी गई।[17] महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने 24 जून को पत्रकार वार्ता में कहा कि ऐतिहासिक प्रमाणों के बावजूद, हमारे द्वारा बार-बार समय दिये जाने पर केन्द्र तथा प्रदेश सरकार राजनीतिक स्वार्थ के लिए वास्तविकता को नजरअन्दाज कर रही हैं; किन्तु देश की करोड़ों हिन्दू जनता की भावनाओं का आदर करते हुए हम श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण हेतु कृतसंकल्प हैं। संवाददाताओं द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या विद्यमान मस्जिद को गिरा दिया जायेगा? महन्त जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि-उस भवन का स्वरूप मस्जिद का नहीं है, वहाँ कोई नमाज अदा नहीं करता। बल्कि वहाँ वर्षों से श्रीरामजी की पूजा-अर्चना हो रही

है। अतः हम कोई नया मन्दिर नहीं बनाने जा रहे, अपितु श्रीरामजन्मभूमि पर निर्मित मन्दिर का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। हम सरकार द्वारा उत्पन्न की गई अड़चनों के विरुद्ध शान्तिपूर्ण संघर्ष करेंगे। हिन्दू समाज के मान-सम्मान के लिए जेल जाने को तैयार हैं, गोली खाने को तैयार हैं।[18] इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में श्री मुलायम सिंह यादव के मंत्रिमण्डल के श्रममंत्री आजमखाँ ने मेरठ के चन्दौली मेले में घोषणा कर दी कि बाबरी मस्जिद की ओर उठने वाली आँख को बाहर निकाल लिया जायेगा।[19]

श्री आजमखाँ के इस बयान के बाद टकराव की स्थिति बढ़ने लगी। श्री मुलायम सिंह एवं उनकी सरकार आक्रामक हो गयी और उनके द्वारा सन्त-महात्माओं के खिलाफ अनर्गल प्रलाप प्रारम्भ हो गये। 14 जुलाई 1990 को मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने स्वयं कहा कि - हिन्दू धर्म के ठेकेदार सात जन्म में भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित नहीं करा सकते।[20] मुख्यमंत्री के बयान के पश्चात् गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज दहाड़ उठे, उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि भारत हिन्दू राष्ट्र था, हिन्दू राष्ट्र है, और हिन्दू राष्ट्र रहेगा। भारत के इतिहास में जयचन्द एवं मानसिंह सरीखे गद्दारों का हमेशा अस्तित्व रहा है, जो देश, धर्म एवं संस्कृति का विरोध करने में ही स्वयं को गौरवान्वित समझते हैं। ऐसे ही राजनीतिज्ञों के कारण भारत यह दुर्दिन देख रहा है। श्री मुलायम सिंह यादव को मालूम होना चाहिए कि भारतवर्ष उसी दिन वैधानिक हिन्दू राष्ट्र भी बन गया जब मजहब के नाम पर देश का विभाजन कर दिया गया। श्री मुलायम सिंह यादव सात जन्मों की बात छोड़ें, उनके जीवन काल में ही भारत की प्रतिष्ठा हिन्दू राष्ट्र के रूप में होगी और वह भी हिन्दू राष्ट्र का नागरिक होने में गौरवान्वित होंगे।[21]

महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में श्रीरामजन्मभूमि आन्दोलन तेज होता गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिन्दू समाज को चिढ़ाने तथा अपमानित करने वाले निरन्तर दिये जा रहे बयानों ने आग में घी का काम किया। सन्त-महात्मा अपनी जान की परवाह किये बगैर इस आन्दोलन को जीवन-मरण का प्रश्न बनाते गये। 26 जुलाई को महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज लखनऊ पहुँचकर उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए बोले-श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर विरोधी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। हिन्दुओं के धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है। 30 अक्टूबर को हर हाल में मन्दिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। युवकों का बलिदानी जत्था अयोध्या जायेगा। कारसेवा में सरकारी तन्त्र ने बाधा डाली तो अहिंसक गिरफ्तारी दी जायेगी और शासन यदि गोली चलाता है तो हम हर तरह की कुर्बानी देंगे।[22]

श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने व्यापक जन-जागरण अभियान आरम्भ कर दिया।

श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने जन-जागरण अभियान घोषित करते हुए कहा कि देशभर में दीपावली के दीप श्रीरामज्योति से जलेंगे। अयोध्या में अरणीमन्थन से प्रज्वलित दीप से भगवान् श्रीराम की आरती कर श्रीरामज्योति विजयादशमी तक भारत के सभी अंचलों तक पहुँचा दिया जायेगा। चारोंधाम, सप्तपुरियों, द्वादश ज्योतिर्लिंग, बावन शक्ति पीठों, समस्त वैष्णव पीठ, गणपति पीठ, सिख, जैन, बौद्ध आदि के लगभग ढाई सौ तीर्थ स्थलों से श्रीरामज्योति यात्रा निकलेगी। 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के मध्य प्रत्येक गाँव के मन्दिरों से घर-घर श्रीरामज्योति पहुँचेगी। विजयादशमी के दिन दस बजकर सैंतालिस मिनट से दस बजकर इक्यावन मिनट के शुभमुहूर्त में श्रीरामभक्त हर मोहल्ले, हर गाँव के मन्दिर से श्रीराम संकीर्तन करते हुए गाँव के जलाशयों तक विजय-यात्रा निकालें। महन्त जी ने घोषणा की कि स्वतंत्रता दिवस को रात्रि में नौ बजे शंख, घण्टे-घड़ियाल की ध्वनि के साथ चेतावनी दिवस के रूप में मनाएँ।[23] वस्तुत: श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण के लिए यह उद्घोष उत्तर प्रदेश सरकार की नींद हराम करने वाला था। श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार तथा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार 'मुस्लिम वोट बैंक' का सौदा करते हुए बहुसंख्यक हिन्दू समाज में पनप रहे आक्रोश को आँक न सकी। उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ हिन्दू समाज के प्रति हमलावर होती गयी वहीं केन्द्र सरकार ने हिन्दू समाज को अगड़ों-पिछड़ों में बाँटने का 'मण्डल-आयोग' का ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव ने 'गोरक्षपीठ' के नगर गोरखपुर में 20 सितम्बर को साम्प्रदायिकता विरोधी रैली, यह कहते हुए घोषित कर दी कि-'गोरखपुर में महन्त जी रहते हैं, अत: गोरखपुर में ही यह रैली कर अपनी शक्ति दिखा दूँगा।'

मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को महन्त जी ने भी अपना जवाब दे दिया। महन्त जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार साम्प्रदायिकता विरोधी सम्मेलनों के नाम पर बहुसंख्यक हिन्दू समाज के विरुद्ध विषवमन कर रही है। वोटों के लिए सरकार स्वयं साम्प्रदायिकता को पाल-पोसकर बढ़ावा दे रही है। प्रदेश सरकार के इस कृत्य से प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव टूट रहा है तथा साम्प्रदायिक टकराव की भयावह स्थिति पैदा होने जा रही है। प्रदेश सरकार प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे कराने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। महन्त जी ने कहा कि श्री मुलायम सिंह अपनी सरकारी रैली कर लें, फिर गोरखपुर में ही नहीं देश-प्रदेश भर में जहाँ-जहाँ उनकी सरकार हिन्दू विरोधी रैली करेगी हम उसका जवाब रैली से ही देंगे।[24] महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में देश भर में जनान्दोलन तेज होता गया। प्रदेश सरकार को समय-समय पर महन्त जी आगाह करते रहे, चेताते रहे। किन्तु सत्तामद में चूर श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार आने वाली

जनक्रान्ति की हुँकार न सुन सकी। महन्त जी ने जयपुर (राजस्थान) की एक सभा में कहा कि संसार की कोई ताकत श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण नहीं रोक सकती।[25] उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचकोसी परिक्रमा पर रोक लगा दिया गया। महन्त जी ने सरकार को चेताया-श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर निर्माण तथा पंचकोसी परिक्रमा सरकार की अनुमति की मोहताज नहीं।[26]

इसी बीच पूर्व सांसद अशफाक हुसैन ने महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के पास एक पत्र भेजा। उस पत्र का महाराज जी ने जो जवाब दिया, वह पूरा पत्र श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण के सन्दर्भ में महन्त जी का दृष्टिकोण स्पष्ट कर देता है। पूरा पत्र समाचार-पत्रों ने प्रकाशित किया। महन्त जी ने पत्र में लिखा कि-'अयोध्या स्थित श्रीरामजन्मभूमि को हिन्दुओं को सौंपे बिना इस समस्या के समाधान का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि रामजन्मभूमि विवाद का स्थाई हल निकाला जाना चाहिए। आपको ज्ञात है कि मैं सभी पंथों के पूजास्थलों का सम्मान करता हूँ। यह बात आपने अपने पत्र में लिखा ही है। यदि मस्जिद के प्रति मेरा कोई दुराग्रह होता तो कदाचित पुराने गोरखपुर की मस्जिद के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं किया होता।

जहाँ तक श्रीरामजन्मभूमि का प्रश्न है उस स्थान से भगवान् श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में करोड़ों हिन्दुओं की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं तथा उनके आराध्य देव भगवान् श्रीराम का वह जन्म स्थान है। वह स्थान श्रीराम का जन्म स्थान है, यह तथ्य प्रामाणिक और असंदिग्ध है; अनेक मुस्लिम इतिहासकारों ने भी निर्विवाद रूप से इसे स्वीकार किया है। श्री अलीमियां नदवी के पिताजी ने जो ग्रन्थ लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश में जिन अनेक मन्दिरों को तोड़कर मस्जिदें बनी हैं उनमें अयोध्या के रामजन्मभूमि के मन्दिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है। इसी प्रकार अन्य मुसलमानों ने भी इस सम्बन्ध में लेख प्रकाशित किये हैं। इस्लाम की दृष्टि से भी वह इमारत कभी मस्जिद नहीं हो सकती क्योंकि विवादित होने के साथ-साथ पचासी वर्षों में उस स्थान पर कभी भी मुसलमानों ने इबादत नहीं की है। इसलिए मुस्लिम समाज के लिए यह इमारत ईंट-गारे के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। उस स्थान के निरीक्षण से भी स्पष्ट हो जाता है कि इस स्थान पर श्रीराम का मन्दिर रहा है - जिसको तोड़कर बाबर के सिपहसालार मीरबाकी ने मस्जिद बनायी और दीवारों पर अरबी में लिखवाया कि वह जन्नत से फरिश्तों के उतरने की जगह है। हिन्दू समाज की भावना एवं जन्म स्थान को वापस लेने के लिए संघर्ष को देखते हुए उस समय उन्होंने लिखा है कि उदार बादशाह अकबर ने उस मस्जिद के दरवाजे पर ही रामजन्मभूमि के नाम से हिन्दुओं के सन्तोष के लिए मन्दिर बनवाने की इजाजत दी थी। विवादित ढाँचे के दरवाजे पर ही रामचबूतरा होने से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि उसी स्थान पर श्रीरामजन्मभूमि का मन्दिर

था, जिस पर तथाकथित बाबरी मस्जिद बनी है। हम यह मानते हैं कि तथाकथित बाबरी मस्जिद के लिए आज का मुसलमान दोषी नहीं है, लेकिन देश में हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा स्थापित करने के इच्छुक लोगों द्वारा अतीत में की गई गलतियों को सुधारने की दिशा में पहल होनी चाहिए।

जिस प्रकार मोहम्मद साहब के जन्म स्थान के प्रति मुसलमानों की पवित्र भावनाएँ जुड़ी हैं उसी प्रकार श्रीरामजन्मभूमि से सम्पूर्ण हिन्दू समाज की पवित्र भावना भी जुड़ी हुई है। हिन्दू समाज इसे गुलामी का प्रतीक भी मानता है। मन्दिर-मस्जिद का स्थान बदला जा सकता है किन्तु जन्मभूमि नहीं बदली जा सकती। इसलिए इस महत्त्वपूर्ण समस्या का समाधान खोजते समय जन्मभूमि और मन्दिर-मस्जिद में अन्तर को ध्यान में रखा जाना होगा। जो मुसलमान मोहम्मद साहब और श्रीराम को समान आदर की दृष्टि से देखता है वह निश्चित रूप से श्रीराम के जन्मस्थान को भी सम्मान देगा और इस सम्बन्ध में कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं को समझाने का प्रयास करेगा।

आपने श्री अलीमियां और मेरी वार्ता का सुझाव दिया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री नियाज हसन ने भी दो वर्ष पहले इसी तरह का प्रयास किया था। मैंने उस समय वार्ता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, लेकिन श्री अलीमियां ही किसी दबाव में आकर प्रस्तावित वार्ता से हट गये थे। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि वे वार्ता के लिए तैयार होंगे।'

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा श्रीरामज्योति यात्रा को रोक दिया गया। प्रदेश सरकार के इस निर्णय के विरोध में महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के आह्वान पर प्रदेश भर की दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हिन्दू जनता ने रोक दिया। महन्त जी ने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि जब तक श्रीरामज्योति यात्रा को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलती तब तक दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा। अन्ततः मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने महन्त जी से फोन पर बात की, प्रदेश सरकार द्वारा श्रीरामज्योति यात्रा पर लगाई गई रोक वापस ली गई। प्रदेश भर में श्रीरामज्योति यात्राओं के चलने की पुष्टि के पश्चात् महन्त जी की अपील पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन प्रारम्भ हुआ।[27]

मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा 20 सितम्बर को गोरखपुर में की गई रैली के जवाब में महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज द्वारा 5 अक्टूबर को श्रीरामभक्तों की विशाल रैली का आह्वान किया गया। महाराणा प्रताप इण्टर कॉलेज के मैदान में श्रीरामभक्तों की ऐतिहासिक रैली में जनता अपने प्रतिष्ठान, दुकानें बन्द कर पहुँची। श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मन्दिर के निर्माण का संकल्प कराते हुए महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने कहा प्रदेश सरकार स्वयं जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगे करा रही है। हिन्दू समाज एक होकर राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा एवं श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण हेतु आगे बढ़े। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ही है कि

श्रीरामनवमी पर अवकाष की माँग को अनसुना करने वाली सरकार बिन माँगे मोहम्मद साहब के जन्म दिन पर अवकाष घोशित कर रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा जगह-जगह साधु-सन्तों की गिर"तारी पर नाराज महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने विष्व हिन्दू परिशद् के अन्तर्राश्ट्रीय महामंत्री श्री अषोक सिंहल के साथ नई दिल्ली में कहा कि उत्तर प्रदेश में साधु-सन्तों की गिर"तारियाँ तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के पुलिस उत्पीड़न ने श्रीराममन्दिर निर्माण समस्या के समाधान हेतु बात-चीत का माहौल बिगाड़ दिया है।[28] उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रीरामभक्तों की गिर"तारी की जाती रही। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के भड़काऊ बयान आते रहे। मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह का बहुचर्चित बयान आया कि 'अयोध्या में परिन्दा भी पर नहीं मार पायेगा।' इसी बीच 30 अक्टूबर को घोशित कारसेवा हेतु महन्त जी 26 अक्टूबर को दिल्ली से अयोध्या के लिए प्रस्थान किये। गुप्तचर संस्थाओं की सूचना पर मुख्यमंत्री ने महन्त जी की गिर"तारी का आदेश दे दिया। वायरलेस से कम भीड़भाड़ वाले स्टेषन की सूचना दी जाती रही किन्तु आस-पास की हिन्दू जनता के विरोध-प्रदर्षन के कारण महन्त जी की गिर"तारी न हो पाने से पेषोपेष में पड़ी प्रदेश सरकार ने पनकी में ट्रेन रुकवाकर महन्त जी को गिर"तार कर लिया तथा वहीं 'सर्किट हाउस' में उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें रखा गया। अपनी गिर"तारी के पष्चात महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने कहा कि श्रीरामजन्मभूमि का आन्दोलन हमारी गिर"तारी से ठंडा नहीं पड़ेगा। 30 अक्टूबर को अयोध्या की नाकेबन्दी हो सकती है, पर जो आग हर हिन्दू के सीने में धधक रही है उसे बुझा पाना सरकार की ताकत के परे है। सरकार द्वारा की जा रही गिर"तारियाँ हिन्दुओं में मन्दिर निर्माण की इच्छा को और दृष्टढ़ कर रही हैं। महन्त जी ने कहा कि हमारी गिर"तारी भारत माता को डायन कहने वाले आजम खाँ सरीखे देशद्रोही मंत्रियों को तुश्ट करना है(किन्तु हिन्दू जनता ष्शान्ति और धैर्य के साथ प्रदेश सरकार के सारे नाकेबन्दी को असफल करते हुए योजनाब) ढंग से अयोध्या की ओर कूच करे। यदि सरकार गिर"तार करती है तो ष्शान्तिपूर्ण गिर"तारी दें।[29] एक समाचार पत्र ने महन्त की गिर"तारी पर गोरखपुर में हुए विरोध प्रदर्षन का उल्लेख करते हुए लिखा-महन्त जी की पनकी में गिर"तारी की खबर से गोरखपुर के ष्शान्त माहौल में अचानक भूचाल आ गया। देखते ही देखते गोरखनाथ मन्दिर में हजारों भक्त इकट्ठा हो गये। पूर्वाह्न दस बजे साधु-सन्तों के नेतष्टत्व में उत्तेजित भक्तों की रैली गोरखनाथ मन्दिर से निकल पड़ी। पूरे महानगर की सड़कों पर हिन्दू जनता निकल चुकी थी। महानगर स्वत:स्ूर्त बन्द रहा। रामभक्त लगातार गिर"तार किये जा रहे थे। समाचार लिखने तक गिर"तारियाँ जारी थीं। महानगर में ष्शाम होते-होते अघोशित क"र्यू जैसी स्थिति हो गयी। व्यापारियों ने कल द्ध28 अक्टूबरऋ भी महानगर बन्द की घोशणा कर दी हैं।'' वास्तव

में गोरखपुर महानगर तीन दिनों तक लगातार बन्द रहा।[30] 30 अक्टूबर को सरकार के तमाम दम्भपूर्ण दावों के बावजूद लाखों कारसेवक अयोध्या पहुँचे। प्रदेश सरकार की दमनात्मक कार्रवाई में कारसेवकों पर गोलियाँ बरसायी गईं। कितने कारसेवक मारे गये यह न तो सरकार बता पायी न ही किसी अन्य साक्ष्यों से इसकी पुष्टि हो पायी। महन्त जी ने अत्यन्त दु:ख भरे शब्दों में मारे गये कारसेवकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि -"रामभक्तों के खून का एक-एक कतरा हम पर कर्ज है। 'अयोध्या में 30 अक्टूबर को परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा', की मुख्यमंत्री की दम्भपूर्ण घोषणा को उनकी जबर्दस्त नाकेबंदी को रौंदकर जिस प्रकार कार सेवकों ने घोषित कारसेवा का शुभारम्भ किया और श्रीरामजन्मभूमि पर भगवाध्वज फहराया वह हमारे लिए प्रेरणादायी है। सरकारी उत्तेजनात्मक कार्रवाइयों के बावजूद हिन्दू जनता का अहिंसक बने रहना राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने के प्रति उसकी निष्ठा का प्रतीक है।"[31]

महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने 15 नवम्बर को अयोध्या जाकर 30 अक्टूबर एवं 2 नवम्बर को अयोध्या में प्रदेश सरकार द्वारा निहत्थे एवं शान्तिपूर्वक भजन-कीर्तन कर रहे कारसेवकों पर गोली चलाये जाने तथा उसमें मारे गये कारसेवकों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा अयोध्या में हुए इस नरसंहार की न्यायिक जाँच की माँग की। महन्त जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निहत्थे तथा शान्तिपूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले कारसेवकों पर गोली बरसाकर नादिरशाह तथा जनरल डायर को भी पीछे छोड़ दिया है। अयोध्या में यथास्थिति बनाये रखने के वचन का सरकार ने ही पालन नहीं किया। शिलान्यास स्थल से छतरी तोड़वाकर एवं श्रीरामलला की मूर्ति हटवाकर सरकार ने कारसेवकों को उकसाया। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए, कई-कई दिनों तक बिना कुछ खाये-पीये, नदी-नालों को पारकर कारसेवक अयोध्या पहुँचे और मुस्लिम तुष्टीकरण में पागल हो चुकी सरकार द्वारा गोली चलाये जाने के आदेश के बावजूद अपने प्राणों की बाजी लगाकर कारसेवकों ने कारसेवा प्रारम्भ की, तथाकथित बाबरी ढाँचे पर भगवा फहराया; उससे सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि उसकी दमनकारी नीति तथा गोली के भय से यह जनान्दोलन रुकने वाला नहीं है।

महन्त जी ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो 30 अक्टूबर को पुलिस फोर्स ने अपने अधिकारियों की बात मानी होती तो उसी दिन भारी नरसंहार हुआ होता। अन्तत: 2 नवम्बर को योजनाबद्ध ढंग से मुख्यमंत्री एवं उनके कुछ मंत्रियों, सांसदों ने एक वर्गविशेष के पुलिस दस्ते तथा पुलिस वेश में अपराधियों को तैनात कर उनके द्वारा शान्तिपूर्वक श्रीराम धुन में मग्न श्रीरामभक्त कारसेवकों पर गोली चलवायी गई। महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने कहा कि इस नरसंहार में चार सौ से अधिक कारसेवक मारे गये।[32]

21 नवम्बर 1990 को महन्त जी ने हिन्दू समाज को 'याचना नहीं अब रण होगा' के हुँकार के साथ संघर्ष हेतु तैयार रहने का आह्वान करते हुए कहा कि सत्ता के लिए कांग्रेस ने श्री मुलायम सिंह जैसे नृशंस हत्यारे के खून से सने हाथ से हाथ मिलाकर स्वयं अपना दामन भी श्रीरामभक्तों के खून से रंग लिया है। कांग्रेस ने श्री मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देकर अपना असली चेहरा भी उजागर कर दिया है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पाते ही श्री चन्द्रशेखर का भी राग बदल गया है। प्रधानमंत्री की कुर्सी से एक जयचन्द गया तो उस पर दूसरा मानसिंह बनकर विराजमान हो गया है। महन्त जी ने पुनः 6 दिसम्बर से कारसेवा की घोषणा कर दी। दिसम्बर में कारसेवा करने जा रहे कारसेवकों को गिरफ्तार किया जाता रहा। सात दिसम्बर को महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने जगद्गुरु रामानुजाचार्य सहित लगभग एक हजार कारसेवकों के साथ अयोध्या कारसेवा हेतु जाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। इस अवसर पर महन्त जी ने अपने सन्देश में कहा कि हिन्दू समाज ने अयोध्या में कारसेवा हेतु जाने से रोके जाने पर शान्तिपूर्वक गिरफ्तारी देकर यह दिखा दिया है कि अगर उसकी राह में रोड़ा न अटकाया जाय तथा उसे जान-बूझकर चिढ़ाया न जाय तो वह कभी भी उग्र नहीं होगा।[33] अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य निर्माण के लिए जनजागरण अभियान चलाते हुए महन्त जी ने दर्जनों सभाएँ कीं। 26 दिसम्बर को बड़हलगंज, 31 दिसम्बर को पीपीगंज, 10 जनवरी 1991 को कैम्पियरगंज, 11 जनवरी को बखिरा में विशाल हिन्दू सम्मेलनों को महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने सम्बोधित किया। 22 जनवरी 1991 को गोरखपुर के महाराणा प्रताप इण्टर कॉलेज के मैदान में विशाल जनसभा महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व एवं अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस जनसभा को साध्वी ऋतम्भरा ने भी सम्बोधित किया।[34]

27 फरवरी 1991 को गोरखपुर में महाराणा प्रताप इण्टर कॉलेज के मैदान में एक बार फिर महन्त जी के आह्वान पर हिन्दू समाज जुटा। इस जनसभा को विश्वहिन्दू परिषद् के अन्तर्राष्ट्रीय महामंत्री अशोक सिंहल ने भी सम्बोधित किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने कहा कि-'हिन्दू सर्वदा से सहनशील और शान्तिप्रिय रहा है; वह सामान्यतः आक्रामक नहीं होता। किन्तु वर्तमान युग में न्याय शान्तिपूर्ण ढंग से मांगने से नहीं अपितु शक्ति और संघर्ष से मिलने वाला है। श्रीरामजन्मभूमि भी यदि शान्ति के साथ न्याय से मिलने वाला होता तो हमें कभी का मिल गया होता। श्रीरामजन्मभूमि पर वर्तमान सत्ता के सौदागर न्याय नहीं होने देना चाहते। हमें अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जन्मभूमि शक्ति और संघर्ष से ही प्राप्त करनी होगी। अतः हर हिन्दू परिवार का एक व्यक्ति इस संघर्ष में अवश्य शामिल हो।'[35] महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने आह्वान किया कि 11 से 15 मार्च तक देश के सभी प्रान्तों में जिला मुख्यालयों पर हिन्दू जनता प्रदर्शन करे। वर्ष प्रतिपदा (17 मार्च) को सभी हिन्दू अपने-अपने घरों पर भगवाध्वज

फहराएँ। इसी बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाने पर महन्त जी ने गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से 23 अप्रैल 1991 को अपना पर्चा 'श्रीराम और रोटी' के मुद्दे पर ही भरा।[36] 22 अप्रैल 1991 को मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन की दिल्ली में हुई पत्रकार-वार्ता में यह कहे जाने पर कि महन्त अवेद्यनाथ के कथित साम्प्रदायिक भाषणों के बारे में शिकायत मिली है और चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महन्त जी ने दो टूक शब्दों में कहा, 'श्रीरामजन्मभूमि पर हिन्दू समाज का हक माँगना और हिन्दू समाज पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना साम्प्रदायिकता नहीं है, किन्तु अगर मुख्य चुनाव आयुक्त इसे साम्प्रदायिक मानते हैं तो मुझे ऐसी साम्प्रदायिकता मंजूर है और इसके लिए कोई भी सजा भुगतने को हम तैयार हैं। मैं इस प्रकार की धमकी से डरने और घबराने वाला नहीं हूँ। तुष्टीकरण की नीति के चलते हिन्दू समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए सदा लड़ता रहा हूँ, आगे लड़ाई जारी रहेगी। सड़क से संसद तक जनभावनाओं की गर्जना होती रहेगी उसे कोई दबा नहीं सकता।'[37] अन्तत: लोकसभा चुनाव में महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज विजयी हुए और अपनी चुनावी विजय पर उन्होंने कहा कि मेरी विजय तथा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त जनाधार श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण का स्पष्ट जनादेश है। भारतीय जनता पार्टी भी इस जनादेश को स्वीकार करेगी और विश्वास है कि उसका सम्मान करेगी। किन्तु यदि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण में आनाकानी करती है तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी विरोध करेंगे।[38] 24 अगस्त को एक बार फिर महन्त जी ने कहा प्रदेश सरकार रहे या चली जाय उसे अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण कराना ही होगा। भाजपा को श्रीराम मन्दिर निर्माण का ही जनादेश मिला है। प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार प्रदेश की बागडोर भाजपा को सौंपी है उसी प्रकार प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, विपक्ष के नेता श्री राजीव गाँधी, मुस्लिम नेता श्री इमाम बुखारी, श्री शहाबुद्दीन तथा समाजवादी पार्टी के श्री मुलायम सिंह यादव की जिद्द तथा इनके द्वारा हिन्दू समाज को चिढ़ाने के कारण केन्द्रीय सत्ता की बागडोर भी जनता भारतीय जनता पार्टी को सौंप देगी।[39] महन्त जी की उक्त भविष्यवाणी सत्य हुई और 1998 तक केन्द्रीय सत्ता की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों देश की जनता ने सौंप दिया। 30 अक्टूबर 1991 को अयोध्या में शौर्य दिवस का आयोजन हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने किया। महन्त जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मन्दिर का निर्माण किसी की कृपा से नहीं हिन्दू जनता के शौर्य से बनेगा।[40] 12 जून 1992 को महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मन्दिर निर्माण का प्रथम चरण पूरा होने जा रहा है। 9 जुलाई से दूसरा चरण प्रारम्भ हो जायेगा। हम जो भी करेंगे संवैधानिक तरीके

से करेंगे। हिन्दू समाज चाहता है कि श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मन्दिर का निर्माण उस गर्भगृह पर ही हो, जहाँ श्रीरामलला की प्रतिमा विद्यमान है। मन्दिर निर्माण के लिए धौलपुर से मँगाए गये संगमरमर को तराशने का कार्य चल रहा है।[41]

23 जुलाई 1992 को श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर निर्माण हेतु महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंहराव से मिला। महन्त जी की प्रधानमंत्री श्री वी.पी. नरसिंहराव से यह तीसरी भेंट थी।[42] प्रधानमंत्री द्वारा श्रीरामजन्मभूमि मुद्दे के समाधान हेतु तीन महीने का समय माँगे जाने पर शिलान्यास स्थल पर प्रस्तावित कारसेवा रोके जाने की घोषणा करते हुए महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने कहा कि विवादित स्थल के बाहर शेषावतार मन्दिर के निर्माण स्थल पर कारसेवा प्रारम्भ कर दी जायेगी।[43] महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने 29 जुलाई 1992 को लोकसभा में श्रीरामजन्मभूमि मुद्दे पर बोलते हुए कहा,' पूर्वाग्रह से ग्रस्त राष्ट्रीय मोर्चा और वाममोर्चा को साथ लेकर अयोध्या विवाद का हल नहीं निकाला जा सकता। हम इस समस्या का हल बात-चीत से चाहते हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री को चार महीने का समय भी दे सकते हैं। हमारी इसी मंशा से कारसेवा रुकी है, यदि हम नहीं चाहते तो कारसेवा स्थगित नहीं होती।'[44] 31 जुलाई को महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने एक विशेष भेंटवार्ता में कहा कि यदि सरकार बातचीत के माध्यम से अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण का हल नहीं निकाल पाती तो हमारे लिए मन्दिर निर्माण कार्य पुनः शुरू करने के अलावा, कोई अन्य विकल्प नहीं रहेगा। बातचीत के माध्यम से हल निकाल पाने में अपनी असमर्थता घोषित कर यदि सरकार पूरे मामले को न्यायालय को सुपुर्द करती है तो यह कार्रवाई केवल हिन्दू समाज को उलझाये रखने के लिए की जायेगी तथा हिन्दू समाज इस मामले को अब और लटकाये जाने का प्रबल विरोधी है। हम इस समस्या का अविलम्ब हल चाहते हैं। महन्त जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है कि बातचीत से समस्या न सुलझने की स्थिति में अयोध्या विवाद से सम्बन्धित सभी मामले विशेष न्यायालय के सुपुर्द किया जा सकता है। महन्त जी ने आगे कहा कि न्यायालय में सिर्फ एक मामले पर विचार किया जाय कि श्रीरामजन्मभूमि स्थल पर, जिसे गर्भगृह कहा जाता है तथा जो विवादित ढाँचे के अन्दर है, वहाँ कभी मन्दिर था या नहीं, मन्दिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनायी गयी या नहीं।[45] 21 अक्टूबर 1992 को महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने देवरिया की जनसभा में कहा कि श्रीराम मन्दिर निर्माण के प्रश्न पर हमें देश की जनता का निर्णय शिरोधार्य होगा। श्रीरामजन्मभूमि के प्रश्न पर सरकार जनमत संग्रह करा ले अथवा आम चुनाव करा ले यदि हम हार गये तो अपना दावा छोड़ देंगे और यदि जनमत श्रीराम मन्दिर के पक्ष में आता है तो सरकार मन्दिर का निर्माण कराने दे। महन्त जी ने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय में सच कहने,

स्वीकार करने तथा निर्णय लेने की क्षमता नहीं है अत: चल रही वार्ताओं का कोई हल निकलने वाला नहीं है।[46]

30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में महारानी झांसी स्टेडियम में पाचवें धर्म संसद का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री महोदय को श्रीराम मन्दिर निर्माण पर वार्ता हेतु दिया गया तीन माह का समय 26 अक्टूबर को पूरा हो गया। धर्म संसद ने 6 दिसम्बर 1992 से श्रीराम मन्दिर निर्माण हेतु कारसेवा प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने धर्मसंसद के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि मन्दिर निर्माण की तिथि के कारण केन्द्र सरकार को एक माह का और समय हमने दे दिया है, किन्तु 6 दिसम्बर से कारसेवा का निर्णय अन्तिम है और निर्णायक है।[47] अन्तत: केन्द्र सरकार इस दौरान मूकदर्शक बनी रही और धर्म संसद के निर्णय के अनुसार सन्त महात्माओं के आह्वान पर 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में एकत्रित कारसेवकों ने महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज सहित देश के प्रतिष्ठित सभी पंथों के प्रमुख धर्माचार्यों, सन्त-महात्माओं तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में निर्णायक कारसेवा प्रारम्भ की और देखते-देखते विदेशी आक्रमणकारी द्वारा मन्दिर तोड़कर बनाया गया विवादित ढाँचा मलवे में तब्दील हो गया तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम की जन्मभूमि अपमानजनक ढाँचे के आगोश से मुक्त हो गयी तथा वहाँ श्रीरामभक्तों ने श्रीरामलला का अपनी श्रद्धा से एक छोटा सा मन्दिर बना दिया और श्रीरामलला की प्रतिष्ठा कर पूजन-अर्चन प्रारम्भ कर दिया। प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंहराव के नेतृत्व की सरकार ने उत्तर प्रदेश में तत्कालीन श्रीरामभक्त मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह का त्याग-पत्र स्वीकार करने की बजाय उत्तर प्रदेश सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। अयोध्या में श्रीरामलला के दर्शन एवं पूजा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज की अध्यक्षता में साधु-सन्तों ने फिर हुँकार भरी। 23 दिसम्बर को अयोध्या में एकत्र हुए, साधु-सन्तों ने 26 दिसम्बर से श्रीरामलला के दर्शन हेतु पुन: संघर्ष की घोषणा कर दी। महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने कहा कि श्रीरामलला के दर्शन-पूजन पर यदि सरकार प्रतिबन्ध नहीं हटाती तो 26 दिसम्बर को हम निषेधाज्ञा तोड़कर जेलभरो आन्दोलन शुरू करेंगे। 23 दिसम्बर को ही महन्त नृत्य गोपालदास, डॉ. रामविलास वेदान्ती, परमहंस रामचन्द्रदास जी महाराज सहित सैकड़ों की संख्या में एकत्र साधु-सन्त श्रीरामलला के दर्शन हेतु इतने उद्वेलित थे कि वे तुरन्त निषेधाज्ञा तोड़कर श्रीरामलला के दर्शन हेतु कूच करना चाहते थे, किन्तु महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने कहा कि आज हम जिलाधिकारी से मिलकर 25 दिसम्बर तक का समय दे चुके हैं, अत: तब तक हम धैर्य के साथ सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करें। 26 दिसम्बर को अयोध्या की हर गली एवं रास्तों से श्रीरामलला के दर्शन के लिए प्रस्थान

किया जायेगा और तब यदि प्रशासन ने बाधा डाली तो जेल भरो आन्दोलन शुरू होगा।[48] अन्ततः सरकार को झुकना पड़ा और कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं को श्रीरामलला के दर्शन की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी श्रीरामभक्तों को श्रीरामलला के दर्शन का निर्णय दे दिया।

कांग्रेस ने इसी बीच एक नयी चाल चली। उसने स्वरूपानन्द सरस्वती की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट बनाकर मन्दिर निर्माण की शुरुआत करने का शिगूफा छोड़ा। महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हाराव को चेतावनी देते हुए कहा कि अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मन्दिर निर्माण कराये जाने को हिन्दू समाज स्वीकार नहीं करेगा। सरकार स्वयं साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने पर तुली है जबकि हम मुस्लिम समाज को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने के पक्षधर हैं। हमारी लड़ाई सरकार के दोहरे मापदण्ड के खिलाफ है और यह उसके समाप्त होने तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में मन्दिर के साथ मस्जिद निर्माण की घोषणा पर महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज गरज पड़े। उन्होंने कहा जब तक एक भी सन्त जीवित रहेगा तब तक अयोध्या में मस्जिद निर्माण नहीं होने दिया जायेगा। अयोध्या में मस्जिद का निर्माण दिवास्वप्न है।[49]

9 मई 1993 को श्रीरामन्दिर निर्माण के समर्थन में 9 करोड़ 77 लाख 3 हजार 7 सौ 53 लोगों के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज सहित साधु-सन्तों एवं भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं के प्रतिनिधिमण्डल ने राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल शर्मा को सौंपा।[50] 30 जून 1993 को एक समाचार पत्र के संवाददाता से विशेष भेंट वार्ता में उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने कहा- 'विश्व हिन्दू परिषद् को श्रीराम मन्दिर निर्माण के लिए किसी भी ऐसे न्यास के बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि संत शामिल हों। गत दिनों स्वामी जैनेन्द्र सरस्वती ने ऐसा एक प्रस्ताव रखा था कि श्रीराम मन्दिर निर्माण के लिए एक अलग मंच बनाया जाय। विश्व हिन्दू परिषद् ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। हम तो आज भी अपने प्रस्ताव पर कायम हैं। हमारा उद्देष्य श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मन्दिर का निर्माण है, जो साधु-सन्तों की देख-रेख में पूरी धार्मिक आस्था के साथ बनाया जाय। यदि कांग्रेस को लगता है कि श्रीराम मन्दिर के निर्माण का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, तो वह स्वयं आगे बढ़े। हम तो उन सभी राजनीतिक दलों का समर्थन करेंगे जो श्रीराम मन्दिर के निर्माण में सहायक होंगे। किन्तु ऐसा नैतिक साहस कांग्रेस सहित तथाकथित सेकुलरिस्टों में हो ही नहीं सकता, अन्य देश और उसकी संस्कृति की कीमत पर वे वोट की राजनीति करते ही नहीं। जब हमने यह आन्दोलन प्रारम्भ किया तो भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन में नहीं थी। बाद में जब उसे लगा कि

श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण का यह आन्दोलन राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा आन्दोलन है और इसे समर्थन देना चाहिए, तब भाजपा समर्थन में कूदी। समर्थन के लिए हमने भाजपा को बुलाया नहीं था। यदि यह कार्य कांग्रेस ने किया होता तो जनसमर्थन उसके ही पक्ष में होता। किन्तु कांग्रेस का इतिहास साक्षी है कि वह हिन्दू समाज को जातियों के खाँचे में बाँटे रखने तथा मूर्ख बनाने में ही अपना राजनीतिक लाभ देखती रही। गोहत्या बन्द करने पर आजादी के बाद उभरे जनान्दोलन तथा सन्त प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के आमरण अनषन पर बैठ जाने पर कांग्रेस ने आश्वासन देकर अनशन तो तुड़वा दिया और आन्दोलन रुक गया किन्तु वह कानून आज तक नहीं बन पाया। अपनी बार-बार की वादाखिलाफी से ही सन्त-महात्माओं तथा धर्माचार्यों का विश्वास कांग्रेस ने खो दिया है।[51] 18 अक्टूबर 1994 को महन्त जी ने जोधपुर के गाँधी मैदान में आयोजित धर्मसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार संसद में घोषित करे कि जिस स्थान पर भगवान् श्रीराम का जन्म हुआ था, वहीं मन्दिर का निर्माण कराया जायेगा, तो श्रीराम मन्दिर निर्माण हेतु अनवरत जारी हम अपना आन्दोलन स्थगित कर देंगे।[52]

1998 के लोकसभा चुनाव में अपने उत्तराधिकारी शिष्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को प्रत्याशी बनाकर महन्त जी ने घोषित कर दिया कि राजनीतिक मोर्चा अब उनके शिष्य योगी जी संभालेंगे तथा धर्म के मोर्चे पर वे स्वयं डटे रहेंगे। 2002 में श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण को लेकर हुँकार भरने वाले सन्त-महात्माओं का नेतृत्व करते हुए महन्त जी ने केन्द्र सरकार को चुनौती दी थी। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए 14 फरवरी को उन्होंने कहा कि श्रीराम मन्दिर का मुद्दा छोड़ना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा।[53] 4 मार्च 2002 को श्री परमहंस रामचन्द्र दास तथा श्री अशोक सिंहल के साथ संयुक्त प्रेस-वार्ता में महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने कहा कि न तो यह यज्ञ रुकेगा और न मन्दिर निर्माण। अन्ततः प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विशेष प्रतिनिधि की उपस्थिति में शिलापूजन कार्य सम्पन्न हुआ।

महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज की यह चेतावनी भी सच साबित हुई और श्रीरामजन्मभूमि का मुद्दा छोड़ चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल कर दी गई। महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज उम्र की बंदिशों से शारीरिक रूप से बेबस होते गये और 'चौथी दुनिया' के एक संवाददाता से कुछ दिन पहले ही बात करते-करते वे भावुक हो उठे तथा कह पड़े-'मेरा स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। मैं केवल श्रीरामजन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होते हुए देखने के लिए ही जी रहा हूँ। मेरी यही इच्छा है कि मैं जीते-जी श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण का निर्णायक शुभारम्भ देख लूँ।'

महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज सहित दर्जनों सन्त-महात्माओं एवं भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व के खिलाफ श्रीरामजन्मभूमि पर स्थित विवादित ढाँचा ढहाये जाने का मुकदमा दर्ज है। केन्द्र सरकार द्वारा गठित लिब्रहान आयोग की तथ्यहीन, त्रुटिपूर्ण अनर्गल प्रलापों से भरी रिपोर्ट की अर्थी उठ चुकी है। महन्त जी को भी इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा।

महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में लगभग दो दशक तक अनवरत चले श्रीरामजन्मभूमि आन्दोलन ने न केवल श्रीरामजन्मभूमि पर हिन्दू समाज को अपमानित करते हुए चिढ़ाने वाला ढाँचा ध्वस्त हुआ अपितु आजाद भारत में हिन्दू विरोधी राजनीति का ढाँचा भी टूटा। भारत सहित दुनिया भर में 'हिन्दुत्व' बहस का मुद्दा बना और हिन्दुत्व पुनर्जागरण के एक नये युग का शुभारम्भ हुआ। हिन्दू समाज के विविध पंथों के धर्माचार्य एक साथ एक मंच पर आये। यह युग भारत में हिन्दू एकता के लिए तो जाना ही जायेगा साथ ही महात्मा गाँधी की इस उक्ति को झुठलाने के लिए भी प्रामाणिक होगा कि 'हिन्दू कायर होता है'। श्रीरामजन्मभूमि आन्दोलन की सफलता के तमाम महत्त्वपूर्ण कारणों में एक महत्त्वपूर्ण कारण गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज का नेतृत्व सभी पंथों के धर्माचार्यों द्वारा सर्वस्वीकार्य होना भी था। भारत के इतिहास में जब भी श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति आन्दोलन पर चर्चा होगी, वह चर्चा महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के बगैर अधूरी मानी जायेगी।

श्री गोरखनाथ मन्दिर के पीठाधीश्वरों ने अयोध्या में श्रीरामजन्म-भूमि पर भव्य मन्दिर के निर्माण हेतु पीढ़ी-दर-पीढ़ी अनवरत संघर्ष किया। प्रामाणिक रूप से ज्ञात ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में शायद यह विधि का विधान ही था कि श्रीगोरखनाथ मन्दिर के संघर्षरत पीठाधीश्वरों की पाँचवीं पीढ़ी के पीठाधीश्वर महन्त श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री के रूप में शपथ ली।[54]

योगी आदित्यनाथ जी महाराज 1994 में श्रीगोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के उत्तराधिकारी घोषित किये गये। अपने गुरु के निर्देश पर 1998 के लोकसभा चुनाव में वे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर सांसद बने। अपने गुरु महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के चलाये जा रहे सभी सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलनों की कमान क्रमशः ग्रहण करते गये और इसी क्रम में श्रीरामजन्म-भूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण के अभियान का भी नेतृत्व करना आरम्भ किया। उल्लेखनीय है कि 1992 में श्रीरामजन्म-भूमि पर खड़े विवादित ढाँचे के ध्वस्त हो जाने के पश्चात् मन्दिर निर्माण का आन्दोलन धीमा पड़ने लगा था। 21वीं शताब्दी के दहलीज पर खड़े भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में हलचल पैदा करने वाले श्रीरामजन्म-भूमि मन्दिर निर्माण

आन्दोलन बदली हुई परिस्थितियों और नये परिवेश में नये आयामों के साथ करवट ले रहा था। इस आन्दोलन की परिणति अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक जनजागरण के साथ-साथ न्यायपालिका और राजनीतिक नेतृत्व का भी मुखापेक्षी हो चुका था। वर्ष 1994 में अपनी कर्मस्थली गोरखपुर में गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने विश्व हिन्दू महासंघ का अन्तरराष्ट्रीय अधिवेशन एवं विराट हिन्दू संगम आयोजित कर वैश्विक स्तर पर हिन्दू जागरण के साथ-साथ अयोध्या में श्रीरामजन्म-भूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण को प्रासंगिक बनाते हुए व्यापक जनसमर्थन का स्वर प्रदान किया।[55] वर्ष 1997, 2003 और 2006, 2008 में बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर में विश्व हिन्दू महासंघ के अन्तरराष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कर श्रीरामजन्म-भूमि आन्दोलन को पुन: वैश्विक स्वर प्रदान किया।

प्रतिवर्ष गोरखनाथ मन्दिर में महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि समारोह में आयोजित सम्मेलनों में श्रीरामजन्म-भूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण का विषय अनिवार्य हिस्सा हुआ करता था। एक प्रकार से श्रीगोरखनाथ मन्दिर में आयोजित होने वाला प्रतिवर्ष का यह सम्मेलन गुरु के प्रति श्रद्धांजलि के साथ-साथ उनके द्वारा चलाये गये सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन एवं अभियानों को अनवरत चलाये रखने एवं पूर्ण करने के प्रति जागरूक रहने एवं संकल्प लेने का ही रहा। सितम्बर 2014 में गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के पश्चात् भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से आश्विन कृष्ण चतुर्थी तक श्रीगोरखनाथ मन्दिर में चलने वाले साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह में ब्रह्मलीन महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज का सामूहिक पुण्यतिथि समारोह बन गया। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह में योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा श्रीरामजन्म-भूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण का संकल्प लिया जाता रहा।

वर्ष 2017 में महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री बने, स्वाभाविक रूप से परिस्थिति बदल चुकी थी। भारत के प्रधानमन्त्री पद पर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री पद पर "सौगन्ध राम की खाते हैं हम मन्दिर वहीं बनाएँगे" की शपथ लेने वाले श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी और महन्त श्री आदित्यनाथ जी महाराज प्रतिष्ठित हो चुके थे। एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका दोनों श्रीरामजन्म-भूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण की पक्षधर थी। निर्णय केवल कार्यपालिका को लेना था।

योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने योजनाबद्ध ढंग से अयोध्या में श्रीरामजन्म-भूमि पर मन्दिर निर्माण का सकारात्मक माहौल बनाने की दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ किये। इस क्रम में अयोध्या का

तेजी से विकास और दीपावली पर्व पर विश्व रिकार्ड बनाने वाले दीपोत्सव पर्व का आयोजन था। दीपोत्सव पर्व को वैश्विक स्वरूप प्रदान कर अयोध्या एवं श्रीराम से सम्बन्धित हिन्दुओं की आस्था एवं उनकी भावनाओं की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट हुआ। प्रकारान्तर से इस अभियान ने श्रीरामजन्म-भूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण को प्रासंगिक बनाया। इसी बीच अयोध्या में भगवान् श्रीराम की विश्व में सबसे ऊँची, भव्य एवं विशाल प्रतिमा लगाने का अगला कदम था। 19 सितम्बर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि भगवान् श्रीराम के प्रति हम सभी के मन में गहरी आस्था है इसीलिए हमने भगवान् श्रीराम के भव्य एवं विशाल प्रतिमा लगाने का फैसला किया।[56] योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अगला महत्त्वपूर्ण निर्णय फैजाबाद जनपद एवं कमिश्नरी का नाम बदलकर अयोध्या करना था। इस निर्णय ने भी भगवान् श्रीराम से जुड़े अयोध्या धाम को महत्त्व प्रदान किया। इन कालखण्डों में यहाँ सड़कों का जाल बिछाने, अयोध्या के सौन्दर्यीकरण, अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण जैसे विविध विकास के कार्य स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि श्रीरामजन्म-भूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व ही अयोध्या में श्रीरामजन्म-भूमि पर भगवान् श्रीराम के भव्य मन्दिर के निर्माण की लगभग सभी तैयारियाँ योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में पूरी हो चुकी थीं।

10 नवम्बर 2019 स्वतन्त्र भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन था जब लगभग 500 वर्षों से अपने भगवान् श्रीराम की जन्म-भूमि पर एक मन्दिर निर्माण के लिए संघर्षरत हिन्दू समाज को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिला।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने श्रीरामजन्म-भूमि पर मन्दिर निर्माण की सभी बाधाएँ समाप्त कर दी और श्रीगोरक्षपीठ के इस युवा तपस्वी के प्रारब्ध में ऐतिहासिक श्रीरामजन्म-भूमि पर मन्दिर निर्माण का श्रेय दर्ज कर दिया। 5 अगस्त 2020 का वह भावपूर्ण क्षण सभी के अन्तस को रोमांच और गर्व की अनुभूति से भर दिया जब भारत के माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी श्रीराम मन्दिर के शिलान्यास की पहली ईंट रख रहे थे, उस समय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने गुरु-चरणों में उनकी अन्तिम इच्छा की पूर्ति की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज के जीवन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने अपनी अनेक पीढ़ियों के संघर्षों को एक सार्थक परिणाम प्रदान किया। श्रीरामजन्म-भूमि पर भव्य मन्दिर का लोकार्पण हो चुका है। भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2024 को श्रीरामजन्म-भूमि पर भव्य मन्दिर के लोकार्पण के साथ ही श्रीगोरक्षपीठ के गोरक्षपीठाधीश्वरों के

संकल्प की सिद्धि के प्रतीक स्वरूप गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री महन्त आदित्यनाथ जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति अविस्मरणीय है।

सन्दर्भ:

1. हिन्दुस्तान समाचार-पत्र, गोरखपुर से प्रकाशित, 30 जुलाई 1920
2. तत्रैव
3. जनसत्ता, नई दिल्ली, 24 सितम्बर 1989 ई.
4. दैनिक जागरण, गोरखपुर, 2 अक्टूबर, 1989 ई.
5. स्वतन्त्र चेतना, गोरखपुर, 4 अक्टूबर 1989 ई.
6. अमृत प्रभात, लखनऊ, 7 अक्टूबर 1989 ई.
7. स्वतंत्र चेतना, दैनिक जागरण, गोरखपुर 9 नवम्बर 1989 ई.
8. दैनिक जागरण, गोरखपुर 10 नवम्बर 1989 ई.
9. दैनिक जागरण, आज, 11 नवम्बर 1989 ई.
10. दैनिक जागरण, 11 नवम्बर 1989 ई. गोरखपुर
11. आज, गोरखपुर 15 नवम्बर 1989 ई.
12. नवभारत टाइम्स, 13 दिसम्बर, नई दिल्ली
13. दैनिक जागरण, 27 फरवरी 1990, इलाहाबाद
14. नवभारत टाइम्स, 10 फरवरी 1990, दिल्ली
15. आज, 11 फरवरी 1990, गोरखपुर
16. संडे आब्जर्वर, 10 जून, 1990, नई दिल्ली
17. स्वतंत्र भारत, 23 जून, 1990, लखनऊ, हरिद्वार
18. दैनिक जागरण, 25 जून, 1990, गोरखपुर, हरिद्वार
19. अमर उजाला, 25 जून, 1990, मेरठ
20. आज, दैनिक जागरण, 14 जुलाई 1990, लखनऊ
21. आज, दैनिक जागरण, 14 जुलाई 1990, गोरखपुर
22. दैनिक जागरण, 27 जुलाई, 1990, लखनऊ
23. दैनिक जागरण, 6 अगस्त, 1990, गोरखपुर

24. दैनिक जागरण, 1 सितम्बर 1990, गोरखपुर
25. राष्ट्रदूत, 15 सितम्बर 1990, जयपुर
26. आज, 20 सितम्बर, 1990, गोरखपुर
27. स्वतन्त्र चेतना, 30 सितम्बर, 1990, गोरखपुर
28. आज, 15 अक्टूबर 1990, नई दिल्ली
29. दैनिक जागरण, 28 अक्टूबर 1990, लखनऊ
30. दैनिक जागरण, 28 अक्टूबर, 1990, गोरखपुर
31. दैनिक जागरण, आज, 6 नवम्बर, 1990, गोरखपुर
32. आज, लखनऊ मेल, स्वतंत्र चेतना, 16 नवम्बर, 1990
33. दैनिक जागरण, आज, सांध्य दैनिक, 8 दिसम्बर, 1990, गोरखपुर
34. आज, 23 जनवरी 1991 गोरखपुर
35 स्वतंत्र चेतना, 28 फरवरी, 1991, गोरखपुर
36. आज, 24 अप्रैल, 1991, गोरखपुर
37. आज, 24 अप्रैल 1991, गोरखपुर
38. आज, दैनिक जागरण, 18 जून, 1991, गोरखपुर
39. दैनिक जागरण, 25 अगस्त 1991, गोरखपुर
40. पांचजन्य, 31 अक्टूबर 1991, नई दिल्ली
41. स्वतंत्र चेतना, 13 जून, 1992, गोरखपुर
42. जनसत्ता, दैनिकजागरण, राष्ट्रीय सहारा, 24 जुलाई 1992, नई दिल्ली
43. स्वतन्त्र भारत, 26 जुलाई, 1992, लखनऊ
44. दैनिक जागरण, 30 जुलाई, 1992, नई दिल्ली
45. आज, 1 अगस्त, 1992, नई दिल्ली
46. दैनिक जागरण, 22 अक्टूबर 1992, देवरिया
47. जनसत्ता, 31 अक्टूबर 1992, दिल्ली
48. आज, दैनिक जागरण, 24 दिसम्बर 1992, अयोध्या
49. आज, अप्रैल, 1993, सहारनपुर; राष्ट्रीय सहारा, 12 अप्रैल, 1993, वाराणसी
50. आज, दैनिक जागरण, जनसत्ता, 9 मई 1993, दिल्ली

51. दैनिक जागरण, 30 जून, 1993, गोरखपुर

52. आज, 19 अक्टूबर, 1994, जोधपुर

53. राष्ट्रीय सहारा, 14 फरवरी, 2002, लखनऊ, दिल्ली

54. दैनिक जागरण समाचार-पत्र, गोरखपुर से प्रकाशित 19-20 मार्च 2017; हिन्दुस्तान समाचार-पत्र 19-20 मार्च 2017

55. दैनिक जागरण समाचार-पत्र, गोरखपुर से प्रकाशित 22-24 दिसम्बर 2006, हिन्दुस्तान, गोरखपुर से प्रकाशित, दिसम्बर 2006; राष्ट्रीय सहारा, दिसम्बर, 2006

56. लोक आराधना की अभिव्यक्ति, खण्ड-1, मार्च 2023, पृष्ठ 43

Mānaviki सामाजिक-मानविकी विषयों की समीक्षित अन्त:अनुशासनात्मक शोध पत्रिका ISSN 0976-0830
वर्ष 16 ● अंक 2 ● अक्टूबर, 2025 (विशेषांक : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)

Historical Cultural Traditions of Purvanchal

Prof. Rajawant Rao*

ABSTRACT

There is a plethora of evidences of human settlements found in Purvânchal, dating back to the Mesolithic Age. There are various Neolithic sites scattered all over the region of Purvânchal. Hence it can be safely opined that this region has been inhabited by man since the Mesolithic Age. During the Vedic period, this region has been the land of the genesis of various traditions. The culture put forth in the Atharva Veda is typically the culture of Purvânchal. In the 6th Century B.C. both the monarchial and republican forms of governance developed in this region simultaneously. The republican form of governance that had developed under the influence of Buddhist and Jain traditions seems to be the budding form of the present day democratic form of governance. The inception of the political history of Purvânchal seems to be from the reign of the Ikshväku kings. During the lifespan of Buddha this region was mostly a part of the Koshala Janapada. Later it became a part of the Magadhan Empire and was ruled by the Mauryas. In the later centuries this region was ruled by numerous dynasties namely Shungas, Kushanas, Pushyabhutis, Maukharis, Pälas, Kalchuris and Gâhadwâlas. The hoards of coins and the large number of inscriptions belonging to the aforementioned dynasties, which have been found from various sites in this region, give us an insight of the culture and prosperity of Purvanchal, This region has been both culturally and materially prosperous since the ancient times. Numerous guilds in this region were engaged in various industries, trades and commerce. The foundations of the prosperity of the region relied upon agriculture, cattle rearing and crafts. The farmers and craftsmen held a position of prestige in the society. The sermons of

*Dept. Of Ancient History, Archaeology And Culture, Deen Dayal Upadhyray Gorakhpur University, Gorakhpur

Lord Mahavira. Gautam Buddha and Mahayogi Gorakhshanath have contributed in maintaining the equilibrium and tranquility of the society of the Purvânchal region.

GLOSSARY:

Saryupar

The region lying north of the Saryu River is referred to as Saryupar. By the 10th m Century A.D. the region had already developed into an acclaimed cultural and political unit. The Sarava is found in Panani's Astadhyayi (5.4.174), which has been used to depict the things found in the region near the banks of the river Saryu. The term Sarava meant something related to Saryu and the term Avära meant Saryupar. The conjugation of the two terms forms Sarvävära. The transformation of the term Sarvävära in the local dialect is Sarvariya. The Sarvävära region was also known as the Uttara (North) Kosala, Shrawasti, Gond region etc. The region comprised of modern day Faizabad, Gondä, Bahräich, Basti, Siddharthanagar, Gorakhpur, Deoria etc. The first reference of Saryupär as geographical unit is found in the Kahala inscription of the Kalchuri ruler Sodhdeva. Sodhdeva has been referred to as 'Saryupärjivitum in this inscription. The use of the term Sarvâra for Sayupär has been found in the copper plate inscription of the Gaharwala ruler Govindchand,

Bhrivängiras and Atharvângiras Tradition

Bhrigu, Atharva and Angira were the three clans of sages who composed the history while preserving the historical and Puranic traditions. Atharva and Angira clans are believed to be associated to the Purvânchal region. These three clans are considered the guardians for preserving and documenting the history and culture from the Vedic period to the Early Medieval period.

Daradgandaki

It is geographical unit of the Purvanchal region. The references of Daradgandaki, Daradchandika and Daddrandika regions have been found in the inscription Malayketu. As per Roma Niyogi the Daradgandaki region relates to the present day region lying between the Himalayas and Gandakriver. The identity of Daradgandaki region can be established with the north eastern part of the Gorakhpur district.

Shramana Traditions

The ideologies relating to Sanyäs, Penance, Sacrifice and Yoga are considered to

be part of the Shramana philosophy. This tradition considers Sanyas as a mode of salvation and the worldly desires as hurdles in the path of attaining salvation. The Shramana tradition negates the Vedas, Gods and the material world and believes in austerity in one's life. Buddhism and Jainism are inspired by the Shramana tradition.

ukfLrfgderjalcyksdfgrIik

It is a part of Ashoka'sGirnar Inscription. In this part Ashoka coveys the message that the welfare of all is the most preferable duty and there is nothing more important than the welfare of the people.

Gadhikânam

This term has been depicted on the coins found in Kaushämbi. "Gadhikânam also relates to the scented oil selling guilds.

Negam

Negam relates to merchant organizations. The reference of the term "Negam' has been found on the coins found in Purvanchal in literal terms means the territory of the east. It is the Middle Ganges Valley region that forms this territory of the east known as Purvanchal. It comprises of three main geographical regions namely the Middle Gangetic Plains, the Vindhya- Kaimur valley, and the region beyond river Saryu (Saryupär)[1]. The region of Purvanchal is drained by various important rivers namely Ganges, Sona, Belan, Saryu, ChhotiGandak and Räpti. From the administrative point of view the region of Purvanchal comprises of 28 districts of Uttar Pradesh. As a result of an equitable climate, abundance of vegetation and water this region has been the center of attraction for human settlements. The Neolitihic sites and the inscriptions found in the region are daunting examples of the aforementioned facts. The depiction of the geographical importance of the region can be seen clearly by the titles of various rulers found in the inscriptions of this region namely "SaumyaSindhu", "Uttar Samudra", "Daradgandaki", "Saruwar" and "SaryupärJeevitam"[2]. This kind of diversity is a rare phenomenon in any other geographical region. On the basis of the Shatpatha Brahman's, Videgh- Mathav narrative, a unanimous opinion formed among the historians that the Aryans moved towards the east in the Later Vedic Period. There were no literary evidences to support the existence of human settlement earlier than this period, but this perception has changed now. It is noteworthy that GautamRahugan, the priest of Videgh- Mathav, was a Rig Vedic priest who composed 20 hymns of the Rig

Veda and the incident which is mentioned in the Shatpatha Brahman recounts an event of the past[3]. The antiquity of Purvanchal dates back to the Stone Age on the basis of both archeological and literary evidences. There have been numerous archeological findings of cave paintings, from the hills of Mirzapur, which are the manifestations of the Pre Historic Man[4]. The time period of some of these paintings has been determined to be of the Mesolithic Age. Many Neolithic sites have been found on the banks of the Middle Ganges, Saryu and its tributaries. Out of the various sites that have been found Jhusi, Sohgaurã, Imlidih, Lahuradeva, Narhanetc are the most important ones where evidences of agriculture and craft have been found. The excavations at Lahuradevä have revealed a fivefold cultural sequence, beginning from Neolithic and followed by Chalcolithic (copper age), Early historical period (Iron Age), the NBP ware and deposits of early Kushana period. The Neolithic Age has been divided into two sub periods IA and IB. The ceramic industry of Period IA comprise cord impressed red ware and black and red ware. The pots are mostly handmade. Some of them are wheel turned also. The people lived in wattle-and-daub houses. Cultivated rice and few wild grasses have been identified by K.S. Saraswat.[5] The earliest evidence of agricultural practices has also been found from Lahuradeva.[6] Sohgaurã, Jhusi and Narhan also give evidences of early agriculture. The cultivation of paddy/rice began in this region ie. Purvanchal. This region marks the genesis of the Vrihi(rice) culture, where both the agricultural and wild variety of paddy grew abundantly. From political history's point of view this region was the territory of the Ikshvaku dynasty kings whose antiquity dates back to the pre-Vedic Period. The Bhrigvangiras- Atharvangiras traditions of historical consciousness, also originated in this region. The pre Vedic and Vedic sacrificial practices and the Muni Shramana traditions were simultaneously existent in the Purvanchal region. Apart from Magis the worshippers of Agni and Sun and the Vedic Brahmins this region was also populated by the Pratyas. Thus this region has been continuously inhabited by man since the Neolithic Age and the Brahmana, Shramana, Vratyä, Sanyas and Yoga traditions co-existed.

There is a significant contribution of the Shramana tradition in the cultural development of this region. As a result of the synthesis of the ideologies of Brahmanas and Shramanas, this region became the inception point of the Varnashram system. In the 6th Century B.C. this region was the center of the sphere of influence of Lord Buddha and Mahavira. Lord Mahavira, the 24th Tirthankara of Jainism preached about the adherence

to the five vows (Panchmahävratas) that are Truth (Satya), Non Violence(Ahimsa), Non Stealing (Asteya), Chastity/Celibacy (Brahmacharya) and Non-attachment/Non-possession (Aparigrah). Lord Buddha also preached on similar lines but he believed in following the middle path between two extremes (MadhyamMärg). This region boasts of the simultaneous existence of thriving Monarchies and Republics. Koshala, Käshi and Vatsa were the flourishing Monarchies of the region whereas Kapilvastu, Ramagram, Piplivana, Kushinarã and Pavä were the major Republics. The Kolis, Moris, Mallas, Shakyas and the Jyatrikas belonged to the lineage of the Ikshvaku Kshatriyas and had faith in the republican ideas of governance.[7] The citizens of these Republican states gave a revered position to their traditions, elders and women. The Republics could not withstand the wave of the mounting aspirations of monarchies and ultimately all the Republic states got assimilated into the mega monarchy of Magadha. Sarnath, Lumbini, Shräwasti, Kapilvastu, Kushinagar and Pävä developed as pilgrimage centers due to the germination of the seeds of Jainism and Buddhism in this region.[8] This region is also accredited with the development of various art forms like the Stupas, Vihâras, Sanghas, pillars and effigies. The region of Purvanchal was a part of the Nanda and Mauryan empires. Chandragupta Maurya, a young boy of the Mori Republic of this region laid the foundations of the first pan-Indian empire of the Indian history, known as the Mauryan Empire. One of the most eminent rulers of the Indian history, Ashoka, owed his genealogy to the Mauryan Empire. Ashoka holds the accomplishment of being the first ruler in the world history, who despite being a powerful ruler renounced the policy of expansion of his empire by annexing other territories through war. Among the names of the various renowned rulers and religious leaders in the hall of fame of the mightiest and the greatest, the name Ashoka outshines others like the Pole Star because his fame does not rest upon stories of great wars won by vicious bloodshed rather his accolades are sung for his benevolence, compassion and humane treatment for all. His generosity is evident from the fact that he arranged for the distribution of medicines for humans and cattle in the neighbouring states and treated his citizens as his own children. By giving prime importance to the welfare of people, he fulfilled the norms of an accredited welfare state which has been depicted as follows:

'नास्ति हि कमतरं सब लोकहितप्पा'

(There is nothing more important than the welfare of the people)

Stone art and sculpture grew and developed during the Mauryan period. Kushambhi,

Sarnath, Shrawasti and Kushinagar emerged as centres of art and sculpture. Sohgaurã and Piparahwä in Purvanchal are famous for the oldest inscriptions found in India.[9] Sohgaurã is situated at the confluence of Rapti and Ami rivers of this region. The copperplate inscription found here is an evidence of the welfare oriented governance of the Mauryan period. Shräwasti was a province in the Maurayan period. The amatyas (ministers) of Shräwasti in order to meet the shortage of food during floods established storages filled with food grains to be used in times of need. A mandate to this effect was issued by the Mahämatras (High ranking officials) through the Sohgaura Copper Plate Inscription. On the basis of these inscriptions historians have expressed the possibility that the art of writing was developed here. Piparahwa and Sohagaurã provide this region with a unique place in the history of writing in the country which appeared here in a tangible form for the first time and offered a solid base for its development in subsequent times in other parts of the country. There have been many inscriptions found from this region belonging to the Shungas, Kushänas, Guptas, Gähadwälas and the Kalchuris. Apart from these there are hoards of coins found from this region belonging to KoshalaJanpada, AyodhyaJanapada, Kalchuris, Kushânas, Gähadwälas and Malay Ketu. The remains of sculptures of various deities found from Nathnagar, Känhav, Rudrapur, Kushinagar, Fäjilnagar, Särnath, Kaushambi, Shräwasti etc. point towards the unfettered growth and development of art and religion in this region. The Buddist architecture starts from the lifetime of Buddha. Once Buddha while staying at Rajgir, accepted the offer of 60 Vihäras in Rajgriha provided by a local merchant for the use of Sangha community.[10] In the upper portion of the Sohgaura copper plate inscription, the engraved three storied architecture is perhaps storehouse meant for collecting grains to meet the eventuality of a famine. It shows the architectural development in this region. After the Mauryas, Shungas established their control over this region. Ayodhya gained its prestige upon becoming the capital of the Shungas. After the Shungas, local dynasties established their power over Kaushambi, Varanasi and Ayodhya and the evidence of their rule is found in the form of coins found from the region. With the advent of the Kushanas in this region, the rule of these local dynasties perished. The inscriptions of Kanishka I are found from Särnath, Kaushambi and Shrawasti. After the decline of Kushanas the region of Purvanchal became a part of the territory of the Imperial Guptas. The famous Prayag Prashahti composed by MahâsandhivigrahikHarisena in the Champu poetic style of MahäräjädhirajSamudragupta was obtained from Kaushämbi. Presently it is preserved

in Akbar's fort on the banks of the confluence (sangam) of Ganges and Yamuna. PrayâgPrashsti is a unique example of the quaintness of destiny. The pillar on which Ashoka's message of peace was inscribed was later on inscribed with the accolades of Samudraguptas victories in blood soaked wars. The same pillar also has articles of Mughal Emperor Jahangir inscribed on it.[11] Skandgupta's inscription has been found from a place called Bhitari in Ghazipur district. Kumârgupta's inscription has also been found from this region. There are about 30 inscriptions belonging to various time periods in history that have been found from Purvanchal and their importance from the historical point of view is indescribable.

Purvanchal has had a glorious past both ideologically and materially. On one hand where Lord Mahavira, Lord Buddha, Mahayogi Guru Gorakhnath, Kabiretc gave ideological prosperity to this region; the economy based on agriculture and craft made the region materially affluent. Thus, this region is often seen as a harmonious confluence of right actions, religion and knowledge. Among the depiction of various elites in Pali texts, who possessed 80 crore coins, Anäthpindak of Shravasti, Mendak of Champa, DhananjaySetha of Säket, SankhSetha and Yash from Varanasi are the most notable ones. It is noteworthy that Anäthpindak purchased the garden belonging to Prince Jeita by placing 14 Crore gold coins on the ground and gave to Lord Buddha as an offering. This scene has been depicted in the evidences from Bharhut:-



A Plate depicting the Purchase of Jeita's Garden, Bharhut



The Purchase of Jeita's Garden, StupaPatta, Bodh Gaya

An earthen plate has been found in Kaushambi. It depicts Vasavadutta and Udayan spreading coins on the ground while sitting on elephant back.



Udayan- Vasavduttã, Terracotta plate, Kaushämbi

The merchants of early historic times were powerful enough to establish their own centres of commerce raise their own army for protection on different voyages and issue their own coinage. Even in the post Mauryan period, Kaushambi was ruled by merchant guilds. This fact is attested by the inscriptions of "Gadhikanama", "Negama" and "Kaushambi" on various coins. Negama inscribed coins are also found in the Varanasi region, which denotes the dominance of the merchant guilds in that region as well.[12] Purvanchal is also attributed for being the region where hoards of punch marked coins have been found in maximum numbers. The findings of the coins of numerous rulers of Koshala, Vatsa, Mallas, Kushänas, Guptas and Gähadwalas speak of the prosperous past of this region. The Päti texts indicate towards the use of coins ranging from common man to rich businessmen. There is also a mention of wages being paid in the form of coins. Some other types of coins like Nishka (Gold), Suvarna (Gold), Känkini and Kärshäpan (Silver and Copper) also find mention in the Pali texts. From the illustrations on coins and currency in the Pali texts it is very much evident that during the lifespan of Buddha the coins were also used by the common man as a medium of exchange. Surplus agricultural produce due to the fertile land, and the region being well drained by numerous rivers, have been the main reasons behind the prosperity of the Purvanchal region. Especially sugarcane and rice have been cultivated here since days of yore. The importance of sugarcane and rice can be seen by their depiction in the name of Buddha's father "Shuddhodana" and "Ikshvaku" the famous Kshatriya clan. Atharva Veda that is believed to have been composed in this region has several accounts on agriculture and food grains. In one of the hymns of the Atharva Veda there is description of repeated deep ploughing of land with a plough having a pointy share. There is also mention of women wearing amulets in the shape of the plough-share. Religious rituals affiliated specifically to agriculture and agricultural produce find their genesis from this region as has been mentioned in the Atharva Veda as well. In the early Päli texts, the entire process from the preparation of the field to the harvest of crops has been duly provided. Lord Buddha gives an analogy on agriculture in his sermons which is as follows:

धर्म बीज है तथा दृष्टि अनुशासन

(Dharma is the seed and vision is discipline)

जुए में लगा हल मेरे लिए अन्तर्दृष्टि है

(A plough placed as a bet in gambling is a matter of insight for me)

मेरी बल्ली विवेक है और ज्ञानेन्द्रिय बंध

(My conscience is my yoke and my senses are my bulwark)

तथा मेरे हल का फाल और मेरा अंकुश सतर्कता[१३]

(And the share of my plough and my restraint is my alertness)

There are many references in ancient texts that compare the work of a farmer to a spiritual deed. The Jätak tales, Milindpanho, Mahâbhâshya, Mahâvastu etc. give details about cultivation of paddy on a large scale. During the lifespan of Buddha the importance of agriculture had increased to such an extent that, a separate subject for the study of agriculture was introduced and is referred to as 'Khervidya' in Päli texts. There were various varieties of rice cultivated in the Purvanchal region namely, Säli, Vrihi, Mahävrihi, Hayan, Shashthika, Niwâr, Kurumbhak, Kumudbhandika, Rättsali, Tandul, Kalam etc. Purvanchal had surplus cultivation of rice due to the use of iron plough share and transplantation technique. The climatic conditions of Purvanchal were also favorable for the cultivation of rice and sugarcane. Irrigation was conducive because of the presence of many big rivers and small streams that drained this region and also because of abundant rainfall. Irrigation was also done through water wheel, wells and ponds. The climatic conditions including the temperature, moisture and the soil quality of the region were always favorable for the cultivation of sugarcane. The description about the techniques of crushing sugarcane and making jaggery are found in the Buddhist texts. The Päli texts mention about the diseases related to the rice and sugarcane crops.[14] As per the records Buddha himself has referred to the white tip disease of rice and red rot disease of sugarcane. Apart from these two major crops Black lentils (Black Urad), Green gram (Moong), Cotton, Wheat, Ditch Millet (Kodo), Seasame(Til), Maize and Mustard were also grown in the region.[15] Many of these crops that were grown because of the favorable environment of the region are no longer cultivated here. Various kinds of millets like Kodo, Jwär, Bajra, Ragi etc. have always been the preferred crops in view of the region's climatic conditions.[16] These crops do not require much investment or extensive labour, moreover these crops possess many medicinal qualities, which is a matter of research in the present times. The cultivation of these crops should be encouraged because they are beneficial for both man and environment. Along with this maize was also extensively cultivated in the region. In the present times we need to revive the cultivation of these crops because their roots lie in our

past.

Animal husbandry and cultivation of crops were known to be practised together in the Purvanchal region. In the Buddhist text Suttanipat the act of rearing a cow has been considered equivalent to agriculture. The people engaged in rearing of cattle were considered to be a farmer. In view of the importance of cattle in the practice of agriculture, there are repeated references in Suttanipät with regard to the protection of cattle. In this book it has been mentioned that animals just like our mother, father, brothers and other relatives are also our friends and their existence is relevant for the growth of plants. They provide food, economic strength, beauty to the nature and happiness to the human mind. The tradition developed by the practice of animal husbandry alongside agriculture can still be seen in our villages. Even to this day animals reared in the farmer families are considered to a part of the family.

In the Päli texts Bulls have been referred to as Annada (provider of food), Balda (provider of strength) and Sukhdä (provider of happiness).[17] Such humane thought for animals could have originated only in this region because of its primarily agrarian economy. Protection of cows (Gorakhhä) has been described as the primary job of householders. Cow protection is also related to Mahayogi Guru Gorakhnath. "Manjhhimnikäya provides for eleven unique qualities of a person engaged in rearing of cows. This not only proves that the rearing of cow was an important job but also that it was considered to be a noble task. Cattle especially cows and bulls were considered part of the family and their happiness and pain affected the family in the same manner as any other family member.

The most important profession in eastern Uttar Pradesh after agriculture was the textile industry. Vinaypitika has a separate chapter on clothing. 68 varieties of clothes made of cotton, wool and linen have been described in it.[18] Just like the pattern formed by the beds of the paddy fields, the robe of a monk also had many small pieces of clothes attached to it and its colour was similar to the colour of ripe paddy crop. The Pali texts provide for 10 types of colours used for dyeing clothes.

Crafts reached unprecedented heights during the lifetime of Buddha and 18 to 36 forms of crafts have been mentioned in various texts. Learning various craft forms was an important duty of the householders. A person skilled in a certain craft form had a prestigious position in the society.

Lord Buddha also inspired housewives to learn certain crafts as per their ability. He advised that the wives should adopt a craft form related to the cotton and wool produced in the fields by their husbands. The Janpadas were the torchbearers of the Indian culture after the Vedic Age. There was an unprecedented growth in the intellect of man during the Janpada period. This intellectual growth was manifested in the forms of various crafts and other skills. The local crafts of various Janpadas became their identities during this period. These crafts were the precursors to the development of economic life of man in the Purvanchal region. Panani'sAstädhyayi refers theses crafts as 'JanapadiVritti.[19] There was a special focus on the development and improvement of crafts during the Janapada period. In today's time the Government's 'One District One Product' scheme seems to bear the imprints of the emphasis given on the development of crafts in each Janapada during the Buddha period. Yaksha'sNirukta[20] and Panani'sAstâdhyâyi also mentions about the prestigious position help by a person having mastery of a crafts. In the present time the government is trying to develop skills and make its citizens efficient, it's now the time to look back at the past and try to link a person's efficiency to his social prestige. Skilled and efficient population will pave the way for the right development of Purvanchal.

In the post-Gupta period this region was ruled by the Pushyabhuti's and Maukharis. The region remained a part of the Mukharies for some time after the Guptas and then became a part of Harsha's empire. It is evident from Harsha'sMadhuban (Mau district) inscription that this region was a part of the Shravasti province (Bhukti).[21] After the death of Harsha, this region came under the control of the ruler of Kannauj, Yashoverman, for a small duration of time. Thereafter in the 9th-10th century it was ruled by the Kalchuries who were feudatories under the Pratiharas. The Gurjara- Pratihärs had established their rule in the pre-medieval over this region. This region was ruled by the feudatories of the Gurjara-Pratihara's namely Kalchuri's, Malayketu's and Gähadwälas who later became independent rulers of the region. Many important inscriptions of the Kälchuri's have been found from Kasayä and Kahlä. Inscriptions giving records of donations made by Gähadwälas[22] have been found from Unwal, Gagahä, Päli and Lär. Many Shaivite and Vaishnavite temples were built in this region during the rule of the Gahadwalas and the Kalchuri's. Many idols of deities belonging to this period made in the Pala art style have been excavated. Among these idols the most noteworthy are the Shiva Parvati Idol of the DugdheshwarNäth Temple in Rudrapur (Deoria) and the various Surya idols found from

different places in the region. The worship of Shiva and Surya (sun) is a common practice in the lives of the people in this region. The use of geo-political units like "Saryupar", "Dardgandakidesh" and "SaumyaSindhu' became prevalent in the inscriptions of the pre-medieval period. In this era, the local cultures of this region, the new and old religious sects, ways of worshipping gods and goddesses got an opportunity to flourish.

The traditions of Yoga and Sanyas already existed in the Purvanchal region even before the medieval period. It's not possible to bring the history of Purvanchal to conclusion without the mention of Mahayogi Guru Gorakhnath. The famous city of Gorakhpur has been named after him. The Nath sect of Hinduism believes him to be the living form of Shiva i.e. one with no beginning or one who wasn't born like humans on any particular date, but the historians believe him to have existed around 9th century A.D. At that time, many sects of Brahmins and Buddhists had the predominance of tantric practices. Due to the entry of superstitions, outlandish practices and Panchamakärs [Tantric term for the five transgressive substances used in a Tantric practice iemadya (alcohol), mamsa (meat), matsya (fish), mudra (gesture), maithuna (sexual intercourse)]distortions were induced in the religious life of common man. In such a situation, Guru Gorakshanäth emphasized on simple life and purity of mind, speech and action, and also preached to follow the path of meditation, yoga and austerity.[23] Due to the influence of Guru Gorakshanath the city of Gorakhpur grew as an important center of the Nath sect. In the 9th-10th century A.D. Guru Gorakshanath preached to follow restraint, meditation and HathYoga for the purity of body and mind and the attainment of the ultimate aim of life. He was a torchbearer of the Yoga and Sanyâs tradition who made an invaluable contribution in establishing social harmony.

The Sankhya Philosophy also developed in this region and Kapil Muni was its expositor. Sankhya and Yoga philosophies are very closely linked to each other. Kapil Muni has been described as the propounder of Yoga and stoicism in the BhagwatPurana. The philosophy promoted by Guru Gorakshanath is also related to the Sankhya philosophy. The disciples of Guru Gorakshanath also included the followers of other sects like Shaivism, Shäkta, Sankhyä, Yoga, Jain and Buddhism.

It becomes well nigh clear from the above mentioned facts that Purvanchal has been the land of opportunities and possibilities since the times immemorial. Today there is

a requirement to activate all the elements of social life. There has been a wonderful balance in the social life of the region because of the Pravrittimärgi Brahmins (who followed the worldly path to attain salvation) and NivrittiShramanas (who detached themselves from worldly life to attain salvation). Even the wealthy businessmen of this region had the elements of Shramanasie the detachment from worldly pleasures and hence they engaged themselves in social welfare works and gave alms to the poor and the needy. There was a stoic's mindset existing within the people who were materially rich. In the present times there is a dire need to revive the same mindset in one's life.

Conclusion:

The Purvanchal region has had a protracted history. The sustainable development in the Purvanchal region is possible only when the problems of the present times are looked upon through the prism of the past. There is a need to remove the social ostracism of agriculture and crafts and revive their social prestige in the present times. Agriculture needs to be revived by the cultivation of those crops that have been the source of prosperity of this region since antiquity. Purvanchal has witnessed halcyon days in the past when the traditions of Brahmans, Shramanas, Sanyas and Yoga flourished simultaneously. On one hand the sermons of Lord Mahavira, Gautam Buddha and MahayogiGorakshanäth resonated in every nook and corner of the region and on the other it was studded with the scholarly gems of the devotional cults of Shaivism and Vaishnavism. The prodigious amalgamation of material prosperity and spiritual environment resulted in the prevalence of equilibrium and tranquility in the society of the Purvanchal region. The gamut of material prosperity cannot penetrate into all the sections of the society till the time the values of charity, humanity, kindness etc are not properly inculcated in the common people as result of the intellectual development of the society.

Reference:

1. Saryupar, since the very inception of human history has been a very important cultural zone. Its antiquity dates back to Panani'sAshtadhayayi. Saryupär refers to the region lying south to the Saryu River TheAshwamedhYajna by Dashratha to fulfill his desire of a son, was organized on the northern bank of the river Saryu. (Välmiki Ramayana, Bälkänd, 12.3-4). The Koshala and Påvajanpadas also formed a part of the Saryupar region. The various places associated to Lord Buddha namely Lumbini. Kapilvastu,

Kushinagar, Shravastietc also come within the Saryupår region. Devipätan one of the Shaktipeeth's is also one of the prime attractions of the region. The Gorakhnath Temple of Gorakhpur dedicated to MahayogiGorakhshanâth is the pride of the Saryupär region. The first reference of Saryupär as geographical unit is found in the Kahalã inscription of the Kalchuri ruler Sodhdev. In the later years it emerged as a cultural entity as well.

2. Mirashi, Väsudev Vishnu, Carpus InscriptionumIndicarun, Part 2, Pg. 39, F. Kielhorn: EpigraphiaIndica, Vol. 7, Pg. 93
3. Singh Shivaji, RigvedicAryaAurSaraswatiSindhuSabkyatã; Pub: BhartiyaItihasSankalanSamiti, Pg. 26-27
4. Varma R.K., 1964, Stone Age Cultures of Mirzapur, unpublished thesis, University of Allahabad
5. Archeological Findings from the homeland of Buditha, edited: PremSagarChaturvedi. Puh: Agam Kala Prakashan, New Delhi, 2013, Pg. 17 Varma R.K., Rire and Evolution of Culture in Purvanchal from the Earliest time up tis the Beginning of Urbanization An overview
6. Tiwari Rakesh, Srivastava R.K. and K.K. Singh 2001-2002, Excavations at Lahurudevi, Dist. SantKabir Nagar, Purdsattva 32. Pg. 54-62, Pragudhürü 13. Pg. 37-68: TiwariRakesh, Srivastava R. K., Saraswat KS., Singh T.B., Singh K.K.. 2007-2008 Early Farming at Lahurodeva; Prägdhari 18. Pg. 348-373
7. Ray Chaudhury, IH.C., Political History of Ancient India, 7th edition, Kolkata 1972. Pg. 113-115; Other contemporary raling dynasties belonging to the solar race were the Koshalas, the Shakyas and the Motiyas. The Magadhan rulers belong to the Naga race
8. Upadhyaya Bharatsingh, BuddhakalinBhartiyaBhugol, Pub: Hindi SahityaSammelan, Pray0g, 1991, Pg. 138-412
9. Jayaswal K.P..EpigraphicaIndica, vol xxii, Pg. 3; Barua B.M., 1930, The Sohgaura Copper Plate Inscription, Annals of Bhandärkar Oriental Research Institute, vol. XI, Indian Historical Quarterly, vol. x. Pg. 54: Smith V.A., Journal of Reval Asiatic Society of Bengal, 1894, Pg 84
10. Chullavagga Pg. 219,19; edited BhikkhuJagadishKassapa, Nava NalandaMahavihara

1956.

11. Fleet 1.F., Corpus, vol. 3, Pg 6, 1883
12. Allen John, Camiogue of Brach Museum
13. Samyukta nikaya,1.pg.217
14. Anguttar Nikäy (Varanasi Edition), Part 3, Pg. 399
15. Sultanipata, KokalikaSutta, Pg. 134-147
16. Supra 8, P. 413-430
17. Suningsta (Varanasi Edition), BharmhadhammicSuttam, 12,13. Pg. 74
18. Chirurukhanduk, Mahlinger, Pg 268-311
19. Panani, Astadhyayi, 4.1.42
20. Yaska, Nirukta, 1.5; यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषो वेदतृिषु च भूयोविद्यः प्रशंस्यो भवति
21. Goyal S.R. Moukhari - Pashyabhuti Exam ChalukyayuginAbhilekha, Pg. 86-98
22. F. Kielhorn: EpigruphiaIndica, Vol. 7, Pg. 93, EpigraphiaIndica XXVIII, Edited by DayaramSahani
23. Bharti Dharmave, SiddkoSahitya, Pub VidyaPrakshanMandir, New Delhi, 1988, Pg. 258-260, DwivediHazariprasad. Hindi Sahitya Ki Bhumid, Pub RajkamalPrakashan, New Delhi, 1991, 1997, Pg. 65-70

Bibliography:

- Mirashi, V.V., 1963(ed.), Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol.5, Archaeological Survey of India.
- Epigraphia Indica, Archaeological Survey of India.
- Singh Upinder, 2009, A History of Ancient and Early Medieval India, Pearson Publication.
- David Thomas William Rhys, 1997 Indian Reprint, Buddhist India, Motilal Banarsidas Publisheres Pvt. Ltd.
- Chaturvedi Premsagar, 2013, Archaeological Findings from the Homeland of Buddha, Agam Kala Prakashan.
- Singh Shivaji, 2004, Rigvedic Arya Aur Saraswati Sindhu Sabhyata, Bhartiya Itihas Sankalan Samiti.

- Varma R.K., 1964, Stone Age Cultures of Mirzapur, unpublished thesis, Universtiy of Allahabad.
- Varma R.K., Rise and Evolution of Culture in Purvanchal from the Earliest time up to the Beginning of Urbanisation : An overviews, Archaeological Findings in the Homeland of Buddha, Agam Kala Prakashan.
- Tiwari Rakesh, Srivastava R.K. and Singh K.K. 2001-2002, Excavations at Lahuradeva, Puratattva No.32, Pragdhara No. 13.
- Tiwari Rakesh, Srivastava R.K., Saraswat K.S., Singh T.B. Singh K.K. 2007-2008, Early Farming at Lahuradeva, Pragdhara No. 18.
- Ray Chaudhury H.C., 1972, Political History of Ancient India; 7th edition.
- Upadhyaya Bharatsingh, 1991, Buddhakalin Bhartiya Bhugol, Hindi Sahitya Sammelan, Pryag.
- Barua B.M., 1930, The Sohgaura Copper Plate Inscription, Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, vol. XI
- Law Narendra Nath, 1934, Indian Historical Quarterly, Vol. X, Culcutta Oriental Press.
- Smith V.A., 1894, Journal of Royal Asiatic Society of Bengal, Bishop's College Press.
- Kassapa Bhikkhu Jagadish, 1956 Chullavagga, Nava Nalanda Mahavihara.
- Fleet J.F., Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. 3
- Allen John, Catalogue of British Museum, Motilal Banarsidas Publication.
- Samyukta Nikaya, (Varanasi Edition)
- Anguttar Nikaya (Varanasi Edition)
- Suttanipata, Kokalika Sutta
- Chivarakhandhak, Mahavagga (1st volume of Khandaka i.e. 2nd book of Vinaya Pitika)
- Goyal S.R., Maukhari - Pushyabhuti Evam Chalukyayugin Abhilekha
- Bharti Dharmavir, 1988, Siddha Sahitya, Vidya Prakashan Mandir, New Delhi.
- Dwivedi Hazariprasad, 1991, 1997, Hindi Sahitya Ki Bhumika, Rajkamal Prakashan, New Delhi.

Mānaviki

A Peer Reviewed Interdisciplinary Journal of Humanities & Social Sciences

Subscription Form

Editor,
Mānavikī
Maharana Pratap P.G. College
Jungle Dhusar, Gorakhpur-273014

Dear Editor,

I/we would like to subscribe to the *Mānavikī*, an interdisplinary journal of Humanities and Social Sciences, published by you. Subscription amount Rs./US$.....is being enclosed herewith by cheque*/demand draft no. ..... drawn on ..... Kindly enrol my/our - Annual/ Five Year/Life subscription** and arrange to send the issues of the journal on the following address :

Name of Individual/Institution : .....

Address : .....

.....

City : ..... Pin/Zip .....

State : ..... Country :.....

Subscription Rates

	Individual		Institutional	
Annual	Rs. 300	US $ 30	Rs. 500	US $ 50
Five Years	Rs. 1250	US $ 80	Rs. 2000	US $ 125
Life (15 Years)	Rs 2500	US $ 150	Rs. 4000	US $ 200

* All cheques/demand drafts should be drawn in favour of *Mānavikī* payable at Gorakhpur. In case of outstation cheques please add Rs. 30/US$ 2 for clearing expenses.

** Please tick the desired subscription period.

Maharana Pratap P.G. College
Jungle Dhusan, Gorakhpur
Mob. : 9794299451, 9452971570 • E-mail : mpmpg5@gmail.com

GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS

1. Contribution should be submitted in duplicate, the first two impressions of the typescript. It should be typed in font Walkman-Chanakya (Hindi) and in Times New Roman (English) on a quarter or foolscap sized paper, in double-space and with at least one and a half inch margin on the right. Two copies of a computer printout along with a CD are preferred. They should subscribe strictly to the Journal format and style requirements.

2. The cover page of the typescript should contain: (i) title of the article, (ii) name (s) of author(s), (iii) professional affiliation, (iv) an abstract of the paper in less than 150 words, and (v) acknowledgements, if any. The first page of the article must also provide the title, but not the rest of the item of cover page.

3. Though there is no standard length for articles, a limit of 5000 words including tables, appendices, graphs, etc., would be appreciated.

4. Tables should preferably be of such size that they can be composed within one page area of the Journal containing about 45 lines, each of about 85 characters (letter/digits). The source(s) should be given below each table containing data from secondary source(s) or results from previous studies.

5. Figures and charts, if any, should be professionally drawn using such materials (like black ink on transparent papers) which allow reproduction by photographic process. Considering the prohibitive costs of such process, figures and charts should be used only when they are most essential.

6. Indication of notes should be serially numbered in the text of the articles with a raised numeral and the corresponding notes should be given at the end of the paper.

7. A reference list should appear after the list of notes. It should contain all the articles, books, reports, etc., referred in the text and they should be arranged alphabetically by the names of authors or institutions associated with those works.

   (a) Reference to books should present the following details in the same order: author's surname and name (or initials), year of publication (within brackets), title of the book (underlined/italic), place of publication. For example:

   Chakrabarti, D.K. (1997), Colonial Indology: Socio-politics of the Ancient Indian Past, pp. 224-25, New Delhi

   (b) Reference to institutional publications where no specific author(s) is (are) mentioned should present the following details in the same order. institution's name, year of publication (within brackets), title of the publication (underlined/italic), place of publication. For example:

   Ministry of Human Affairs (2001), Primary Census Abstract, New Delhi, pp. xxxviii.

   (c) Reference to articles in periodicals should present the following details in the same on: the author's surname and name (or initials), year of publication (in brackets), title of the article (in double quotation marks), title of periodical (underlined/italic), number of the volume and issue (both using Arabic numerals); and page numbers. For example:

   Siddiqui, F.A. and Naseer, Y. (2004), "Educational Development and Structure of Works participation in western Uttar Pradesh", Population Geography, Vol. 26, Nos. 1 & 2, pp. 25-26.

   (d) Reference in the text or in the notes should simply give the name of the author or institution and the year of publication, the latter within brackets; e.g. Roy (1982). Page numbers too may be given wherever necessary, e.g. (Roy 1982: pp. 8-15).

मानविकी एवं समाज-विज्ञान की अन्तः अनुशासनात्मक शोध पत्रिका

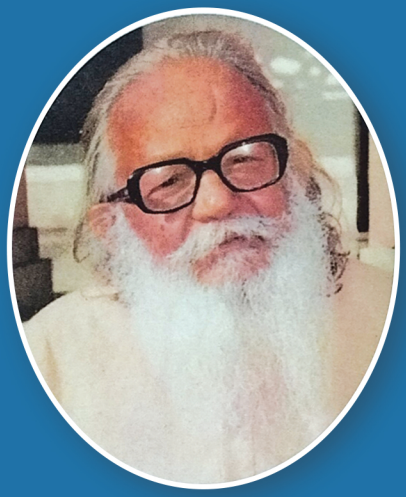
मानविकी

'वर्ष प्रतिपदा', अक्तूबर 2025 • वर्ष 16 • अंक 2

ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज

(18.5.1919 - 12.9.2014)

की पावन स्मृति में



कल्याण सभी जन का मन से
है किया कि सभी अभय होवें,
होकर अवेद्य भी वेद्य धरा पर
संत प्रवर की जय होवे।

ISSN 0976-0830

Published by: **Maharana Pratap Mahavidyalaya, Jungle Dhusan, Gorakhpur (U.P.)**
E-mail: **manvikijournal@gmail.com, mpmpg5@gmail.com**
Designed & Printed at: **R Tech Offset Printers, Delhi**